# लोक सभा वाद-विवाद

# का

# हिन्दी संस्करण

नवां सत्र
(दसवीं लोक सभा)

(खंड 30 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

# विषय सूची

दशम माला, खंड 30, नौवां सत्र, 1994/1915-1916 (शक)

अंक 27, गुरुवार, 28 अप्रैल, 1994/8 वैशाख, 1916 (शक)


| विषय | पृष्ठ |
|---|---|
| **प्रश्नों के मौखिक उत्तर** | **1-21** |
| *तारांकित प्रश्न संख्या : 461 से 465 | 1-18 |
| **प्रश्नों के लिखित उत्तर** | **22-213** |
| तारांकित प्रश्न संख्या : 466 से 480 | 22-37 |
| अतारांकित प्रश्न संख्या : 5208 से 5229, 5231 से 5405 | 37-205 |
| **सभा पटल पर रखे गए पत्र** | **214-215** |
| **प्राक्कलन समिति** | **215** |
| (एक) सैंतीसवां और इकतालीसवां प्रतिवेदन – प्रस्तुत | 215 |
| (दो) सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी विवरण – सभा पटल पर रखे गये | 215 |
| **लोक लेखा समिति** | **216** |
| चौहत्तरवां और तिहत्तरवां प्रतिवेदन – प्रस्तुत | 216 |
| **रेलवे में कार्यरत ठेका श्रमिकों की कतिपय मांगों को पूरा करने के लिए विधान में विशेष उपबंध करने के बारे में याचिका** | **216** |


*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उसी सदस्य ने पूछा था।

| विषय | | पृष्ठ |
|---|---|---|
| **नियम 377 के अधीन मामले** | | **216-220** |
| (एक) | निर्धन माता-पिता अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान कर सकें इस हेतु निर्धन माता-पिताओं को समर्थ बनाने के प्रयोजन से उन्हें मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता<br>श्री पी.पी. कालियापेरूमल | 216 |
| (दो) | भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को रेलवे कोच के निर्माण के लिए पर्याप्त क्रयादेश दिए जाने की आवश्यकता<br>श्री सी.पी. मुदालगिरियप्पा | 217 |
| (तीन) | आन्ध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की सुविधा प्रदान करने हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता<br>डा. विश्वनाथम कैनिथी | 217 |
| (चार) | देश में ईंट उद्योग को उच्च श्रेणी का कोयला प्रदान किए जाने की आवश्यकता<br>श्री लक्ष्मी नारायण मणि त्रिपाठी | 218 |
| (पांच) | हाल ही में ओलावृष्टि से प्रभावित राजस्थान की जनता को राहत प्रदान करने के प्रयोजना से राजस्थान सरकार को केन्द्रीय सरकार द्वारा विशेष सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता<br>प्रो. रासा सिंह रावत | 218 |
| (छह) | बिहार में रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता<br>श्री मंजय लाल | 219 |
| (सात) | उड़ीसा के ऐतिहासिक शहर खुर्दा को केन्द्र द्वारा प्रायोजित आई.डी.एस.एम.टी. योजना में शामिल करने की आवश्यकता<br>श्री शिवाजी पटनायक | 219 |
| (आठ) | आन्ध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र संबंधी विचाराधीन सिंचाई योजनाओं के लिए मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता<br>श्री ए. प्रताप साय | 220 |

| विषय | पृष्ठ |
|---|---|
| **अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1994-95** | **221-306** |
| जल संसाधन मंत्रालय | |
| श्री दाऊ दयाल जोशी | 221 |
| श्री एम. कृष्ण स्वामी | 232 |
| श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव | 234 |
| श्री अनिल बसु | 239 |
| श्री मणिशंकर अय्यर | 245 |
| श्री राजवीर सिंह | 251 |
| श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति | 257 |
| श्री शरत पटनायक | 260 |
| श्री बी.एन. रेड्डी | 261 |
| श्री सुखदेव पासवान | 264 |
| श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ | 266 |
| श्री तारा सिंह | 268 |
| श्री तेज नारायण सिंह | 270 |
| श्री पी.सी. थामस | 274 |
| श्री भूपेन्द्र सिंह हूड्डा | 275 |
| श्री रतिलाल वर्मा | 278 |
| श्री सैयद शहाबुद्दीन | 279 |
| श्री सूर्यनारायण यादव | 283 |
| श्री सैयद मसदल हुसैन | 286 |
| श्री राजागोपाल नायडू रामास्वामी | 287 |
| श्री बालिन कुली | 289 |
| श्री प्रभु दयाल कठेरिया | 291 |
| श्री जगमीत सिंह बरार | 292 |

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह 298

श्री राम टहल चौधरी 299

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी 302

श्री चित्त बसु 304

श्री विद्याचरण शुक्ल 306

# लोक सभा

गुरुवार, 28 अप्रैल, 1994/8 वैशाख, 1916 (शक)

लोक सभा 11 बजे म.पू. पर समवेत हुई

**(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)**

**[अनुवाद]**

**श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा** (क्योंझर) : अध्यक्ष महोदय, चूंकि हम आदिवासी हैं, इसलिए हमारी हमेशा उपेक्षा होती है। हम आपके माध्यम से मंत्रियों से कुछ प्रश्न पूछने के लिए अपने हाथ उठा रहे हैं। **(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न संख्या 461।

**11.0½ म.पू.**

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

**[अनुवाद]**

### ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

*461. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के लिए कौन-कौन सी परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं;

(ख) योजना के दौरान कितना उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. की कुछ कोयला खानों को बद करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) इसका उत्पादन पर क्या उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

**कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा)** : (क) से (ङ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

**विवरण**

(क) 1-4-1992 से अब तक की अवधि में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के संबंध में सरकार द्वारा स्वीकृत की गई कोयला खनन परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

| परियोजना | लक्षित क्षमता (मि.टन प्रति वर्ष) | पूंजीगत लागत (करोड़ रुपये में) |
|---|---|---|
| (i) बकुलिया भूमिगत परियोजना (नई परियोजना) | 0.96 | 104.66 |
| (ii) राजमहल ओपेनकास्ट विस्तार परियोजना (संशोधित लागत अनुमान) | 10.5 | 966.70 |

(ख) योजना आयोग द्वारा ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के लिए आठवीं योजना के अंतिम वर्ष (1996-97) तक 38.50 मि.टन कोयले का उत्पादन प्रक्षिप्त किया गया है।

(ग) से (ङ) कुछ पुरानी खानों को निम्न कारणों से बंद किया जाना अपरिहार्य हो गया जैसे

(i) भंडारों का समापन;

(ii) प्रतिकूल भू-खनन परिस्थितियां;

(iii) प्रतिकूल खनन सुरक्षा परिस्थितियां, और

(iv) नकारात्मक आर्थिक व्यवहार्यता (समाहित करने, कार्य-क्षमता में सुधार किए जाने, प्रौद्योगिकी में सुधार, आदि करने के प्रयास किए जाने के बावजूद भी सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने में विफलता रही)।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. में 3 से 4 वर्षों की अवधि के दौरान चरणबद्ध रूप से 11 खानों को बंद किए जाने के लिए विनिर्दिष्ट किया गया है। इनमें से दो खानों को पहले ही बंद कर दिया गया है।

इन खानों को बंद किए जाने के बाद ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के कुल उत्पादन पर कोई अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

**श्री बसुदेव आचार्य** : महोदय, मैंने पूछा था कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई थी। माननीय मंत्री ने मेरे प्रश्न के जवाब में बताया है कि केवल दो परियोजनाओं, एक बकुलिया भूमिगत परियोजना और दूसरी राजमहल ओपनकास्ट विस्तार परियोजना, को स्वीकृति दी गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि आरम्भ में क्या केवल दो परियोजनाओं को ही स्वीकृति दी गयी थी, क्योंकि आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 38.50 मिलियन टन का लक्ष्य

निर्धारित किया गया था। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए माननीय मंत्री का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है? पिछले वर्ष ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का कुल उत्पादन 22 मिलियन टन था और वर्तमान वर्ष के लिए 26 मिलियन टन निर्धारित किया गया। अगर निर्धारित लक्ष्य 26 मिलियन टन है, तो 38 मिलियन टन कैसे प्राप्त किया जा सकता है?

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया प्रश्न पर आइये।

**श्री बसुदेव आचार्य** : मैं प्रश्न पर आ रहा हूं।

मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार का प्रस्ताव आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अनेक परियोजनाएं शुरू करने का है?

**श्री अजित पांजा** : जी हां, महोदय। 28 परियोजनायों पर कार्य चल रहा है। हम चाहते हैं कि उत्पादन में वृद्धि, हो ताकि हम लक्ष्य को सही प्रकार से प्राप्त कर सकें।

जहां तक नई परियोजनाओं का सम्बन्ध है, प्रश्न यह था : सरकार ने कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति दी थी? सरकार ने दो परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। लेकिन, वास्तव में कंपनी स्तर पर नौ अन्य परियोजनाओं की पहचान की गई है। अतः, हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे।

**श्री बसुदेव आचार्य** : ईस्टर्न कोलफील्ड्स सबसे पुराना और सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र अथवा सहायक कम्पनी है। कोयले के अपार भंडार हैं। सरकारी उद्यमों सम्बन्धी समिति ने वर्ष 1991-92 के अपने प्रतिवेदन में सिफारिश की थी कि चूंकि दामोदर नदी के दाहिने किनारे पर कोयले का खनन और दोहन कम है, अतः ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को पुरूलिया और बांकुरा जिलों में दामोदर नदी के दाहिने किनारे पर नई परियोजनाओं को स्वीकृति देनी चाहिये।

**अध्यक्ष महोदय** : क्या प्रत्येक प्रश्न से पहले आपको यह याद दिलाऊं कि आप सीधे प्रश्न पर आइये?

**श्री बसुदेव आचार्य** : महोदय, मैं प्रश्न पर आ रहा हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : अन्य सदस्य भी अपने प्रश्न पूछना चाहेंगे।

**श्री बसुदेव आचार्य** : मैंने अपने प्रश्न का पहला भाग पहले ही पूछ लिया है।

पुरूलिया जिले में 17 अप्रैल, 1993 को जब मंत्री महोदय पुआपुर में एक कोयला खान का उद्घाटन करने के लिए गए थे, तो उन्होंने पुरूलिया के जिलों में दो परियोजनाओं की धोषणा की थी। एक ठंगाजोर तथा दूसरी मधुकुण्डा है। महोदय, एक वर्ष बीत चुका है, लेकिन अभी खनन कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है। मिनिरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को खनन कार्य शुरू करने के लिए कहा गया था। लेकिन एम.ई.सी.एल. ने अभी तक खनन कार्य आरम्भ नहीं किया है।

पुरूलिया और बांकुरा जिलों में दामोदर नदी के दाहिने किनारे पर बहुतायत में तथा अच्छी गुणवत्ता वाले कोयले के भंडारों के दोहन तथा साथ ही उस क्षेत्र का विकास करने के उद्देश्य से क्या मंत्री महोदय उस क्षेत्र में अनेक परियोजनायें शुरू करेंगे? एम.ई.सी.एल. इस खनन कार्य को शुरू नहीं कर रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोल इंडिया अपनी सहायक शाखा सी.एम.पी.डी.आई.एल. को इस खनन कार्य अपने हाथ में लेने के लिए कहेगी, ताकि मंत्री महोदय द्वारा घोषित परियोजनाओं को शुरू किया जा सके।

**श्री अजित पांजा** : महोदय, यह एक सुझाव है। मैंने यह सुझाव नोट कर लिया है।

**[हिन्दी]**

**श्री सूरज मंडल** : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि एक तरफ तो कोयले के उत्पादन का लक्ष्य 38.50 मिलियन टन रखा गया है और दूसरी तरफ कोयले की खानों को बन्द किया जा रहा है। राष्ट्रीकरण के बाद जो कोयला खानें अब तक बन्द नहीं हुई हैं, जैसे संथाल परगना में अरमो, चिरमो, बरगो, झर, जोरकूड़ी, कटवाड़ी, ताराबाद, चुंडी, जिलदेरी, शिकारीपाड़ा, चापरमीठा, और दुर्गापुर, लेकिन 52 कोयला खानें संथाल परगना में भी बंद पड़ी हैं। कोयले के उत्पादन का लक्ष्य पूरा करने के लिए सरकार का इन खानों को चालू करने का इरादा है या नहीं?

कोल इंडिया द्वारा जो कोयला खानें और परियोजनाएं सैंक्शन हो जाती हैं, उसके बाद उनको चालू करने में पब्लिक एजीटेशान के कारण, लैण्ड एक्वीजीशन और डिस्प्लेसमेंट के कारण कठिनाइयां आती हैं, इसमें नौकरी देने और मुआवजा देने का काम भी आता है। इन कामों के कारण बहुत सारी कोयला खानें बन्द हैं, जिसके कारण ईस्टर्न कोलफील्ड लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाती है। ऐसी कौन सी कोयला खानें हैं, यह मैं सरकार से जानना चाहता हूं?

**[अनुवाद]**

**श्री अजित पांजा** : जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य ने सन्थाल परगना में कुछ कोयले वाले क्षेत्रों का उल्लेख किया है। मैं इसका पता लगाऊंगा तथा माननीय सदस्य को ये ब्यौरे देते हुए एक पत्र लिखूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास ये ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन नई खानें न खोलने में कुछ अन्य समस्यायें हैं। बन्द करने की समस्या इसलिये हैं, क्योंकि कुछ खानें पुरानी हो गई हैं और उनमें कोयला भंडार समाप्त हो रहे हैं। ऐसी ग्यारह खानों का पता लगाया गया है और उनमें से दो खानों को पहले ही बन्द किया जा चुका है। पुरानी खानों में भंडार समाप्त हो गये हैं। फिर कुछ खानें काफी गहरी तथा गैस वाली हैं, जिसका पता वास्तव में कोयले के उत्पादन के समय चला है। पश्चिम बंगाल में विद्युत की अत्यधिक कमी है और इसीलिये ... **(व्यवधान)**

**श्री बसुदेव आचार्य** : अब विद्युत की कमी नहीं है। अब विद्युत अधिशेष में है। **(व्यवधान)**

**श्री अजित पांजा** : कलकत्ता शहर के अलावा सभी जगह बिजली की अत्यधिक कमी है। कलकत्ता की शहरी जनता की संतुष्टि के लिए वहां विद्युत पूर्ति बनाये रखी जाती है, लेकिन हमारे कोयला क्षेत्रों में विद्युत प्रदान नहीं की जाती है और इसीलिए कोयले के उत्पादन पर इसका विपरीत असर पड़ता है। हम पश्चिम बंगाल सरकार की असफलता के कारण दामोदर घाटी निगर्म से प्रत्यक्ष विद्युत के साथ इसे समन्वित करने का प्रयास कर रहे हैं।

जहां तक सामान्य कानून और व्यवस्था तथा औद्योगिक सम्बन्धों का सम्बन्ध है, कार्य संस्कृति की स्थिति बहुत खराब है। मैं माननीय सदस्यों से सहयोग करने का अनुरोध करूंगा। एक परियोजना में 53 बैठकें की जानी थी और श्री हाराधन राय तथा अन्य सदस्यों ने उनमें से कुछ ही बैठकों में भाग लिया। इसमें छह वर्ष का विलम्ब हो गया है। भूमि के अधिग्रहण मे विलम्ब हुआ है। माननीय सदस्य

ने इसके बारे में मुझसे पूछा है। मेरे पास सभी ब्यौरे हैं और मैं सभा का समय नहीं लेना चाहता। हमें सुबह सूचित किया गया कि खदान क्षेत्र में भारी लागत वाली मशीनें पड़ी हुई हैं, लेकिन किसी विशेष सत्तारूढ़ राजनीतिक पार्टी के समर्थन से स्थानीय लोग इन मशीनों के लगाये जाने का विरोध कर रहे हैं। जहां तक ईस्टर्न कोलफील्ड्स का सम्बन्ध है, इससे बहुत अधिक नुकसान हो रहा है।

**डा. सुधीर राय :** महोदय, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि हाल ही में न्यू केन्डा में हुए विनाश को ध्यान में रखते हुए क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में पर्याप्त सुरक्षा उपाय किये गये हैं।

**श्री अजित पांजा :** जी हां, महोदय।

**डा. सुधीर राय :** वे उपाय कौन से हैं?

**श्री अजित पांजा :** महोदय, अगर एक दूसरे पूरक प्रश्न की अनुमति हो तो मैं इसका जवाब दे सकता हूं।

**अध्यक्ष महोदय :** जी नहीं, इसकी अनुमति नहीं है।

**डा. कार्तिकेश्वर पात्र :** महोदय, यहां माननीय मंत्री ने बताया है कि यहां तक कि ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में उन खानों की पहचान कर ली गई है, जिन्हें अगले तीन से चार वर्ष की अवधि में बन्द किया जाना है। 11 खानों में से 2 को पहले ही बन्द किया जा चुका है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि इन कोयला खानों का कुल उत्पादन कितना था और इस कमी को किस प्रकार पूरा किया जायेगा।

**श्री अजित पांजा :** इन 11 खानों का उत्पादन 1.32 मिलियन टन है। जब दो या तीन वर्ष के पश्चात उन्हें बन्द कर दिया जायेगा तो उत्पादन में आने वाली इस कमी को पूरा करने के लिए हमने नई खाने खोलने और वर्तमान खानों का विस्तार करने का कार्यक्रम बनाया है।

**पूर्वोत्तर राज्यों में विभिन्न जातियों और वर्गों के सम्बन्ध में सर्वेक्षण**

*462. **श्रीमती बिभू कुमारी देवी :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों की जनसंख्या में अप्रवासियों और घुसपैठियों के बड़ी संख्या में आगमन के कारण अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस वृद्धि के अन्य कारणों का पता लगाने के लिए इन राज्यों में रह रही विभिन्न जातियों और वर्गों के सम्बन्ध में सर्वेक्षण कराये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इनके क्या परिणाम निकले हैं, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) :** (क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

**विवरण**

1. पूर्वोत्तर राज्यों में आबादी की दशकीय वृद्धि दर समग्र देश की वृद्धि दर की तुलना में उच्चतर रही है। इस वृद्धि के कई कारण हैं, जिनमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में अप्रवासियों एव घुसपैठियों का बड़ी संख्या में आगमन भी शामिल है।

2. सीमाओं के पार से अवैध अप्रवासन/घुसपैठ की समस्या की जानकारी सरकार को है और सरकार ने इस बारे में कई उपाय किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ सीमा सुरक्षा बल द्वारा गश्त गहन करना, सी.सु. बल की वाटर विंग को मजबूत बनाना, सीमा-सड़कों तथा बाड़ के निर्माण के कार्यक्रम में तेजी लाना, घुसपैठ की रोकथाम (पी.आई.एफ.)/सचल कार्य बल (एम.टी.एफ.) योजनाओं को सुदृढ़ बनाना, परिचिह्नित सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पहचान-पत्र जारी करना आदि शामिल है। साथ ही, राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को ऐसे स्थाई आदेश हैं कि वे अवैध अप्रवासियों का पता लगाएं और उन्हें स्वदेश भेजें। मामले को उच्च स्तर पर बंगलादेश सरकार के साथ कई अवसरों पर मजबूती से उठाया गया है। केन्द्रीय गृह सचिव द्वारा अक्तूबर, 1993 में की गई बंगलादेश की अपनी यात्रा के दौरान की गई बातचीत में इस बारे में भारत सरकार की चिन्ता को रेखांकित किया गया था। परिणास्वरूप, इस मुद्दे सहित सभी लम्बित मामलों की गहराई से जांच करने और उनके हल के व्यावहारिक उपाय सुझाने के लिए भारत-बंगलादेश संयुक्त कार्य दल (जे.डब्ल्यू.जी.) की स्थापना की गई है। संयुक्त दल की पहली बैठक 29-31 मार्च, 1994 को आयोजित की गई थी, जिसमें इस मुद्दे पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई और कुछ सहमति बनी।

3. आबादी की वृद्धि के कारण निश्चित करने के उद्देश्य से पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में कोई जातीय सर्वेक्षण नहीं कराए गए हैं। तथापि, इन क्षेत्रों में कुछ चुनिंदा अनुसूचित जनजातियों के बारे में जातीय अध्ययन कराए गए हैं, जिनमें सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहलू शामिल हैं।

**श्रीमती बिभू कुमारी देवी** : माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए मैं उनसे निम्न तथ्यों को स्पष्ट करने का सुझाव करना चाहूंगी।

पहले, क्या यह सच है कि त्रिपुरा की जनसंख्या में 1951 में 8-9 लाख से 1991 में 31-32 लाख की असामान्य वृद्धि हुई, जो कि चार दशकों में 350 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि है, और 2.2 प्रतिशत सामान्य वार्षिक वृद्धि दर होने देने से वहां जनसंख्या में 250 प्रतिशत से भी अधिक की वास्तविक वृद्धि हुई है, और यह वृद्धि मुख्य रूप से घुसपैठियों और अप्रवासियों की घुसपैठ के कारण हुई है, जिसके परिणामस्वरूप जनांकिकी में तीव्र परिवर्तन हुआ है और स्थानीय जनसंख्या 61 प्रतिशत से घटकर मात्र 27 प्रतिशत हो गई है। परिणामतः जनसंख्या की स्थिति बहुत बिगड़ रही है और इसके कारण क्षेत्रीय-राज्य विद्रोह की प्रवृत्ति तथा आदिवासियों में सामाजिक एवं आर्थिक असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। आदिवासी लोग यह महसूस कर रहे हैं कि उनके पारंपरिक रीति-रिवाजों पर आधारित

व्यक्तिगत कानून और भूमि प्रतिमान उपयोग संबंधी कानूनों को धीरे-धीरे समाप्त किया जा रहा है। क्या भारत सरकार उन सभी अवैध प्रवासियों और घुसपैठियों का पता लगाने, पहचानने और वापस भेजने के प्रश्न पर विचार कर रही है जो कि निर्दिष्ट शिविरों में निवास नहीं कर रहे हैं?

**श्री पी.एम. सईद** : यह सच है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि के शेष भागों की अपेक्षा कुल मिलाकर अधिक रही है। इस वृद्धि का कारण पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ भागों में अवैध प्रवासियों तथा घुसपैठियों की घुसपैठ है। सरकार इस बात को अच्छी तरह से जानती है और वह अवैध प्रवासियों तथा घुसपैठियों की समस्या से भी अवगत है। इस समस्या से निपटने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं, जिसमें सीमा सुरक्षा बल की गश्त को तेज करना; सीमा सुरक्षा बल के जल को सुदृढ़ करना; सीमा सड़कों के निर्माण तथा बाड़ लगाने संबंधी कार्यक्रम में तेजी लाना; घुसपैठ को रोकने/चल कृतिक बल संबंधी योजनाओं को सुदृढ़ करना और पता लगाए गए सीमा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पहचान-पत्र जारी करना आदि शामिल है।

**श्रीमती बिभू कुमारी देवी** : महोदय, जहां तक सीमा सुरक्षा बल का अधिक संख्या में होने का संबंध है, मुझे ज्ञात हुआ है कि हाल ही में 50 प्रतिशत से अधिक सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों को कश्मीर क्षेत्र में भेज दिया गया है। अतः, जहां तक इस बात का संबंध है, मैं अधिक सन्तुष्ट नहीं हूं।

दूसरे, मैं जानना चाहती हूं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पंजाब और जम्मू और कश्मीर में छोटे पैमाने पर जनसंख्या वृद्धि होने पर भी वहां जनजातीय सर्वेक्षण के आदेश दिए गए थे, जबकि 1971 में इंदिरा-मुजीब समझौते के बाद भी त्रिपुरा में जनजातीय सर्वेक्षण कराने में विलम्ब के कारण त्रिपुरा में अवैध घुसपैठ होने लगी है? क्या सरकार सम्बद्ध दलों द्वारा प्रायोजित घुसपैठ के संबंध में अपनी स्थिति की समीक्षा करेगी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के छोटे, लेकिन संवेदनशील भागों के वैध सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र की अखण्डता और सुरक्षा को बनाये रखने के लिए कदम उठाएगी।

अन्ततः मैं जानना चाहती हूं कि क्या सरकार जातीय तथा जनजातीय मुद्दों का समाधान करने के लिए राजनीति स्तर पर एक समिति का गठन करने पर विचार कर रही है? अब मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या सरकार ने त्रिपुरा के लिए जनजातीय सर्वेक्षण करवाया है और इसके क्या परिणाम निकले हैं?

**श्री पी.एम. सईद** : मैंने जो वक्तव्य दिया है उसे यदि माननीय सदस्य पढ़ेंगे तो उनके अधिकांश प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। यह सच है कि त्रिपुरा में जनजातीय सर्वेक्षण नहीं करवाया गया और ऐसा केवल सांस्कृतिक एव आर्थिक कारणों को निश्चित करने के उद्देश्य से किया जाता है, लेकिन लगता है कि वह जनजातीय सर्वेक्षण के बारे में जानना चाहती हैं।

जहां तक उनके द्वारा उल्लिखित राजनीतिक समिति का संबंध है, मुझे खेद है कि ऐसा संभव नहीं होगा, क्योंकि पूर्वोत्तर क्षेत्र के कतिपय भागों में अवैध प्रवासियों को बसाये रखने में कुछ हद तक राजनीति स्वार्थ भी शामिल है।

**श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ** : माननीय मंत्री महोदय ने इस बात को स्वीकार किया है कि पूर्वोत्तर राज्यों में जनसंख्या वृद्धि की दर देश के अन्य किसी भाग से अधिक है। माननीय मंत्री महोदय के अनुसार सरकार ने अनेक उपाय किये हैं। इनमें से एक उपाय है सीमा सुरक्षा बल द्वारा गश्त में तेजी लाना। गश्त में तेजी लाने के बारे में, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सीमा सुरक्षा बल के 50 प्रतिशत पुलिस कार्मिकों को सीमा क्षेत्र से हटाकर जम्मू और कश्मीर भेज दिया गया है। यदि सरकार ने ऐसा किया है तो सरकार सीमा को कैसे नियंत्रित कर सकेगी?

दूसरे, जहां तक सीमा सुरक्षा बल के जल स्कंध को सुदृढ़ करने का प्रश्न है, मुझे यह कहना है कि मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र का रहने वाला हूं और मैं सीमांत क्षेत्र से आया हूं। मैंने जल स्कंध की ऐसी कोई गतिविधि नहीं देखी है।

तीसरे, सरकार ने कहा है कि सीमा सड़क का निर्माण तथा बाड़ लगाने का काम हो चुका है, लेकिन, यह कार्य भी संतोषजनक नहीं है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस घुसपैठ को, जबकि सरकार घुसपैठ होने की बात को पहले ही स्वीकार कर चुकी है, कैसे रोकेगी और पूर्वोत्तर राज्यों को इन घुसपैठियों के पंजों से कैसे निकालेगी। इसके साथ ही मैं एक बात और जानना चाहता हूं। घुसपैठिए संपूर्ण वन सम्पदा को अपने कब्जे में कर रहे हैं और उन स्थानों के मूल निवासी जनजातीय लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। मैं जाना चाहता हूं कि सरकार जनजातीय लोगों को इन घुसपैठियों के पंजों से बचाने के लिए कौन-से उपाय कर रही है।

**श्री पी.एम. सईद** : महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य की आशंका का कोई आधार नहीं है, क्योंकि जहां तक अर्द्धसैनिक बलों का संबंध है, हमारे पास पूर्वोत्तर क्षेत्र की सीमाओं की रक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में ऐसे अर्द्धसैनिक बल मौजूद हैं।

जहां तक सीमा सड़कों एवं बाड़ लगाने का संबंध है, मैं आपके सामने आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा, जिससे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि असम में, 192 कि.मी. सड़कों के निर्माण हेतु स्वीकृति मिल चुकी है, जिसमें से 106 कि.मी. सड़कों का निर्माण हो चुका है। मेघालय में 208 कि.मी. हेतु स्वीकृति मिली है और 151 कि.मी. सड़कों का निर्माण हो चुका है। इसी प्रकार, पश्चिम बंगाल में 1770 कि.मी. की स्वीकृति मिली है और 374 कि.मी. सड़क निर्माण हो चुका है। जहां तक पुलों का संबंध है, असम में, 5,521 पुलों के निर्माण हेतु स्वीकृति मिली है और इसमें से 2325 पुलों का निर्माण हो चुका है। जहां तक बाड़ लगाने की बात है, 158 कि.मी. की स्वीकृति मिली है और 104 कि.मी. तक बाड़ लगाने का कार्य हो चुका है। यह एक लम्बा विवरण है और आंकड़ों से भी यही बात स्पष्ट होगी। यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं उनको यह सूची भेज सकता हूं।

जहां तक वित्त का संबंध है, 831.17 करोड़ रुपयों की मंजूरी मिली है और इसमें से हमने 322.258 रुपये व्यय किये हैं।

इस प्रकार आंकड़ों से सब कुछ स्पष्ट है। निःसन्देह, जिस गति से यह कार्य हो रहा है वह सन्तोषजनक नहीं है, लेकिन यह कहना गलत है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जा रहा है। हमने इस क्षेत्र को अपेक्षित महत्व दिया है और सरकार इस पर हमेश ध्यान देती रहेगी।

**एक माननीय सदस्य** : महोदय, मुझे एक अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दीजिए।

**अध्यक्ष महोदय :** पहले पूर्वोत्तर क्षेत्र के सदस्यों को बोलने दीजिए। हर एक सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। आपको समझना चाहिए कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के सदस्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

**डा. जयन्त रंगपी :** महोदय, यह बहुत ही रोचक बात है कि गृह मंत्रालय ने सीमाओं के पार घुसपैठ को पूर्वोत्तर क्षेत्र में असामान्य जनसंख्या वृद्धि का एक कारण बताया है। हम सबको याद है कि 1985 में जब असम समझौते पर हस्ताक्षर किये गए थे, ।ब ही असामान्य घुसपैठ का मुद्दा निपटाया जाना था। अब चूंकि घुसपैठ जारी है, विवादास्पद मुद्दा यह है कि लोग कह रहे हैं कि अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) अधिनियम, अपने आप में त्रुटिपूर्ण है और जब तक इसमें संशोधन नहीं किया जाता, घुसपैठ की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। नि:सन्देह, सीमा, बाड़ लगाना, अर्द्धसैनिक बल आदि मुद्दे जरूरी हैं··· **(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय :** क्या आप प्रश्न पर आयेंगे?

**डा. जयन्त रंगपी :** जी, हां। मैं प्रश्न तैयार कर रहा हूं।

**अध्यक्ष महोदय :** लेकिन आप प्रश्न तैयार करने में बहुत समय लगा रहे हैं।

**डा. जयन्त रंगपी :** महोदय, कुछ लोगों का कहना है कि अवैध प्रवासियों का पता लगाने के नाम पर भारत के मूल नागरिकों को सताया जा रहा है। यह मुख्य विवादास्पद मुद्दा है। जब तक यह मुद्दा निपटाया नहीं जाता, तब तक घुसपैठ की समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। क्या मैं सरकार से यह जान सकता हूं कि क्या गृह मंत्रालय उन विभिन्न राजनीतिक दलों की एक बैठक बुलाने पर विचार कर रहा है, जो इस विशेष मुद्दे की हिमायत कर रहें हैं या अपने निहित स्वार्थ की पूर्ति के लिये इस मुद्दे को उछाल रहे हैं और ऐसा करके वे यह चाहते हैं कि इस विशेष मुद्दे पर आई.एम.डी.टी. अधिनियम का संशोधन किया जाए अथवा नहीं और अन्य संभावनाओं का पता लगाने के लिए इस विशेष मुद्दे पर चर्चा हो।

प्रश्न का अन्य भाग यह है कि··· **(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय :** केवल एक अनुपूरक प्रश्न ही काफी है। अन्यथा सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। मैं उसकी अनुमति नहीं दूंगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

**गृह मंत्री (श्री एस.बी.चव्हाण) :** महोदय, सरकार संबंधित क्षेत्रों के सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाने पर विचार कर रही है, क्योंकि यह सच है कि घुसपैठ की घटनाएं बड़े पैमाने पर हो रही हैं। इसलिए, यह आवश्यक हो गया है कि जो कुछ भी किया जाए वह घुसपैठ को समाप्त करने की दिशा में ही किया जाए, लेकिन इसके साथ-साथ हमें यह बात भी ध्यान में रखनी है कि जो लोग इस क्षेत्र के निवासी बन गए हैं, उन्हें कोई परेशानी न उठानी पड़े। असम समझौते में भी इस बात का प्रावधान है कि 1971 तक के लोगों को कुछ छूट दी जायेगी, लेकिन उसके बाद जो भी आया उसके वापस जाना पड़ेगा। राजनयिक स्तर पर भी कुछ कार्यवाही चल रही है और बंगलादेश सरकार तथा भारत सरकार अब इस बात पर विचार कर रहे हैं कि हम इस समस्या का अच्छे से अच्छा हल कैसे ढूंढ सकते हैं।

**श्री लाईता उम्ब्रे** : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर-पूर्व क्षेत्र की जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि का कारण घुसपैठ है। आन्तरिक लाइन (विनियमन) अधिनियम में जो कुछ राज्यों में विद्यमान है, कुछ हद तक घुसपैठ को रोकने में सक्षम है। इसलिए उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के अनेक राज्यों ने इस अधिनियम को लागू करने की मांग की है। लेकिन समाचार यह है कि आन्तरिक लाइन (विनियमन) अधिनियमि उन राज्यों से भी वापस लिया जा रहा है, जहां कि यह पहले से है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सत्य है कि पर्यटन के विकास के नाम पर सरकार अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड से आन्तरिक लाइन (विनियमन) अधिनियम को वापस ले रही है।

**श्री पी.एम. सईद** : महोदय, यह प्रश्न आन्तरिक लाइन (विनियमन) अधिनियमन से सम्बन्धित नहीं है। मेरा विचार है कि माननीय सदस्य को कुछ भ्रम है। यह केवल गैर-कानूनी प्रवासियों से सम्बन्धित है। किसी भी स्थिति में किसी भी गैर-कानूनी प्रवासी को यहा बसने की अनुमति नहीं है।

**श्री किरिप चलिहा** : मैं इस विशिष्ट प्रश्न का एक विशिष्ट उत्तर प्राप्त करना चाहूंगा। मैं जानना चाहूंगा कि क्या गृह मंत्रालय को इस तथ्य की जानकारी है कि इस घुसपैठ से स्थानीय लोगों की पहचान खतरे में पड़ गई है, जो यहां बरसों से रह रहे हैं और क्या गृह मंत्रालय इस घुसपैठ की समस्या को समाप्त करने के लिए किए गए इन उपायों का पर्याप्त समझता है अथवा नहीं है। यदि नहीं, तो सरकार भविष्य में घुसपैठ की समस्या को दूर करने के लिए क्या विशेष उपाय करने पर विचार कर रही है? अथवा क्या सरकार यह चाहती है कि वहां एक और आन्दोलन हो जिससे कि पूरा उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र परेशान हो।

**श्री पी.एम. सईद** : जो कदम हमने उठाए हैं इसे रोकने में काफी कारगर हैं... **(व्यवधान)**

**श्री किरिप चलिहा** : यह काफी नहीं हैं।

**श्री एस.बी. चव्हाण** : माननीय सभा की सूचना के लिए मैं पहले ही बता चुका हूं कि यह समस्या... **(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया बैठ जाइए। इसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

**(व्यवधान)***

**अध्यक्ष महोदय** : यह सब अनावश्यक है। अब कृपया बैठ जाइए।

**श्री एस.बी. चव्हाण** : मैंने पहले ही समस्या की गंभीरता को स्वीकार कर लिया है और यह भी कहा है कि अब तक किए गए उपायों से अच्छे एवं वांछित परिणाम सामन नहीं आए हैं। इसमें निहित किसी प्रतिष्ठा का कोई प्रश्न नहीं है। सभी मुख्यमंत्रियों को दोबारा बुलाया जाएगा और मामले पर गहराई से चर्चा की जाएगी। जिस भी कार्यवाही की आवश्यकता है और जो भी उपाय किए जाने आवश्यक हैं, उसके संबंध में निश्चय ही कदम उठाए जाएंगे।

**श्रीमती बिभू कुमारी देवी** : महोदय, क्या हम इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा कर सकते हैं?

**अध्यक्ष महोदय** : पहले आपको सूचना देनी चाहिए, फिर पूछना चाहिए।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**तेल क्षेत्रों का विकास**

*463. **श्री सनत कुमार मंडल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को प्रमाणित तेल क्षेत्रों के विकास के लिए देश और विदेश से प्राप्त निविदाओं का ब्यौरा क्या है,

(ख) निविदाओं के मूल्यांकन के लिए क्या मानदंड अपनाये गये हैं;

(ग) क्या निविदा भेजने वाली कंपनियों ने इस संबंध में कोई शिकायतें की हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और

(ङ) स्वीकृत निविदाओं का ब्यौरा और संबंधित शर्तें क्या हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) :** (क) से (ङ) एक विवरण संलग्न है।

**विवरण**

(क) भारत सरकार द्वारा 31 छोटे और 12 मध्यम आकार के क्षेत्रों के विकास के लिए अगस्त, 1992 में किए गए प्रस्ताव के प्रति कुल 117 बोलियां प्राप्त हुई थीं। 22 विदेशी कंपनियों तथा 26 भारतीय कंपनियों ने स्वयं या परिसंघ के रूप में बोलियां प्रस्तुत की। 8 मध्यम और 33 छोटे आकार के क्षेत्रों के विकास के लिए अक्तूबर, 1993 में किए गए क्षेत्रों के प्रस्ताव के प्रति 11 विदेशी और 19 भारतीय कंपनियों से कुल 54 बोलियां प्राप्त हुईं।

(ख) से (घ) रुचि रखने वाल समस्त कम्पनियों को दिए गए बोली संबंधी कागजात में प्रत्येक बोली दाता द्वारा दी जाने वाली बोली का प्रारूप तथा सूची निर्धारित है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ बोली दाता कंपनी/परिसंघ का विवरण, रिजर्वेयर आकलन से संबंधित तकनीकी जानकारी, भंडार अनुमान तथा कार्य संबंधी कार्यक्रम और प्रस्तावित वाणिज्यिक शर्तें शामिल हैं।

बोलीदाताओं से उनके साथ विचार-विमर्श से पूर्व तथा इसके दौरान उनके प्रस्तावों पर स्पष्टीकरण मांगा जाता है तथा अपरक्राम्य शर्तों के संबंध में उन्हें स्पष्टतया बता दिया जाता है। इनमें सांविधिक उदग्रहणों, लागत अनुमानों की दृढ़ता, तथा क्षेत्रों के विकास को हाथ में लेने का बोलीदाता का पूर्व अनुभव शामिल है। बोलीदाताओं को एक निर्धारित अंतिम तिथि तक अपने प्रत्युत्तर देने के लिए कहा जाता है।

विचार-विमर्श तथा स्पष्टीकरण के उपरान्त प्राप्त प्रस्तावों का तकनीकी मूल्यांकन किया जाता है तथा इसके बाद समस्त तकनीकी रूप से स्वीकार्य बोलीदाताओं द्वारा दिए गए वाणिज्यिक शर्तों का मूल्यांकन किया जाता है।

कुछ कंपनियों ने अपनी बोलियों की विफलता के कारणों के बारे में जानना चाहा था। इस संबंध में उन्हें उत्तर भेज दिए गए हैं। एक कंपनी से बोलियों के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त मानदंड के संबंध में भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। उनके द्वारा उठाए गए बिन्दुओं की जांच की गई है तथा सरकार का यह मत है कि लिया गया अंतिम निर्णय, बोली के प्रारूप में विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुरूप है तथा बोलीदाताओं के साथ विचार-विमर्श और बेहतर तकनीकी आर्थिक दृष्टिकोण पर आधारित है।

(ङ) सरकार ने 13 छोटे आकार के तथा 4 मध्यम आकर के क्षेत्रों की संविदाएं देने की अनुमति दी है। 12 छोटे आकर के क्षेत्र गुजरात में हैं, जबकि पी.वाई.-I क्षेत्र कावेरी अपतटीय बेसिन में है। छोटे आकार के क्षेत्रों के प्रस्तावों का विवरण निम्नानुसार है:

| क्र.सं. | कंपनी/परिसंघ का नाम | क्षेत्र |
|---|---|---|
| 1. | गुजरात स्टेट पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि. (जी.एस.पी.सी.एल.), अहमदाबाद | हाजीरा, कैम्बे, भंदूत, मतार और साबरमती |
| 2. | सेलन एक्स्प्लोरेशन टैक्नोलाजी लि., नई दिल्ली | इन्द्रीरा, बकरोल और लोहर |
| 3. | लार्सन एंड टूब्रो, बम्बई - जोशी टेक्नोलाजीज, अमेरिका | धालेका, वैवेल |
| 4. | इंटरलिंक जिओफिजिका, बड़ौदा | बओला |
| 5. | हिन्दुस्तान आयल एक्सप्लोरेशन कंपनी (एच.ओ.ई.सी.), बड़ौदा-मासबैसर एनर्जी कं., अमेरिका-पेट्रोडायन इंक, अमेरिका | पी.वाई. - I |
| 6. | हिन्दुस्तान आयल एक्सप्लोरेशन कंपनी, बड़ौदा-गुजरात स्टेट पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि., अहमदाबाद-पेट्रोडायन इंक अमेरिका | असजोल |

पश्चिमी अपतट में तीन मध्यम आकार के क्षेत्रों - मुक्ता, पन्ना और मध्य और दक्षिणी ताप्ती, को अमेरिका की एनरान एक्सप्लोरेशन कंपनी तथा भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज के परिसंघ को दिया गया है, जबकि कृष्णा-गोदावरी अपतट में रव्वा क्षेत्र को आस्ट्रेलिया के कमांद पेट्रोलियम, भारत के विडियोकान इंटरनेशनल तथा जापान के मारूबेनी कारपोरेशन के परिसंघ को दिया गया है। मध्यम आकार के क्षेत्रों को निजी कंपनियों द्वारा ओ.एन.जी.सी. के साथ संयुक्त उद्यमों में विकसित किया जाना है, जबकि छोटे आकार के क्षेत्रों को जिनी कंपनियों द्वारा स्वयं, बिना ओ.एन.जी.सी. के सहयोग के विकसित किया जाएगा। इन क्षेत्रों को रायल्टी और उपकर जैसे सांविधिक उदग्रहणों के भुगतान सहित उत्पादन हिस्सेदारी व्यवस्था के अंतर्गत विकसित किया जाएगा।

**श्री सनत कुमार मंडल** : महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या विख्यात रव्वा तेल क्षेत्र के विकास के लिए जिस गठबन्धन को आशय पत्र दिया गया था, उसने आदर्श उत्पादन बंटवारा अनुबन्ध में कुछ तब्दीलियों की मांग की है और यदि हां तो ये क्या हैं और इस बारे में विशेषकर ओकर, रायल्टी और अन्य संवैधानिक शुल्कों की अदायगी पर इसके प्रभाव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

**कैप्टन सतीश कुमार शर्मा** : महोदय मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य राव्वा क्षेत्र का जिक्र कर रहे हैं। मैं ऐसी किसी तब्दीली के बारे में नहीं जानता, जिसके लिए राव्वा क्षेत्र नीलामी प्रस्ताव में सफल रहे पक्ष ने मांग की हो।

**श्री सनत कुमार मंडल** : महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या पन्ना-मुक्ता और ताप्ती क्षेत्र के विकास के लिए एनरॉन-रिलायंस समूह को दिए गए आशय पत्र के संबंध में कुछ विवाद उत्पन्न हो गया है और यदि हां तो सरकार इस मामले में आगे क्या कार्यवाही करना चाहती है।

**अध्यक्ष महोदय** : वह किसी परियोजना का उल्लेख कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई विवाद उत्पन्न हो गया है। क्या यह सच है ? यदि हां तो आप इस पर क्या कार्यवाही करेंगे ?

**कैप्टन सतीश कुमार शर्मा** : महोदय, जब यह ताप्ती क्षेत्र एनरॉन-रिलायंस समूह को दिया गया तो इसके लिए प्रतिस्पर्धा में शामिल बी.एच.पी.-टाटा समूह ने सरकार को लिखा कि उनके प्रस्ताव को क्यों अस्वीकार कर दिया गया और इस बारे में सरकार ने उन्हें उत्तर दे दिया है। मैं इस मामले के संबंध में माननीय सदस्य को संक्षेप में कुछ जानकारी देना चाहूंगा। बी.एच.पी. को बताया गया था कि उनका प्रस्ताव तकनीकी दृष्टि से अच्छा है। इसकी पृष्ठभूमि यह है कि हमारे 20, 22 और 25 अक्तूबर 1993 के पत्र के द्वारा उनसे उनका मत मांगा गया था, जिसे 2 नवम्बर तक हमें भेजा जाना था। उन्होंने 2 नवम्बर को उत्तर दिया। इसमें शमिल मुद्दे थे : (1) संवैधानिक शुल्कों की अदायगी और (2) लागत अनुमानों की स्थिरता। उन्होंने लागत अनुमान स्थिर रखने के प्रति वचनबद्धता दर्शाई, लेकिन संवैधानिक शुल्क अपनाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि उनका मत है कि संवैधानिक शुल्क अदा करने के लिए उन्हें आर्थिक एक मुश्त प्रस्ताव के अन्य प्रावधानों को बदलना पड़ेगा। इसी कारण वे इस नीलामी प्रस्ताव को प्राप्त करने में सफल नहीं हुए।

**श्री जी.एम.सी. बालयोगी** : महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद।

सम्पूर्ण के.जी. परियोजना और तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के खुदाई कार्य आंध्र प्रदेश में मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अमलपुरम में स्थित हैं। अभी तक तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने भी इसी स्थान पर खुदाई कार्य पर 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है और अब उसे प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपये प्राप्त हो रहे हैं। दो वर्ष पूर्व भी माननीय मंत्री ने सभा में इस बारे में सहमति जताई थी कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग वहां पर स्थानीय क्षेत्र के विकास हेतु सड़कों और कुछ पुलों के निर्माण के लिए कुछ धनराशि देगा। लोग आंदोलन कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में सड़कों का निर्माण और बाकी सभी कार्य किए जाएं। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग वहां पर अधिक देख-रेख नहीं कर रहा। अब तेल और प्राकृतिक गैस आयोग इस क्षेत्र में राव्वा ढांचे और आगोग के परियोजना कार्यों को निजी कम्पनियों को सौंप रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या निजी कम्पनियां स्थानीय क्षेत्र के विकास में कोई रुचि लेंगी या नहीं।

**कैप्टन सतीश कुमार शर्मा** : महोदय, मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि हमने अपने विगत अनुभव से पाया कि बुनियादी ढांचा होना बहुत आवश्यक है, चाहे तेल की खोज का कार्य हो या विकास कार्य हो। अतः मैं समझता हूं कि अपने क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के बारे में उनकी चिन्ता पर स्वतः ही ध्यान दिया जाएगा।

**[हिन्दी]**

**श्री दाऊ दयाल जोशी** : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगस्त, 1992 में छोटे क्षेत्रों के लिये 31 और मध्यम क्षेत्रों के लिये 21 बोलियां आहूत की गयी थीं। फिर क्या कारण था कि अक्तूबर में पुनः

23 छोटी और 8 मध्यम बोलियां आहूत की गयीं ? पहले में 25 विदेशी कम्पनियां और 26 भारतीय कम्पनियां थी। चूंकि आपने बोलियों पर कोई कार्यवाही नहीं की, इसलिये अक्तूबर में ये विदेशी कम्पनियां 11 और 19 भारतीय कम्पनियां रह गयीं और आपने आदेश केवल 13 छोटी और 4 मध्यम कम्पनियों को दिया। मेरा माननीय मंत्री जी से यह पूछना है कि बाकी का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का दूसरा भाग जो इसी के साथ जुड़ा हुआ है, वह यह है कि किशनगढ़ बहुत बड़ी तादाद में गैस आधारित इकाईयां स्थापित करने की स्थिति में है और जैसलमेर में लगातार बड़ी तादाद में गैस मिली है जिसके शोधन करने की आवश्यकता है। अभी आपने बोलियां आहूत की हैं, तो क्या उसमें राजस्थान का नाम था, यदि नहीं था तो क्या आप राजस्थान के लिये गंभीर हैं ? यदि नहीं तो क्यों नहीं और यदि हां तो ये बोलियां कब तक आहूत कर रहे हैं ?

**[अनुवाद]**

**कैप्टन सतीश कुमार शर्मा :** महोदय, जैसाकि माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है, खोजे गए तेल क्षेत्रों के प्रथम चक्र में 12 मध्यम आकार और 31 छोटे आकार के क्षेत्रों का प्रस्ताव किया गया था और दूसरे चक्र में 8 मध्यम आकार तथा 33 छोटे आकार के क्षेत्रों का प्रस्ताव था। भारतीय कम्पनियों और विदेशी कम्पनियों से भी दोनों ही चक्रों में उत्साहवर्धक उत्तर मिला है। पहले चक्र में गुजरात में अनेक छोटे आकार के क्षेत्र तैयार किए गए हैं और दूसरे चक्र का मूल्यांकन किया जा रहा है। जहां तक राजस्थान के बारे में उनकी चिंता का संबंध है, मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि न सिर्फ उत्पादन कार्यक्रम, बल्कि खोज कार्यक्रम के तहत भी राजस्थान को हम अधिकतम प्राथमिकता दे रहे हैं, क्योंकि वहां पर हमने गैस की खोज की है। मैं निजीतौर पर यह समझता हूं कि सीमापार पाकिस्तान में हाइड्रोकार्बन की मौजूदगी को देखते हुए और पाकिस्तान में जिसकी खोज पहले ही हो चुकी है, यह एक ऐसा क्षेत्र है, जहां पर देश के लिए अत्यधिक क्षमता है।

**[हिन्दी]**

**रसोई गैस के लिये राजसहायता**

*464. **श्री राजेश †कुमार :**
**श्रीमती शीला गौतम :**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रसोई गैस के लिए राजसहायता देती है;

(ख) यदि हां, तो प्रति सिलेंडर इसका लागत मूल्य कितना है;

(ग) सरकारी कर, परिवहन प्रभार और प्रशासनिक व्यय का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने लागत मूल्य कम से कम करने के लिए कोई प्रयास किये हैं, और

(ङ) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप सरकार का लागत मूल्य में कितनी कमी लाने का प्रस्ताव है?

[अनुवाद]

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा)** : (क) से (ग) घरेलू उपयोग के लिए एल.पी.जी. रियायत दी जाती है। उत्पादन की लागत और इसके विभिन्न अवयव क्रूड थ्रुपुट के स्तर, उत्पादन के नमूने, कच्चे तेल की वितरण लागत, संसाधन लागत और निवेश की गई पूंजी पर प्रत्याय इत्यादि के आधार पर यूनिट दर यूनिट भिन्न-भिन्न होते हैं। खुदरा मूल्य में भंडारण स्थल पर कीमत, भाड़ा, डीलर की दलाली, स्थानीय उदग्रहण और कर शामिल हैं, और यह भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न होता है।

(घ) और (ङ) यद्यपि उत्पादन लागत का मुख्य अवयव कच्चे माल की लागत है तो भी संसाधन लागतों को कम करने के लिए उत्पादक इकाइयों के प्रचालनों में सुधार लाने हेतु सतत् प्रयास किए जाते हैं।

[हिन्दी]

**श्री राजेश कुमार** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि पूरे देश में जो उपभोक्ताओं को एल.पी.जी. दी जाती है, उसकी कीमत में भारी वृद्धि हुई है और जब डीलर गैस पहुंचाते हैं तो उसमें सलैंडर भी कम भरा हुआ रहता है। मंत्री जी का जवाब आया है कि खुदरा मूल्य में भंडारण स्थल पर कीमत, भाड़ा, डीलर की दलाली, स्थानीय उदग्रहरण और कर शामिल हैं। मैं आपके माध्यम से एक बात जानना चाहता हूं कि पूरे देश में एल.पी.जी. के मूल्य में एकरूपता लाने के लिए क्या सरकार के पास कोई योजना है ?

[अनुवाद]

**कैप्टन सतीश कुमार शर्मा** : महोदय, सिलेंडरों में गैस भरने वाली इकाइयों द्वारा ऐसे सिलेंडर सप्लाई करने का प्रश्न ही नहीं उठता जो कम भरे हैं अथवा खाली हैं। यह एक गंभीर मामला है और जहां भी ऐसा हुआ हमने कठोर कार्यवाही की। अगर माननीय सदस्य कोई विशेष उदाहरण मुझे बताएं तो मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं तत्काल यथासंभव कठोर कार्यवाही करूंगा। जहां तक खुदरा बिक्री केन्द्र के मूल्य ढांचे अथवा इस बारे में विभिन्न बाजारों में भिन्नता का संबंध है, ऐसा ढुलाई दरों और बिक्रीकर में भिन्नता के कारण है इन दोनों बातों की वजह से चार शहरों में मूल्य में असमानता है।

[हिन्दी]

**श्री राजेश कुमार** : अध्यक्ष महोदय, अभी जो निजी कंपनियां इस क्षेत्र में आई हैं और जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, दोनों की गैस के मूल्य में बहुत अंतर है। निजी कंपनियां ऊंचे दामों पर सिलंडर बेच रही हैं और ऐसे लोगों को कनेक्शन दिया जा रहा है, जिनके पास अधिक पैसा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार निजी कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के सिलेंडर मूल्य में एकरूपता लाने के लिए कोई प्रावधान कर रही है और निजी कंपनियों पर कोई पाबंदी लगाने का विचार कर रही है?

[अनुवाद]

**कैप्टन सतीश कुमार शर्मा :** महोदय, माननीय सदस्य हमारी रसोई गैस मिट्टी के तेल की समानान्तर बाजार प्रणाली का उल्लेख कर रहे हैं, जिसे लागू किया जा रहा है। मौजूदा प्रणाली के तहत रसोई गैस के विवरण में राज सहायता दी जाती है और माननीय सदस्य जानते हैं कि हर सिलेंडर पर लगभग 66 रुपये राजसहायता दी जाती है। इसके बावजूद प्रतीक्षा सूची में एक करोड़ से अधिक लोग हैं। कारण यह है कि समानान्तर बाजार प्रणाली के माध्यम से बाजार शक्तियां मूल्य तय करेंगी और वितरक समानान्तर बाजार प्रणाली के माध्यम से मूल्य वसूल करेंगे। इससे यह होगा कि सप्लाई सुदृढ़ हो जाएगी और देश में और अधिक सप्लाई होगी। हमारे यहां ऐसे लोग हैं जो 97/- या 98/- रुपये से थोड़ा अधिक भी अदा कर सकते हैं जो कि राजसहायता प्राप्त सिलेंडर के लिए अदा किया जाता है। समानान्तर बाजार प्रणाली के माध्यम से इसकी लागत 130/- या 140/- रुपये हो सकती है। इसके पीछे यह कारण है कि जो लोग अधिक अदायगी करने में समर्थ हैं और प्रतीक्षा सूची में नहीं रहना चाहते, वे अतिरिक्त राशि अदा करेंगे। इस प्रकार इससे हमारे मध्यम वर्ग के लोगों को मदद मिलेगी। जिन्हें राजसहायता की जरूरत है। हमारी ऐसी मंशी नहीं है कि राजसहायता वापस ली जाए। राजसहायता सार्वजनिक विवरण प्रणाली के माध्यम से दी जा रही है। इसे वापस लेने की हमारी कोई इच्छा नहीं है। हम समानान्तर बाजार प्रणाली के माध्यम से सप्लाई बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके तहत मूल्य में भिन्नता होगी।

[हिन्दी]

**श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा :** मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने रसोई गैस पर सब्सिडी देने के बारे में सदन को जो जानकारी दी है, मिडिल क्लास के लोगों को आसानी से गैस उपलब्ध कराने के लिये विदेशी कम्पनियों को इस खेत्र में आमंत्रित किया गया है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि हमारे भारतवर्ष में आदिवासियों की संख्या काफी अधिक है, जिन्हें हम ऊपर उठाने के लिये अनेक योजनायें बना रहे हैं। खाना पकाने की गैस के मामले में स्थिति यह है कि आदिवासी लोगों को गैस बिल्कुल नहीं मिलती है, जिसे लेने के लिये उन्हें एम.पी. लोगों के पास चक्कर लगाने पड़ते हैं। आदिवासियों को गैस की एजेंसी देने की बात तो छोड़ दीजिये, गैस के सिलेंड़र भी नहीं मिलते हैं, पहले 100 रुपये में सिलेंडर मिल जाता था, लेकिन अब उसके दाम भी बढ़ाकर 115 रुपये कर दिये गये हैं। आदिवासियों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। इस तरह आदिवासियों को हम कभी भी ऊपर नहीं उठा सकते। वैसे तो मुझे आल ओवर इंडिया का एक्सपीरियेंस है, लेकिन उड़ीसा के बारे में मैं कह सकता हूं कि आदिवासियों को गैस उपलब्ध कराने के मामले में मंत्री जी कोई इंटरैस्ट नहीं लेते हैं, जिसके कारण आदिवासियों को सफर करना पड़ रहा है। क्यों ऐसा होता है ? मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गैस के मामले में आदिवासियों को आप सब्सिड़ी देंगे या नहीं?

[अनुवाद]

**कैप्टन सतीश कुमार शर्मा :** महोदय, माननीय सदस्य आदिवासियों के लिए राजसहायता के बारे में पूछ रहे हैं, जहां तक रसोई गैस का संबंध है, इसके लिए पहले ही राजसहायता दी जा रही है। अगर वह रसोई गैस की वितरक व्यवस्था के बारे में पूछ रहे हैं तो सभी अनुसूचित जातियों और जनजातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों के लिए पहले से ही एक स्कीम है, जिसके तहत हम एजेंसी

स्थापित करने के लिए जमीन प्राप्त करने और कार्य पूंजी हेतु उनकी मदद करते हैं। ये सभी अतिरिक्त सुविधाएं दी जा रही हैं। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि ये सुविधाएं पहले ही उपलब्ध हैं।

**श्री एम.आर. कादम्बूर जनार्दनन** : मंत्रालय ने बताया है कि रसोई गैस उपभोक्ताओं की प्रतीक्षा सूची में एक करोड़ लोग हैं। इसलिए हम रसोई गैस आयात करने के लिए मजबूर हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि हमारे बन्दरगाहों पर विशेषकर तमिलनाडु में बन्दरगाहों पर रसोई गैस आयात हेतु इसकी संचालन संबंधी सुविधाओं में सुधार लाने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं और आयातित गैस स्वदेशी गैस के बीच मूल्य में क्या अंतर है।

**कैप्टन सतीश कुमार शर्मा** : माननीय सदस्य का यह मुद्दा एकदम सही है कि सप्लाई की जा रही अधिकांश रसोई गैस वास्तव में स्वदेशी है। इसका कुछ भाग आयात किया जाता है, लेकिन माननीय सदस्य उचित ही बन्दरगाह सुविधाओं और इस बारे में सरकार की कार्यवाही के बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि बन्दरगाह सुविधाओं की अनुपलब्धता भी एक बाधा है जिसका हम अतिरिक्त आयात के समय सामना करते हैं। यह भी एक समस्या सामने आती है, लेकिन सरकार ने न सिर्फ बंबई और वाइजैग बन्दरगाह पर स्थित मौजूदा बन्दरगाह सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए पहले ही कदम उठाए हैं, बल्कि हमने अतिरिक्त बन्दरगाह सुविधाओं के लिए भी योजनाएं बनाई हैं।

**श्री एम.आर. कादम्बूर जनार्दनन** : लेकिन तमिलनाडु की बन्दरगाह को इस कार्य के लिए उपयोग नहीं किया जाता है।

**कैप्टन सतीश कुमार शर्मा** : मैं माननीय सदस्य के सुझाव पर जांच करूंगा। अगर तमिलनाडु की बन्दरगाह के लिए कोई योजना है, तो मैं माननीय सदस्य को इसकी जानकारी दूंगा।

**[हिन्दी]**

**श्री भेरू लाल मीणा** : सर, मैंने सरकार से मांग की थी कि शहरी इलाकों में गैस एजेंसियां पहले से ही बहुत ज्यादा हैं, एक-एक कांस्टीटूएंसी में 10-10 और 12-12 तक है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में गैस एजेंसी बिल्कुल नहीं है। जिसे देखते हुये हर पंचायत समिति लेवल पर एक गैस एजेंसी खोली जानी चाहिये। मैंने जहां-जहां गैस एजेंसी खोले जाने का मांग की थी, कही एक भी गैस एजेंसी नहीं खोली गयी, लेकिन शहरी क्षेत्रों में और भी गेस एजेंसियां खोली जा रही हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार हर पंचायत समिति स्तर पर ग्रामीण इलाकों में गैस एजेंसी खोलने पर विचार करेगी ?

**[अनुवाद]**

**कैप्टन सतीश कुमार शर्मा** : मानदंड यह है कि जब एक नगर की जनसंख्या 20,000 से अधिक है तो वहां पर रसोई गैस का बिक्री केन्द्र खोलने के लिए विचार किया जाता है। इतनी जनसंख्या वाले अनेक नगर हैं, जहां ये केन्द्र अभी भी खोले जाने हैं। हम 1994 से एक नई विपणन योजना शुरू कर रहे हैं। अगर माननीय सदस्य किसी स्थान पर यह एजेंसी खुलवाना चाहते हैं तो मुझे इस बारे में जानकारी भेज दें। इस पर नई विपणन योजना के तहत विचार किया जा सकता है, जो कि 1994 में शुरू होगी।

[हिन्दी]

**श्री राजबीर सिंह** : अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने गैस एजेंसियों के लिए निजी कंपनियों को भी आशय पत्र दिए थे, उन कंपनियों ने डीलरशिप अलॉटमेंट के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपया वसूला है और जिनको एजेंसियों दी गई हैं, उन्होंने उपभोक्ताओं से बुकिंग के नाम पर पैसा वसूला है। गत दो वर्षों से लगातार समाचार पत्रों में बार-बार विज्ञापन छाप कर लोगों से पैसा वसूला जा रहा है। चूंकि गैस की किल्लत है इसलिए लोग इस आशा में पैसा जमा करवा रहे हैं कि उन्हें गैस तुरंत मिल जाएगी, परंतु आज स्थिति यह है कि अभी बंदरगाह तक नहीं बना पा रहे हैं, जहां यह गैस उतरेगी। इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि गत 2-3 सालों से जो पैसा इन कंपनियों के पास जमा है, यह क्या सुरक्षित है और अगर ये कम्पनियां गैस नहीं दे पाईं जो क्या लोगों का पैसा उन्हें सूद सहित वापस करने की कोई योजना है?

[अनुवाद]

**कैप्टन सतीश कुमार शर्मा** : समानान्तर विपणन योजना के तहत कदाचार रोकने के लिए, जिसका माननीय सदस्य उल्लेख कर रहे हैं, एकाधिकार और प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार आयोग (एम.आर.टी.पी.) को उन कंपनियों का ब्यौरा दे दिया गया है, जिन्होंने समानान्तर विपणन योजना में प्रवेश करने की इच्छा का प्रचार किया है। एम.आर.टी.पी. को अनुचित व्यापार व्यवहार करने वाली किसी भी कम्पनी के खिलाफ जांच करने और दंडात्मक कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त है। इस समय एम.आर.टी.पी. ने 109 कम्पनियों की जांच करने का निर्णय लिया है, जो कि समानान्तर विपणन में प्रवेश करना चाहती हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कदाचार के मामलों में जांच करने के लिए राज्य सरकारों को भी लिखा है। राज्य सरकारों को सलाह दी जा रही है कि इन पर निगरानी रखें और यदि आवश्यक हो तो रसोई गैस विपणन करने वाली निजी कम्पनियों द्वारा अग्रिम राशि एकत्र करने पर पाबंदी लगाने के लिए कार्यवाही करें।

**तेल चयन बोर्ड**

*465. **श्री †राम निहोर राय :**
**श्री जी. माडेगौड़ा :**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कितने तेल चयन बोर्ड कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को गत दो वर्षों के दौरान इन बोर्डों के कार्यकरण के संबंध में शिकायतें मिली हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है, और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा)** : (क) से (घ) सदन पटल पर एक विवरण पत्र रख दिया गया है।

**विवरण**

(क) देश में वर्तमान समय में सोलह तेल चयन बोर्ड कार्य कर रहे हैं। राज्यवार ब्यौरा संलग्न अनुबंध में दिया गया है।

(ख) से (घ) कुछ तेल चयन बोर्डों की कार्यप्रणाली के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई थीं। तदनुसार, सात तेल चयन बोर्डों यथा उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, केरल व कर्नाटक के अध्यक्षों और सदस्यों का कार्यकाल 2 मार्च, 1994 से समाप्त कर दिया गया है।

**अनुबंध**

**राज्यों/राज्य-समूहों हेतु 16 तेल चयन बोर्ड**

| क्र. सं. | राज्य/राज्य-समूह |
|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश |
| 2. | बिहार |
| 3. | गुजरात, दादरा और नागर हवेली |
| 4. | हरियाणा |
| 5. | हिमाचल प्रदेश |
| 6. | कर्नाटक |
| 7. | मध्य प्रदेश |
| 8. | महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव |
| 9. | उड़ीसा |
| 10. | पंजाब |
| 11. | राजस्थान |
| 12. | तमिलनाडु/पांडिचेरी/अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह |
| 13. | उत्तर प्रदेश |
| 14. | पश्चिम बंगाल |
| 15. | अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा |
| 16. | दिल्ली और चंडीगढ़ |

[हिन्दी]

**श्री राम निहोर राय :** माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर के भाग "ख" से "घ" में बताया है कि कुछ तेल चयन बोर्डों की कार्यप्रणाली के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई थीं और उनके आधार पर 7 तेल बोर्डों को समाप्त कर दिया गया है, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन शिकायतों के आधार पर इन तेल बोर्डों को समाप्त किया गया है, क्या इनके चेयरमैन और सदस्यों की जांच कराने की कृपा करेंगे और दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि इन तेल बोर्डों ने जिन-जिन का चयन किया था और डीलरशिप देने की सिफारिश की है क्या उन्हें पुनः जो नये बोर्ड बने हैं, उनके माध्यम से एडवर्टाइजमेंट करवाकर पुनः साक्षात्कार करवाने की कृपा करेंगे?

[अनुवाद]

**कैप्टन सतीश कुमार शर्मा :** जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं इस पक्ष से मेरे कुछ मित्र मेरे पास आए और इन छः या सात राज्यों में बोर्डों के कार्यकरण के बारे में मौखिक रूप से शिकायत की और लिखित में भी शिकायत की। मैंने उन्हें बदलने में झिझक नहीं दिखाई। मैं सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि पुराने मामलों में जहां भी पुराने बोर्ड कार्यवाही कर रहे थे और उन के बारे में शिकायतें आई है, तो जहां भी मामलों को पुनः विज्ञापित करना संभव है, मैं विद्यमान मामलों में पुनः विज्ञापन निकालने का पूरा प्रयास करूंगा।

[हिन्दी]

**श्री राम निहोर राय :** मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जिन्होंने ऐसी अनियमितता की हैं, उनके खिलाफ मंत्री जी क्या कार्यवाही करने जा रहे है ?

[अनुवाद]

**कैप्टन सतीश कुमार शर्मा :** यहां महत्वपूर्ण मुद्दा है, सार्वजनिक विश्वसनीयता, जब भी कोई गैर-सरकारी बोर्ड जनता की संतुष्टि के अनुसार कार्य नहीं करता और इसकी विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लग जाता है तो महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने उसे बदलने के लिए कदम उठाए हैं, ताकि उसकी जगह नया बोर्ड आ जाए। अतः सदस्यगण इस निर्णय से संतुष्ट होंगे। मैं आशा करता हूं कि नए बोर्ड सेवा प्रदान करेंगे और न्याय करेंगे। इन बोर्डों के अलावा अगर किसी अन्य बोर्ड के खिलाफ कोई शिकयत प्राप्त होती है तो मैं उन्हें बदलने में झिझक नहीं दिखलाऊंगा। मेरा विश्वास है कि सात बोर्डों के बदलने का अन्य बोर्डों पर काफी प्रभाव पड़ेगा, जिससे उनके कार्यकरण में सुधार आएगा।

[हिन्दी]

**प्रो. प्रेम धूमल :** अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने सात सलैक्शन बोड्र्स का जिक्र किया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आपके पास हिमाचल प्रदेश से भी ऐसी शिकायत आई है कि जिन्हें आपने बोर्ड का मैम्बर बनाया था, उन्होंने अपने रिश्तेदारों को सारी गैस एजेंसी और पैट्रोल पम्प दे दिए हैं ? यदि शिकयत आई है तो क्या उनको हटाएंगे?

[अनुवाद]

**कैप्टन सतीश कुमार शर्मा :** अगर माननीय सदस्य के पास कोई विशेष मामला है, जिसमें बोर्ड के सदस्य ने अपने रिश्तेदार को एजेंसी आवंटित की है, तो निश्चित रूप से उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

**श्री पी.सी. थामस :** इसका एक बहुत ही गंभीर असर पड़ा है, लेकिन संभवतः ऐसा नहीं है कि मानदंडों को ठीक तरह से लागू किया जाता है, लेकिन अनेक नगरों में लम्बे इंतजार के बाद एजेंसी स्थापित करने के लिए कहा जाता है और जांच-पड़ताल के बाद किसी व्यक्ति को एजेंसी दे दी जाती है तब ऐसा होता है कि मानदंडों को पूर्णतः लागू नहीं किया गया अथवा चयन बोर्ड की कार्यवाही पर संदेह किया जाता है। ऐसे अनेक मामलों में अदालत स्थगन आदेश दे देती है, क्योंकि अनेक लोग इन मामलों को अदालत में ले जाते हैं। इसलिए इस संबंध में जनता अत्यधिक कठिनाई का सामना कर रही है कि काफी समय तक इन्तजार और सरकार की कार्यवाही के बावजूद उसे एजेंसी नहीं मिल रही। अतः मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि ऐसे मामलों में क्या कार्यवाही की जाएगी। जिन मामलों में चयन बोर्ड की कार्यवाही पर संदेह किया जाता है, उन पर न्यायालय शीघ्र निर्णय दें और लोगों को यथा शीघ्र सेवा प्रदान की जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

**कैप्टन सतीश कुमार शर्मा :** मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि यह कह सकूं कि अदालत के मामलों में क्या किया जा सकता है। जहां भी हमारा मंत्रालय या हमारी कपंनियां सम्बद्ध हैं, ऐसे मामलों में उन्हें जो कार्यवाही करनी है, उसके लिए मैं सुनिश्चित करूंगा कि अधिक समय न लगे, लेकिन इन मामलों में से अधिकांश में अदालतों द्वारा स्थगन आदेश दिया जाता है। अतः अदालत का फैसला आने तक हम बहुत कम ही कार्यवाही कर सकते हैं।

[हिन्दी]

**श्री अन्ना जोशी :** अध्यक्ष महोदय, डिफरैंट ऑयल बोड्र्स के खिलाफ जो कम्प्लेंटस आई थी, उसके लिए आपने कहा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन कंम्प्लेंटस की कोई इन्क्वारी हुई हैं ? जिन सात स्टेटस में ऑयल सलैक्शन बोडर्स कैन्सल किए हैं, वहां नये ऑयल सलैक्शन बोर्ड कितने दिन में बनेंगे और कितने दिन तक कार्यरत रहेंगे?

[अनुवाद]

**कैप्टन सतीश कुमार शर्मा :** महोदय, अगर हम यह पाएंगे कि किसी विशेष मामले में अगर किसी व्यक्ति द्वारा वांछनीय जानकारी उपलब्ध कराई जाती है और उसके लिए जांच आवश्यक है या उचित है तब उस पर विचार किया जाएगा। माननीय सदस्य के अन्य प्रश्न के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि अधिकांश बोर्ड पहले ही कार्यरत हैं, केवल जम्मू-कश्मीर और केरल के लिए बोर्ड कार्य नहीं कर रहे, ये बोर्ड भी शीघ्र कार्य करने लगेंगे।

---

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

### कच्चा तेल

*466. **श्री नवल किशोर राय :**
**श्री नीतीश कुमार :**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कच्चे तेल के उत्पादन की औसत लागत का आंकलन किया है;

(ख) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का मूल्य देश में इसकी उत्पादन लागत की तुलना में कम है;

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश में कच्चे तेल की उत्पादन लागत कम करने के लिए कोई कार्य योजना बनाई है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) :** (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वर्ष 1993-94 के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस कारपोरेशन की अनुमानित लागत (सांविधिक प्रभारों आदि को सम्मिलित करके) रुपये २७५६ एम.टी. थी, जो क्रूड के चालू अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य से तुलनीय है।

(घ) और (ङ) उत्पादन लागत को कम करने के संबंध में उठाए गए कदमों में मूल्य अभियंत्रण तकनीकें, नियंत्रण शीर्ष, अल्प परिवर्तनीय व्यय, अद्यतन प्रौद्योगिकी का प्रयोग तथा उन्नत प्रबंधन तकनीकें इत्यादि सम्मिलित हैं।

[अनुवाद]

### अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों में निरक्षरता

*467. **श्री बापू हरि चौरे :**
**श्री माणिकराव होडल्या गावीत :**

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में निरक्षरता के प्रतिशत का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाएंगे?

**कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्कावालू)** : (क) और (ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बीच निरक्षरता की प्रतिशतता जानने के लिए सरकार द्वारा कोई विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं कराया गया है। साक्षरता संबंधी आंकड़े 10 वर्षों में एक बार आयोजित नियमित जनगणना द्वारा एकत्र किए जाते हैं। अंतिम जनगणना 1991 में की गई थी। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ भारत के लिए साक्षरता के आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

| क्र. सं. | भारत, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र | कुल जनसंख्या | व्यक्ति | | | पुरुष | | | महिला | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | अनुसूचित जाति जनसंख्या | अनुसूचित जनजाति जनसंख्या | कुल जनसंख्या | अ.ज. जनसंख्या | अ.ज. जनजाति जनसंख्या | कुल जनसंख्या | अ.ज. जनसंख्या | अ.ज.जा. जनसंख्या |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | भारत* | 52.21 | 37.41 | 29.60 | 64.13 | 49.91 | 40.65 | 39.29 | 23.76 | 18.19 |
| | राज्य | | | | | | | | | |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 44.09 | 31.59 | 17.16 | 55.13 | 41.88 | 25.25 | 32.72 | 20.92 | 8.68 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 41.59 | 57.27 | 34.45 | 51.45 | 66.25 | 44.00 | 29.69 | 41.42 | 24.94 |
| 3. | असम | 52.89 | 53.94 | 49.16 | 61.87 | 63.88 | 58.93 | 43.03 | 42.99 | 38.98 |
| 4. | बिहार | 38.48 | 19.49 | 26.78 | 52.49 | 30.64 | 38.40 | 22.89 | 7.07 | 14.75 |
| 5. | गोवा | 75.51 | 58.73 | 42.91 | 83.64 | 69.55 | 54.43 | 67.09 | 47.51 | 29.01 |
| 6 | गुजरात | 61.29 | 61.07 | 36.45 | 73.13 | 75.47 | 48.25 | 48.64 | 45.54 | 24.30 |
| 7. | हरियाणा | 55.85 | 39.22 | 00.00 | 69.10 | 52.06 | 0.00 | 40.47 | 24.15 | 0.00 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 63.86 | 53.20 | 47.09 | 75.36 | 64.98 | 62.74 | 52.13 | 41.02 | 31.18 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. कर्नाटक | 56.04 | 38.06 | 36.01 | 67.26 | 49.69 | 47.95 | 44.34 | 25.95 | 23.57 |
| 10. केरल | 89.81 | 79.66 | 57.22 | 93.62 | 85.22 | 63.38 | 86.13 | 74.31 | 51.07 |
| 11. मध्य प्रदेश | 44.20 | 35.08 | 21.54 | 58.42 | 50.51 | 32.16 | 28.85 | 18.11 | 10.73 |
| 12. महाराष्ट्र | 64.87 | 56.46 | 36.79 | 76.56 | 70.45 | 49.09 | 52.32 | 41.59 | 24.03 |
| 13. मणिपुर | 59.89 | 56.44 | 53.63 | 71.63 | 65.28 | 62.39 | 47.60 | 47.41 | 44.48 |
| 14. मेघालय | 49.10 | 44.27 | 46.71 | 53.12 | 54.56 | 49.78 | 44.85 | 31.19 | 43.63 |
| 15. मिजोरम | 82.27 | 77.92 | 82.73 | 85.61 | 77.54 | 86.67 | 78.60 | 81.25 | 78.74 |
| 16. नागालैंड | 61.65 | 0.00 | 60.59 | 67.62 | 0.00 | 66.27 | 54.75 | 0.00 | 54.51 |
| 17. उड़ीसा | 49.09 | 36.78 | 22.31 | 63.09 | 52.42 | 34.44 | 34.68 | 20.74 | 10.21 |
| 18. पंजाब | 58.51 | 41.09 | 0.00 | 65.66 | 49.82 | 0.00 | 66.27 | 54.75 | 0.00 |
| 19. राजस्थान | 38.55 | 26.29 | 19.44 | 54.99 | 42.38 | 63.29 | 20.44 | 8.31 | 4.42 |
| 20. सिक्किम | 56.94 | 51.03 | 59.01 | 65.74 | 58.69 | 66.80 | 46.69 | 42.77 | 50.37 |
| 21. तमिलनाडु | 62.66 | 46.74 | 27.89 | 73.75 | 58.36 | 35.25 | 51.33 | 34.89 | 20.23 |
| 22. त्रिपुरा | 60.44 | 56.66 | 40.37 | 70.58 | 67.25 | 52.88 | 49.65 | 45.45 | 27.34 |
| 23. उत्तर प्रदेश | 41.50 | 26.85 | 35.70 | 55.73 | 40.80 | 49.95 | 25.31 | 10.69 | 19.86 |
| 24. पश्चिम बंगाल | 57.70 | 42.22 | 27.78 | 67.81 | 54.55 | 40.07 | 46.56 | 28.87 | 14.98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **संघ राज्य क्षेत्र** | | | | | | | | | |
| 1. | अंडमान एवं निकाबोर द्वीप समूह | 73.02 | 0.00 | 56.62 | 78.99 | 0.00 | 64.16 | 65.46 | 0.00 | 48.74 |
| 2. | चण्डीगढ़ | 77.81 | 55.44 | 0.00 | 82.04 | 64.74 | 0.00 | 72.34 | 43.54 | 0.00 |
| 3. | दादरा एवं नागर हवेली | 40.71 | 77.64 | 28.21 | 53.56 | 88.03 | 40.75 | 26.98 | 66.61 | 15.94 |
| 4. | दमन और दीव | 71.20 | 79.28 | 52.91 | 82.66 | 91.85 | 63.58 | 59.40 | 67.62 | 41.49 |
| 5. | दिल्ली | 75.29 | 57.50 | 0.00 | 82.01 | 68.77 | 0.00 | 66.99 | 43.82 | 0.00 |
| 6. | लक्षद्वीप | 81.78 | 0.00 | 80.58 | 90.18 | 0.00 | 89.50 | 72.89 | 0.00 | 71.72 |
| 7. | पांडिचेरी | 74.74 | 56.26 | 0.00 | 83.68 | 66.10 | 0.00 | 65.63 | 46.28 | 0.00 |

*जम्मू और कश्मीर के आंकड़ों को छोड़कर, जहां 1991 की जनगणना नहीं हुई।

[हिन्दी]

**परिवार नियोजन कार्यक्रम**

*468. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :**
**श्री बृजभूषण शरण सिंह :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान कुछ राज्य सरकारों ने परिवार नियोजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए विश्व बैंक से सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस प्रयोजन हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी राशि मांगी है और विश्व बैंक ने वास्तव में कितनी राशि उपलब्ध कराई है;

(घ) क्या राज्य सरकारों ने पूरी राशि का उपयोग कर लिया है, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द)** : (क) से (ङ) राज्यों से प्राप्त हुए अनुरोधों के आधार पर विश्व बैंक ने निम्नलिखित सहायता देने की स्वीकृति दी है :

(करोड़ रुपये में)

| | |
|---|---|
| बेंगलूर शहर के लिए जनसंख्या परियोजना | 29.05 |
| कलकत्ता शहर के लिए जनसंख्या परियोजना | 75.28 |
| दिल्ली शहर के लिए जनसंख्या परियोजना | 35.00 |
| हैदराबाद शहर के लिए जनसंख्या परियोजना | 26.03 |

चूंकि उपर्युक्त शहरों के लिए परियोजना को केवल हाल ही में (अगस्त, 1993) स्वीकृति दी गई है, इसलिए इसका कार्यान्वयन प्रारंभिक अवस्था में है।

असम, कर्नाटक और राजस्थान की परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक के साथ अंतिम दौर की बातचीत चल रही है।

**दूध में मिलावट**

*469. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पानी की मिलावट वाले दूध में मिलावट का पता न चलने देने के लिए उसमें यूरिया मिलाया जा रहा है;

(ख) यूरिया के उपभोग का मनुष्य के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, और

(ग) क्या दूध में यूरिया की मिलावट का पता लगाने के लिए सरकार के पास कोई उपकरण है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द)** : (क) सरकार के ध्यान में कोई विशेष मामला नहीं आया है।

(ख) यूरिया विषैला होता है तथा इसे दूध में मिलाना खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम तथा नियमों के अनुसार अपराध माना जाएगा।

(ग) जी, हां। खाद्य प्रयोगशालाओं में जांच सुविधाएं उपलब्ध हैं।

**[अनुवाद]**

**कोयले का संसाधन/भंडार**

*470. **डा. के.वी.आर. चौधरी** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक जनवरी, 1994 को भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था के अनुसार राज्यवार और श्रेणीवार कोयले के कितने संसाधन/भंडार होने का अनुमान है;

(ख) 1994-95 के दौरान कोयले की खोज के लिए तैयार किए गए कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है, और

(ग) 1993-94 के दौरान किए गए ड्रिलिंग कार्य का ब्यौरा क्या है?

**कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा)** :

**विवरण**

(क) दिनांक 1 जनवरी, 1994 की स्थिति के अनुसार भारतीय भू-सर्वेक्षण द्वारा राज्यवार तथा श्रेणीवार 1200 मीटर तक की गहराई में अनुमानित कोयले के स्रोतों/भंडारों को नीचे दर्शाया गया है :

(मिलियन टन में)

| राज्य | प्रमाणित | विनिर्दिष्ट | अनुमानित | जोड़ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| आंध्र प्रदेश | 6182.68 | 916.37 | 3738.70 | 10837.75 |
| अरुणाचल प्रदेश | 31.23 | 11.04 | 47.96 | 90.23 |
| असम | 133.38 | 67.17 | 94.63 | 295.18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| बिहार | 29796.02 | 28632.14 | 6172.96 | 64601.12 |
| मध्य प्रदेश | 10013.55 | 21306.88 | 8960.43 | 40280.86 |
| महाराष्ट्र | 3194.41 | 1170.07 | 1912.05 | 6276.53 |
| मेघालय | 88.99 | 69.73 | 300.71 | 459.43 |
| नागालैंड | 3.43 | 1.35 | 15.16 | 19.94 |
| उड़ीसा | 6661.44 | 22312.14 | 17553.09 | 46526.67 |
| उत्तर प्रदेश | 662.21 | 400.00 | – | 1062.21 |
| पश्चिम बंगाल | 11280.05 | 11191.95 | 3969.95 | 26441.95 |
| जोड़ | 68047.39 | 86078.84 | 42765.64 | 196891.87 |

(ख) वर्ष 1994-95 के दौरान कोयले के अन्वेषण का कार्यक्रम विस्तृत रूप में नीचे दर्शाया गया है :

| राज्य | मीटर में ड्रिल किए गए जाने वाला कार्य |
|---|---|
| आंध्र प्रदेश | 95,000 |
| पश्चिम बंगाल | 29,800 |
| बिहार | 78,200 |
| मध्य प्रदेश | 91,000 |
| महाराष्ट्र | 29,000 |
| उड़ीसा | 39,500 |
| मेघालय | 300 |
| असम | 2,200 |
| जोड़ | 3,65,000 |

(ग) 1993-94 के दौरान ड्रिल किए गए कार्य का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

| राज्य | मीटर में ड्रिल किया गया कार्य | अन्वेषित ब्लाकों की संख्या |
|---|---|---|
| आंध्र प्रदेश | 92,990 | 16 |
| पश्चिम बंगाल | 34,028 | 17 |
| बिहार | 73,438 | 39 |
| मध्य प्रदेश | 90,714 | 41 |
| महाराष्ट्र | 37,596 | 24 |
| उड़ीसा | 37,866 | 14 |
| असम | 1,894 | 4 |
| मेघालय | 300 | 1 |
| जोड़ | 3,68,826 | 156 |

[हिन्दी]

**नर्मदा परियोजना**

*471. **श्रीमती भावना चिखलिया :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नर्मदा परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(घ) इसे राष्ट्रीय परियोजना कब तक घोषित कर दिया जायेगा?

**जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :** (क) से (घ) यद्यपि नर्मदा परियोजनाएं राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं हैं, फिर भी किसी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

**मुख के स्वास्थ्य संबंधी राष्ट्रीय नीति**

*472. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव :**
**श्री उदयसिंह राव गायकवाड़ :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मुख के स्वास्थ्य संबंधी राष्ट्रीय नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल के देशों में मुख के स्वास्थ्य संबंधी नीति पर एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई थी;

(घ) यदि हां, तो विचार-विमर्श का क्या परिणाम निकला, और

(ङ) सरकार ने इस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द)** : (क) मुख स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं का सामान्य स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत ध्यान रखा जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) कार्यशाला में मुख स्वास्थ्य संबंधी नीति तथा अखिल भारतीय मुख स्वास्थ्य आयोग की स्थापना करने की सिफारिश की गई। कार्यशाला की पूरी रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

**क्षय रोग के लिए विश्व बैंक की सहायता**

*473. **श्री खेलन राम जांगड़े :**
**श्री राम कृपाल यादव :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने देश में कार्यान्वयन के लिए क्षय रोग नियंत्रण परियोजना स्वीकृत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस परियोजना में किन-किन राज्यों को शामिल किया जाएगा?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द)** : (क) से (ग) विश्व बैंक की वित्तीय सहायता के लिये केरल, गुजरात, बिहार, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों तथा 10 महानगरों के लिए एक क्षय रोग नियंत्रण परियोजना का प्रस्ताव किया गया है। परियोजना के सम्बन्ध में विश्व बैंक से पूर्व-आकलन मिशन के शीघ्र भारत आने की आशा है।

**बाढ़ नियंत्रण योजना**

*474. **श्री हरिलाल ननजी पटेल :**
**श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :**

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश में बाढ़ नियंत्रण के लिए कोई योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं;

(ङ) क्या राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से अपने-अपने राज्य में बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विश्व बैंक/विदेशी सहायता प्राप्त करने का अनुरोध किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(छ) केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

**जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) से (घ) बाढ़ नियंत्रण योजनाओं का अन्वेषण, आयोजना और निष्पादन करना मुख्य रूप से राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। केन्द्र उन कार्यों में सहायता प्रदान करता है, जो तकनीकी, उत्प्रेरक और प्रवर्तन प्रकृति के होते हैं। बाढ़ों को रोकने और उनके बेहतर प्रबन्ध के लिए उपायों का पता लगाने के वास्ते केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित (1978-80) राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने 207 सिफारिशें की हैं। गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की स्थापना इसके सचिवालय गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के साथ वर्ष 1972 में की गई थी। गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग ने गंगा की सभी 23 नदी प्रणालियों के लिए बाढ़ प्रबंध के वास्ते व्यापक मास्टर योजनाएं तैयार की हैं। इसी प्रकार, वर्ष 1981 में स्थापित ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने ब्रह्मपुत्र और बराक थालों में बाढ़ प्रबंध के लिए व्यापक मास्टर योजनाएं तैयार की हैं। इन मास्टर योजनाओं को दीर्घावधिक और अल्पावधिक सिफारिशों के साथ राज्य सरकारों को भेज दिया गया है, ताकि वे भूसर्वेक्षण, अन्वेषण और उनका क्रियान्वयन करने के बाद विस्तृत योजनाएं तैयार कर सकें।

(ङ) से (छ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

**[अनुवाद]**

**फ्लुरोसिस**

*475. **श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :**
**श्री तारा सिंह :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में फ्लुरोसिस फैल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस रोग से पीड़ित रोगियों की सही संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इस रोग के उन्मूलन के लिए राज्य सरकारों को धनराशि आबंटित करने का है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानंद)** : (क) फ्लुरोसिस देश के कुछ भागों में स्थानिकमारी के रूप में फैला है।

(ख) और (ग) जानपदिक रोग विज्ञान संबंधी अध्ययनों से 15 राज्यों में फ्लुरोसिस की स्थानिकमारिता पाई गई है। तथापि, रोगियों की ठीक-ठीक संख्या ज्ञात नहीं है।

(घ) और (ङ) सरकार ने राजीव गांधी राष्ट्रीय पेय जल मिशन के अंतर्गत "फ्लुरोसिस नियंत्रण" पर एक उप-मिशन आरम्भ किया है, जिसमें स्थानिकमारी वाले क्षेत्रों में स्वच्छ पेय जल आपूर्ति तथा डिफ्लुओराइडेशन संयत्र स्थापित करने पर बल दिया जाता है।

**सरदार सरोवर परियोजना**

*476. **श्री श्रीकान्त जेना :**
**श्री राम विलास पासवान :**

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण को सरदार सरोवर परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन करने और पर्यावरणीय कार्य योजना बनाने के लिए दो वर्ष का समय दिया गया था;

(ख) क्या पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) जी, नहीं। सरदार सरोवर परियोजना को वर्ष 1987 में पर्यावरण स्वीकृति प्रदान करते समय केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों के अनुसार नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करना है कि परियोजना पर कार्यों की प्रगति के अनुरूप पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों की आयोजना और क्रियान्वयन किया जाता है।

(ख) और (ग) सरदार सरोवर परियोजना के प्रति प्रवाह एवं अनुप्रवाह तथा कमान एरिया क्षेत्रों के पर्यावरण के भौतिक, जैविक और सामाजिक-आर्थिक घटकों के व्यापक अध्ययन किए गए हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**[हिन्दी]**

**मेडिकल कालेज**

*477. **श्रीमती महेन्द्र कुमारी :**
**डा. रामकृष्ण कुसमरिया :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कुल कितने मेडिकल कालेज हैं;

(ख) क्या ये मेडिकल कालेज देश की बढ़ती जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं, और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार नये मेडिकल कालेज खोलने पर विचार कर रही है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानंद)** : (क) से (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अनुसार देश में इस समय 146 मेडिकल कालेज हैं। केन्द्रीय सरकार को कोई नया कालेज खोलने का प्रस्ताव नहीं है। नए मेडिकल कालेज खोलना भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) अधिनियम, 1993 तथा उसके अन्तर्गत बने विनियमों के उपबन्धों द्वारा नियंत्रित है।

**गोद लेने की प्रक्रिया में परिवर्तन**

*478. **श्री महेश कनोडिया** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय बच्चों को गोद लेने के लिए आवश्यक मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गोद लेने संबंधी मानदंडों, प्रक्रिया और दिशा-निर्देशों में उपयुक्त परिवर्तन करने का कोई विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) इन परिवर्तनों को कब तक लागू कर दिया जाएगा?

**कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्कबालू)** : (क) देश में बच्चों के दत्तकग्रहण को अधिशासित करने वाला कोई एक समान कानून नहीं है। हिन्दू किसी बच्चे को हिन्दू दत्तकग्रहण एवं अनुरक्षण अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार गोद ले सकते हैं। अन्य समुदाय बच्चों को संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के तहत अभिभावकत्व में ले सकते हैं।

भारतीय बच्चों के अन्तर्देशीय दत्तकग्रहण का विनियमन उच्चतम न्यायालय द्वारा श्री एल.के. पाण्डे बनाम भारत संघ तथा ओ.एम. (1982 की रिट याचिका संख्या 1171) में निर्धारित मानदण्डों तथा कार्यविधियों के द्वारा किया जाता है। इन निर्देशों के अनुसार, कल्याण मंत्रालय ने 4 जुलाई, 1989 को दिशा-निर्देश जारी किए थे।

(ख) से (घ) दत्तकग्रहण के संबंध में विद्यमान दिशानिर्देशों में संशोधन करके इन्हें फिर से तैयार करने के लिए कल्याण मंत्रालय द्वारा दिनांक 12-8-1992 को भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायधीश, श्री पी.एन. भगवती की अध्यक्षता में एक कृतक बल का गठन किया गया था। इस कृतक बल ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं, जो फिलहाल परीक्षणाधीन हैं। कृतक-बल की प्रमुख सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गई हैं। संशोधित दिशा-निर्देशों को शीघ्र ही अंतिम रूप देया जाएगा।

**विवरण**

कृतक बल द्वारा की गई सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :

**1. केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन एजेंसी, कल्याण मंत्रालय की भूमिका**

(1) भारतीय बच्चे के दत्तकग्रहण हेतु मूल आवेदन/कागजात विदेशी सूचीबद्ध एजेन्सियों द्वारा केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन एजेन्सी को एक फोटो प्रति भेजते हुए सीधे भारतीय मान्यता प्राप्त स्थापन एजेन्सी को प्रस्तुत किए जा सकते हैं। केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन एजेन्सी को निर्धारित समय-सीमा अर्थात् आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पांच सप्ताह के भीतर संबंधित स्थापन एजेंसी को क्लियरेंस सर्टिफिकेट उपलब्ध करना होता है। विद्यमान दिशा-निर्देशों के अनुसार विदेशी सूचीबद्ध एजेन्सियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपेक्षित आवेदन और कागजात केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन एजेंसी को भेजें।

(2) केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन एजेन्सी को सोसायटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किया जा सकता है और यह एक स्वायत्त निकाय होगी। अपने कार्यों तथा अधिकारों के प्रयोग के लिए भारत सरकार के किसी प्रकार के नियंत्रण अथवा हस्तक्षेप से स्वतंत्र होगी। लेकिन नीति संबंधी मामलों में यह भारत सरकार के निर्णयानुसार इस प्रकार की नीति के कार्यान्वयन के अनुरूप कार्य करने को बाध्य होगी।

**2. राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की भूमिका**

राज्य सरकार राज्य में कार्यरत बाल गृह और दत्तकग्रहण एजेन्सियों की सूची रखेगी। उन्हें दत्तकग्रहण के बारे में एक सलाहकार समिति भी बनानी होगी, जो दत्तकग्रहण कार्य का प्रभावी रूप से परीक्षण कर सके और दत्तकग्रहण एजेन्सियों का निरीक्षण कर सके।

**3. दत्तकग्रहण के लिए मान्यता प्राप्त भारतीय एजेन्सियों की भूमिका**

स्थापन एजेसियां एक समय-सीमा के अनुसार बच्चे को भारतीय परिवार में स्थापित करने के भरसक प्रयास करेंगी। यदि स्वैच्छिक समन्वय एजेन्सियां गोद लिए हुए बच्चे के लिए भारतीय परिवार में कोई स्थान प्राप्त करने में असफल रहती हैं, तो उन्हें अन्तर्देशीय दत्तकग्रहण पर कार्रवाई करने के लिए उस हालत में स्थापन एजेंसी के पक्ष में आवश्यक क्लियरेंस सर्टीफिकेट जारी करना होगा।

**4. भारतीय एजेन्सियों से मान्यता**

राज्य सरकार से आवेदन प्राप्ति की तारीख से 2 महीने की अवधि के भीतर केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन एजेन्सी को स्थापन एजेन्सियों द्वारा प्रस्तुत नवीकरण के आवेदन पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत करनी होगी। यदि समय-सीमा के भीतर राज्य सरकार से कोई सिफारिश नहीं मिलती है, तो इसका अर्थ केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन एजेन्सी द्वारा राज्य सरकार की सहमति समझी जाएगी और दो महीने की अधिकतम अवधि के भीतर या एजेन्सी की मान्यता की समाप्ति से पहले, इसमें जो भी बाद में हो, उस अवधि

के भीतर स्थापन एजेन्सी द्वारा दिए गए आवेदन पत्र के बारे में केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन एजेन्सी से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो यह समझा जाएगा कि नवीकरण को दो वर्ष की अवधि के लिए मंजूर कर दिया गया है।

**5. दत्तकग्रहण के लिए विदेशी एजेन्सियों की सूची बनाना**

अन्तर्देशीय दत्तकग्रहण के उद्देश्य हेतु सूची में नाम लिखने के लिए विदेशी एजेन्सियों के आवेदन उनके देश में स्थापित भारतीय दूतावासों/हाई कमीशन के माध्यम से भेजे जाने होंगे। केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन एजेन्सी द्वारा सूची में शामिल करने के लिए विदेशी एजेन्सियों के अनुरोध पर विचार करते समय उनके देश में स्थापित भारतीय दूतावासों/हाई कमीशनों की सिफारिश पर ध्यान दिया जाएगा।

**6. स्वैच्छिक समन्वय एजेन्सियों की भूमिका**

देश के भीतर बच्चे को स्थापित करने हेतु उनको सभी प्रयत्न करने के वास्ते स्वैच्छिक समन्वय एजेन्सियों को 30 दिन के बजाय 60 दिन की समयावधि दी जाएगी और यदि वे ऐसा करने में असफल रहते हैं, तो वे 60 दिन की अधिकतम अवधि के भीतर स्थापन एजेन्सी को आवश्यक क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी करेंगे।

**7. जांचकर्त्ता एजेन्सी की भूमिका**

न्यायालय किसी ऐसी एजेन्सी को जांच एजेन्सी के रूप में नियुक्त कर सकता है, जो बाल देखभाल और कल्याण के क्षेत्रों में विशेषज्ञों का निकाय है और दत्तकग्रहण क्षेत्र में बच्चों के स्थापन कार्य से स्वयं किसी भी तरह से सम्बद्ध नहीं है। न्यायालय को परिस्थिति के अनुसार केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन एजेन्सी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य एजेन्सी को जांच एजेन्सी नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त होगी।

**8. विविध**

भारत सरकार के लिए यह वांछनीय होगा कि वह उन देशों के साथ द्विपक्षीय करार करे, जो दत्तकग्रहण के उद्देश्य के लिए भारत से बच्चे प्राप्त कर रहे हैं और ऐसे द्विपक्षीय करारों में भारत के उपयुक्त प्राधिकारियों तथा प्राप्तकर्त्ता राज्य के बीच पूर्ण समन्वय के लिए और प्राप्तकर्त्ता राज्य में दत्तकग्रहण हेतु लिए गए बच्चों की सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रावधान किया जाएगा।

**[अनुवाद]**

**"अपने स्वामित्व वाली कोयला खान बनाओ और चलाओ" योजना**

*479. **डा. कृपासिंधु भोई** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि. का "अपने स्वामित्व वाली कोयला खान बनाओ और चलाओ" योजना को कार्यान्वित करने का कोई प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो इस योजना पर गैर-सरकारी क्षेत्र की क्या प्रतिक्रिया रही;

(ग) इससे कोल इंडिया लि. द्वारा कोयले के निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(घ) क्या कोल इंडिया लि. ने हाल ही में कोयले के मूल्य बढ़ाए हैं, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा)** : (क) और (ख) जी, हां। कोल इंडिया लि. ने कोयला वाशरियों को स्थापित करने तथा चुनिन्दा स्थलों पर "अपने स्वामित्व वाले निर्मित तथा प्रचालन किए जाने" के आधार पर ग्रहीत विद्युत संयंत्र भी स्थापित किए जाने का निर्णय लिया है। कोल इंडिया लि. ने तीन स्थलों के लिए एक करार निष्पादित किया है तथा दो स्थलों पर "अपने स्वामित्व वाले निर्मित तथा प्रचालन किए जाने" के आधार पर ग्रहीत विद्युत संयंत्रों की स्थापना किए जाने के लिए आशय पत्र (लैटर आफ इंटेंट) जारी किए हैं।

कोयला वाशरियों को स्थापित किए जाने के संबंध में इस प्रयोजनार्थ कोल इंडिया लि. द्वारा पूर्व-ग्राह्यता निविदा जारी किए जाने के एवज में 42 कंपनियों से प्रत्युत्तर प्राप्त हुए हैं।

(ग) वर्तमान में पड़ोसी देशों को कोयले का बहुत कम मात्रा में निर्यात किया जा रहा है। वाशरियों की स्थापना से निर्यात पर पड़ने वाले प्रभाव का केवल निर्यात किए जाने पर ही पता चलेगा। धुलाई के पश्चात् कोयले की गुणवत्ता में निश्चित रूप से सुधार आएगा, जिसका निर्यात पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

(घ) और (ङ) कोल इंडिया लि. की कोयले की कीमतों में अंतिम बार संशोधन 19 जून, 1993 को किया गया था। कोल इंडिया लि. के कोयले की औसत बिक्री कीमत 382 रु. प्रति टन है।

**बच्चों में होने वाला कैंसर**

*480. **श्री एस.एस. लालजान वाशा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बच्चों में होने वाला कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है;

(ख) क्या बच्चों में होने वाले कैंसर का शीघ्र निदान करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, और

(ग) यदि हां, तो उसका पता लगाने और उपचार की सुविधाएं बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानंद)** : (क) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार 15 वर्ष की आयु तक के बच्चों में होने वाला कैंसर कुल कैंसर रोगियों का 6 प्रतिशत तक होने का अनुमान है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कैंसर के उपचार के लिए, जिसमें बच्चों में होने वाला कैंसर भी शामिल है, रोकथाम, शुरू में ही पता लगाने और उपचार सुविधाओं में वृद्धि करने पर बल दिया जाता है। तद्नुसार इन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 1990-91 में कई नई स्कीमें आरंभ की गई हैं।

**[हिन्दी]**

**एच.आई.वी. के मामले**

5208. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में आज तक एड्स के कितने मामलों का पता लगाया गया है;

(ख) राज्य के उन अस्पतालों का ब्यौरा क्या है, जिनमें एड्स-परीक्षण की सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में एड्स नियंत्रण कार्यक्रम विदेशी सहायता से लागू किया गया है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने इस कार्यक्रम की समीक्षा की है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानंद)** : (क) 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य से एच.आई.वी. के 420 पॉजिटिव मामले सूचित किए गए हैं।

(ख) संस्थाओं की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) विश्व बैंक से आसान शर्तों पर ऋण तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन की तकनीकी सहायता से एड्स की रोकथाम तथा नियंत्रण की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना इस समय उत्तर प्रदेश राज्य सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है।

(घ) और (ङ) कार्यक्रम के कार्यान्वयन की पर्यवेक्षी दौरों, समीक्षा बैठकों तथा प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से समय-समय पर समीक्षा की जाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की केन्द्रीय परिषद की वार्षिक बैठक में भी इस कार्यक्रम की समीक्षा की जाती है।

**विवरण**

**उत्तर प्रदेश के उन अस्पतालों के नाम, जहां एच.आई.वी. के परीक्षण की सुविधाएं उपलब्ध हैं**

**निगरानी केन्द्र :**

1. सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग, के.जी. मेडिकल कालेज, लखनऊ।
2. सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग, आयुर्विज्ञान संस्थान, वाराणसी।
3. जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कालेज, अलीगढ़।
4. केन्द्रीय जाल्मा कुष्ठ संस्थान, आगरा।
5. कमला नेहरू स्मारक अस्पताल, इलाहाबाद।

**जोनल रक्त जांच केन्द्र**

1. रक्त बैंक, जिला अस्पताल, गोरखपुर।
2. रक्त बैंक, जी.एस.वी. मेडिकल कालेज, कानपुर।
3. रक्त बैंक, जिला अस्पताल, इलाहाबाद।

4. रक्त बैंक, पी.एल.शर्मा, अस्पताल, मेरठ।

5. रक्त बैंक, के.जी. मेडिकल कालेज, लखनऊ।

6. रक्त बैंक, एस.जी.पी.जी.आई. लखनऊ।

7. रक्त बैंक, मेडिकल कालेज, आगरा।

8. रक्त बैंक, जिला अस्पताल, देहरादून।

9. रक्त बैंक, जिला अस्पताल, नैनीताल।

10. रक्त बैंक, जिला अस्पताल, शाहजहांपुर।

11. रक्त बैंक, एम.एल.बी. मेडिकल कालेज, झांसी।

12. रक्त बैंक, मेडिकल कालेज, वाराणसी।

13. रक्त बैंक, कमान पेथालोजी लेबोरेटरीज, सेन्ट्रल कमान, लखनऊ।

[अनुवाद]

**कैंसर अस्पताल का दर्जा बढ़ाना**

5209. **श्री धर्मभिक्षम :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद कैंसर अस्पताल का दर्जा बढ़ाकर इसे क्षेत्रीय अस्पताल बनाने का कोई प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**आयुर्वेद और होम्योपैथ के लिए निदेशालय**

5210. **श्री राम नाईक :**
**श्री डी. वेंकटेश्वर राव :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयुर्वेद के लिए और होम्योपैथ के लिए भी, पृथक निदेशालय स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये कब स्थापित किए जाएंगे, और

(घ) इन निदेशालयों के मुख्यालय को किन-किन स्थानों पर स्थापित किया जाएगा?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानंद)** : (क) से (घ) यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

**[हिन्दी]**

**पेट्रोलियम का उत्पादन**

5211. **श्री जंगबीर सिंह** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम का उत्पादन खपत से कम होता है;

(ख) यदि हां, तो इसके उत्पादन को बढ़ाने के क्या उपाय किए गए हैं, और

(ग) किन-किन देशों से पेट्रोलियम का आयात किया जा रहा है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा)** : (क) जी, हां।

(ख) कच्चे तेल के स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इनमें अनेक क्षेत्रों का विकास, कतिपय वर्तमान क्षेत्रों का अतिरिक्त विकास और निजी प्रतिभागिता के साथ लघु और मध्यम आकार के क्षेत्रों का विकास शामिल है।

(ग) इरान, कुवैत, मलेशिया, सउदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात आदि जैसे तेल उत्पादक देशों की राष्ट्रीय तेल कंपनियों के साथ आवधिक ठेके के अंतर्गत कच्चे तेल का आयात किया जाता है। कच्चे तेल का आयात स्थल खरीद के द्वारा भी किया जाता है, जिन्हें हमेशा किसी विशिष्ट देश के साथ संबद्ध नहीं किया जा सकता।

**[अनुवाद]**

**1991 की जनगणना**

5212. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनगणना, 1991 से संबंधित प्रकाशन भारत के महापंजीयक द्वारा किन नामों से प्रकाशित किये जायेंगे;

(ख) प्रकाशन का मूल कार्यक्रम क्या है;

(ग) प्रकाशन में इस समय कितनी प्रगति हुई है;

(घ) विलम्ब के क्या कारण हैं, और

(ङ) प्रकाशन हेतु संशोधित तारीख क्या रखी गई है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद)** : (क) से (ङ) वास्तविक स्थिति संलग्न विवरण में है।

विवरण

| क्र.सं. | भाग (क) भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा 1991 की जनगणना से संबंधित प्रकाशित किए जाने वाले प्रस्तावित प्रकाशनों के शीर्षक | भाग (ख) प्रकाशन का मूल कार्यक्रम | भाग (ग) प्रकाशन की वर्तमान स्थिति | भाग (घ) देरी के कारण | भाग (ङ) प्रकाशन के लिए लक्ष्य की संशोधित तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 1991 का पेपर 1- जनसंख्या के अनन्तिम आंकड़े | 1991 | मार्च, 1991 में प्रकाशित | कोई देरी नहीं | लागू नहीं |
| 2. | 1991 का पेपर-2 जनसंख्या के अनन्तिम आंकड़े ग्रामीण नगरीय वितरण | 1991 | अगस्त, 1991 में प्रकाशित | कोई देरी नहीं | लागू नहीं |
| 3. | 1991 का पेपर-3 जनसंख्या के अनन्तिम आंकड़े कार्य करने वाले और उनका वितरण | 1991 | नवम्बर, 1991 में प्रकाशित | कोई देरी नहीं | लागू नहीं |
| 4. | 1992 का पेपर-1 जनसंख्या के अनन्तिम आंकड़े | 1993 | जनवरी, 1993 में प्रकाशित | कोई देरी नहीं | लागू नहीं |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | 1992 का पेपर-2 | जनसंख्या के अनन्तिम आंकड़े प्राथमिक जनगणना सार का संक्षिप्त विश्लेषण | 1993 | फरवरी, 1993 में प्रकाशित | कोई देरी नहीं | लागू नहीं |
| 6. | 1993 का पेपर-1 | अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का संघीय प्राथमिक जनगणना सार | 1993 | 1993 में प्रकाशित | कोई देरी नहीं | लागू नहीं |
| 7. | 1993 का पेपर-2 | मकान और सुविधाएं | 1993 | दिसम्बर 1993 में प्रकाशित | कोई देरी नहीं | लागू नहीं |
| 8. | गणना उपरांत जांच रिपोर्ट | | 1993 | रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जा रहा है | अपेक्षित कर्मचारियों की स्वीकृति देरी से मिलने के कारण | 1994 |
| 9. | (क) भाग 1 क-प्रशासनिक रिपोर्ट-गणना (केवल सरकारी उपयोग के लिए) | | 1994 | रिपोर्ट का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है और इसे 1994 के दौरान पूरा कर दिया जाएगा। | कोई देरी नहीं | लागू नहीं |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | (ख) भाग 1 ख-प्रशासनिक रिपोर्ट-सारणीकरण (केवल सरकारी उपयोग के लिए) | 1995-96 | कुछ राज्यों में, जहां पर कि आंकड़ों का मेनुअल तौर पर सारणीकरण तथा संपादन और कोडिंग का कार्य पूरा हो चुका है, इस रिपोर्ट को तैयार किया जाना प्रारम्भ हो गया है। | कोई देरी नहीं | लागू नहीं |
| 10. | भाग-II क-सामान्य जनसंख्या सारणियां (क श्रृंखला) | | | | |
| | (क) भाग-I | 1994-95 | इस खंड की पांडुलिपि तैयार की जा रही है। | कोई देरी नहीं | लागू नहीं |
| | (ख) भाग-II | 1995-96 | संबंधित सारणी और उसके अनुलग्नकों की जांच/संवीक्षा की जा रही है। | कोई देरी नहीं | लागू नहीं |
| 11. | भाग-II ख (i) प्राथमिक जनगणना सार सामान्य जनसंख्या | 1994 | पाडुंलिपि तैयार की जा रही है। प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए ग्राम/कस्बा स्तर के आंकड़ों को मैगनेटिक मीडिया/ एन.आई.सी.एन.ई.टी. के माध्यम से जारी किया जा रहा है। | कोई देरी नहीं | लागू नहीं |
| 12. | भाग-II ख (ii) प्राथमिक जनगण्ना सार अनुसूचित जातियां | 1994 | पांडुलिपि तैयार की जा रही है। तथापि भारत, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के आंकड़े 1993 के पेपर-1 में प्रकाशित किए गए हैं। | कोई देरी नहीं | लागू नहीं |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. | भाग-II ख (iii) प्राथमिक जनगणना सार अनुसूचित जनजातियां | 1995 | पांडुलिपि तैयार करने के लिए आंकड़ों की प्रविष्टि का कार्य चल रहा है। तथापि, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के आंकड़े 1993 के पेपर-1 में पहले ही प्रकाशित किए जा चुके हैं। | कोई देरी नहीं | लागू नहीं |
| 14. | भाग III-सामान्य आर्थिक सारणियां | | | | |
| | (क) भाग III क- प्रथम चरण की ख श्रृंखला की सारणियां, जो बड़े राज्यों के मामले में 10% सैम्पल के आधार पर और छोटे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में पूर्ण गणना के आधार पर तैयार की जाएगी। | 1995 | कम्प्यूटर पर सारणियों को तैयार करने का कार्य चल रहा है। | देरी होने का मुख्य कारण है : आंकड़े प्रविष्टि के उपकरण का देरी से लगाया जाना और पदों के के सृजन संबंधी स्वीकृति देरी से मिली। | 1996 तथापि वर्ष 1995 के दौरान मैग-नैटिक टेपों के माध्यम से आंकड़े उपलब्ध होंगे |
| | (ख) भाग III ख-दूसरे चरण की ख-श्रृंखला की सारणियां पूर्ण गणना के आधार पर प्रकाशित की जाएंगी। पारिवारिक उद्योग, अन्य काम करने वाले, सीमान्तिक काम करने वालों और काम न करने वालों तथा काम की खोज में/काम करने के इच्छुक, के आंकड़े पूर्व गणना के आधार पर दर्ज किए जाएंगे। | 1995 | कम्प्यूटर पर दूसरे चरण की की सारणियों में आंकड़ों की की प्रविष्टि का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। | –वही– | 1997 तथापि वर्ष 1996 के दौरान मैग-नेटिक टेपों के माध्यम से आंकड़े उपलब्ध होंगे |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15. भाग IV सामाजिक और सांस्कृतिक सारणियां | | | | |
| (क) भाग चार क–प्रथम चरण की ग श्रृंखला की सारणियां, जिनके अंतर्गत आयु, लिंग, वैवाहिक स्थिति, आबादी की सरंचना, एक वर्ष आयु प्रतिफल शैक्षिक स्तर, विद्यालय उपस्थिति तथा द्विभाषी-करण शामिल हैं। | 1995 | कम्प्यूटर पर सारिणयों को तैयार करने का कार्य चल रहा है | –वही– | 1996 तथापि वर्ष 1995 के दौरान - मैगनेटिक मीडिया के माध्यम से आंकड़े उपलब्ध होंगे |
| (ख) भाग (चार) ख–श्रृंखला की सारणियां, जिनके अंतर्गत आबादी की मातृभाषा और धर्म तथा घरेलू संरचना शामिल है। | | | | |
| (1) मातृभाषा और धर्म को शामिल करने वाली सारणियां | 1994-95 | आंकड़ों की समीक्षा की जा रही है और उन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है। | कोई देरी नहीं | लागू नहीं |
| (2) घरेलू संरचना को शामिल करने वाली सारणी। | 1996-97 | ऐसे राज्य, जहां आंकड़ों का मैनुअल तौर पर सारणीकरण करने तथा संपादन और कोडिंग का कार्य पूरा हो चुका है, घरेलू संरचना पर आंकड़ों का संकलन करने का कार्य शुरू किया जा चुका है। | कोई देरी नहीं | लागू नहीं |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. | भाग V प्रवसन सारणियां | | | | |
| | (क) भाग पांच-क प्रथम चरण की घ श्रृंखला सारणियां, जिनके अंतर्गत बड़े राज्यों के मामले में 10 नमूना तथा छोटे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में पूर्ण गणना के के आधार पर सारणियां शामिल हैं। | 1995 | कम्प्यूटर पर सारणियों को तैयार करने का कार्य चल रहा है। | देरी होने का मुख्य कारण है : आंकड़े प्रविष्टि के उपकरण का देरी से लगाया जाना और पदों के के सृजन संबंधी स्वीकृति में देरी। | 1996 तथापि वर्ष 1995 के दौरान मैगनेटिक मीडिया के माध्यम से आंकड़े उपलब्ध होंगे |
| | (ख) भाग पांच-ख दूसरे चरण की घ श्रृंखला सारणियां, जिनके अंतर्गत प्रवासी मजदूरों का विस्तृत व्यावसायिक वर्गीकरण दिया गया है। ये सारणियां पूरी गणना पर आधारित हैं। | 1996 | चरण दो कम्प्यूटर सारणीकरण के लिए डाटा प्रविष्टि कार्य शुरू किया जा चुका है। | –वही– | 1997 तथापि वर्ष 1996 के दौरान मैगनेटिक मीडिया के माध्यम से आंकड़े उपलब्ध होंगे |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. | भाग छह उत्पादकता सारणियां | | | | | |
| | प्रथम चरण की च श्रृंखला की सारणियां, जिन्हें बड़े राज्यों के मामले में 10 नमूना तथा छोटे राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों के मामले में पूर्ण गणना के आधार पर तैयार किया जाएगा। | 1995 | कम्प्यूटर पर सारणियों को तैयार करने का कार्य चल रहा है। | –वही– | 1996 तथापि वर्ष 1995 के दौरान मैगनेटिक मीडिया के माध्यम से आंकड़े उपलब्ध होंगे |
| 18. | भाग सात आवास रलू सुख सुविधाओं की र | 1997 | पांडुलिपि तैयार की जा रही है। तथापि राज्य स्तर पर आंकड़े 1994 श्रृंखला 1, भारत के पेपर नं 2 माध्यम से प्रकाशित किए जा चुके हैं और ये मैगनेटिक माध्यम से भी उपलब्ध हैं। | कोई देरी नहीं | लागू नहीं। |
| 19. | भाग आठ अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों संबंधी विशेष सारणियां | 1997 | 6 बड़े राज्यों को छोड़कर शेष सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संपादन तथा कोडिंग का कार्य पूरा हो चुका है। 6 बड़े राज्यों में यह कार्य पूरा हो चुका है। 6 बड़े राज्यों में यह कार्य चरण-दो के संपादन और कोडिंग कार्य पूरा होने के बाद शुरू किया जाएगा। | देरी होने का मुख्य कारण है : आंकड़े प्रविष्टि के उपकरण का देरी से लगाया जाना और पदों के सृजन संबंधी स्वीकृति में देरी। | 1998 तथापि वर्ष 1997 के दौरान मैगनेटिक मीडिया के माध्यम से आंकड़े उपलब्ध होंगे |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20. | भाग नौ कस्बा निर्देशिका, कस्बों तथा गांवों संबंधी सर्वेक्षण रिपोर्ट | | | | |
| | (क) भाग नौ-क : कस्बा निर्देशिका | 1996 | सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के कस्बा निदेषिका विवरण की संवीक्षा/जांच की गई है और इनके कम्प्यूटरीकरण का कार्य शीघ्र ही प्रारंभ किया जाएगा। | कोई देरी नहीं। | लागू नहीं। |
| | (ख) भाग नौ-ख: चुने गये कस्बों संबंधी सर्वेक्षण रिपोर्ट | 1997, 1998 तथा 1999 | अध्ययन के तरीकों को अंतिम रूप दिया जा चुका है, ऐसे अध्ययन करने के लिए गांवों और कस्बों का चयन किया जा रहा है, इनमें से कुछेक अध्ययन कार्य इसी वर्ष आरंभ किए जाएंगे। | –वही– | –वही– |
| | (ग) भाग नौ-ग : चुने गए गांवों संबंधी सर्वेक्षण रिपोर्ट | यह एक अंतर गणना परियोजना है। | | | |
| 21. | भाग दस अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बारे में मानव जाति संबंधी विवरण तथा विशेष अध्ययन। | यह एक सतत अध्ययन कार्य है। ऐसा कहा गया है कि अंतर गणना | कुछेक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में यह अध्ययन कार्य पहले से ही आरंभ हो चुका है और इसी वर्ष के दौरान शेष राज्यों/संघ | –वही– | –वही– |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | परियोजना के तौर पर प्रत्येक अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अध्ययन किया जाये। | राज्य क्षेत्रों में भी इसे आरंभ किया जाएगा। | | |
| 22. | भाग ग्यारह जनगणना मानचित्रावली संघ और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जनगणना मानचित्रावली। | 1998 तक | अंतर गणना अवधि में तैयार किया जाना है। | –वही– | –वही– |
| 23. | भाग बारह: जिला जनगणना सहायक पुस्तकें (भाग क तथा घ) | संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों द्वारा 1994-97 के दौरान योजना-बद्ध तरीके से जिला जनगणना सहायक पुस्तकें तैयार कराई जानी हैं। तथापि सहायक पुस्तकों की पांडुलिपि तैयार करने की | कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अब तक 5 जिला जनगणना सहायक पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त 30 जिला जनगणना सहायक पुस्तकों की पांडुलिपियां मुद्रण के लिए भेज दी गई हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से जिलों अर्थात 120 से भी अधिक जिलों की पांडुलिपियां तैयारी के के विभिन्न चरणों में हैं और वर्ष 1994 के अंत तक इन्हें राज्य सरकार के मुद्रणालयों को भेजे | –वही– | –वही– |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | जिम्मेदारी जनगणना निदेशालयों की है। | जाने की संभावना है। तथापि जिला जनगणना पुस्तकों के कुछ आंकड़े (नामतः ग्रामवार तथा वार्डवार प्राथमिक जनगणना विवरण) कम्प्यूटर मीडिया तथा एन.आई.सी. नेटवर्क के माध्यम से जनवरी 1993 से, आंकड़ों का प्रयोग करने वालों को उपलब्ध करा दिए गए हैं। इसी तरह से जिला जनगणना सहायक पुस्तक के अन्य भाग (नामतः गांव निर्देशिका आंकड़े) जिनमें गांववार सुख-सुविधाओं आदि का वर्णन हो) वर्ष 1994-95 के दौरान कम्प्यूटर मीडिया तथा एन.आई.सी. नेटवर्क के माध्यम से उपलब्ध करा दिए जाएंगे। | |

**स्वतंत्रता सेनानियों को ताम्र पत्र**

5213. **श्री जितेन्द्र नाथ दास** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतंत्रता सेनानियों को ताम्रपत्र से पुरस्कृत किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिवंगत स्वतंत्रता सेनानी भी इसे पाने के पात्र हैं;

(ग) यदि हां, तो इसे दिए जाने की प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद)** : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) सरकार की नीति के अनुसार ताम्र पत्र केवल जीवित स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किए जाते हैं, न कि मृत स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार के सदस्यों को।

**औषध जांच प्रयोगशाला**

5214. **श्री अमर रायप्रधान** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सभी औषध पद्धतियों द्वारा आपूर्ति की गई औषधियों की जांच हेतु औषध जांच प्रयोगशाला स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत फार्मेसी प्रणाली/फार्मेसी कार्य को पुनः शुरू करने का है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानंद)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) फार्मेसिस्टों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों में तैनात किया जाता है।

**[हिन्दी]**

**रसोई गैस संयंत्र**

5215. **श्री बारे लाल जाटव** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** रसोई गैस संयंत्र के बारे में 23 दिसम्बर, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3359 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मांगी गई जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा)** : (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की एल.पी.जी. विपणन तेल कंपनियों के अनुसार देश में 23 नये एल.पी.जी. भरण संयंत्रों को स्थापित करने के लिए 579 करोड़ रुपए के परिव्यय की योजना की गई है। भराई क्षमता तथा उक्त अवधि के दौरान नये भरण संयंत्रों को स्थापित करने में अब तक हुई प्रगति का विवरण संलग्न है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**विवरण**

**संयंत्र के स्थान, संयंत्रवार प्रगति तथा प्रत्येक संयंत्र की क्षमता**

| क्र.सं. | राज्य | स्थान | तेल कंपनी | क्षमता (टी.एम.टी.पी.ए.) | प्रगति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | असम | गुवाहाटी | आई.ओ.सी. | 22 | जमीन विनिर्दिष्ट की गई |
| 2. | आन्ध्र प्रदेश | गुडप्पा | आई.ओ.सी. | 44 | जमीन चुनी गई |
| 3. | गुजरात | अहमदाबाद | बी.पी.सी. | 34 | शुरू करने का कार्यक्रम मार्च, 1994 |
| 4. | गुजरात | अहमदाबाद | आई.ओ.सी. | 32 | कार्य शुरू |
| 5. | गुजरात | भावनगर | आई.ओ.सी. | 44 | जमीन अधिग्रहण का कार्य जारी |
| 6. | दिल्ली (यू.टी.)(2) | मदनपुर खादर | आई.ओ.सी. | 44 | कार्य शुरू |
| | | गाजियाबाद के नजदीक | आई.ओ.सी. | 44 | गाजियाबाद के नजदीक जमीन विनिर्दिष्ट |
| 7. | केरल | क्वीलोन | आई.ओ.सी. | 22 | जमीन चुनी गई |
| 8. | मणिपुर | – | आई.ओ.सी. | 10 | जमीन विनिर्दिष्ट किया जाना |
| 9. | मिजोरम | – | आई.ओ.सी. | 5 | जमीन अभी चुनी जानी है |
| 10. | सिक्किम | रंगबू | आई.ओ.सी. | 5 | जमीन विनिर्दिष्ट |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11. | महाराष्ट्र | अकोला | आई.ओ.सी. | 44 | जमीन विनिर्दिष्ट |
| 12. | पंजाब | पटियाला | आई.ओ.सी. | 34 | जमीन आबंटित, राज्य सरकार से अधिग्रहण के लिए रुपया निर्गत करने हेतु सुझाव की प्रतीक्षा |
| 13. | राजस्थान | बीकानेर | आई.ओ.सी. | 22 | जमीन विनिर्दिष्ट, जमीन के आबंटन के लिए राज्य सरकार को पैसा निर्गत |
| 14. | तमिलनाडु | मद्रास | आई.ओ.सी. | 66 | जमीन चुनी गई, राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण की व्यवस्था करना। |
| 15. | तमिलनाडु | मदुरै | आई.ओ.सी. | 22 | जमीन अधिग्रहीत |
| 16. | तमिलनाडु | त्रिची | आई.ओ.सी. | 22 | जमीन अधिग्रहीत |
| 17. | तमिलनाडु | मद्रास | बी.पी.सी. | 44 | जमीन विनिर्दिष्ट और अधिग्रहण की कार्रवाई जारी |
| 18. | तमिलनाडु | मद्रास | एच.पी.सी. | 22 | जमीन विनिर्दिष्ट और अधिग्रहण की कार्रवाई जारी |
| 19. | त्रिपुरा | – | आई.ओ.सी. | 5 | जमीन अभी विनिर्दिष्ट किया जाना |
| 20. | उत्तर प्रदेश | फरूखाबाद | आई.ओ.सी. | 22 | सिविल कार्य शुरू |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21. | उत्तर प्रदेश | मेरठ | बी.पी.सी. | 44 | जमीन का पता लगा लिया गया है तथा मेरठ विकास प्राधिकरण से अधिग्रहण करने का कार्य जारी |
| 22. | पश्चिम बंगाल | कलकत्ता | आई.ओ.सी. | 44 | जमीन अधिग्रहण जारी |
| 23. | पश्चिम बंगाल | कलकत्ता | बी.पी.सी. | 44 | 70 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है तथा परियोजना पूर्व कार्यकलाप शुरू हो गया है। |

**गुजरात में जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र**

5216. **श्री एन.जे. राठवा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में कोई जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का गुजरात में कोई जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) यह केन्द्र कब तक स्थापित कर दिया जायेगा?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानंद)** : (क) और (ख) महाराजा सयाजीराव यूनीवर्सिटी, बड़ोदरा के विज्ञान संकाय में 1967 से एक जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र कार्य कर रहा है।

(ग) से (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

**राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम**

5217. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम को बंद करने का सैद्धांतिक रूप से निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस समय निगम में विभिन्न श्रेणियों के कितने कर्मचारी कार्यरत हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान कितने कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है, और

(ङ) इन कर्मचारियों को अन्य सरकारी कार्यालयों में खपाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन)** : (क) इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 1-4-94 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम मर्यादित में कार्य कर रहे 4861 कर्मचारियों में से 3259 कर्मकार हैं, 929 गैर कार्यपालिक एवं 673 कार्यपालिक हैं।

(घ) वर्ष 1991-92, 92-93 और 93-94 के दौरान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्राप्त कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 100, 44 और 652 है।

(ङ) राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम मर्यादित ने परामर्श, वित्तीय/निवेश सलाह, सूचना सेवा तथा सहायक सामग्री आदि के जरिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प देने वाले कर्मचारियों की मदद करने के लिए कर्मचारी सहायता स्रोत केन्द्र की स्थापना की है।

**धर्मार्थ अस्पातालों को सीमा शुल्क में छूट**

*5218. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1994 की स्थिति के अनुसार सीमा शुल्क में छूट देने हेतु विभिन्न धर्मार्थ अस्पतालों के कितने आवेदन पत्र लंबित हैं;

(ख) कितने आवेदकों को अस्थायी शुल्क बाण्ड दिखाने पर आयातित माल मिला है, और

(ग) इन आवेदन पत्रों को कब तक निपटा दिया जाएगा?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानंद)** : (क) 31 जनवरी, 1994 की स्थिति के अनुसार सीमा शुल्क छूट प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए 143 आवेदन लंबित थे।

(ख) सत्रह संस्थानों ने यह सूचित किया है कि उन्होंने प्रोविजनल ड्येटी बांड के आधार पर अपने माल का आयात किया है। इसकी स्वीकृति मांगी है। इनमें से 3 मामले अब तक निपटाये जा चुके हैं और शेष मामलों में शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही की जा रही है।

**[हिन्दी]**

**उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिए छात्रावास**

5219. **श्री देवी बक्श सिंह** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सरकार ने देश से अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए छात्रावास खोलने के संबंध में केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

**कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्कावालू)** : (क) केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु छात्रवास खोलने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से 1994-95 वर्ष के लिए अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, राज्य सरकार से 1993-94 से संबंधित प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

(ख) और (ग) 1993-94 में राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के ब्यौरे तथा उस पर की गई कार्रवाई संलग्न विवरण में दी गई है।

**विवरण**

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से 1993-94 के दौरान अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए छात्रावास की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत लखनऊ विश्वविद्यालय में 200 लड़कियों के लिए एक छात्रावास के निर्माणार्थ एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। योजना के मानदंडों के अनुसार 156 संवासी की क्षमता के साथ होस्टल निर्माण के लिए 15,77,160 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त की गई थी। अनुसूचित जाति के लड़कों के लिए छात्रावासों की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत निम्नलिखित स्थानों पर प्रत्येक 50 संवासी के साथ 12 छात्रावासों के निर्माण के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव की स्वीकृति भी प्रदान की जा चुकी है और इस उद्देश्य के लिए कुल 60,66,000 रुपये की केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त की गई है।

**अवस्थिति**

1. मथुरा
2. कानपुर (नगर)
3. कानपुर (देहात)
4. फैजाबाद
5. सीतापुर
6. इटावा
7. सिद्धार्थनगर
8. प्रतापगढ़
9. गोंडा
10. फरूखाबाद
11. झांसी
12. महाराजगंज

लखनऊ विश्वविद्यालय में 400 संवासियों के साथ अनुसूचित जाति के लड़कों के लिए होस्टल निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश से केन्द्रीय सहायता के लिए एक और प्रस्ताव वित्तीय वर्ष के अंतिम चरण में प्राप्त हुआ था और इसे स्वीकृत नहीं किया जा सका, क्योंकि इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध निधियां समाप्त हो चुकी थीं।

**उत्तर प्रदेश में आश्रम विद्यालय**

5220. **डा. रमेश चन्द तोमर :**
**श्री देवी बक्श सिंह :**

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिए आश्रम विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति मिल जाएगी?

**कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्कावालू)** : (क) से (ग) दिसम्बर, 1992 में केंद्रीय सरकार ने 14 जिलों में, जहां अनुसूचित जाति परिवारों के बीच साक्षरता दर 2 प्रतिशत से कम है, एक-एक आश्रम विद्यालय की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया था और इस प्रकार राज्य को निर्मुक्त विशेष संघटक योजना को विशेष केंद्रीय सहायता से निधियों के उपयोग की अनुमति दे दी गई थी। विद्यालयों के निर्माण सहित 6 विशिष्ठ योजनाओं के लिए सितम्बर, 1993-94 के दौरान 16.96 करोड़ रुपये तथा मार्च, 1994 में 9.70 करोड़ रुपये दिया जा चुका है।

1993-94 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जनजाति के लिए 5 आश्रम विद्यालय की स्थापना हेतु एक प्रस्ताव भेजा है। भारत सरकार ने अनुसूचित जनजाति के लिए 3 आश्रम विद्यालयों की स्थापना के हेतु राज्य सरकार को 40.68 लाख रुपये की मंजूरी दे दी है।

**[अनुवाद]**

**चिकित्सा प्रतिपूर्ति**

5221. **श्री तेज नारायण सिंह :**
**श्री पलास बर्मन :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सेवानिवृत्त सी.जी.एच.एस. के लाभार्थियों को उनके चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के भुगतान में अत्यधिक विलंब के कारण होने वाली परेशानी की जानकारी है;

(ख) क्या इस संबंध में रजिस्टर्ड डाक से भेजे गए अभ्यावेदनों को भी स्वीकार नहीं किया जाता है;

(ग) ऐसे कितने मामले अभी भी लंबित है, जिनमें गत वर्ष अक्तूबर के दौरान मंत्रालय अथवा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के कार्यालयों में मूल बिल खो जाने पर डुप्लीकेट बिलों को जमा किया गया था, और

(घ) बिलों के शीघ्र निपटान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा)** : (क) चिकित्सीय बिलों की प्रतिपूर्ति करने में कुछ देरी हुई, क्योंकि बजट में प्रदान की गई धनराशि समाप्त हो गई थी।

(ख) सभी पत्रों की पावती देने के प्रयास किए जाते हैं।

(ग) और (घ) डुप्लीकेट बिलों का कोई पृथक रिकार्ड नहीं रखा जाता, वैसे 31 मार्च, 94 तक प्राप्त हुए सभी दावों पर कार्रवाई की जा चुकी है।

[हिन्दी]

**रसोई गैस एजेंसियां**

5222. **श्री राजवीर सिंह :**
**डा. लाल बहादुर रावल :**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में खंड/तहसील स्तर पर रसोई गैस एजेंसियों के आबंटन के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इसको कब तक लागू कर दिया जाएगा, और

(ग) योजना के अंतर्गत राज्य में रसोई गैस एजेंसियां किन-किन स्थानों पर खोली जायेंगी?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) :** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

**स्वास्थ्य योजना**

5223. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के द्रौरान विस्तृत स्वास्थ्य योजना आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र द्वारा प्रायोजित की गयी योजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में कितना परिव्यय उपलब्ध कराया गया है;

(घ) विभिन्न राज्यों में कार्यान्वित की गई केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है और गोवा के लिए 1993-94 में कितना नियतन किया गया तथा गत दो वर्षों की तुलना में इनकी स्थिति क्या है, और

(ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गोवा में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का निष्पादन कैसा रहा?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) :** (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना में विकास के जिन मुख्य क्षेत्रों का पता लगाया गया है उनमें अन्य के साथ-साथ शामिल हैं--ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या तंत्र का सुदृढ़ीकरण, प्रमुख संचारी तथा गैर-संचारी रोगों का नियंत्रण/उन्मूलन, जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य, स्वास्थ्य कार्मिक शक्ति का विकास तथा भारतीय चिकित्सा

पद्धतियों और होमियोपैथी का सुदृढ़ीकरण। इसके अतिरिक्त अपनाई गई स्वास्थ्य संबंधी कार्यनीति जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण रखने पर आधारित है।

(ग) से (ङ) प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों नामतः मलेरिया, कुष्ठ, दृष्टिहीनता और क्षयरोग के संबंध में राज्यवार आवंटनों का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है। गोवा राज्य का आवंटन विवरण-II में दिया गया है।

**विवरण-I**

**प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों के संबंध में राज्यवार धन का आवंटन**

(लाख रुपये में)

| क्र. सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम | राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम | राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम | राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 699.10 | 330.00 | 129.93 | 195.00 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 50.64 | 9.00 | 34.47 | 28.50 |
| 3. | असम | 593.38 | 23.00 | 91.23 | 108.00 |
| 4. | बिहार | 100.41 | 200.00 | 124.52 | 193.00 |
| 5. | गोवा | 24.05 | 1.00 | 11.60 | 12.00 |
| 6. | गुजरात | 1142.89 | 80.00 | 88.53 | 260.00 |
| 7. | हरियाणा | 104.51 | 13.00 | 124.29 | 87.00 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 49.77 | 13.00 | 52.89 | 53.00 |
| 9. | जम्मू कश्मीर | 150.44 | 5.00 | 74.53 | 55.00 |
| 10. | कर्नाटक | 361.47 | 180.00 | 129.17 | 111.00 |
| 11. | केरल | 37.96 | 135.00 | 155.17 | 72.00 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 1011.17 | 204.00 | 152.08 | 330.00 |
| 13. | महाराष्ट्र | 960.59 | 135.00 | 183.18 | 348.00 |
| 14. | मणीपुर | 76.43 | 3.00 | 37.23 | 11.50 |
| 15. | मेघालय | 20.20 | 6.50 | 13.12 | 11.50 |
| 16. | मिजोरम | 64.20 | 6.50 | 7.55 | 11.50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17. | नागालैड | 114.53 | 4.50 | 18.67 | 11.50 |
| 18. | उड़ीसा | 187.26 | 200.00 | 114.32 | 109.00 |
| 19. | पंजाब | 400.32 | 9.00 | 52.65 | 138.00 |
| 20. | राजस्थान | 604.01 | 41.00 | 112.80 | 148.00 |
| 21. | सिक्किम | 25.28 | 13.00 | 9.65 | 12.00 |
| 22. | तमिलनाडु | 218.93 | 210.00 | 114.63 | 298.00 |
| 23. | त्रिपुरा | 230.35 | 10.00 | 16.17 | 21.00 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 1058.70 | 285.00 | 276.61 | 434.00 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 234.41 | 150.00 | 88.23 | 235.00 |
| 26. | पांडिचेरी | 9.00 | 8.50 | 4.03 | 7.00 |
| 27. | अण्डमान और निको. द्वीप समूह | 70.60 | 8.00 | 4.47 | 4.50 |
| 28. | चण्डीगढ | 38.78 | 1.00 | 3.84 | 6.50 |
| 29. | दमन और दीव | 6.58 | 1.50 | 4.34 | 2.50 |
| 30. | दादरा और नागर हवेली | 18.28 | 1.00 | 3.37 | 14.00 |
| 31. | दिल्ली | 60.29 | 1.00 | 10.91 | 70.00 |
| 32. | लक्षद्वीप | 2.87 | 2.00 | 3.39 | 2.50 |

**विवरण-II**

**गोवा राज्य को 1991-92, 1992-93, 1993-94 में वित्तीय आबंटन तथा 1992-93 और 1993-94 के भौतिक लक्ष्य**

| क्र.सं. | कार्यक्रम का नाम | आबंटन (लाख रुपये में) | | | 1992-93 | | 1993-94 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1991-92 | 1992-93 | 1993-94 | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| | रोगियों का पता लगाना | | | | 200 | 440 | 200 | 205 |
| | | | | | | | (सितम्बर, 1993 तक) | |
| 2. | राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम | 7.50 | 8.50 | 12.00 | | | | |
| | (क) रोगियों का पता लगाना | | | | 3800 | 3475 | 4160 | 2997 |
| | (ख) थूक की जांच | | | | 4500 | 15296 | 4520 | 9148 |
| | | | | | | | (जनवरी, 1994 तक) | |
| 3. | राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम | 8.99 | 12.06 | 11.60 | | | | |
| | मोतियाबिन्द आपरेशन | | | | 3000 | 3108 | 4500 | 2957 |
| | | | | | | | | (अनन्तिम) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम | 0.97 | 11.14 | 24.05 | | | | |
| | (क) मलेरिया के रोगियों की संख्या | | | | | 848 | | 1958 (अनन्तिम) |
| | (ख) पी.एफ. रोगी | | | | | 202 | | 289 (अनन्तिम) |
| | (ग) मौतें | | | | | शून्य | | शून्य (अनन्तिम) |

**नागालैंड में तेल निकालने संबंधी कार्य**

5224. **श्री गोपीनाथ गजपति :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने नागालैंड में तेल निकालने संबंधी कार्य स्थगित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो कब से तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उस राज्य में तेल निकालने संबंधी कार्य की पुनरीक्षा करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) :** (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि कूप रख-रखाव और वर्कओवर प्रचालन उग्रवाद और लूट-खसोट धमकी के क्रियाकलापों से निरन्तर प्रभावित हो रहे हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) ओ.एन.जी.सी. की स्थापनाओं की सुरक्षा परिस्थितियों में सुधार करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

**हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. (एच.पी.सी.एल.) का कार्य निष्पादन**

5225. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों से हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. (एच.पी.सी.एल.) के कार्य निष्पादन में सुधार हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में एच.पी.सी.एल. द्वारा किए गए क्षमता उपयोग, उत्पादन और कारोबार का ब्यौरा क्या है;

(ग) 1994-95 में अनुमानित क्षमता का उपयोग, उत्पादन का लक्ष्य और कारोबार का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या एच.पी.सी.एल. की घरेलू उपभोक्ताओं को बाजार मूल्य पर पाइप लाइन के द्वारा रसोई गैस देने की कोई योजना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या एच.पी.सी.एल. ने इस संबंध में कुछ अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से समझौता करने के लिए बातचीत शुरू कर दी है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ज) क्या एच.पी.सी.एल. द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं को बाजार मूल्य पर रसोई गैस उपलब्ध कराने से इस समय सिलिंडरों में रियायती मूल्य पर रसोई गैस की बिक्री से भ्रमपूर्ण स्थिति उत्पन्न नहीं होगी?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) :** (क) गत दो वर्षों के दौरान हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. के समग्र कार्यनिष्पादन में सुधार हुआ है।

(ख) 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान एच.पी.सी.एल. का क्षमता उपयोग, उत्पादन तथा कारोबार निम्नानुसार है :

| | 1991-92 | 1992-93 | 1993-94 |
|---|---|---|---|
| **क्षमता उपयोग (प्रतिशत)** | | | |
| एच.पी.सी.एल. बम्बई रिफाइनरी | 86.0 | 106.3 | 108.5 |
| एच.पी.सी.एल. विशाख रिफाइनरी | 87.1 | 100.6 | 98.8* |
| **उत्पादन (हजार टन)** | | | |
| एच.पी.सी.एल. बम्बई रिफाइनरी | 4446.9 | 5560.8 | 5715.0 |
| एच.पी.सी.एल. विशाख रिफाइनरी | 3676.9 | 4274.4 | 4203.5 |
| **कारोबार (करोड़ रुपए)** | | | |
| एच.पी.सी.एल. | 8990.68 | 10595.78 | 11856.84 |

* इकाइयों के निर्धारित टर्नअराउंड के कारण 92-93 की तुलना में क्षमता उपयोग अपेक्षाकृत कम था।

(ग) 1994-95 के लिए अनुमानित क्षमता उपयोग, निर्धारित उत्पादन तथा कारोबार निम्नानुसार है :

| | 1994-95 |
|---|---|
| 1 | 2 |
| **क्षमता उपयोग (प्रतिशत)** | |
| एच.पी.सी.एल. बम्बई रिफाइनरी | 95.3 |
| एच.पी.सी.एल. विशाख रिफाइनरी | 95.6 |

| 1 | 2 |
|---|---|
| **उत्पादन (हजार टन)** | |
| एच.पी.सी.एल बम्बई रिफाइनरी | 4812.3 |
| एच.पी.सी.एल. विशाख रिफाइनरी | 4014.9 |
| **कारोबार (करोड़ रुपए)** | |
| एच.पी.सी.एल. | 12142.9 |

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) जी, नहीं।

(छ) और (ज) प्रश्न नहीं उठता।

**राष्ट्रीय जल सम्मेलन**

5226. **श्री एस.बी. सिदनाल** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, 1994 के अंतिम सप्ताह के दौरान राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी द्वारा फरीदाबाद (हरियाणा) में आयोजित राष्ट्रीय जल सम्मेलन में किन-किन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया;

(ख) क्या सरकार को उस सम्मेलन में की गई सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन)** : (क) पांचवें राष्ट्रीय जल सम्मेलन का वर्ण्य विषय यह था "जल संसाधन विकास के कार्यनिष्पादन का निरीक्षण" सम्मेलन में निम्नलिखित उप-विषयों पर पांच तकनीकी सत्र आयोजित किए :

1. राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सिंचाई विकास के कार्यनिष्पादन का निरीक्षण।
2. वैयक्तिक सिंचाई परियोजनाओं के कार्यनिष्पादन का निरीक्षण।
3. जल विद्युत व बाढ़ प्रबन्ध परियोजनाओं के कार्यनिष्पादन का निरीक्षण।
4. लघु सिंचाई विकास के कार्यनिष्पादन का निरीक्षण।
5. सामाजिक, आर्थिक और पर्यावर्णीय पहलुओं का कार्यनिष्पादन का निरीक्षण।

(ख) सिफारिशें हाल में 26-4-1994 को प्राप्त हुई हैं।

(ग) विवरण संलग्न है।

(घ) सिफारिशों की जांच की जा रही है।

**विवरण**

**पांचवें राष्ट्रीय जल सम्मेलन की सिफारिशें :**

1. जल संसाधन परियोजनाओं के पर्यावर्णीय पहलुओं सहित समग्र कार्यनिष्पादन की समीक्षा और मूल्यांकन करने के लिए सभी राज्यों/संगठनों में एक उपयुक्त तन्त्र की स्थापना की जानी चाहिए। आंकड़े एकत्र करने और विशिष्ट कार्यनिष्पादन संकेतों व मूल्यांकन प्रक्रियाओं के आधार पर समीक्षा करने के लिए उपयुक्त दिशा-निर्देश तैयार किये जाएं। केन्द्रीय जल आयोग इस दिशा में मार्ग प्रशस्त करे। सभी पूर्ण की गयी पुरानी योजनाओं की सावधानीपूर्वक समीक्षा की जानी चाहिए और राष्ट्रीय जल प्रबन्ध परियोजना के पैट्रन के आधार पर पुनर्वास उपाय किए जायें और शीघ्र पूरे किए जायें।

2. जहां कहीं सृजित की गयी सिंचाई क्षमता और उपयोग की गई क्षमता के बीच काफी अन्तर हो, वहां ऐसे अन्तर के लिए सूक्ष्म समीक्षा करने एवं सुधारात्मक उपाय किए जाने की आवश्यकता है। विभिन्न अभिकरणों द्वारा सूचित किए गये उपयोग की गई क्षमता और वास्तविक सिंचित क्षेत्र के बीच अन्तरों का शीघ्र समाधान करने की आवश्यकता है।

3. परियोजना के समग्र कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए अन्तर्प्रवाह पूर्वानुमान प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए।

4. परियोजना के समग्र लाभों को प्राप्त करने तथा समाज की बदलती मांगों को पूरा करने के लिए जलाशय प्रचालन अनुसूचियां तैयार की जानी चाहिए और उनकी समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए।

5. विद्यमान परियोजनाओं के अन्तर बेसिन और अन्तराबेसिन जल अन्तरण सम्पर्कों, जहां व्यवहार्य हैं, के साथ एकीकरण द्वारा उनका कार्यनिष्पादन बढ़ाया जा सकता है।

6. सिंचित कमानों से राजस्व प्राप्तियों में कम से कम कार्यगत तथा पूंजीगत लागत का अंश शामिल होना चाहिए। अधिक से अधिक प्रचालनात्मक कार्यक्षमता प्राप्त करने के लिए ओ॰ एंड एम॰ के कार्यकरण को तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता है। जल प्रयोक्ता संघों को सिंचाई प्रणालियों के प्रचालन और प्रबन्ध की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

7. जल विद्युत परियोजनाओं के कार्यनिष्पादन की समीक्षा से पता चला है कि उन्होंने कुछ वर्षों में अपनी लागत का वापिस भुगतान कर दिया है और नाममात्र की लागत पर विद्युत उत्पादन कर रहे हैं। इसलिए देश में उपलब्ध अत्याधिक अप्रयुक्त जल विद्युत क्षमता को काम में लाने के लिए गम्भीर प्रयास किए जाने चाहिए। लघु और माइक्रो विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए बारहमासी नहरों के साथ उपलब्ध जल प्रपातों का दोहन किया जाना चाहिए।

8. भूजल के उपयोग को विनियमित करने विशेषकर अति दोहन से बचने और सीमा पर जलभूतों के प्रयोग के लिए कानून लागू किये जाने चाहिए। साथ ही अति दोहन क्षेत्रों में उपयुक्त तरीकों से कृत्रिम पुनर्भरण स्कीमों को शुरू किया जाये।

9. भण्डारण क्षमता को पुनर्स्थापित करने तथा डिजाइन की गई वार्षिक सिंचाई सुनिश्चित करने के लिए सरोवर सिंचाई प्रणालियों को समय-समय पर नया रूप दिया जाना चाहिए। स्थानीय प्राधिकारियों के समग्र मार्गदर्शन में गाद हटाने के कार्य में प्रयोक्ताओं के सहयोगी प्रयास जुटाये जाने चाहिए।

10. परियोजनाओं की आन लाइन मानीटरी की जानी चाहिए। इस प्रयोजन के लिए दूरस्थ संवेदन, भौगोलिक सूचना प्रणाली और प्रबन्ध सूचना प्रणालियों जैसी नई तकनीकों का प्रयोग किया जा सकता है।

**समुद्र जल स्तर**

5227. **श्री सुधीर सावंत :**
**डा. कृपासिंधु भोई :**

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को समुद्र जल अपरदन की बढ़ती समस्या की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) समुद्र जल अपरदन से राज्यवार कितना नुकसान हआ है;

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ङ) क्या सरकार ने स्थिति का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की कोई योजना तैयार की है, और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन)** : (क) से (ग) सूचना मिली है कि केरल की 560 कि.मी. लम्बी तट रेखा और कर्नाटक में 300 कि.मी. लम्बी तट रेखा समुद्री कटाव के अध्यधीन है। इसमें से केरल में 117 कि.मी. तथा कर्नाटक में 75 कि.मी. लम्बी तट रेखा की नई समुद्री दीवारों का निर्माण करके कटाव के विरुद्ध सुरक्षा की आवश्यकता है। महाराष्ट्र ने समुद्री कटाव से प्रभावित 15 पृथक स्थानों की सूचना दी है। अन्य समुद्रवर्ती राज्यों में अलग-अलग स्थानों पर समुद्री कटाव हुआ है।

(घ) से (च) वर्तमान नीति के अनुसार, समुद्री कटावरोधी कार्यों का अन्वेषण, आयोजना निरूपण एवं क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जाना अपेक्षित है। केरल और कर्नाटक राज्यों ने सुभेद्य पहुचों की सुरक्षा के लिए नई समुद्री दीवारों के निर्माण और विद्यमान दीवार की मरम्मत के लिए क्रमशः 327 करोड़ रु. एवं 145 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर योजनाएं तैयार की हैं, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 1993-94 और 1994-95 में क्रमशः 1.85 करोड़ रु. एवं 1.56 करोड़ रु. के परिव्ययों पर समुद्री कटाव रोधी बंधों और समुद्री दीवारों के निर्माण की व्यवस्था की है।

**भारत-पाक सीमा**

5228. **श्री भीमसिंह पटेल :**
**श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया :**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-पाक सीमा पर सड़कों के निर्माण, कांटेदार बाड़ लगाने और फ्लड लाइटिंग व्यवस्था से संबंधित कार्य पूरा हो गया है।

(ख) यदि नहीं, तो यह कब तक पूरा हो जाएगा;

(ग) इस संबंध में क्षेत्रवार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गये थे और 31 मार्च, 1994 तक क्या प्रगति हुई है;

(घ) 31 मार्च, 1994 तक इस पर कितनी धनराशि खर्च हुई और 1994-95 के लिए कितनी धनराशि नियत की गयी है;

(ङ) क्या सीमा पर बाड़ लगाने के कार्य में कुछ अड़चनें आ रही हैं, और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट)** : (क) और (ख) भारत-पाक सीमा पर 784 कि.मीटर में कांटेदार बाड़ लगाने और 806 कि.मीटर में फ्लड लाईट लगाने संबंधी कार्य पूरा किया जा चुका है। इसके अलावा, अभी हाल ही में अतिरिक्त 387 कि.मीटर क्षेत्र में कांटेदार बाड़ लगाने और फ्लड लाइट लगाने के कार्य को भी स्वीकृति दी गई है तथा यह कार्य 31-12-1996 तक पूरा हो जाने की आशा है। अभी हाल ही में स्वीकृत किये गये 150 कि.मीटर के सड़क संबंधी कार्य को भी 31-3-1995 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

(ग)

| | | लक्ष्य | पूरा किया गया कार्य |
|---|---|---|---|
| **राजस्थान सेक्टर** | | | |
| (I) | सड़क बनाने का कार्य | 150 कि.मीटर | 31-3-1995 तक पूरा होगा। |
| (II) | बाड़ लगाने का कार्य | 333 कि.मीटर | 333 कि.मीटर |
| (III) | फ्लड लाइट लगाने का कार्य | 345 कि.मीटर | 345 कि.मीटर |
| **पंजाब सैक्टर** | | | |
| (I) | बाड़ लगाने का कार्य | 451 कि.मीटर | 451 कि.मीटर |
| (II) | फ्लड लाइट लगाने का कार्य | 461 कि.मीटर | 461 कि.मीटर |

(घ) (I) सड़क बनाने, बाड़ लगाने और फ्लड लाइट लगाने के कार्यों पर दिनांक 31-3-1994 तक हुआ व्यय 276.92 करोड़ रुपये है।

(II) इन कार्यों के लिए वर्ष 1994-95 के लिए बजट अनुमान 79.95 करोड़ रुपये है।

(ङ) जी नहीं, श्रीमान्।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

**जैन-अग्रवाल समिति**

5229. **श्री संतोष कुमार गंगवार :**
**श्री गोविन्द राम मुंडा :**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने 1984 के दंगों से संबंधित जैन-अग्रवाल समिति की रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की है;

(ख) क्या सरकार का विचार दोषियों पर मुकदमे चलाने का है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद)** : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने सूचित किया है कि सरकार को चार वर्षों की अवधि के दौरान 35 भागों में जैन-अग्रवाल समिति की सिफारिशें प्राप्त हुई हैं। समिति की सिफारिशों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार द्वारा की गई जांच के आधार पर, न्यायालय में 142 मामले दायर किए गए हैं तथा समिति द्वारा की गई संवीक्षा के आधार पर हलफनामों में दर्शाए गए पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई आरम्भ की गई है।

**इंदिरा सागर परियोजना**

5231. **श्री फूल चंद वर्मा :**
**श्री महेंद्र कुमार सिंह ठाकुर :**

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से इंदिरा सागर परियोजना के कारण विस्थापितों के पुनर्वास हेतु विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) केंद्रीय सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन)** : (क) और (ख) पर्यावरणीय मूल्यांकन आवश्यकताओं के संदर्भ में इंदिरा सागर परियोजना का मूल्यांकन विश्व बैंक द्वारा पहली बार वर्ष 1984-85 में तथा दूसरी बार अक्तूबर, 1989 में किया गया था। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा :

(i) वास्तविक वित्तीय योजना;

(ii) पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अध्ययन, और

(iii) परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की व्यापक योजना बनाये जाने के बाद बैंक ने अपने ऋण उधार कार्यक्रम में परियोजना को पुनः शामिल करने पर विचार करने के लिए उल्लेख किया था।

(ग) मध्य प्रदेश सरकार से उपर्युक्त पहलुओं पर की गयी कार्रवाई की सूचना भेजने का अनुरोध किया गया है।

**ब्याज का भुगतान**

5232. **श्री हाराधन राय** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारियों और उनके नियोजकों से प्रति माह अर्जित किए जा रहे कोयला खनिक भविष्य निधि (सी.एम.पी.एफ.) अंशदान पर ब्याज के भुगतान की प्रक्रिया क्या है;

(ख) क्या कोयला खनिक भविष्य निधि (सी.एम.पी.एफ.) प्रधिकारी प्रति माह कर्मचारियों द्वारा योगदान तथा नियोजकों द्वारा अंशदान के आधार पर ब्याज का भुगतान करते हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

**कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा)** : (क) से (घ) कोयला खान भविष्य निधि योजना, 1948 के पैराग्राफ-61 में कोयला खान भविष्य निधि अंशदान ब्याज देने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इस नियम के अनुसार, कोयला खान भविष्य निधि अंशदान पर ब्याज प्रत्येक वित्तीय वर्ष में समाप्त हो रही प्रचालन अवधि के संबंध में न्यासी बोर्ड के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित दर पर सदस्य के खाते के अधशेष पर प्रचालन की अवधि के अंतिम दिन से देय होती है। उपर्युक्त सांविधिक व्यवस्था को देखते हुए कर्मचारियों तथा नियोक्ता के प्रत्येक माह के अंशदान के आधार पर ब्याज नहीं दिया जाता है।

ब्याज फालतू निधियों के निवेश से प्राप्त आय से दिया जाता है। निधि के फालतू निधियों का समय-समय पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित निवेश पद्धति के अनुसार निवेश किया जाता है। निवेश पद्धति के अनुसार निधि से कमाई गई औसत आय के कुल निवेश पर लगभग 12 प्रतिशत प्रति वर्ष है। अंशदाता के खाते में डाले जाने वाले ब्याज की वर्तमान निर्धारित दर भी 12 प्रतिशत प्रति वर्ष है।

विद्यमान निवेश से वर्तमान प्राप्तियों को स्थिर किया जाना है तथा इसमें प्रत्येक माह के अंशदान के आधार पर ब्याज का भुगतान करने के विचार से पूर्व वृद्धि की जानी है।

**[हिन्दी]**

**बचाव दल**

5233. **श्रीमती सरोज दुबे** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खानों में बचाव दल प्रायः दुर्घटना होने के काफी देर बाद पहुंचता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है कि बचाव और राहत दल दुर्घटना स्थल पर शीघ्र पहुंचे?

**कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा)** : (क) से (ग) बचाव दल, बचाव केन्द्र से बचाव गाड़ी के साथ खान में आपातकालीन सूचना प्राप्त होते ही संचलित हो जाते हैं। संचार प्रणाली जैसे दूरभाष/वी.एच.एफ./पेजिंग प्रणाली बचाव केन्द्र पर वर्ष के दौरान सभी दिवसों को 24 घंटे तैयार रखा जाता है। इस संबंध में विलंब बचाव केन्द्र तथा आपातकालीन स्थान की दूरी के बीच परिवहन संबंधी समयावधि पर ही निर्भर करता है।

बचाव केन्द्रों को आधुनिकीकृत करने तथा उनका पुनर्गठन किए जाने के संबंध में कदम उठाए गए हैं, ताकि किसी भी बचाव केन्द्र/कक्ष द्वारा सेवारत दूरस्थ खान की दूरी की सीमा को 35 कि.मी. के अंदर सीमित किया जा सके।

[अनुवाद]

**चकमा शरणार्थियों की स्वदेश वापसी**

5234. **डा. कार्तिकेश्वर पात्र :**
**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
**मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवनचन्द्र खण्डूरी :**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चकमा शरणार्थियों की स्वदेश वापसी के संबंध में भारत और बांग्लादेश के बीच हाल ही में एक मंत्रि स्तरीय बैठक कथालछारी में हुई थी;

(ख) यदि हां, तो दोनों दल के नेताओं के नाम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उसका क्या परिणाम रहा, और

(घ) क्या सरकार ने पहले स्वदेश लौटे चकमा शरणार्थियों के उपर्युक्त पुनर्वास की जानकारी प्राप्त की है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद)** : (क) से (ग) जी नहीं, श्रीमान्। चकमा शरणार्थियों के पहले बैच की बंगलादेश को वापसी के समय दिनांक 15 फरवरी, 1994 को एक छोटे समारोह का अयोजन किया गया था। अन्यों के साथ-साथ, समारोह में भारत की ओर से गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (राज्य), त्रिपुरा के राज्यपाल, मुख्य मंत्री तथा उनके मंत्रिमंडल के कुछ सहयोगियों तथा बंगलादेश की ओर से बंगलादेश के संचार मंत्री तथा बंगलादेश के कुछ सांसदों ने भाग लिया था।

(घ) चकमा शरणार्थी नेताओं का इस आशय की संतुष्टि के लिए कि बंगलादेश की सरकार ने उनके पुनर्वास के लिए उचित उपाय कर लिए गए हैं, त्रिपुरा राज्य सरकार के तीन अधिकारियों

सहित चकमा शरणार्थी नेताओं के एक दल ने बंगलादेश सरकार के परामर्श से 25 अप्रैल, 1994 से बंगलादेश के सी.एच.टी. क्षेत्र के दौरे का आयोजन किया गया है।

**कोयले की मांग और सप्लाई**

5235. **श्री परसराम भारद्वाज : क्या कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कोयले की राज्यवार अनुमानित मांग और खपत कितनी है;

(ख) इस समय देश में कोयले का अनुमानतः कितना उत्पादन होता है;

(ग) गत एक वर्ष के दौरान स्थानवार कितनी नई कोयला खानों का पता लगाया गया;

(घ) इन खानों में उत्पादन कब से शुरू हो जाएगा, और

(ङ) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

**कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा)** : (क) कोयले की मांग का आंकलन क्षेत्रवार किया जा रहा है, न की राज्यवार। किन्तु, वर्ष 1992-93 के दौरान कोल इंडिया लि. तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. से कोयले की राज्यवार आपूर्ति के संबंध में उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) वर्ष 1993-94 के दौरान अखिल भारतीय कोयला उत्पादन 246.03 मिलियन टन (अनंतिम) था।

(ग) से (ङ) वर्ष 1992-93 के दौरान खान आयोजन के विस्तृत भू-गर्भीय अन्वेषण का कार्य के.खा.आ.डि.सं.लि. में पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा असम राज्यों में स्थित विभिन्न कोयला क्षेत्रों के 86 ब्लाकों में आरंभ किया था। इसके अतिरिक्त, नई कोयला खानों का पता लगाने के लिए 1993-94 में गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र के 16 ब्लाकों में सिं.को.कं.लि. द्वारा विस्तृत अन्वेषण का कार्य भी किया गया था। लागत अनुमान के ब्यौरे तथा इनमें से कुछ खानों में कोयला उत्पादन शुरू हो जाने की समयावधि का निर्धारण केवल भू-भौतिक दस्तावेजों के पूर्ण होने तथा तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने पर ही किया जा सकता है।

**विवरण**

**कोल इंडिया लि. और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. के स्रोतों से राज्यवार कोयले की आपूर्ति**

(लाख टनों में)
(आंकड़ा अनंतिम)

| राज्य का नाम | 1992-93 |
|---|---|
| 1 | 2 |
| आंध्र प्रदेश | 243.28 |

| 1 | 2 |
|---|---|
| असम | 7.60 |
| बिहार | 208.70 |
| दिल्ली | 57.45 |
| गुजरात | 153.20 |
| हरियाणा | 46.35 |
| हिमाचल प्रदेश | 2.30 |
| जम्मू एवं कश्मीर | 1.19 |
| कर्नाटक | 41.10 |
| केरल | 3.46 |
| मध्य प्रदेश | 346.20 |
| महाराष्ट्र | 248.36 |
| उड़ीसा | 116.87 |
| पंजाब | 71.80 |
| राजस्थान | 52.23 |
| तमिलनाडु | 100.36 |
| उत्तर प्रदेश | 337.25 |
| पश्चिम बंगाल | 192.80 |
| अन्य | 8.14 |

[हिन्दी]

**दिल्ली में प्रापर्टी डीलरों की धोखाधड़ी**

5236. **श्री जनार्दन मिश्र** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने गत छः महीनों के दौरान प्रापर्टी डीलरों द्वारा धोखाधड़ी और जालसाजी के कई मामलों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे प्रापर्टी डीलरों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद)** : (क) से (घ) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि पिछले छह महीनों, अर्थात 1 अक्तूबर, 1993 से 31 मार्च, 1994 तक के दौरान दिल्ली के विभिन्न थानों में भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओं के अधीन ऐसे 15 मामले दर्ज किए गए हैं। इन 15 मामलों में से 4 मामले, न्यायालय में दायर किए गए हैं। इस संबंध में 21 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

**कच्चे तेल पर रॉयल्टी**

5237. **श्री काशीराम राणा :**
**श्री महेश कनोडिया :**
**श्रीमती भावना चिखलिया :**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने कच्चे तेल पर रॉयल्टी बढ़ाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा)** : (क) से (ग) 31-3-93 के बाद कच्चे तेल पर रायल्टी की दर के संशोधन हेतु असम और गुजरात सरकारों के अनुरोधों के परिणामस्वरूप कच्चे तेल पर रायल्टी के प्रति 528 रुपए प्रति मीट्रिक टन की बढ़ाई हुई दर पर वर्ष 1993-94 के लिए तत्काल भुगतान किया गया है। यह भुगतान रायल्टी की अंतिम दर की अधिसूचना पर समायोजन और क्रूड मूल्य को यथा समय अंतिम रूप दिए जाने के अधीन किया गया है।

**स्वास्थ्य पर प्लास्टिक का प्रतिकूल प्रभाव**

5238. **श्रीमती गिरिजा देवी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्लास्टिक थैलों में रखी खाद्य वस्तुओं का उपयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले, और

(घ) इस संबंध में जनता को चेतावनी देने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द)** : (क) खाद्य पदार्थों के लिए प्रयोग की जाने वाली पैकेजिंग सामग्री का मानक खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है। मानक के अनुरूप सामग्री स्वास्थ्य के लिए हानिकर नहीं है।

(ख) और (ग) सरकार के पास इस संबंध में कोई सूचना नहीं है।

(घ) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम तथा नियमों के प्रावधानों को कार्यान्वित करने तथा जागरूकता अभियान शुरू करने के लिए राज्य सरकारों के खाद्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गये हैं।

**चकमा शरणार्थी**

5239. **श्री लाईता उम्ब्रे** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरुणाचल प्रदेश के चकमा शरणार्थियों ने विगत में अरुणाचल प्रदेश की सरकार के विरुद्ध गुवाहटी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में मुकदमा दायर किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और न्यायालयों ने क्या निर्णय लिया है;

(ग) क्या सरकार ने न्यायालयों के निर्णय के अनुसार कोई कदम उठाये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) चकमा शरणार्थियों को अरुणाचल प्रदेश से कब तक स्वदेश वापस भेज दिया जायेगा?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद)** : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। अरुणाचल प्रदेश के चकमा शरणार्थियों ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय में मामला दायर किया था और बाद में उन्होंने उच्चतम न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की। उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में, लूईस डे राइड बनाम भारत संघ के मामले में दिए गए अपने पहले के फैसले को उद्धृत किया, जिसमें इसने अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय दिया था कि विदेशी नागरिक का "जीवन और स्वतंत्रता" का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 तक सीमित है और इसमें, इस देश में रहने और बस जाने का अधिकार शामिल नहीं है, जैसा कि अनुच्छेद 19(1)(ङ) में उल्लिखित है, जो कि केवल इस देश के नागरिकों पर ही लागू होता है।

(ग) से (घ) इन शरणार्थियों की नागरिकता के सवाल को नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5(1)(क) के अधीन हल किया जाना है। तथापि अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार ने नागरिकता नियमों के नियम 9 के अन्तर्गत आवश्यक सिफारिशें करने के बारे में कुछ कठिनाइयां व्यक्त की हैं।

**राजनैतिक शरण**

5240. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव :**
**श्री एस.बी. सिदनाल :**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तीन लाख से अधिक लोगों ने राजनैतिक शरण मांगी है;

(ख) यदि हां, तो ये लोग किन-किन देशों के हैं;

(ग) राजनैतिक शरण देने हेतु क्या मानदंड अपनाए जा रहे हैं;

(घ) 31 दिसम्बर, 1993 तक कितने लोगों को राजनैतिक शरण दी गयी है;

(ङ) ये लोग भारत में कब से रह रहे हैं, और

(च) इन लोगों को अपने-अपने देशों में भेजने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**गृह मंत्री (श्री एस.बी. चव्हाण)** : (क) से (च) भारत सरकार ने, गत समय में कुछ पड़ोसी देशों के राष्ट्रिकों को, उन देशों में हो रहे गृह-युद्ध और जातीय दंगों के कारण अस्थाई तौर पर देश में रहने की अनुमति दी है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, लगभग 89,000 तिब्बती, 54,000 चकमा (बंगलादेश से) 1,70,000 श्रीलंकाई और 20,000 अफगानी (अवस्यकों को छोड़कर) देश में रह रहे हैं।

सरकार इन विदेशी राष्ट्रिकों के देशों के साथ, निरन्तर बातचीत करके और उनके सहयोग से उन्हें वापस भेजने के लिए प्रयास कर रही है, जिन्होंने देश में शरण ली है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप श्रीलंकाई शरणार्थियों की वापसी शुरू हो गयी है और अब तक 39,603 श्रीलंकाई अपने देश वापस जा चुके हैं। इसी प्रकार त्रिपुरा में रह रहे चकमा शरणार्थियों की वापसी भी शुरू हो गयी है और अब तक 1854 चकमा बंगलादेश वापस जा चुके हैं। यह सुनिश्चित करने के समान प्रयास किए जा रहे हैं कि इसी प्रकार की परिस्थितियों में, जो अफगान राष्ट्रिक देश में रह रहे हैं, उन्हें स्वदेश वापस भेजने के लिए प्रोत्साहित और राजी किया जाये। जहां तक तिब्बतियों को वापस भेजे जाने का संबंध है, यह चीन के साथ दलाईलामा की बातचीत की प्रगति पर निर्भर करेगा।

**कच्चे तेल का उत्पादन**

5241. **डा. महादीपक सिंह शाक्य :**
**श्री गुमान मल लोढ़ा :**

**क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने पिछले कुछ महीनों से पूर्वोत्तर क्षेत्र में कच्चे तेल का उत्पादन स्थगित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) इसके परिणामस्वरूप कुल उत्पादन पर कितना असर पड़ने वाला है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा)** : (क) से (ग) उत्तर पूर्व क्षेत्र में आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन ने, कच्चे तेल के उत्पादन को बंद नहीं किया है, जबकि वहां अभिभावी पर्यावरणीय दशाओं के कारण प्रचालन प्रभावित हुए हैं। 1993-94 के दौरान बंधों/मोरचाबंदी/चोरी तथा तोड़-फोड़ के कारण .021 मिलियन टन तक तेल उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसके अतिरिक्त पिछले वर्ष (1992-93) के दौरान क्षेत्र में फैली पर्यावरणीय समस्याओं के कारण 1993-94 की शुरुआत में उपलब्ध आधार संभावना 0.266 मिलियन टन कम थी।

**स्मृति बढ़ाने वाली औषधियां**

5242. **डा. परशुराम गंगवार** : **क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्मृति और अध्ययन क्षमता को बढ़ाने में आयुर्वेदिक औषधियों की प्रभावोत्पादकता के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इसके क्या परिणाम रहे?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द)** : (क) से (ग) कतिपय औषधीय पादपों जैसे कि ब्राह्मी, मन्दुकपर्णी, ज्योतिष्मती की प्रभाविष्णुता का अध्ययन मेध्य रसायन के रूप में देश की विभिन्न अनुसंधान संस्थाओं में किया गया है। इन दवाओं के स्मरण एवं अध्ययन शक्ति को बढ़ाने में प्रभावपूर्ण होने की सूचना मिली है।

**दिल्ली में अपहरण किये गये व्यक्ति**

5243. **श्री नरेश कुमार बालियान :**
**श्री रामपाल सिंह :**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान दिल्ली में कितने लोगों का अपहरण किया गया, और

(ख) सरकार ने कितने व्यक्तियों को अपहरणकर्ताओं से छुड़वाया है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद)** : (क) दिनांक 1-10-93 से 31-3-94 तक की अवधि के दौरान 104 व्यक्तियों का अपहरण किया गया।

(ख) इन 104 अपहृत व्यक्तियों में से, 53 को पुलिस द्वारा मुक्त कराया गया, जबकि 13 व्यक्ति अपने आप वापस आ गये।

**पश्चिम बंगाल में रसोई गैस की सप्लाई**

5244. **श्री बीर सिंह महतो** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल में रसोई गैस की आवश्यकता और आपूर्ति संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा)** : पश्चिम बंगाल राज्य में वर्ष 1993-94 के दौरान एल.पी.जी. की आपूर्ति 149695 मी. टन की अनुमानित मांग की तुलना में 153852 मी. टन रही है। वर्ष 1994-95 के दौरान इस मांग के 166500 मी. टन होने का अनुमान है।

**नए कारागार**

5245. **श्री सत्यदेव सिंह :**
**श्री बृजभूषण शरण सिंह :**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में नई जेलों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है और इन कारागारों की प्रस्तावित क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ग) इनका निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा, और

(घ) इस कारागार के निर्माण की अनुमानित लागत का ब्यौरा क्या है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद)** : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार ने तिहाड़ जेल परिसर में दो अतिरिक्त जेलों (जेल सं. 5 और 6) का निर्माण करने का निर्णय किया है। प्रत्येक जेल की क्षमता 700 कैदियों को रखने की होगी। जेल सं. 5 के दिसम्बर, 1994 तक और जेल सं. 6 के 1998 तक निर्मित हो जाने की सम्भावना है।

(घ) इन जेलों के निर्माण की अनुमानित लागत 9,26,40,400 रु. के लगभग होगी।

**प्रति व्यक्ति कैलोरी की आवश्यकता**

5246. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति अधिकतम आवश्यक पोषाहार की मात्रा कितनी है, और

(ख) देश में 1991 की तुलना में इस पोषाहार की वर्तमान मात्रा की उपलब्धता की स्थिति क्या है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा)** : (क) हमारी जनसंख्या के लिए औसतन प्रति व्यक्ति दैनिक आवश्यकता 2(00) कैलोरी है।

(ख) स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में एक ग्रुप की हाल ही की रिपोर्ट का यह निष्कर्ष निकला है कि गत तीन वर्षों के दौरान औसतन प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता 2400 कैलोरी है।

**दमा अनुसंधान प्रकोष्ठ**

5247. **प्रो. सावित्री लक्ष्मणन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्थित वल्लभभाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट में कोई दमा अनुसंधान प्रकोष्ठ कार्यरत है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितने रोगियों का इलाज किया गया/जांच की गयी, और

(ग) इस अनुसंधान प्रकोष्ठ का कार्य-निष्पादन क्या रहा?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, दिल्ली का दमा अनुसंधान प्रकोष्ठ रोग के विभिन्न पहलुओं पर आधारभूत और व्यावहारिक अध्ययन करने में लगा हुआ है।

इस प्रकोष्ठ द्वारा की गई मूल वैज्ञानिक टिप्पणियों ने इस रोग की अन्तर्निहित तंत्र-प्रणाली स्पष्ट की है।

वैसे, यह अनुसंधान प्रकोष्ठ रोगियों की जांच और उपचार में नहीं लगा हुआ है।

**गुजरात राज्य बिजली बोर्ड पर बकाया राशि**

5248. **श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य बिजली बोर्ड पर कोयला सप्लाई के मद पर कुल कितनी राशि बकाया पड़ी है, और

(ख) पिछली बकाया राशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा)** : (क) 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार गुजरात विद्युत बोर्ड द्वारा कोल इंडिया लि. (को.इं.लि.) के आपूर्तित कोयले की देय बकाया राशि 160.99 करोड़ (अनंतिम) की थी।

(ख) सरकार/को.इं.लि. द्वारा विद्युत उपयोगिताओं की ओर देय बकाया राशि पर रोक लगाए जाने तथा वसूली किए जाने के लिए, अन्य बातों के अलावा, निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :

(1) विद्युत और कोयला मंत्रालय आवधिक रूप में दोषी राज्य विद्युत बोर्डों के साथ विचार-विमर्श कर रहे हैं, जिसमें गुजरात राज्य विद्युत बोर्ड भी शामिल है, ताकि वे को.इं.लि. की देय बकाया राशि का निपटारा कर सकें।

(2) राज्य विद्युत बोर्डों के को.इं.लि. की सहायक कंपनियों द्वारा आपूर्ति किए गए कोयले के लिए अप्रत्यादेय लेटर-आफ क्रेडिट खोले जाने के लिए अनुरोध किया जा रहा है।

(3) राज्य विद्युत बोर्डों से अप्रैल, 1994 की अवधि में मासिक औसत बिलों की 25 प्रतिशत अदायगी के माध्यम से बकाया राशि का निपटारा किए जाने की सलाह दी जा रही है।

**[हिन्दी]**

**गैसों की जांच**

5249. **श्री मंजय लाल** :
**श्रीमती गिरिजा देवी** :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला क्षेत्रों में घातक गैसों के परीक्षण में निर्दोष पक्षियों का प्रयोग किया जाता है;

(ख) क्या इस परीक्षण में सुरक्षित पक्षी "मैना" का प्रयोग होता है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

**कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा)** : (क) पारम्परिक प्रक्रिया के अनुसार भूमिगत खानों में कार्बन-मोनाक्साइड के खतरे के स्तर का पता लगाने के लिए पक्षियों का प्रयोग किया जाता है। भूमि के अंदर सामान्य हवा में कार्य करने वाले व्यक्तियों के साथ पक्षियों को रखा जाता है। सर्वप्रथम पक्षियों द्वारा व्याकुलता का प्रथम संकेत दिए जाने पर पक्षियों के साथ कामगार शुद्ध हवा में चले जाते हैं। प्रत्येक पाली में पक्षियों की बदली की जाती है। कोयला खान विनियमन, 1957 की धारा 119, 1(ख) तथा 2(घ)(1) तथा 121 भूमिगत कार्यकरण में कार्बन मोनोक्साइड की जांच किए जाने के लिए पक्षियों के उपयोग की अनुमति दी गई है।

(ख) ऐसे परीक्षण के लिए "मैना" का प्रयोग नहीं किया जाता है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

**[अनुवाद]**

**होम्योपैथिक दवाइयां**

5250. **श्री सूर्यनारायण यादव :**
**श्री रोशन लाल :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और दिल्ली से बाहर स्थित होम्योपैथी की डिस्पेंसरियों/एककों/भंडारों में होम्योपैथी फार्मूले के प्रत्येक समूह की अनेक आवश्यक होम्योपैथिक दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) सरकार द्वारा दिल्ली में और दिल्ली से बाहर स्थित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की डिस्पेंसरियों/एककों/भंडारों में सभी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा)** : (क) से (ग) अनिवार्य होमियोपैथिक औषधियों की प्रायः कोई कमी नहीं है। अनुपलब्ध औषधियां लाभर्थियों के लिए स्थानीय केमिस्टों से खरीदी जाती हैं।

**[हिन्दी]**

**बिहार में नलकूप**

5251. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में विश्व बैंक की सहायता से गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितने नलकूप लगाए गए;

(ख) इस प्रयोजनार्थ कितनी सहायता राशि दी गई;

(ग) क्या बिहार में और नलकूप लगाने का कोई प्रस्ताव है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन)** : (क) और (ख) विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) बिहार सार्वजनिक नलकूप परियोजना फेज-II के अन्तर्गत अधिक नलकूप लगाने के प्रस्ताव प्रारम्भिक चरण में हैं।

**विवरण**

| नलकूप लगाने का वर्ष | लगाए गए नलकूपों की संख्या | उपयोग की गयी सहायता राशि (मिलियन अमेरीकी डालर) |
|---|---|---|
| 1991-92 | 603 | 0.989 |
| 1992-93 | 1965 | 4.344 |
| 1993-94 | 580 | 0.292 |

**[अनुवाद]**

**महाजन आयोग**

5252. **श्री के.जी. शिवप्पा :**
**श्री के.एच. मुनियप्पा :**
**श्री वी. कृष्णराव :**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद पर महाजन आयोग ने किस वर्ष अपना प्रतिवेदन दिया था;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का महाजन आयोग की रिपोर्ट को कार्यान्वयन करने का विचार है;

(ग) क्या कर्नाटक की जनता इस रिपोर्ट के पूर्व कार्यान्वयन के लिए लगातार मांग करती रही है, और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद)** : (क) से (घ) इस मामले की जांच करने और इस पर अपनी सिफारिशें देने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1966 में महाजन आयोग का गठन किया था। एक सदस्ययी आयोग ने 1967 में अपनी सिफारिशें दे दी थीं। जबकि कर्नाटक सरकार

ने सिफारिशों को पूरी तरह स्वीकार कर लिया था, परन्तु महाराष्ट्र सरकार ने उनको स्वीकार नहीं किया था। तत्पश्चात्, मामले को सुलझाने के लिए समय-समय पर प्रयास किए गए हैं। तथापि, दोनों राज्य सरकारों के बीच अभी भी मतभेद बने हुए हैं। भारत सरकार का विचार है कि मामला निश्चित रूप से द्विपक्षीय है तथा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा इसे बातचीत और आपसी समझ-बूझ से हल करना होगा। भारत सरकार इस संबंध में दोनों राज्य सरकारों को आवश्यक सहायता देने के लिए तैयार है।

**आयोडीन युक्त नमक**

5253. **श्री मोहन रावले** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न कम्पनियों द्वारा बाजार में सप्लाई किए जाने वाले आयोडीन युक्त नमक के नमूनों को गुणवत्ता जांच के लिए कभी प्रयोगशाला परीक्षण हेतु भेजा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) बाजार में उपलब्ध आयोडीन युक्त नमक के प्रयोगशाला परीक्षण के क्या परिणाम निकले?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द)** : (क) से (ग) विभिन्न नमक उत्पादन केन्द्रों में स्थित आयोडिकरण प्लांटों से उठाए गए नमक के नमूनों की जांच नमक विभाग द्वारा स्थापित प्रयोगशालाओं में की जाती है। वर्ष 1992 में 17,201 नमूनों में से 2088 नमूने तथा 1993 में 39,287 नमूनों में से 6240 नमूने घटिया स्तर के पाए गए।

**[हिन्दी]**

**जनजातियों का कल्याण**

5254. **श्री सोमजीभाई डामोर** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनजातियों के प्रतिनिधियों से परामर्श किये बिना गैर-जनजातियों को जनजातियों में शामिल किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) जनजातीय महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए कौन-कौन सी परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं;

(घ) जनजातीय लोगों को कल्याण मंत्रालय के उद्देश्यों और कार्यकलापों की जानकारी किस माध्यम से दी जाती है;

(ङ) क्या कुछ स्वयंसेवी संगठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के कार्यान्वयन हेतु कोई स्कूल चला रहे हैं,

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(छ) उनके धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक विकास के लिए कौन-सा कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है?

**कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्कावालू)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) महिलाओं तथा बच्चों के विकास के लिए महिला तथा बाल विकास विभाग विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं की क्रियान्वित कर रहा है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत देश की आदिवासी महिलाएं तथा बच्चे भी आते हैं। कल्याण मंत्रालय निम्न साक्षरता वाले पाकेटों में आदिवासी महिलाओं के विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत गैर-सरकारी स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से एक योजना का क्रियान्वयन कर रहा है।

(घ) कल्याण मंत्रालय द्वारा रेडियो जैसे जन संचार के जरिये विभिन्न योजनाओं का प्रचार किया जाता है।

(ङ) और (च) संविधान का अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबद्ध है तथा अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना तथा शासन के अधिकार से संबंधित है। कल्याण मंत्रालय के पास स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है। कुछ विख्यात संगठन जैसे रामकृष्ण मिशन, अखित भारतीय आदिवासी विकास परिषद्, नई दिल्ली, स्वामी विवेकानन्द युवक आन्दोलन, मैसूर आदि आदिवासी क्षेत्रों मे शैक्षिक संस्थान चला रहे हैं।

(छ) संस्कृति विभाग तथा कल्याण मंत्रालय आदिवासियों की संस्कृति तथा भाषा के परिरक्षण के लिए विभिन्न कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहे हैं। आदिवासी लोगों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संगोष्ठियां तथा कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। आदिवासी शिल्पकारी के परिरक्षण के लिए राज्य आदिवासी अनुसंधान संस्थान के पास आदिवासी संग्रहालय है। आदिवासियों की कला तथा संस्कृति के परिरक्षण पर कार्य करने के लिए संस्कृति विभाग ने भोपाल में एक स्वायत संगठन नामतः मानव संग्रहालय भी स्थापित किया है। भारतीय भाषा विज्ञान संस्थान, मैसूर आदिवासी बोलियों संबंधी कार्य में लगा हुआ है।

**पेट्रोल खुदरा विक्रय केन्द्रों और रसोई गैस एजेंसियों का आबंटन**

5255. **श्रीमती दिल कुमारी भंडारी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पेट्रोल खुदरा विक्रय केन्द्रों, मिट्टी तेल की दुकानों और रसोई गैस एजेंसियों के आबंटन के लिए कोई मानदंड निधारित किए हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भूतपूर्व सैनिक, विधवाएं और युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाएं भी इन मानदंडों के अंतर्गत आती हैं;

(घ) क्या सिक्किम में पिछले तीन वर्षों के दौरान इस श्रेणी के किसी एक भी व्यक्ति को ऐसी कोई एजेंसी आबंटित कही गई है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा)** : (क) और (ख) वर्तमान नीति के अनुसार तेल चयन बोर्डों की सिफारिश पर तेल कम्पनियों द्वारा डीलरशिपें/डिस्ट्रीब्यूटरशिपें आबंटित की जाती हैं। उम्र, योग्यता, आय, आवासीय और अन्य डीलरशिप संबंधी मानदंडों सहित पात्रता संबंधी मानकों को पूरा करने वाले व्यक्तियों से आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। विभिन्न श्रेणियों हेतु आरक्षण की निम्नानुसार व्यवस्था है :

| | | |
|---|---|---|
| अ.जा./अ.ज.जा. | - | 25 प्रतिशत |
| शारीरिक विकलांग | - | 7-½ प्रतिशत |
| प्रतिरक्षा | - | 7-½ प्रतिशत |
| स्वतंत्रता सेनानी | - | 5 प्रतिशत |
| खुली | - | 55 प्रतिशत |

(ग) जी, हां। ये प्रतिरक्षा श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

**[हिन्दी]**

**जल नीति का कार्यान्वयन**

5256. **श्री गुमान मल लोढा :**
**श्री नीतीश कुमार :**

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 मार्च, 1994 के "फाइनेन्सियल एक्सप्रेस" में "पूअर मैनेजमेंट कॉज ऑफ डिले इन वाटर पॉलिसी इम्पलीमेटेशन" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं, और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राज्य सरकारें समय-समय पर जारी निदेशों के अनुसार राष्ट्रीय जल नीति का क्रियान्वयन कर रही हैं।

**रसोई गैस कनेक्शन**

5257. **श्री छेदी पासवान :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैस अधिकारियों ने संसद सदस्यों द्वारा गैस कनेक्शन हेतु अनुरोध किए जाने के बावजूद संबंधित व्यक्तियों/संसद सदस्यों को जनवरी, 1992 से जून, 1993 तक रसोई गैस कनेक्शन के लिए आवश्यक स्वीकृति पत्र नहीं जारी किए हैं;

(ख) ऐसे कितने मामले हैं, जिनमें संसद सदस्यों को रसोई गैस कनेक्शन जारी करने की सूचना भेज दी गई है और वास्तव में कनेक्शन नहीं दिए गए हैं, और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) :** (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

**पेट्रोल और डीजल में मिलावट**

5258. **श्री रामसिंह कस्वां :**
**श्री छीतूभाई गामीत :**
**श्री बलराज पासी :**
**श्री के. प्रधानी :**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92 और 1992-93 के दौरान सरकार के ध्यान में पेट्रोल और डीजल में मिलावट के राज्यवार कितने-कितने मामले आए हैं;

(ख) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई, और

(ग) भविष्य में ऐसी अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) :** (क) और (ख) सरकार के ध्यान में आए पेट्रोल और डीजल में मिलावट के मामलों की वर्ष 1991-92 और 1992-93 की राज्यवार संख्या और उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) पेट्रोल और एच.एस.डी. में मिलावट का पता लगाने/रोकथाम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं :

1. क्षेत्र अधिकारियों द्वारा निरीक्षण;
2. संयुक्त उद्योग दलों द्वारा किए जाने वाले निरीक्षण;

3. तेल कम्पनियों की चल प्रयोगशालाओं द्वारा किए गए निरीक्षण;

4. तेल कम्पनियों और राज्य सरकारों के एम.एस./एच.एस.डी. नियंत्रण आदेश 1990 में निर्धारित किए अनुसार कम से कम निरीक्षक के पद के अधिकारियों द्वारा घनत्व जांच;

5. ऐनिलीन परीक्षण द्वारा केरोसीन के साथ एम.एस. की मिलावट का पता लगाने के लिए फरफ्यूरल डोण्ड केरोसीन परीक्षण;

6. दोषी डीलरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई;

**विवरण**

| क्रम संख्या | राज्य का नाम | मामलों की संख्या | की गई कार्रवाई |
|---|---|---|---|
| 1. | महाराष्ट्र | 3 | सभी मामलों में डीलरशिपें समाप्त कर दी गईं। |
| 2. | उड़ीसा | 3 | |
| 3. | कर्नाटक | 1 | डीलरशिप समाप्त कर दी गई |
| 4. | उत्तर प्रदेश | 1 | |
| 5. | हरियाणा | 1 | |

**[अनुवाद]**

**एड्स के लिए टीके**

5259. **श्री दत्तात्रेय बंडारू :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में कितने एड्स रोगी हैं;

(ख) किस आयु वर्ग के लोग एड्स से ज्यादा प्रभावित हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने एड्स का प्रभावी उपचार करने हेतु किसी टीके का विकास करने के लिए प्रयास शुरू किये हैं, और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) :** (क) 31 मार्च, 1994 तक देश में सूचित 713 रोगियों में से 24 रोगी पूर्वोत्तर राज्यों के हैं।

(ख) 12-45 वर्ष।

(ग) और (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान, पुणे तथा जोन्स हॉपकिन्स विश्वविद्यालय, बाल्टीमोर मेरी लैंड यू.एस.ए. के बीच पेव (प्रिपरेशन फार एड्स वैक्सीन इवेल्यूशन) नामक एक सहयोगी परियोजना शुरू की है। यद्यपि इसका सीधा उद्देश्य एड्स की कोई वैक्सीन विकसित करना नहीं है, फिर भी यह एच.आई.वी. संक्रमण के जानपदिक रोग विज्ञान संबंधी आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण, प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण तथा अध्ययन भारत में व्याप्त एच.आई.वी. की विषाणु के लक्षण वर्णन के लिए साधन जुटाता है।

[हिन्दी]

**कोयले की चोरी**

5260. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सुरक्षा अधीक्षक द्वारा मारे गए छापे में कोल इंडिया लि. के परिसर में स्थित रेलवे साइडिंग में कोयले से लदे सताईस ट्रक जब्त किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में जांच कराने का है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा)** : (क) और (ख) (i)एक/दो अप्रैल, 1994 की रात को बरमों पुलिस ने 10-ए साइडिंग धोरी कोलियरी, सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. के समीप कोयले से भरे 24 ट्रक पकड़े। प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस द्वारा दर्ज कर ली गई है।

(ii) 2-4-1994 को वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने वी. एंड के. कारगली, सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. में 3 ट्रक पकड़े थे। गांधी नगर पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

(ग) और (घ) चूंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है और इस प्रकार यह मामला पुलिस के पास है, अतः इस स्थिति में विभागीय कार्रवाई किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

**तेल के कुएं**

5261. **श्री चेतन पी.एस. चौहान :**
**श्री कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में वर्ष 1993 के दौरान कितने नये तेल कुओं का पता लगाया गया;

(ख) इन कुओं की खुदाई पर कितना खर्च हुआ;

(ग) उनसे अनुमानतः कितना तेल और प्राकृतिक गैस मिलने की सम्भावना है,

(घ) इस समय कितने तेल कुएं अनुपयुक्त हैं तथा वे इस स्थिति में कब से हैं,

(ङ) क्या सरकार ने इन कुओं को पुनः शुरू करने की कोई योजना बनायी है, और

(च) यदि हां, तो स्थानों के नाम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा)** : (क) देश में 1993 के दौरान 63 नए अन्वेषण कूपों में तेल मिला।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) इन कूपों के भंडारों का मूल्यांकन किया जा रहा है।

(घ) 01-04-94 तक 901 कूप अप्रयुक्त स्थिति में थे। इनमें से 397, 6 माह से कम समय से अप्रयुक्त थे और 504, 6 माह से अधिक समय अप्रयुक्त थे।

(ङ) जी, हां।

(च) इनमें से कुछ उपाय हैं–वर्क ओवर रिगों की संख्या को बढ़ाना और उन्हें चौबीसों घंटे काम पर लगाना, संभार-तंत्र और अन्य सहायता के माध्यम से बढ़ाई हुई वर्कओवर दक्षता, कूप उत्प्रेरण संबंधी प्रयासों को बढ़ाना, कृत्रिम उठान, जल/गैस शट आफ कार्यों और अन्य वर्कओवर प्रचालनों के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी/औजारों का अनुप्रयोग, रेडियन/ड्रेन छिद्र वेधन का प्रयोग आदि। यह कूप असम, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, नागालैंड, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु तटीय और बम्बई अपतटीय क्षेत्र में स्थित हैं।

**मेडिकल कालेज**

5262. **श्री शिवराज सिंह चौहान** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश और गुजरात में इस समय कितने सरकारी और निजी मेडिकल कालेज हैं;

(ख) क्या उक्त राज्यों में मेडिकल कालेज खोलने के लिए राज्य सरकारों/गैर सरकारी संस्थानों ने केन्द्रीय सरकार से अनुमति ली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द)** : (क) गुजरात में 5 सरकारी और 1 गैर सरकारी मेडिकल कालेज हैं तथा मध्य प्रदेश में 6 सरकारी मेडिकल कालेज हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

**कोयले का आवंटन**

5263. **श्री लाल बाबू राय** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले का आवंटन, आयोजना अथवा अनुमान अथवा दोनों के आधार पर किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रक्रिया का आधार और स्वरूप क्या है;

(ग) इसके लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) क्या किसी अधिकारी को इन प्रक्रियाओं में अनियमितता बरतने का दोषी पाया गया है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा)** : (क) से (ङ) उपभोक्ताओं को व्यक्तिगत रूप में कोयले की मात्रा तथा गुणवत्ता में आपूर्ति किए जाने के संबंध में निर्णय बॉयलरों तथा अन्य उपकरणों के विशिष्ट मानदंडों के आधार पर लिया जाता है और संयोजित समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार तद्नुसार उपयुक्त स्रोत से कोयले की आपूर्ति की व्यवस्था की जाती है। कोयले के आवंटन/प्रेषण, आदि के संबंध में जब भी अनियमितताओं के बारे में शिकायतें मिलती हैं, उनकी जांच की जाती है। इस संबंध में कार्रवाई, जिसमें विभागीय कार्रवाई किया जाना/अभियोजन शुरू किया जाना शामिल है, जिन मामलों में शिकायतें प्राप्त होती हैं, उनमें कार्रवाई की जाती है। कोल इंडिया लि॰ (को॰इं॰लि॰) के सतर्कता प्रभाग द्वारा प्रस्तुत की गई अंतिम सूचना के अनुसार दो मामले अभियोजन के अधीन थे, जबकि 16 मामले नियमित विभागीय कार्रवाई के अंतर्गत लंबित थे, जोकि रिपोर्ट किए जाने के समय कोयले की बिक्री की अनियमितताओं से संबद्ध थे।

**[अनुवाद]**

**रिक्त पद**

5264. **श्री जार्ज.फर्नान्डीज :**
**डा. असीम बाला :**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित 400 से भी अधिक अधिकारी श्रेणी के पदों को भरने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इन पदों को भरने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मामले की आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन के परामर्श से जांच की जा रही है।

**एच.आई.वी. संक्रमण**

5265. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**
**श्री डी. वेंकटेश्वर राव :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी चिकित्सा कर्मियों और अर्द्ध-चिकित्सा कर्मियों को एच.आई.वी. संक्रमण से बचाने हेतु कोई योजना बनाई है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द)** : (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने अस्पताल से होने वाले संक्रमणों के नियंत्रण के लिए सभी केन्द्रीय अस्पतालों, राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों के अनुपालन से चिकित्सीय तथा पराचिकित्सीय कार्मिकों को एच.आई.वी. संक्रमण सहित किसी संक्रमण का खतरा नहीं रहता।

**विद्यालय स्वास्थ्य योजना**

5266. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चंडीगढ़ संघ राज्य प्रशासन ने विद्यालय स्वास्थ्य योजना को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इस संबंध में कितनी धनराशि खर्च हुई;

(ग) क्या स्वैच्छिक संगठनों को योजना के साथ संबद्ध किया गया है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा)** : (क) और (ख) चंडीगढ़ प्रशासन ने प्राथमिक स्कूल के छात्रों की स्वास्थ्य परीक्षा के लिए तीन एकक/दल बनाए हैं। पिछले 3 वर्षों के दौरान किये गये व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है :

| | | |
|---|---|---|
| (i) 1991-92 | – | 15.26 लाख रुपये |
| (ii) 1992-93 | – | 16.94 लाख रुपये |
| (iii) 1993-94 | – | 17.55 लाख रुपये |

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

**मोबाइल ब्रांड के ल्यूब्रिकेंट**

* 5267. **श्री शंकर सिंह वाघेला** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में मोबाइल ब्रांड के ल्युब्रिकैंट्स के उत्पादन के लिए भारतीय तेल निगम ने अमेरिका के मोबाइल पेट्रोलियम कम्पनी इंक के साथ इंडो मोबाइल (प्रा.) लि. नामक संयुक्त उद्यम कम्पनी खोलने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं, और

(ख) यदि हां, तो उसके शर्तों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा)** : (क) जी, हां।

(ख) इंडियन आयल कारपोरेशन के बम्बई, मद्रास और कलकत्ता स्थित वर्तमान मिश्रण संयंत्रों में स्नेहकों के मिश्रण कार्य के अतिरिक्त संयुक्त उद्यम कम्पनी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए 47 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर हरियाणा में असौती में 1,50,000 मीट्रिक टन क्षमता वाला मिश्रण संयंत्र भी स्थापित करेगी। मध्य 1996 तक संयंत्र आरम्भ किए जाने की संभावना है। करार आरम्भ में 10 वर्ष के लिए है और संयुक्त उद्यम द्वारा फैक्टरी तक निवल विक्रय हेतु 3 प्रतिशत की दर पर रायल्टी देय होगी।

**सरदार सरोवर परियोजना**

5268. **श्री शंकर सिंह वाघेला** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरदार सरोवर परियोजना का पानी कब तक गुजरात की मुख्य नहर में बहने लगेगा;

(ख) इस परियोजना पर अभी तक कितनी धनराशि खर्च हुई है और इसके शेष कार्य को पूरा करने के लिए घटकवार अनुमानतः कितनी धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी, और

(ग) अभी तक तैयार परियोजना की ऊंचाई का स्तर क्या है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन)** : (क) सरदार सरोवर परियोजना के दिसम्बर, 1989 (संशोधित) क्रियान्वयन कार्यक्रम के अनुसार, जून, 1995 तक सरदार सरोवर बांध से जल मुख्य नहर में छोड़ने का कार्यक्रम है।

(ख) फरवरी, 1994 के अंत तक सरदार सरोवर परियोजना पर 3047.69 करोड़ रुपये का कुल व्यय हुआ है। वर्ष 1986-87 के मूल्य स्तर पर परियोजना के विभिन्न घटकों की अनुमानित लागत की व्यय न की गई शेष राशि निम्न प्रकार है :

| यूनिट | घटक | राशि (करोड़ रुपये) |
|---|---|---|
| I | बांध एवं सम्बद्ध कार्य | 124.47 |
| II-क | मुख्य नहर | 611.91 |
| II-ख | शाखाएं और वितरण प्रणालियां | 2224.12 |
| III | विद्युत | 590.77 |

परियोजना के प्राक्कलन को संशोधित नहीं किया गया है।

(ग) सरदार सरोवर बांध के सबसे नीचे के ब्लाक की ऊंचाई को 69 मीटर के एलीवेशन स्तर तक बढ़ाया गया है।

**ऊपरी तुंग परियोजना**

5269. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :** क्या **जल संसाधन मंत्री** 23 दिसंबर, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3460 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने ऊपरी तुंग परियोजना की स्वीकृति करने हेतु अनेक तकनीकी आर्थिक विवाद हल कर लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने उक्त परियोजना को स्वीकृति दे दी है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या कर्नाटक सरकार ने उक्त परियोजना के लिए विश्व बैंक से सहायता लेने हेतु केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(च) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन)** : (क) से (ग) प्राप्ति श्रृंखला, फसल पैट्रन तथा नहर डिजाइनों को कमोवेश परियोजना प्राधिकारियों द्वारा हल किया गया है। उन्हें सिंचाई आयोजना अध्याय प्रस्तुत करना है, केन्द्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधानशाला से आधार का परीक्षण करवाना है, पर्यावरण और वन मंत्रालय से पर्यावरणीय व वन स्वीकृतियों के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने हैं तथा लागत प्राक्कलनों को अद्यतन करना है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

**[हिन्दी]**

**गुजरात में भारत-पाक सीमा पर हथियार जब्त किया जाना**

5270. **श्री छीतूभाई गामीत :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत चार महीनों के दौरान गुजरात में भारत-पाक सीमा पर पाकिस्तान तथा अन्य देशों से तस्करी से लाए गए आर.डी.एक्स. सहित गोला बारूद और हथियार जब्त किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन वस्तुओं की संख्या/मात्रा, प्रकार और अनुमानित मूल्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, और

(घ) ऐसे मामलों को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

**गृह मंत्री (श्री एस.बी. चव्हाण)** : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) तस्करी/घुसपैठ की रोकथाम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(i) सीमा सुरक्षा बल विस्तार योजना के तहत सीमा चौकियों के बीच की दूरी को कम करने के लिए अतिरिक्त बटालियनें स्वीकृत की गई हैं।

(ii) गश्त/नाकाओं को सुदृढ़/गहन बनाया गया है।

(iii) जीप और मोटर साइकिलें उपलब्ध कराकर सीमा गश्त को गहन कर दिया गया है।

(iv) सीमा पर चौकसी बढ़ाने के लिए दूरबीनें, धूप चश्में, ट्रविन टेलीस्कोप, पी.एन.वी. दूरबीनें तथा हाथ में रखी जाने वाली सर्च लाईटें उपलब्ध कराई गई हैं।

(v) नदी के तटवर्ती/संकरी खाड़ी क्षेत्रों में नौका/मोटर वोट उपलब्ध कराई गई है।

(vi) निगरानी बुर्जों का निर्माण किया गया है।

(vii) आसूचना तंत्र को सुदृढ़ बनाया गया है।

**[अनुवाद]**

**तेल परियोजनाएं**

5271. **डा. असीम बाला** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड और तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ नई योजनाएं शुरू की गयी हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक कितनी योजनाएं पूरी हो जाएंगी?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा)** : (क) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) एच.बी.जे. विस्तार और पुनरुत्थान परियोजना और गैस अथारिटी आफ इंडिया लि. के उसार में एल.पी.जी. संयंत्र, तथा तेल और प्राकृतिक गैस कारपोरेशन के एस-1 बालू विकास और दक्षिण-हीरा चरण-2 विकास को सरकार द्वारा हाल ही में अनुमोदित किया गया है।

(घ) एच.बी.जे. विस्तार और पुनरुत्थान के अलावा विवरण में उल्लिखित परियोजनाओं को 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक पूरा किए जाने का कार्यक्रम है।

**विवरण**

**गैस अथारिटी आफ इंडिया लि.**

1. यू.पी. पेट्रोकेमिकल्स, औरेया
2. एच.बी.जे. विस्तार और पुनरुत्थान परियोजना
3. एल.पी.जी. संयंत्र, लकवा
4. एल.पी.जी. संयंत्र, उसार
5. प्रोपेन रिकवरी परियोजना, विजयपुर
6. राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, के.जी. बेसिन और कावेरी बेसिन में पाइपलाइन परियोजनाएं

**आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन**

1. नीलम विकास
2. बम्बई हाई साऊथ में संवर्धित तेल रिफाइनरी परियोजना (एल-3 इन्फिल)
3. बम्बई हाई नार्थ में एल-2 विकास
4. दक्षिण हीरा (आर-15 ए) चरण-1 विकास
5. दक्षिण हीरा चरण-2 विकास
6. हजीरा में तट टर्मिनल सुविधाओं का विकास और द्वितीय बेसिन हजीरा ट्रंकलाइन
7. आई.सी.पी. हीरा ट्रंक लाइन परियोजना
8. बम्बई हाई में एस-1 बालू विकास
9. पन्ना क्षेत्र विकास (केवल पी.-बी., डी., ई.)
10. बी.एच.-22
11. बी.एच.-25
12. गंधार विकास चरण-2

**पेट्रोल खुदरा बिक्री केन्द्र और एल.पी.जी. एजेंसियां**

5272. **श्री शिवलाल नागजी भाई वेकारिया** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993 के दौरान समाचार पत्रों में जारी विज्ञापनों के आधार पर आवंटित एल.पी.जी. एजेंसियों और पेट्रोल खुदरा बिक्री केन्द्रों का ब्यौरा क्या है, और

(ख) मंत्री महोदय के स्वेच्छानिर्णीत कोटा से कितने एल.पी.जी. एजेंसियां और पेट्रोल खुदरा बिक्री केन्द्र आवंटित किये गये तथा ऐसा आवंटन करने के आधार क्या हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा)** : (क) जनवरी से दिसम्बर, 1993 की अवधि के दौरान तेल चयन बोर्डों के माध्यम से, विज्ञापनों के आधार पर 160 एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप और 578 खुदरा बिक्री केन्द्र की डीलरशिपें आवंटित की गईं।

(ख) जनवरी से दिसम्बर, 1993 की अवधि के दौरान सरकार के विवेकाधिकारों के अन्तर्गत अनुकम्पा आधार पर 74 एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें और 58 खुदरा बिक्री डीलरशिपें आवंटित की गईं।

## संयुक्त समिति

5273. **श्री एस.एम. लालजान बाशा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन समितियों में उनके मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि संयुक्त रूप से कार्य करते हैं;

(ख) क्या ऐसी समितियों की देख-रेख में चलने वाले कार्यक्रमों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन कोई निधि प्रधान करता है, और

(ग) उनके मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित सभी नीतियों का ब्यौरा क्या है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द)** : (क) भारत सरकार/विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यक्रमों पर संयुक्त परामर्श निम्नलिखित समितियों के माध्यम से किया जाता है :

(i) भारत सरकार/विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त समन्वय समिति;

(ii) कार्यक्रम विकास तथा प्रबंधन संबंधी परामर्श दात्री समिति;

(iii) क्षेत्रीय समिति।

(ख) जी हां, महोदय।

(ग) सरकार देश की आवश्यकताओं के अनुकूल अपनी स्वास्थ्य नीतियां तैयार करती है। ऐसा करते समय सरकार विशेषज्ञों के विभिन्न नीतिगत सुझावों को, जो कि देश के स्वास्थ्य क्षेत्र से संबद्ध हों, ध्यान में रखती है।

**[हिन्दी]**

## कमीशन में वृद्धि

5274. **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रसोई गैस वितरक परिसंघ ने सरकार से अपने कमीशन में वृद्धि की मांग की है, और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा)** : (क) और (ख) सरकार ने 01-09-93 की प्रभावी तिथि से एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरों की कमीशन संशोधित करके पहले ही बढ़ा दी है।

**।अनुवाद।**

**नूनमती तेल शोधक कारखाने में आग लगने की घटनाएं**

5275. **श्री प्रवीन डेका** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1994 को समाप्त होने वाले गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष नूनमती तेल शोधक कारखाने में आग लगने की कितनी घटनाएं हुईं;

(ख) इससे घटनावार कितनी धनराशि की क्षति हुई, और

(ग) सरकार ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाये हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा)** : (क) 31 मार्च, 1994 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के दौरान नूनमती रिफाइनरी में अग्निकांड की एक छोटी घटना घटी थी।

(ख) इस अग्निकांड की वजह से करीब 0.45 लाख रुपये की वित्तीय क्षति हुई।

(ग) इस प्रकार के अग्निकांडों को रोकने हेतु सरकार द्वारा तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय के माध्यम से उपाय किए गए हैं, जिनमें समस्त तेल कंपनियों को बड़े अग्निकांड के कारणों के विश्लेषण हेतु सुझाव देना, निरीक्षण अनुरक्षण तथा प्रचालन संबंधी प्रक्रियाओं को सुनिश्चित तौर पर और सशक्त बनाने तथा जहां जरूरी हो, वहां उपचारी उपाय के लिए बहु-विशेषज्ञ दलों द्वारा आवधिक तौर पर विशेष सुरक्षा जांच किया जाना शामिल है।

**मधुमेह नियंत्रण कार्यक्रम**

5276. **श्री हरिन पाठक** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष मधुमेह के कितने मामलों का पता चला है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान मधुमेह नियंत्रण कार्यक्रम पर कुल कितना व्यय किया गया है, और

(ग) इस रोग की रोकथाम और नियंत्रण करने के लिए कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा)** : (क) ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) गत 2 वर्षों के दौरान कोई आवंटन नहीं किया गया है। चालू वर्ष के दौरान एक मार्गदर्शी परियोजना तैयार करने का विचार है।

**तम्बाकू पर स्वास्थ्य संबंधी विधेयक**

5277. **श्री प्रकाश वी. पाटील** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तम्बाकू पर स्वास्थ्य संबंधी विधेयक का प्रारूप सभी राज्य सरकारों को उनकी टिप्पणी और स्वीकृति के लिए भेजा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है, और

(घ) इस विधेयक को तम्बाकू उत्पादक संगठनों को भी भेजने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा)** : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

**[हिन्दी]**

**अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए छात्रावास**

5278. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए निर्मित होने वाले प्रति छात्रावास पर किए जाने वाले व्यय की अधिकतम सीमा कितनी है;

(ख) छात्रावासों की वर्तमान निर्माण लागत कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस सीमा को बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्कावालू)** : (क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लड़कों और लड़कियों के लिए होस्टलों की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत निर्धारित प्रति संवासी निर्माण की उच्चतम सीमा लागतें निम्नलिखित हैं :

(रुपये में)

| | होस्टल का प्रकार | मैदानी क्षेत्र | पहाड़ी क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| 1. | केवल आवास सहित | 14,620 | 17,700 |
| 2. | आवास तथा सहायक सुविधाएं (भोजन कक्ष, रसोई घर इत्यादि) | 20,220 | 24,500 |

(ख) निर्माण की वास्तविक लागत स्थिति के अनुसार अलग-अलग होगी। तथापि, इन योजनाओं के तहत उच्चतम सीमा लागतों में गत 1-4-91 से संशोधन किया गया था और तभी से होस्टलों की निर्माण लागत में औसतन 38% की वृद्धि आंकी गई है।

(ग) से (ड) होस्टलों के निर्माण के लिए प्राक्कलन तैयार करने हेतु सी.पी.डब्ल्यू.डी. अनुसूची दरों के बजाए अपने-अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के पी.डब्ल्यू.डी. अनुसूची दरें अपनाने के लिए एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

**उत्तर प्रदेश में नलकूप लगाना**

5279. **श्री हरि केवल प्रसाद** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में विश्व बैंक की सहायता से लगाए गए सार्वजनिक नलकूपों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विश्व बैंक ने इस संबंध में कुल कितनी सहायता दी है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश में विश्व बैंक की सहायता से और नलकूप लगाने का कोई प्रस्ताव है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन)** : (क) और (ख) विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना नामशः उत्तर प्रदेश सार्वजनिक नलकूप परियोजना को अब दो चरणों में पूरा किया गया है, जिसके तहत 125 मिलियन अमेरीकी डालर की कुल बैंक सहायता से 3941 नलकूप स्थापित किए गये हैं, 468 नलकूपों का आधुनिकीकरण किया गया है और 390 नलकूपों को समर्पित पोषक के साथ जोड़ा गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**[अनुवाद]**

**गैस पाइप लाइन बिछाना**

5280. **श्री जी.एम.सी. बालयोगी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आन्ध्र प्रदेश के के.जी. परियोजना क्षेत्र से अन्य भागों तक कोई गैस पाइप लाइन बिछाने जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गैस पाइप लाइनें बिछाने के लिए कोई धनराशि आवंटित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा)** : (क) से (ङ) गैस अथारिटी आफ इंडिया लि. के.जी. बेसिन क्षेत्र में निम्नलिखित विवरण के अनुसार पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव करता है :

| | नाम | पूरा होने का अनुमानित कार्यक्रम | अनुमानित लागत |
|---|---|---|---|
| 1. | नरसापुर से कोव्वूर तक पुनः पाइप लाइन बिछाना | अक्तूबर, 1995 | 18.20 करोड़ रुपये |
| 2. | मंडापेट्टा-कुंडलामाचेरुवू | सितम्बर, 1995 | 6.27 करोड़ रुपये |
| 3. | सुरसान्यानम कुडाला | अक्तूबर, 1995 | 6.50 करोड़ रुपये |

इन परियोजनाओं को गेल द्वारा अपने स्रोतों से वित्तपोषित किया जाएगा।

**महाराष्ट्र में सूचना और जन शिक्षा प्रकोष्ठ**

5281. **श्री अन्ना जोशी** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में लोगों को शिक्षित करने और कमजोर वर्गों के लोगों में जागृति पैदा करने के उद्देश्य से कुछ सूचना और जनशिक्षा प्रकोष्ठ कार्यरत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) 1992-93 के दौरान महाराष्ट्र में इन प्रकोष्ठों की गतिविधियों का ब्यौरा क्या है?

**कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्कावालू)** : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**[हिन्दी]**

**यूनानी औषधालय**

5282. **डा. साक्षीजी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितने यूनानी औषधालय हैं;

(ख) ये औषधालय कहां-कहां खोले गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार दिल्ली में और भी यूनानी औषधालय खोलने का है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा)** : (क) और (ख) एक यूनानी औषधालय सरोजिनी नगर में तथा तीन यूनानी यूनिटें दरियागंज, नरेला और साउथ एवेन्यू में हैं।

(ग) और (घ) दिल्ली के यमुनापार क्षेत्र में एक यूनानी यूनिट खोलने का प्रस्ताव है।

**[अनुवाद]**

**केरल में क्षयरोग**

5283. **श्री थाइल जॉन अंजलोज** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रतिशत स्त्री और पुरुष क्षयरोग से पीड़ित हैं;

(ख) राज्य में क्षयरोग की रोकथाम के लिए 1994-95 के दौरान शुरू किए जाने वाले कार्यक्रम का ब्यौरा है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने इन प्रयोजनार्थ कोई सहायता मांगी है, और

(घ) यदि हां, तो 1993-94 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है और 1994-95 के लिए राज्य को कितनी धनराशि आवंटित की है।

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द)** : (क) ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में करीब 1.5% व्यक्तियों के क्षयरोग से गंभीर रूप से पीड़ित होने का अनुमान है। क्षयरोग से पीड़ित स्त्री और पुरुष रोगियों का अनुपात 2 : 1 है।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम, जिसमें केन्द्र और राज्य का हिस्सा 50 : 50 है, केरल राज्य सहित देश में पहले से चल रहा है।

**रसोई गैस/मिट्टी के तेल की कमी**

5284. **श्री अरविन्द त्रिवेदी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत दो वर्षों के दौरान रसोई गैस/मिट्टी के तेल की कमी के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) राज्य में रसोई गैस/मिट्टी के तेल की सप्लाई में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा)** : (क) से (ग) एल.पी.जी. (रसोई गैस विपणनकर्त्ता कंपनियों के अनुसार गुजरात के विद्यमान ग्राहकों की एल.पी.जी. (रसोई गैस) की मांग कमोवेश पूर्णतः पूरी की गई थी। एल.पी.जी. (रसोई गैस) की आपूर्तियों से संबंधित अस्थायी बकाये, प्रभावित बाजारों की एल.पी.जी. (रसोई गैस) की संपूर्ण मांग को पूरा करने हेतु कार्य घंटों को बढ़ाकर तथा रविवारों एवं छुट्टी के दिनों के दौरान एल.पी.जी. (रसोई गैस) भरण संयंत्रों के प्रचालन के माध्यम से आपूर्तियों को बढ़ाकर पूरा किया गया। केरोसीन एक आवंटित किया जाने वाला उत्पाद है। 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान केरोसीन का निर्गमन राज्य को किए गए आवंटनों के अनुरूप था।

**स्वास्थ्य योजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता**

5285. **डा. के.डी. जेस्वाणी :**
**प्रो. राम कापसे :**
**श्रीमती वसुन्धरा राजे :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 मार्च, 1994 के "टाइम्स आफ इंडिया" में "डब्ल्यू.बी.एस. हैल्थ फण्डस अण्डर यूटिलाइज्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है, और

(ग) धनराशि के पूर्णतः उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द)** : (क) जी, हां।

(ख) स्वास्थ्य क्षेत्र में 152.40 करोड़ रुपये की कुल अंतर्राष्ट्रीय सहायता में से 103.79 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग वर्ष 1993-94 के दौरान किया गया।

(ग) राज्य सरकारों के साथ बराबर संपर्क बनाए रखा जा रहा है। समुपयोजन पैटर्न में सुधार हो रहा है।

**[हिन्दी]**

**घटिया औषधियां**

5286. **श्री वृशिप पटेल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फार्मास्यूटीकल कंपनियों द्वारा सरकारी अस्पतालों में नकली और घटिया औषधियों की आपूर्ति करने की कई घटनाएं प्रकाश में आई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान ऐसे कितने मामलों का पता लगाया गया है, और

(ग) दोषी कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा)** : (क) हाल ही में ऐसी कोई घटना केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में प्रकाश में नहीं आई है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

**[अनुवाद]**

**पेट्रोलियम उत्पाद**

5287. **श्री चन्द्रजीत यादव :**
**श्री श्रीकान्त जैना :**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1994-95 में पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के आयात के लिए कोई समझौता किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस पर कितना व्यय (विदेशी मुद्रा में) किया जाएगा;

(ङ) इसके परिणामस्वरूप मांग और आपूर्ति के अंतर को कहां तक कम किया जा सकेगा, और

(च) पेट्रोलियम उत्पादों के स्वदेशी मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा)** : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) वर्ष 1994-95 के दौरान इंडियन आयल कारपोरेशन ने अब तक पेट्रोलियम उत्पादों की निम्नलिखित मात्राओं की आपूर्ति के लिए संविदाओं को अंतिम रूप दिया है :

(मात्रा/मि.मी. टन)*

(मूल्य अमेरीकी डालर प्रति मिलियन टन में)*

| | एस.के.ओ. | एच.एस.डी. | एल.पी.जी. | एफ.ओ. | ल्यूबस | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मात्रा | 1.000 | 2.024 | 0.087 | 0.050 | 0.033 | 3.194 |
| मूल्य | 210 | 396 | 17 | 4 | 15 | 642 |

*अनन्तिम

(ङ) मांग और आपूर्ति में अन्तर को पूर्णतया आयातों द्वारा पूरा किया जाएगा।

(च) पेट्रोलियम उत्पादों की घरेलू कीमतों पर प्रभाव का इतना जल्दी मूल्यांकन नहीं किया जा सकता।

**राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम को धन**

5288. **श्री हरि सिंह चावड़ा :**
**श्री श्रवण कुमार पटेल :**

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम को 1993-94 के दौरान कितना धन आवंटित किया गया और निगम ने कितनी मांग की थी;

(ख) आवेदकों द्वारा 1993-94 के दौरान कुल कितने धन की मांग की थी;

(ग) धन की कमी के कारण कितने आवेदन रद्द किए गए तथा इन आवेदकों ने कुल कितना धन मांगा था;

(घ) कितने आवेदन लम्बित पड़े हैं, और

(ङ) 1994-95 के दौरान एन.एस.एफ.डी.सी. को कितना धन दिए जाने का विचार है?

**कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.पी. तंग्कबालू)** : (क) एन.एस.एफ.डी.सी. ने वर्ष 1993-94 के दौरान शेयर पूंजी के रूप में 21 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की थी। एन.एस.एफ.डी.सी. द्वारा कोई औपचारिक मांग नहीं की गई थी।

(ख) 1993-94 के दौरान आवेदकों द्वारा 75.61 करोड़ रुपये की राशि मांगी गई थी।

(ग) एन.एस.एफ.डी.सी. से 18 करोड़ रुपये की मांग वाले 97 आवेदनों को रद्द किया गया था।

(घ) 31-3-94 की स्थिति के अनुसार एन.एस.एफ.डी.सी. के पास 133 आवेदन लम्बित पड़े हैं।

(ङ) एन.एस.एफ.डी.सी. की शेयर पूंजी में अंशदान करने हेतु 1994-95 के लिए 40 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

**[हिन्दी]**

**महाराष्ट्र में कुओं की खुदाई**

5289. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड द्वारा गत दो वर्षों में महाराष्ट्र में कितने कुओं की खुदाई की गई;

(ख) क्या महाराष्ट्र में और अधिक कुओं की खुदाई का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन)** : (क) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने भूजल अन्वेषण के अपने वैज्ञानिक कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान महाराष्ट्र में 113 बेधन छिद्र ड्रिल किए हैं, जिनमें 82 अन्वेषणात्मक कुएं, 28 प्रेक्षण कुएं एवं 3 पीजोमीटर शामिल हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान, बोर्ड का राज्य में 55 बेधन छिद्रों को ड्रिल करने का कार्यक्रम है, जिनमें 30 अन्वेषणात्मक कुएं, 15 प्रेक्षण कुएं और 10 पीजोमीटर शामिल हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**दांतों की बीमारियां**

5290. **श्री दत्ता मेघे** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बच्चों की दांतों की बीमारियों से प्रतिरक्षा करने के लिए कोई टीका तैयार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इनका प्रयोग कब से शुरू हो जाएगा?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

**[अनुवाद]**

**पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए आर्थिक पैकेज**

5291. **डा. सुधीर राय** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक आर्थिक पैकेज पर विचार कर रही है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद)** : (क) और (ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए भारत सरकार के विशेष प्रयास एक सतत् चलने वाली प्रक्रिया रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए भारत सरकार की इस विशेष चिन्ता की ओर ध्यान देने के लिए किए गए विभिन्न उपायों में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :

(i) पूर्वोत्तर राज्यों को "विशेष श्रेणी के राज्य" का दर्जा दिया गया है।

(ii) गृह मंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति इस क्षेत्र के आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान देती रही है।

(iii) शिलांग में 1972 से, भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में "पूर्वोत्तर परिषद" का गठन किया गया है। पूर्वोत्तर परिषद का प्रमुख उद्देश्य, इस क्षेत्र का समन्वित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना है।

स्वाधीनता के बाद से पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 20,000 करोड़ रु. खर्च किए जा चुके हैं।

[हिन्दी]

**अल्पसंख्यकों की भर्ती**

5292. **श्री ए. वेंकटेश नायक :**
**श्री फूल चंद वर्मा :**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अर्द्ध-सैनिक बलों में अल्पसंख्यकों की भर्ती के लिए समिति का गठन करने के संबंध में 22 जनवरी, 1994 के "नई दुनिया" में प्रकाशित समाचार की ओर गया है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) समिति अपनी रिपोर्ट कब तक सौंप देगी?

**गृह मंत्री (श्री एस.बी. चव्हाण)** : (क) से (ग) केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों की मिश्रित प्रकृति सुनिश्चित करने और सभी क्षेत्रों तथा समुदायों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की दृष्टि से देश के विभिन्न हिस्सों में, समुचित प्रचार के बाद भर्ती रैलियां आयोजित की जाती हैं। इस प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में यह सुनिश्चित करने के प्रयास भी किए जाते हैं कि अल्पसंख्यक समुदायों के पात्र उम्मीदवार, केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों में उपलब्ध रोजगार के अवसरों से अवगत रहें। इन भर्तियों की नियमित समीक्षा गृह मंत्रालय द्वारा की जाती है।

[अनुवाद]

**रसोई गैस और मिट्टी के तेल का समानान्तर विपणन**

5293. **श्री गुरुदास कामत : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रसोई गैस और मिट्टी के तेल के समानान्तर विपणन में सरकारी क्षेत्र की प्रमुख तेल कम्पनियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा)** : (क) और (ख) देश में एल.पी.जी., एस.के.ओ. और एल.एस.एच.एस. की उपलब्धता में वृद्धि करने के उद्धेश्य से इन उत्पादों के विपणन में निजी क्षेत्र की पहलों और निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए समानान्तर विपणन शुरू किया गया है। इसलिए सार्वजनिक वितरण पद्धति के अंतर्गत फिलहाल एस.के.ओ. और एल.पी.जी. का विपणन करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों से इन उत्पादों का सीधे समानान्तर विपणन करने की अपेक्षा नहीं की जाती।

**[हिन्दी]**

**मयूराक्षी बांध**

5294. **श्री साईमन मरांडी** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को बिहार और पश्चिम बंगाल सरकारों के बीच मयूराक्षी बांध के संबंध में हुए समझौते की जानकारी है, और

(ख) यदि हां, तो समझौते की मुख्य बातें क्या हैं?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन)** : (क) और (ख) मयूराक्षी एक पूर्ण परियोजना है, जिसका निर्माण कार्य पहली पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था तथा छठी पंचवर्षीय योजना में पूर्ण किया गया था। इस परियोजना की सिंचाई क्षमता 2.51 लाख हेक्टेयर है।

दामोदर, वाराकर, अजय, मयूराक्षी, सिद्धेश्वरी-नून बील और महानन्दा नदी बेसिनों, जहां बिहार और पश्चिम बंगाल सह-बेसिन राज्य हैं, के जल संसाधनों के उपयोग पर एक करार पश्चिम बंगाल और बिहार के मुख्य मंत्रियों द्वारा 19 जुलाई 1978 को पटना में किया गया था।

मयूराक्षी बांध से संबंधित करार की मुख्य विशेषताओं में यह व्यवस्था है कि मयूराक्षी बांध से बिहार को सिंचाई वचनबद्धता उचित जलाशय विनियमन के जरिए खरीफ मौसम के दौरान, जहां तक व्यवहार्य है, जलाशय स्तर 363 से नीचे जलाशय स्तर कम न करके पूरी की जायेगी। किसी भी स्थिति में जल स्तर जलाशय के 349 स्तर (अर्थात् डेड भण्डारण स्तर) से कम नहीं किया जायेगा। पश्चिम बंगाल मयूराक्षी जलाशय से पम्पों को संचालित करने की लागत वहन करेगा। सिद्धेश्वरी नून-बील जलाशय के चालू होने के बाद बिहार और पश्चिम बंगाल द्वारा मयूराक्षी एवं सिद्धेश्वरी-नून-बील जलाशयों के संयुक्त नियंत्रण की भी करार में व्यवस्था है।

**[अनुवाद]**

**तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अर्जित लाभ**

5295. **श्री सी.पी. मुदाल गिरियप्पा** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने 1993-94 के दौरान अब तक का सर्वाधिक शुद्ध लाभ अर्जित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा 1992-93 के दौरान कितना शुद्ध लाभ अर्जित किया गया?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा)** : (क) और (ख) 1993-94 में आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन को अर्जित होने वाला संभावित लाभ 2000 करोड़ रुपये के लगभग होना अनुमानित है, जो कंपनी को पूर्व में अर्जित लाभ से सर्वोपरि है।

(ग) 1992-93 के दौरान आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन ने 788 करोड़ रुपये शुद्ध लाभ अर्जित किया।

**रसोई गैस संयंत्र**

5296. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड और भारतीय पेट्रोलियम निगम लिमिटेड को रसोई गैस संयंत्रों की स्थापना करने का काम सौंपा गया था;

(ख) यदि हां, तो कितने रसोई गैस संयंत्र स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) इन संयंत्रों की क्षमता कितनी होगी, और

(घ) इन संयंत्रों को कब तक स्थापित कर दिया जायेगा?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा)** : (क) से (घ) गैस अथारिटी आफ इंडिया लि. (गेल) का नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार एल.पी.जी. संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है :

| क्र.सं. | स्थान | क्षमता | पूर्णता का कार्यक्रम |
|---|---|---|---|
| 1. | लकवा | 85,000 टन प्रति वर्ष | अप्रैल, 1996 |
| 2. | उसार | 1,39,500 टन प्रति वर्ष | मार्च, 1997 |
| 3. | गांधार | 3,93,000 टन प्रति वर्ष | अभी तक नियत नहीं किया गया। |

गेल द्वारा गांधार परियोजना को इंडियन पेट्रो.को.का.लि. (आई.पी.सी.एल.) के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में आरभ किए जाने का प्रस्ताव है।

**नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन**

5297. **श्री वी.एल. विजयराघवन** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार को नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के 250 मेगावाट क्षमता वाले नए विद्युत केन्द्र से अपने हिस्से की बिजली मिलेगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन को किसी अमरीकी फर्म के हाथ में सौंपने का भी कोई प्रस्ताव है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

**कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा)** : (क) से (ङ) नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. (ने.लि.का.लि.) की विद्यमान परियोजनाओं की वचनबद्धताओं के संबंध में तथा संसाधनों की बाधाओं को दृष्टिगत करते हुए ने.लि.का. ने मार्च, 1989 में स्वीकृत की गई "जीरो यूनिट" (1x210 मे.वा.) परियोजना को क्रियान्वित किए जाने की स्थिति में नहीं है। भारत सरकार का, बिजली का उत्पादन किए जाने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी की नीति के अनुसरण में अब इसको मैसर्स एस.टी.सी.एम.एस. इलैक्ट्रिक कंपनी, अमेरिका द्वारा क्रियान्वयन किए जाने का कार्यक्रम है। इस कंपनी का ने.लि.का.लि. की जीरो यूनिट (1x210 मे.वा.)परियोजना के एवज में 1x250 मे.वा. का विद्युत गृह स्थापित किए जाने का कार्यक्रम बनाया है।

चूंकि मेसर्स एस.टी.सी.एम.एस. इलेक्ट्रिक कंपनी की प्रस्तावित 250 मे.वा. यूनिट, एक क्षेत्रीय विद्युत गृह के रूप में नहीं है, जिसका कि पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्त-पोषण किया गया हो, अतः केरल सरकार द्वारा इस यूनिट से विद्युत में हिस्सेदारी प्राप्त किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

ने.लि.का. को किसी अमेरिकी अथवा अन्य फर्म को स्थानान्तरित किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

**दिल्ली पुलिस**

5298. **श्री राज नाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस गैर जमानती अपराधों में लिप्त व्यक्तियों को जमानत पर रिहा कर रही है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष में दिल्ली पुलिस ने कितने व्यक्तियों को जमानत पर रिहा किया;

(ग) जमानत किस अधिकार के अंतर्गत दी गई थी;

(घ) क्या दिल्ली में कोई भी व्यक्ति जमानती अपराधों में एक बार जमानत देने के बाद दूसरी बार, तीसरी बार और इससे अधिक बार जमानत नहीं दे सकता है, क्योंकि उसके राशनकार्ड में यह लिख दिया जाता है कि उसने जमानत दे रखी है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और जमानत लेने वाले अधिकारियों को सलाह देने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं;

(च) क्या दोष स्वीकार कर लिये जाने के बाद जमानत पर छोड़ने से पूर्व कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, परन्तु बाद में दिये गये आदेश में यह लिख दिया जाता है कि आरोपी को दोषी पाया गया है, और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और जनता के हितों की रक्षा हेतु क्या कदम उठाए गये हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद)** : (क) से (ग) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 में प्रावधान है कि किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा गैर-जमानती अपराधों के मामले में जमानत ली जा सकती है।

(घ) जी नहीं, श्रीमान्।

(ङ) चूंकि कानून में उपर्युक्त अपराधों में मुकदमे की कार्यवाई चलाने के लिए पुलिस को अधिकार प्रदान नहीं किये गए हैं, इसलिए ऐसे मामलों में दोष की दलील को रिकार्ड करने का प्रश्न नहीं उठता।

**पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्र और रसोई गैस की एजेंसियां**

5299. **श्री अवतार सिंह भडाना** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अल्पसंख्यक समुदाय/कमजोर वर्ग के लोगों/बेरोजगार स्नातकों को रसोई गैस एजेंसियों, पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्रों के आबंटन हेतु क्या मानदंड अपनाए जा रहे हैं;

(ख) क्या इन दंडों का पालन किया जा रहा है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा)** : (क) वर्तमान नीति के अनुसार तेल चयन बोर्ड के माध्यम से आबंटित 55% डीलरशिपें/डिस्ट्रीब्यूटरशिपें खुली श्रेणी के लिए नियत की गई हैं। खुली श्रेणी के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदायों, कमजोर वर्गों और बेरोजगार स्नातकों को शामिल किया जाता है। इस श्रेणी में बेरोजगार स्नातकों, इंजीनियरी स्नातकों को उपभोक्ता सहकारी समितियों को छोड़कर अन्य उम्मीदवारों की तुलना में वरीयता दी जाती है।

अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण निम्नवत है :

| | | |
|---|---|---|
| अनु.सू. जाति/अनु.सू. जनजाति | - | 25% |
| स्वतंत्रता सेनानी | - | 5% |
| विकलांग | - | 7½% |
| रक्षा श्रेणी | - | 7½% |

(ख) जी, जां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**एड्स नियंत्रण**

5300. **श्री पीटर जी. मरबनिआंग** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा 1993-94 के दौरान एड्स नियंत्रण कार्यक्रम हेतु मेघालय को कितनी निधि प्रदान की गई;

(ख) क्या इस कार्यक्रम के अंतर्गत मेघालय को दी गई निधि का पूर्ण उपयोग कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(घ) इन निधियों का प्रभावी उपयोग हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द)** : (क) 1993-94 के दौरान मेघालय सरकार को 21,97,500 रुपये की रकम का भुगतान किया गया।

(ख) जी, नहीं।

(ग) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन भुगतान की गई धनराशि का समुपयोजन राज्य द्वारा एक नई योजना शुरू करने में आड़े आई प्रारंभिक समस्याओं के कारण धीमा है।

(घ) इसके बारे में राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों और एड्स कार्यक्रम अधिकारियों के साथ जनवरी, 1994 में विचार-विमर्श किया गया। राज्यों के मुख्य मंत्रियों और मुख्य सचिवों को भी पत्र लिखे गए हैं।

**मुम्बई में हुए बम विस्फोट**

5301. **श्री जसवंत सिंह** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मार्च, 1993 में मुम्बई बम विस्फोट में लिप्त दाउद इब्राहिम मेमन बन्धुओं और अन्य लोगों की प्रत्यक्ष अथवा बेनामी अचल परिसम्पत्तियों/संपत्तियों के बारे में कोई जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन सम्पत्तियों की कुर्की हेतु कोई कदम उठाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट)** : (क) से (ङ) टाईगर मेमन और उसके परिवार के सदस्यों तथा बम्बई बम विस्फोट के मामले से संबंधित कुछ अन्य अभियुक्तों की सम्पत्ति की पहचान कर ली गई है। टाडा न्यायालय तथा आयकर विभाग द्वारा कुर्क की गई सम्पत्ति के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा छानबीन/सत्यापन का कार्य प्रगति पर है। इसलिए इस स्तर पर, इस संबंध में और अधिक जानकारी देना जांच पड़ताल के हित में नहीं होगा।

**विवरण**

**बम्बई बम विस्फोट मामले में, न्यायालय द्वारा मैमन/अन्य अभियुक्तों की कुर्क की गई सम्पत्ति की सूची**

| क्र.सं. | अभियुक्त का नाम | सम्पत्ति | जिस तारीख को न्यायालय ने अपने अधिकार में लिया |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | मुस्ताक उर्फ इब्राहीम उर्फ टाईगर अब्दुल रजाक मैमन तथा अब्दुल रजाक मैमन | 1. कमरा नं. 46, तृतीय तल, जिलानी महल, सौहरा मंजिल, मैमन बाड़ा रोड़ डोंगरी, बम्बई-3 | 24-2-1994 |
| | | 2. बिल्डिंग नं. 215/217 शेख मैमन स्ट्रीट, बम्बई-1 | 1-3-1994 |
| 2. | याकूब अब्दुल रजाक मैमन अय्यूब अब्दुल रजाक मैमन, इसा अंजुम अब्दुल रजाक मैमन | 1. फ्लैट नं. 102, मीना महल, अलमीदा पार्क, बांद्रा (वेस्ट), बम्बई-50 | 22-2-1994 |
| 3. | यूसुफ अब्दुल रजाक मैमन इसा अंजुम मैमन याकूब मैमन | 1. मैसर्स तीजारत इन्टरनेशनल का कार्यालय परिसर, ए.विंग, सम्राट एल.जे. रोड, माहीम, बम्बई-16 | 22-2-1994 |
| 4. | इसा उर्फ अंजुम अब्दुल रजाक मैमन, अय्यूब मैमन अब्दुल रजाक मैमन, | 1. कोल कल्याण में खाल प्लाट सी.टी.एस. नम्बर 3158/3160 सान्ताक्रूज (ई.) बम्बई-32 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | इसा उर्फ अंजुम अब्दुल रजाक मैमन, यूसुफ अब्दुल रजाक मैमन अब्दुल रजाक मैमन | 2. दुकान नं.-3, हुसैनी मंजिल भूतल, 163, निशानपाडा रोड डोंगरी बम्बई-9 (सिल्वर स्विच हेलर्स) | 24-2-1994 |
| 5. | अब्दुल रजाक मैमन | 1. फ्लैट नं. 405, चौथी मंजिल बाग-ए-रहमत को.आप. हाउसिंग सोसायटी कपाडिया नगर कुर्ला (वेस्ट) बम्बई-70 | 23-2-1994 |
| | अब्दुल रजाक मैमन हारून अहमद दौसा | 2. दुकान नं. जी./1/जी. (ए.-1-ए) नूतन पुष्पक सोसायटी, मनीश मार्केट, बम्बई। | 4-3-1994 |
| | अब्दुल रजाक मैमन, श्रीमती हनीफा रजाक मैमन, श्रीमती रूबीना सुलेमान, मैमन, श्रीमती शबाना इब्राहीम मैमन | 3. दुकान नं.-30 नूतन पुष्पक सोसायटी मनीश मार्केट बम्बई। | 4-3-1994 |
| 6. | श्रीमती रेशमा अब्दुल मैमन, अब्दुल रजाक मैमन | फ्लैट नं.-406, चौथी मंजिल बाग-ए-रहमत को.आप. हाउसिंग सोसायटी, कपाडिया नगर कुर्ला (वेस्ट) बम्बई-70 | 23-2-1994 |
| 7. | श्रीमती हनीफ अब्दुल रजाक मैमन | 1. कार्यालय नं.-1 मौहम्मदी मंजिल, मौहम्मद अली रोड, बम्बई-3 (ए.मैमन को.आप. बैंक) | 24-2-1994 |
| | | 2. फ्लैट नं.-22 तथा गैराज नं.-01 अलहुसैनी बिल्डिंग माहीम, बम्बई-16 | 21-2-1994 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8. | अब्बूब अब्दुल रज्जाक मैमन<br>हारून अहमद दौसा | 1. दुकान नं. 22/एफ-1, नूतन पुष्पक सोसायटी मनीश मार्केट एम.आर.ए. मार्ग, बम्बई। | 4-3-1994 |
| | | 2. दुकान नं. एफ/22/11 नूतन पुष्पक सोसायटी मनीश मार्केट एम.आर.ए. मार्ग, बम्बई। | 4-3-1994 |
| | अब्बूब अब्दुल रज्जाक मैमन तथा अहमद उमर दौसा | 3. दुकान नं. 22/एफ/111 नूतन पुष्पक सोसायटी मनीश मार्केट एम.आर.ए. मार्ग, बम्बई। | 4-3-1994 |
| 9. | श्रीमती रूबीना पत्नी सुलेमान उर्फ आरिफ मैमन तथा इसा उर्फ अंजुम अब्दुल रज्जाक मैमन | 1. फ्लैट नं.-25 तथा गैराज सी-3, अल हुसैनी बिल्डिंग दरगाह रोड, माहीम, बम्बई-16 | 21-2-1994 |
| 10. | श्रीमती शबाना इब्राहीम पत्नी हाईगर मैमन तथा सूसुफ अब्दुल रज्जाक मैमन | 1. फ्लैट नं.-26 गैराज 0-3, अल हुसैनी बिल्डिंग दरगाह रोड, बम्बई-16 | 21-2-1994 |
| 11. | सुलेमान उर्फ आरिफ अब्दुल रज्जाक मैमन | शून्य | |
| 12. | श्रीमती राहीन साकूब मैमन | शून्य | |
| 13. | साकूब वली मोहम्मद खान उर्फ सबा साकूब | 1. हिल व्यू को.आप. सोसायटी, 4 मंजिली बिल्डिंग लगभग 604 वर्ग मी., सर्वे नं. 82/2/मुम्बरा थाणे | कुर्की के आदेश 15-3-94 को जारी किए गए। |
| 14. | अनवर अहमद हाजी जमाल धीवा | फ्लैट नं. ए.-16 तथा बी.-10, नूतन नगर बांद्रा (वेस्ट) बम्बई-50 | =तदैव= |
| 15. | नसीम अहमद अनवर शेख उर्फ बबलू | 1. फ्लैट नं.-5 कल्पतरक्षा बिल्डिंग, 33वां रोड डी.आई.पी.एस.खार. (वेस्ट) बम्बई। | =तदैव= |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | 2. 99, कडल रोड़, दुकान नं.-10, देव भवन, माहीम, बम्बई-16 (अताउल्लाह ट्रेवल्स) | –तदैव– |
| 16. | अब्दुल रशीद मौहम्मद खान | 1. हीरा भवन, पहली मंजिल दरिया गंज रोड़, सत्कार होटल के सामने, मस्जिद बुंदर, बम्बई। | कुर्की के आदेश 15-3-95 को जारी किए गए। |
| | | 2. एल.एम. क्रोमा क्रूसिंग, दामूपाड़ा, कांदीवला, बम्बई-1 | |
| 17. | इजाज मौहम्मद शरीफ पठान उर्फ सैय्यद जाकिर साह | 1. कमरा नं.-13, 23 ई. मैमन वाडा मुर्गी मौहल्ला बम्बई-3 | –तदैव– |
| 18. | मुजीब शरीफ पारकर | 1. मकान नं.-315/316 सन्धेरी, दाल-मशाला जिला–रायगढ़ | –तदैव– |
| 19. | मुनफ अब्दुल मजीद हलारी | 1. फ्लैट नं.-503, पांचवीं मंजिल, जी.एस. मार्ग, खड़क ढोंगरी, बम्बई। | –तदैव– |
| 20. | सलीम बिस्मिल्लाह खान उर्फ सलीम कुर्ला उर्फ मौ. सलीम मीर मौ. शेख | सर्वे नं.-878, फ्लैट नं.-69, रेखा नगर के के सामने, नासिक नगर पालिका क्षेत्र में 664 वर्गफुट में निर्मित, फर्टिलाईजर फैक्टरी के पीछे, आगरा रोड, नासिक | कुर्की के आदेश 19-3-1994 को जारी किए गए। |
| | | 2. आर.न.ए.-36, आदिवासी झोपड़पट्टी एम.एच.बी. कालोनी, लिंक रोड़, जोगेश्वरी (वेस्ट) बम्बई-102 | |

**मैमन बन्धुओं की सम्पत्ति**

मैमन बंधुओं की निम्नलिखित सम्पत्तियां आयकर विभाग द्वारा कुर्क की गईं :

1. अब्दुल रजाक मैमन

   (1) दुकान नं. जी 30, नूतन पुष्पक को.आ. सोसायटी लिमिटेड, मनीश मार्केट पल्टन रोड़, बंबई-1

   (2) दुकान नं. जी/22 एफ (1) एफ (2) तथा एफ (3) नूतन पुष्पक का. आप. सोसायटी लिमिटेड, मनीश मार्केट पल्टन रोड, बंबई-1

   (3) दुकान नं. जी/1 एफ (1) नूतन पुष्पक का.आ. सोसायटी लिमिटेड मनीश मार्केट, पल्टन रोड़ बंबई-1

2. श्रीमती हनीफा रजाक मैमन

   (1) फ्लैट नं. 22 तथा खुली गैराज नं. 0-1 अल हुसैन का.आप. हाउसिंग सोसायटी दरगाह स्ट्रीट माहीम (वैस्ट बंबई-16)

   (2) कार्यालय नं. 1 मोहम्मद मंजिल, मोहम्मद अली रोड, बंबई-2

3. याकूब अब्दुल रजाक मैमन

   शून्य

4. अय्यूब अब्दुल रजाक

   (1) जमीन तथा बिल्डिंग, 215/217 शेख मैमन स्ट्रीट, बंबई-1

   (2) फ्लैट नं. 102, मीना महल को.आप. हाउसिंग सोसायटी लिमि. अलमेदा रोड, जंक्शन आफ हिल रोड तथा सेंट मार्टिन रोड, बांद्रा, (वैस्ट) बंबई-50

5. यूसुफ अब्दुल रजाक

   (1) दुकान नं. 10, सम्राट का.आप. हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, 314, एल.जे. रोड, विक्टोरिया चर्च के सामने, माहिम, बंबई-16

6. श्रीमती रूबीना सुलेमान मैमन

   (1) फ्लैट नं. 25 तथा साथ लगी गैराज नं. सी-3 अल हुसैन को.आप. हाउसिंग सोसायटी, दरगाह रोड माहीम बंबई-16

7. श्री रेशमा अयूब मैमन

   (1) फ्लैट नं. 406 बाग-ए-रहमत का.आप. हाउसिंग सोसायटी कपाडिया नगर, बिल्डिंग नं. 16, सी.एस. रोड कुर्ला (वैस्ट) बंबई-70

8. रजांक सुलेमान मैमन

(i) फ्लैट नं. 4105, बाबा-ए-रहमत को.आप. हाउसिंग सोसायटी मिल मिल्लिंग नं. 116, कमाठिया नगर, कुर्ला (वेस्ट) बंबई-70

9. हुसा-ए-आर मैमन

(i) ए-110, समाट को.आप. हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, 3144, एल.जे. रोड, माहीम, बंबई

(ii) माहीम में प्लाट

(iii) कौल कल्याणा, शान्ता क्रूज (ई) में प्लाट

(iv) दुकान नं. 3 हुसैनी मंजिल, मूलाल, निशान पाडा रोड, बंबई

10. श्रीमती शबाना हुसाहीम मैमन

(i) फ्लैट नं. 206 तथा स्कूली मैसाज नं. 3, अल हुसैन को.आप. हाउसिंग सोसायटी, दरस्साह स्ट्रीट, बंबई-116

## जल संसाधन और भूमि कटाव

5302. श्री वी. प्रधानी :: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ::

(क) क्या सरकार को उड़ीसा में जलप्लावन, मृदा अपरदन, क्षारयुक्त भूमि तथा जलसंपन्नता की समस्या की जानकारी है, और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

बाहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. नरसिंहा राव) :: (क) जी, हां ॥

(ख) उड़ीसा में समस्त (डिस्ट्रीडिड) क्षेत्रों के उपचार के लिए विभिन्न केन्द्रीय/राज्य कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं ॥ सिंचाई प्रणाली में जल की बर्बादी से बचने के लिए तथा खेत स्तर पर जल प्रयोग कारगरता में सुधार लाने के लिए राज्य में विश्व बैंक सहायता प्राप्त राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोजना तथा केन्द्रीय प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किए गये हैं ॥ विश्व बैंक के तत्वावधान में एक एकीकृत व्यापक विकास योजना नामतः डेल्टा विकास योजना तैयार की गई है, जिसमें अनेक उपचारात्मक उपायों की परिकल्पना की गयी है ॥ जल स्तर की वृद्धि को नियंत्रित करने तथा सिंचित क्षेत्रों में लवणता संकेन्द्रण को रोकने के लिए भूजल विकास, रिसाव स्तर तथा ड्रिप सिंचाई हेतु लघु और सीमान्त किसानों को सब्सिडी के रूप में सहायता दी जाती है ॥ जल निकास घटक को सिंचाई प्रणाली का अभिन्न अंग बनाया गया है और राज्यों को सभी सिंचाई परियोजनाओं में उपयुक्त जल निकास प्रदान करने की सलाह दी गई है ॥ कृषि मंत्रालय के मृदा एवं जल संरक्षण प्रभाग द्वारा चलाई गई नदी घाटी परियोजनाओं के जलग्रहण क्षेत्र में मृदा संरक्षण की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं सालकुंड, मयूरकुंड, सिलेरू और रैंगालीमंदिरा परियोजनाओं के जलग्रहण क्षेत्र में क्रियान्वित की जा रही है ॥

## परिवेश पत्र

5340. श्री मोहन जनमला (सिंदामाडी) भुवन चन्द्र खन्डूरी :: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ::

(क) क्या सरकार विशेष रूप से अल्पसंख्यक कतिपय सीमावर्ती क्षेत्रों में परिवेश पत्र जारी करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह निर्णय ले लिया है कि यह परिवेश पत्र किस प्रकार के होंगे और किस एजेंसी द्वारा जारी किये जायेंगे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) ऐसे प्रत्येक पत्र पर कितनी लागत आने का अनुमान है;

(ङ) क्या इन पत्रों की नकल, दुरुपयोग आदि नहीं किया जा सकता है, और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) :: (क) सरकार ने घुसपैठ प्रोन्नत सीमा क्षेत्रों में पहचान पत्रों की योजना लागू करने का निर्णय पहले ही ले लिया है ॥

(ख) और (ग) जी हां, श्रीमान् ॥ पहचान पत्र कम्प्यूटराईज्ड लेजर-II-कार्ड प्रिंटिंग सिस्टम (सी.एल.आई.पी.एस.) के माध्यम से तैयार किए जाएंगे ॥ सी.एल.आई.पी. प्रणाली इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन आफ इंडिया लि., हैदराबाद ने विकसित की है ॥ राज्य सरकारों को पहचान पत्रों के वितरण की जिम्मेदारी सौंपी गयी है ॥

(घ) इस प्रणाली से तैयार किए जाने वाले एक पहचान पत्र की अनुमानित लागत इस समय 115 रु. से 200 रु. के बीच है ॥

(ङ) और (च) इन कार्डों की नकल, दुरुपयोग इत्यादि को रोकने के लिए विभिन्न सुरक्षा तरीके अपनाए गए हैं ॥

## विकलांग बच्चों के लिए भवन/कॉम्प्लैक्स

5341. श्री मनोरंजन भक्त :: क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ::

(क) क्या टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी तथा कोल इंडिया का संयुक्त रूप से विकलांग बाल केन्द्र के लिए एक नया कॉम्प्लैक्स बनाने का विचार है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंहदेव) :: (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ॥

**"नैचुरोलैक्स" पर प्रतिबंध**

5305. **श्री सनत कुमार मंडल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "नेचुरोलैक्स" और अन्य कई अति प्रभावी आयुर्वेदिक औषधियों की सी.जी.एच.एस. लाभभोगियों को आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है, जैसा कि सी.जी.एच.एस. विशेषज्ञों और परामर्शदाताओं ने निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिबंध के पीछे क्या औचित्य है;

(ग) क्या सरकार का विचार मामले पर पुनर्विचार करने एवं यथास्थिति बहाल करने का है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा)** : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

**[हिन्दी]**

**उत्तर प्रदेश में अधिग्रहण क्षेत्र का विकास**

5306. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने जल अधिग्रहण क्षेत्र के विकास हेतु केंद्रीय सरकार से वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 1992-93 और 1993-94 के दौरान केंद्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि दी गई, और

(घ) 1994-95 के दौरान इस प्रयोजनार्थ अनुमानतः कितनी सहायता दी जाएगी ?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन)** : (क) और (ख) नदी घाटी परियोजनाओं के जल ग्रहण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण तथा बाढ़ प्रवण नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में एकीकृत जल विभाजक प्रबंध नामक दो केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। योजना के वित्तीय पोषण की पद्धति राज्य को दी जाने वाली 100% केन्द्रीय सहायता है, जिसमें 50% अनुदान तथा 50% ऋण शामिल है। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव के तकनीकी अनुमोदन के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य में माताटीला और रामगंगा नामक दो जलग्रहण क्षेत्र नदी घाटी परियोजनाओं के अन्तर्गत शामिल किए गए हैं तथा गोमती, सोन, अपर गंगा और अपर यमुना नामक 4 जलग्रहण क्षेत्र बाढ़ प्रवण नदियों के अन्तर्गत शामिल किए गए हैं।

(ग) और (घ) वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान नदी घाटी परियोजनाओं एवं बाढ़ प्रवण नदी योजनाओं के संबंध में उत्तर प्रदेश को निर्मुक्त की गयी केन्द्रीय सहायता निम्न प्रकार है :

(लाख रुपए)

| वर्ष | नदी घाटी परियोजनाएं | बाढ़ प्रवण नदियां | कुल |
|---|---|---|---|
| 1992-93 | 311.85 | 671.17 | 983.02 |
| 1993-94 | 405.40 | 930.00 | 1335.40 |

वर्ष 1994-95 के लिए कुल परिव्यय उतना ही रहने की आशा है।

**[अनुवाद]**

**सरदार सरोवर परियोजना**

5307. **श्री राम नाईक : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परियोजना कार्य की समीक्षा करने हेतु केंद्रीय सरकार द्वारा गठित पांच सदस्यीय दल ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है अथवा की जाएगी, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यह रिपोर्ट कब तक दे दी जाएगी?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) दल के अनुरोध पर, दल द्वारा सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया है। इस समय यह मामला निर्णयाधीन है तथा दल यथा समय अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देना।

**[हिन्दी]**

**बांध निर्माण के लिए नई प्रौद्योगिकी**

5308. **श्री सुशील चंद्र वर्मा : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बांध निर्माण के लिए नई प्रौद्योगिकी शुरू करने के लिए कोई अध्ययन करवाया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंध ब्यौरा क्या है ?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन)** : (क) और (ख) बांधों के निर्माण की नई प्रौद्योगिकी लागू करने पर अध्ययन करना एक लगातार प्रक्रिया है। कोल-क्रीट और कोल ग्राउंट चिनाई निर्माण तकनीकों, जिनसे निर्माण में किफायत के अलावा, निर्माण कार्य तेजी से किया जाता है, पर किये गये अध्ययनों के परिणामस्वरूप महाराष्ट्र में वाननदी पर एक बांध के निर्माण के लिए ये तकनीकें अपनाई गई हैं। बेलन संहत (रोलर काम्पोक्टिड) कंक्रीट प्रौद्योगिकी का प्रयोग, जिससे पर्यावरणीय आपद फलाईएश का उपयोग किया जाता है और शीघ्र निर्माण होता है। लागत की तुलना में लाभ का अनुपात अधिक होता है, अधिक समय तक टिकाऊपन रहता है आदि, का महाराष्ट्र में सैडल बांधों और घाटघर पम्प चालित भंडारण स्कीम के अपर बांध के निर्माण के लिए प्रस्ताव किया गया है।

**[अनुवाद]**

**तेल और गैस क्षेत्र**

5309. **श्री गोपी नाथ गजपति** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर सरकारी क्षेत्र को ठेके के आधार पर दिए जाने वाले कतिपय प्रमुख तेल और गैस क्षेत्रों के संबंध में सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, और

(ग) अब परियोजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च की जाएगी ?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा)** : (क) और (ख) अगस्त, 1992 में विकास हेतु प्रस्तावित मध्यम आकार के तेल एवं गैस क्षेत्रों में से 4 मध्यम आकार के क्षेत्रों के विकास के संबंध में निर्णय लिया गया है। राव्वा क्षेत्र को कमांड पेट्रोलियम, आस्ट्रेलिया, मरुबेनी कारपोरेशन जापान तथा विडियोकॉन भारत के परिसंघ को दिया गया है। जबकि मुक्ता पन्ना तथा मध्यम एवं दक्षिणी ताप्ती क्षेत्रों को एनराने एक्सप्लोरेशन कम्पनी यू.एस.ए. तथा रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारत के परिसंघ को दिया गया है।

(ग) इन परियोजनाओं से संबंधित व्यय कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत की गई विकास योजनाओं के लिए प्रासंगिक होगा।

**तेल शोधक कारखाने**

5310. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुवैत ने कुछ समय पूर्व भारत में हाईड्रोकार्बन क्षेत्र में निवेश करने में गहरी रुचि दिखायी थी और इस संबंध में हाल ही में एक कुवैती शिष्ट मंडल ने भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या भारत और कुवैत अन्ततः संयुक्त उद्यम के रूप में भारत में एक तेल शोधक कारखाने की स्थापना पर सहमत हुए थे;

(ग) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल भारत में तेल शोधक कारखाने की स्थापना के लिए इंडियन आयल कारपोरेशन तथा कुवैत पेट्रोलियम कारपोरेशन के बीच संयुक्त उद्यम की शर्तों पर बातचीत करने हेतु शीघ्र ही कुवैत जायेगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और संयुक्त उद्यम के अन्तर्गत इस तेल शोधक कारखाने को किस स्थान पर स्थापित किया जायेगा, इसकी क्षमता कितनी होगी, यह कब तक पूरा हो जाएगा;

(ङ) संयुक्त राष्ट्र उद्यम में कुवैत की सम्बद्धता के माध्यम से भारत में कुल कितनी विदेशी मुद्रा आयेगी, और

(च) संयुक्त उद्यम से रोजगार के कितने अवसर पैदा होंगे ?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा)** : (क) और (ख) पूर्वी भारत में संयुक्त क्षेत्र में एक रिफाइनरी स्थापित करने के लिए आई.ओ.सी. द्वारा जारी प्रेस अधिसूचना के प्रत्युत्तर में मैसर्स कुवैत पेट्रोलियम कारपोरेशन, कुवैत ने इस परियोजना में रुचि दिखायी थी।

(ग) आई.ओ.सी. के प्रतिनिधिमंडल ने पूर्वी भारत में ग्रासरूट रिफाइनरी के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना के विषय पर कुवैत पेट्रोलियम कारपोरेशन के साथ चर्चा के लिए अप्रैल, 1994 में कुवैत का दौरा किया है।

(घ) प्रस्तावित रिफाइनरी की क्षमता 6.0 एम.एम.टी.पी.ए. होने की आशा है। परिकल्पित संसाधन संस्थिति के होते परियोजना लागत लगभग 4000 करोड़ रुपए होने की आशा है। इस परियोजना का प्रस्तावित स्थान उड़ीसा राज्य में दैतारी में है। इस परियोजना के निवेश अनुमोदन के 48 महीनों के भीतर पूरा होने की संभावना है।

(ङ) कुवैत पेट्रोलियम कारपोरेशन को प्रस्तावित साझेदारी के माध्यम से भारत में आ सकने वाली विदेशी पूंजी का पता करारों को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद चलेगा।

(च) इस रिफाइनरी से लगभग 700 व्यक्तियों के लिये सीधे रोजगार के उत्पन्न होने की आशा है।

**सरकारिया समिति**

5311. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली की संरचना का पुर्नगठन करने पर सरकारिया समिति की रिपोर्ट स्वीकार कर ली है, और

(ख) यदि हां, तो इस पर विशेष रूप से दिल्ली विकास प्राधिकरण का सुधार करने के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद)** : (क) संघ शासित क्षेत्र दिल्ली के प्रशासन से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए सरकार ने 24-12-87 को, प्रारंभ में न्यायमूर्ति श्री आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में और बाद में श्री आर. बालकृष्णन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। समिति ने अनेक सिफारिशें कीं। इनकी जांच गुण-दोष के आधार पर की गयी और इनमें से अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है।

(ख) जहां तक दिल्ली विकास प्राधिकरण का संबंध है, समिति की निम्नलिखित सिफारिशें कार्यान्वित कर दी गयी हैं :

(1) अन्तराज्यीय बस अड्डे और लाटरियों के संचालन का हस्तांतरण, और

(2) दिल्ली विकास प्राधिकरण से स्लम विंग के कार्य को अलग करना।

निम्नलिखित सिफारिशों को या तो आंशिक रूप से कार्यान्वित किया गया है या वे कार्यान्वयन की प्रक्रिया में हैं :

(1) डेयरी कालोनियों का हस्तांतरण, और

(2) नए स्लम सुधार बोर्ड के लिए विधायन।

एक पृथक आवास बोर्ड के गठन से संबंधित सिफारिश पर अभी कार्रवाई नहीं की गयी, क्योंकि

(1) 1991 में संसद द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय आवास नीति के अन्तर्गत, सरकार और इसकी एजेंसियों सीधे-सीधे गृह निर्माण का कार्य न करके सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य करेंगी। इसमें यह व्यवस्था है कि आने वाले समय में सहकारी समितियां, व्यक्ति विशेष और निजी क्षेत्र अहम भूमिका निभायेंगे, जबकि दिल्ली विकास प्राधिकरण केवल योजना बनाएगा। इस प्रकार किसी पृथक आवास बोर्ड की आवयकता नहीं होगी, और

(2) पहले प्रारंभ की गयी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत दर्ज आवेदकों की प्रतीक्षा सूची को पूरा करने का दायित्व, संविदा-शर्तों के अधीन तब तक दिल्ली विकास प्राधिकरण का है, जब तक कि आवासों के निर्माण में उसकी प्रत्यक्ष भूमिका समाप्त नहीं हो जाती।

**बलात्कार संबंधी कानून में संशोधन**

5312. **श्री छीतू भाई गामीत** : क्या **गृह मंत्री** बलात्कार संबंधी कानून में संशोधनों के बारे में 23 दिसंबर, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3536-ए के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को अक्तूबर, 1992 में बाल शिशु, बच्चों के साथ बलात्कार पर हुई गोष्ठी में दिये गये सुझावों के अनुसार महिलाओं, विशेष रूप से नाबालिक बच्चों के साथ किये गये बलात्कार के मामलों से संबंधित वर्तमान कानूनों की पर्याप्तता अथवा अपर्याप्तता के बारे में राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिशें प्राप्त हो गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो आयोग की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का कोई विचार बलात्कार के मामलों, विशेष रूप से नाबालिक बच्चों के साथ बलात्कार संबंधी मामलों में और अधिक प्रभावी, भयोत्पादक तथा कठोर दंड का प्रावधान करने के लिये भारतीय दंड संहिता तथा दंड प्रक्रिया संहिता की संबंधित धाराओं में सशक्त संशोधन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) यदि आयोग की सिफारिशें अभी तक प्राप्त नहीं हैं, तो उनके मंत्रालय को वे कब तक प्राप्त हो जायेंगी ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट)** : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) से (ङ) राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा है कि आयोग ने बच्चों के साथ होने वाले बलात्कार के बारे में अक्तूबर, 1992 में हुई विचार गोष्ठी की रिपोर्ट की जांच का कार्य एक विधि विशेषज्ञ के सुपुर्द किया है। जैसे ही रिपोर्ट प्राप्त होगी, आयोग इस पर विचार करेगा और अपनी अंतिम सिफारिशें, आवश्यक कार्रवाई के लिए सरकार को भेजेगा।

**विदेशी निवेश प्रस्ताव**

5313. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी :**
**श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेप्सी का इंक. अमरीका का ब्रिटिश गैस के संयुक्त उद्यम से वृहत्तर मुम्बई में घर-घर एवं औद्योगिक एककों में पाइप द्वारा गैस पहुंचाने और भारत में 100% नियंत्रक कंपनी स्थापित करने का प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार द्वारा फरवरी, 1994 के अंत तक मंजूर किए गए 50 विदेशी निवेश प्रस्तावों में से एक है, और

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं में कुल कितना पूंजी निवेश किया जाएगा?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा)** : (क) बम्बई नगर गैस वितरण परियोजना के क्रियान्वयन हेतु ब्रिटिश गैस के साथ गैस अथारिटी आफ इंडिगा लि. के संयुक्त उद्यम को स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव को सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

(ख) बम्बई नगर गैस वितरण परियोजना की लागत 443 करोड़ रुपये होना अनुमानित है।

**स्वतंत्रता सेनानियों को ताम्रपत्र**

5314. **श्री जितेन्द्र नाथ दास** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी स्वतंत्रता सेनानी ने ताम्रपत्र लेने से इन्कार किया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इसके क्या कारण हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद)** : (क) उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार, किसी भी स्वतंत्रता सेनानी ने "ताम्रपत्र" स्वीकार करने से इंकार नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**मेडिकल कालेज**

5315. **श्री लाइता उम्ब्रे** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में मेडिकल कालेजों का ब्यौरा क्या है तथा ये कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) क्या इस क्षेत्र में निकट भविष्य में नए मेडिकल कालेज खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द)** : (क) मेडिकल कालेजों के नाम इस प्रकार हैं :

**असम**

1. गुवाहाटी मेडिकल कालेज, गुवाहाटी
2. सिल्चर मेडिकल कालेज, सिल्चर
3. असम मेडिकल कालेज, डिब्रूगढ़

**मणिपुर**

1. क्षेत्रीय मेडिकल कालेज, इम्फाल

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

**[हिन्दी]**

**उत्तराखंड**

5316. **श्री राजेश कुमार** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने 1993 के दौरान उत्तराखंड के मुद्दे पर कोई वार्ता आयोजित की थी;

(ख) यदि हां, तो इस वार्ता के क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में इस मुद्दे पर वार्ता का एक और दौर आयोजित करने का है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद)** : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) राज्य सरकार से एक औपचारिक पत्र प्राप्त होने के बाद ही बातचीत करने की व्यवहार्यता पर विचार किया जा सकता है।

**[अनुवाद]**

**बिहार में कोयला परियोजनाएं**

5317. **श्री राजेश कुमार :**
**डा. मुमताज अंसारी :**
**श्रीमती शीला गौतम :**

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय बिहार में कोयला परियोजनाओं का स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में कोयले का उत्पादन होता है;

(ग) बिहार में गत तीन वर्षों के दौरान शुरू की गई नई कोयला परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार के पास लम्बित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, और

(ङ) इन्हें कब तक स्वीकृति दे दी जायेगी?

**कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा)** : (क) राष्ट्रीयकरण किए जाने के बाद से प्रत्येक 2.00 करोड़ रु. तथा इससे अधिक की लागत की तथा 31-3-1994 तक की अवधि में बिहार राज्य में कुल 4511.79 करोड़ रु. के स्वीकृत परिव्यय सहित तथा अंतिम 85.30 मिलियन टन प्रतिवर्ष की उत्पादन क्षमता सहित 117 खनन परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इन परियोजनाओं की अवस्थिति जिलावार नीचे दी गई है :

| जिला | खनन परियोजनाएं |
|---|---|
| 1 | 2 |
| धनबाद | 53 |
| हजारीबाग | 34 |

| 1 | 2 |
|---|---|
| बोकारो | 13 |
| गिरीडीह | 6 |
| रांची | 5 |
| डाल्टनगंज | 3 |
| दिनोगढ़ | 2 |
| गेड्डा | 1 |

(ख) इन परियोजनाओं से 1993-94 के दौरान 68.78 मिलियन टन (अनंतिम) कोयला का उत्पादन प्राप्त हुआ है।

(ग) प्रत्येक 2.00 करोड़ रु. तथा इससे अधिक की लागत की बिहार में 15 कोयला खनन परियोजनाएं गत तीन वर्षों के दौरान, कुल स्वीकृत पूंजी परिव्यय 459.0 करोड़ रु. तथा 7.94 मिलियन टन प्रतिवर्ष की अंतिम क्षमता के साथ शुरू की गईं।

(घ) और (ङ) बिहार राज्य में स्थित 11 कोयला खनन परियोजनाओं में 1423.71 करोड़ रु. के कुल पूंजी परिव्यय तथा 27.80 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता के साथ कोयला कंपनियों द्वारा सरकार के निर्णय के लिए प्रस्तुत की गई है। चूंकि निवेश का निर्णय भूमि अधिग्रहण, वनीकरण तथा पर्यावरण अनुमोदन, निधियों की उपलब्धता, तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता, आदि जैसे घटकों पर निर्भर करती है, अतः किसी निश्चित समयावधि का उल्लेख नहीं किया जा सकता है।

**कोयला धोवनशालाएं**

5318. **श्री नवल किशोर राय :**
**श्री नीतीश कुमार :**

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी क्षेत्र के संगठनों ने अनुमति प्राप्त करने के बाद भी कोयला धोवन शालाएं स्थापित करने से मना कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन्होंने इस संबंध में और मांगें की हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

**कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा)** : (क) से (ङ) कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा निजी क्षेत्र में अपनी स्वामित्व वाली वाशरियां लगाने तथा प्रचलित किए जाने के आधार पर आमंत्रित

की गई निविदा संबंधी प्रत्युत्तर में 42 कंपनियों ने अपनी पूर्व अर्हक पेशकशें प्रस्तुत की हैं। इस योजना के अन्तर्गत को.इ.लि. कच्चा कोयला मुहैया करेगा और ढुलाई संबंधी प्रभारों की अदायगी करेगा। वे उद्यमियों द्वारा अपेक्षित अन्य तकनीकी सहायता तथा वाशरियों के लिए भूमि की अपेक्षित पट्टेदारी भी मुहैया करेगा। उद्यमियों से अपनी ओर से वाशरियों से निवेश करने, निर्माण करने पुनः चालू किए जाने तथा उनकी कार्यचालन संबंधी कार्रवाई किए जाने की आशा है। को.इं.लि. द्वारा वाशरियों को स्थापित किए जाने के लिए 5 स्थलों को विनिर्दिष्ट किया गया है।

**[हिन्दी]**

**एड्स की रोकथाम**

5319. **श्री परशुराम गंगवार :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी अस्पताल में मलेरिया की जांच के लिए गैर-कीटाणु रहित एक ही सुई का अनेक बार प्रयोग किया जाता है, और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं, क्योंकि इससे एड्स फैलने की संभावना है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**उत्तर प्रदेश में रसोई गैस की आपूर्ति**

5320. **श्री सत्यदेव सिंह :**
**श्री राजेश अग्निहोत्री :**
**श्री ब्रजभूषण शरण सिंह :**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में रसोई गैस को अबाध आपूर्ति के लिए क्या प्रयास किए गए हैं, और

(ख) गत वर्ष के दौरान रसोई गैस की मांग और आपूर्ति का ब्यौरा क्या है ?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) :** (क) वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के मौजूदा उपभोक्ताओं की मांग आमतौर पर राज्य में स्थित 11 एल.पी.जी. भरण संयंत्रों के माध्यम से पूरी की जा रही है। इसके अतिरिक्त असौटी (हरियाणा) और लालरू (पंजाब) में स्थित एल.पी.जी. भरण संयंत्रों से भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समीपवर्ती बाजारों को आपूर्तियां की जाती हैं। जब भी अस्थायी बैकलाग उत्पन्न हो जाता है, तब बढ़ाए गए घंटों और रविवार व अवकाश के दिनों के दौरान भरण संयंत्रों के प्रचालन के माध्यम से आपूर्तियों में वृद्धि करके इसे निष्पादित करने की कार्रवाई की जाती है।

(ख) अप्रैल, 1993 से मार्च, 1994 की अवधि के दौरान लगभग 325948 मीट्रिक टन की अनुमानित मांग की तुलना में आपूर्ति लगभग 346630 मीट्रिक टन थी।

**क्षयरोग नियंत्रण मिशन**

5321. **श्री उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नया क्षयरोग नियंत्रण मिशन चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस मिशन के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(घ) यह कब से चलाया जाएगा ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द)** : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

**[अनुवाद]**

**"मेडिकल स्टोर्स" डिपो**

5322. **श्री राम निहोर राय** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी मेडिकल स्टोर्स डिपुओं द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान बजट आबंटन की तुलना में कितने मूल्य की खरीद की गई, और

(ख) इन डिपुओं को बजट आबंटन में अधिक खरीद नहीं करने देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द)** : (क) 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान हर वर्ष आबंटित किए गए बजट के मुकाबले सरकारी चिकित्सा सामग्री भंडार डिपुओं द्वारा की गई खरीद का मूल्य इस प्रकार है :

(करोड़ रुपये में)

| वर्ष | बजट अनुमान | संशोधित अनुमान | किया गया व्यय |
|---|---|---|---|
| 1991-92. | 78.04 | 78.04 | 78.91 |
| 1992-93 | 81.94 | 90.10 | 89.93 |
| 1993-94 | 91.83 | 100.00 | 100.00 |

(ख) चिकित्सा सामग्री भंडार डिपुओं को निर्देश दिया गया है कि वे खरीद बजट प्रावधानों के भीतर करें।

[हिन्दी]

**उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या**

5323. **श्री अर्जुन सिंह यादव :**
**श्री हरि केवल प्रसाद :**

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कितनी है;

(ख) उनमें से कितने लोग शहरी और कितने लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं;

(ग) क्या सरकार ने उनके विकास के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्कावालू)** : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के समाजार्थिक विकास हेतु अनुसूचित जाति के लिए विशेष संघटक योजना तथा आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, दुग्ध विकास, ग्राम तथा लघु उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि क्षेत्रों के अंतर्गत विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

**विवरण**

| | (जनसंख्या 1991 जनगणना) | कुल जनसंख्या की प्रतिशतता | ग्रामीण | शहरी |
|---|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाति | 29276455 | 21.05 | 25823388 | 3453067 |
| अनुसूचित जनजाति | 287901 | 0.21 | 271028 | 16873 |

**रसोई गैस की आपूर्ति**

5324. **डा. काशी राम राणा :**
**श्री महेश कनोडिया :**
**डा. गुणवंत रामभाऊ सरोदे :**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गुजरात और महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों में पाइपलाइन द्वारा रसोई गैस की आपूर्ति करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन शहरों में गैस पाइपलाइन बिछाने की योजना थी, और

(ग) 3 मार्च, 1994 तक किन-किन शहरों में गैस पाइपलाइन बिछाने का कार्य पूरा कर लिया गया है ?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा)** : (क) गुजरात और महाराष्ट्र के नगरों में पाइपलाइन के माध्यम से एल.पी.जी. की आपूर्ति करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

**[अनुवाद]**

**केरल में कुष्ठरोग अस्पताल**

5325. **प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में सरकारी कुष्ठरोग अस्पताल, कोरल्टी को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है, और

(ख) यदि हां, तो 1993-94 के दौरान कुष्ठ रोग से ठीक हुए व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**तेल संशोधन क्षेत्र के लिए सुधार कार्यक्रम**

5326. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एशिया विकास बैंक को भारतीय तेल शोधन क्षेत्र के लिए कोई सुधार कार्यक्रम भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस पर एशिया विकास बैंक की क्या प्रतिक्रिया है ?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा)** : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि भारत सरकार ने 1993 के दौरान रिफाइनरी क्षेत्र हेतु ऊर्जा संरक्षण तथा पर्यावरण परियोजनाओं के वित्त पोषण के संबंध में 147 मिलियन अमरीकी डालर हेतु एशियाई विकास बैंक के साथ ऋण करार किया है।

**केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय**

5327. **श्री मोहन रावले :**
**श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1994 तक प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी औषधालय कितने-कितने हैं;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों एवं संघ-राज्य क्षेत्रों में केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और युनानी औषधालयों की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) :** (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) 1994-95 की वार्षिक योजना में निम्नलिखित यूनिटें स्थापित करने का प्रस्ताव है :

| | | |
|---|---|---|
| होमियोपैथिक | - | 3 |
| आयुर्वेदिक | - | 3 |
| यूनानी | - | 2 |

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

**विवरण**

**केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत 31 मार्च, 1994 को एलोपैथिक, होमियोपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी औषधालयों की संख्या**

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | एलोपैथिक | आयुर्वेदिक | होमियोपैथिक | यूनानी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 14 | 2 | 2 | 2 |
| 2. | बिहार | 6* | 1 | 1 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | गुजरात | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 4. | हरियाणा | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5. | कर्नाटक | 10 | 2 | 1 | 0 |
| 6. | मध्य प्रदेश | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | महाराष्ट्र | 45 | 5 | 7 | 0 |
| 8. | उड़ीसा | 1* | 0 | 0 | 0 |
| 9. | राजस्थान | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 10. | तमिलनाडु | 14 | 1 | 1 | 0 |
| 11. | उत्तर प्रदेश | 30 | 4 | 5 | 1 |
| 12. | पश्चिम बंगाल | 17 | 1 | 2 | 1 |
| 13. | दिल्ली | 81 | 12 | 13 | 4 |
| | कुल | 233 | 31 | 34 | 8 |

*एक-एक औषधालय केवल महालेखाकार के कर्मचारियों के लिए है।

**गुजरात में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए कल्याण योजनाएं**

5328. **श्रीमती भावना चिखलिया** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1992-93 और 1993-94 के दौरान गुजरात में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत कोई लक्ष्य निर्धारित किए थे;

(ख) क्या इन लक्ष्यों को पूरा कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं/उठाए जायेंगे ?

**कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्कावालू)** : (क) जी, हां। 15 सूत्री कार्यक्रम (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को न्याय) के सूत्र II (क) तथा II (ख) के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लक्ष्य निर्धारित हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान गुजरात राज्य से संबंधित लक्ष्य और उपलब्धियां निम्न प्रकार हैं :

| वर्ष | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | कुल |
|---|---|---|---|
| **1992-93** | | | |
| लक्ष्य | 60,000 | 80,000 | 1,40,000 |
| उपलब्धियां | 58,999 | 92,638 | 1,51,637 (108%) |
| **1993-94** | | | |
| लक्ष्य | 61,000 | 82,000 | 1,43,000 |
| उपलब्धियां | 61,316 | 82,642 | 1,43,958 (101%) |

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

**एल.पी.जी. एजेंसियां**

5329. **श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कम्पनीवार और राज्यवार कुल कितनी एल.पी.जी. एजेंसियां कार्य कर रही हैं;

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को पृथक-पृथक कितनी एल.पी.जी. एजेंसियां आवंटित की गई हैं;

(ग) जनजातियों को आवंटित कितनी एजेंसियां अर्थक्षम नहीं हैं, और

(घ) सरकार द्वारा घाटे को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जायेगी?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा)** : (क) और (ख) 1-4-1994 के अनुसार संपूर्ण देश में 4292 एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपों प्रचालन कर रही थीं, जिसमें से एल.पी.जी. की 482 डिस्ट्रीब्यूटरशिपें अनुसूचित जाति की तथा 188 अनुसूचित जनजाति की थीं।

(ग) अनुसूचित जाति की 97 एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप के व्यवहार्यता स्तर से नीचे प्रचालन कर रही थी।

(घ) इन डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के माध्यम से क्रमिक वर्षों में और अधिक कनेक्शन जारी कर के उन्हें व्यवहार्यता स्तर तक लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इन डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के प्रचालन क्षेत्र को बढ़ाने पर भी विचार किया जाता है।

**मैच वैक्स का आवंटन**

5330. **श्री जंगवीर सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैच वैक्स के नियमित आवंटन के पश्चात देश में "मैच वैक्स" अधिशेष हो गया है और सरकार राज्य सरकारों की आवश्यकताओं को पूरी तरह पूरा कर रही है;

(ख) हरियाणा की मासिक मांग कितनी है;

(ग) क्या हरियाणा और जम्मू और कश्मीर दोनों को 1993 के दौरान "मैच वैक्स" का तदर्थ आवंटन दो बार किया गया था;

(घ) यदि हां, तो हरियाणा को "मैच वैक्स" का नियमित आवंटन किन परिस्थितियों में नहीं किया गया, जबकि जम्मू और कश्मीर को नियमित आवंटन आरंभ कर दिया गया है, और

(ङ) हरियाणा को "मैच वैक्स" के नियमित आवंटन हेतु कदम उठाए जा रहे हैं ?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा)** : (क) वर्तमान में पैराफिन वैक्स-टाइप III (मैच वैक्स) की कोई अधिशेष उपलब्धता नहीं है। उत्पाद को आसानी से उपलब्ध बनाने हेतु पैराफिन वैक्स को 1-4-92 से नियंत्रण मुक्त कर दिया गया है।

(ख) उद्योग निदेशालय, हरियाणा ने लगभग 700 मीट्रिक टन प्रति माह पैराफिन वैक्स टाइप-III (मैच वैक्स) के लिए अनुरोध किया है।

(ग) से (ङ) इस विशेष समय में वैक्स का तदर्थ आवंटन किया गया था। राज्य सरकार की मांग पर निर्णय गुण-दोष के आधार पर लिया जाता है।

**प्रजनन और जनन क्षमता**

5331. **श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रजनक स्वास्थ्य संरक्षा संबंधी राष्ट्रीय विचार-गोष्ठी एवं प्रजनन और जनन-क्षमता के अध्ययन हेतु "इंडियन सोसायटी" का वार्षिक सम्मेलन फरवरी, 1994 में आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सम्मेलन में क्या-क्या मुख्य टिप्पणियां एवं सुझाव दिये गये, और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानंद)** : (क) और (ख) आयोजकों द्वारा सूचित किए गए के अनुसार, इस संगोष्ठी में जन्म नियंत्रण और अप्रजननता के उपचार में हाल ही के विकासों के बारे में विचार-विमर्श किया गया, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के प्रजननात्मक स्वास्थ्य में सुधार के दृष्टिकोणों पर जोर दिया गया।

(ग) इस बैठक की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

**[हिन्दी]**

## रसोई गैस एजेंसियों के विरुद्ध शिकायतें

5332. **श्री खेलन राम जांगडे** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में स्थित ऐसी रसोई गेस एजेंसियों का ब्यौरा क्या है, जिनके विरुद्ध 1991, 1992 और 1993 के दौरान शिकायतें प्राप्त की गई हैं और उपभोक्ताओं ने किस प्रकार की शिकायतें की हैं, और

(ख) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री** : (क) और (ख) मध्य प्रदेश में 1991, 1992 तथा 1993 के दौरान एल.पी.जी. (रसोई गैस) एजेंसियों के विरुद्ध प्राप्त हुई शिकायतें तथा उन पर की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न है।

**विवरण**

| क्र. सं. | डिस्ट्रीब्यूटर का नाम | शिकायत की किस्म | की गई कार्रवाई |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | **1991** | | |
| 1. | श्योपुर गैस (आई.ओ.सी.) श्योपुरकलां | रिफिलों की आपूर्ति में अनियमितता | डिस्ट्रीब्यूटर को सावधान कर दिया गया है। |
| 2. | बालाजी गैस कं. (आई.ओ.सी.) बिलासपुर | –वही– | –वही– |
| 3. | सुन्दरम गैस (आई.ओ.सी.) इन्दौर | रिफिल की आपूर्ति में विलंब | –वही– |
| 4. | आटो हाउस (आई.ओ.सी.) भोपाल | –वही– | डिस्ट्रीब्यूटर को चेतावनी दे दी गई है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 5. | रायगढ़ गैस सर्विस (आई.ओ.सी.) राजगढ़ | –वही– | डिस्ट्रीब्यूटर को सावधान कर दिया गया है। |
| 6. | प्रकाश गैस सर्विस (आई.ओ.सी.) रायपुर | –वही– | –वही– |
| 7. | कोरबा गैस एजेंसी (आई.ओ.सी.) कोरबा | –वही– | –वही– |
| 8. | रितुराज एजेंसी (आई.ओ.सी.) भिलाई | –वही– | –वही– |
| 9. | पालीवाल गैस (आई.ओ.सी.) पिपारिया | ग्राहक पुस्तिका जारी करने में विलंब | –वही– |
| 10. | गोल्डन गैस (आई.ओ.सी.) नागदा | गोदाम/शोरूम पर ही सप्लाई लेने पर मजबूर करना। | डिस्ट्रीब्यूटर को चेतावनी दी गई। |
| 11. | लक्की गैस एजेंसी (आई.ओ.सी.) मोरवा | धरोहर राशि वापस नहीं की | –वही– |
| 12. | पंवार इंटरप्राइजेज (आई.ओ.सी.) रीवा | –वही– | डिस्ट्रीब्यूटर को चेतावनी दी गई। |
| 13. | राय गैस एजेंसी (एच.पी.सी.एल.) बीना | घर पर सप्लाई नहीं की जाती/कनेक्शन देने में में विलंब। | सावधानी/चेतावनी पत्र |
| 14. | रूपा गैस एजेंसी (एच.पी.सी.एल.) भोपाल | रिफिल की आपूर्ति में विलंब/रूखा व्यवहार। | सावधानी पत्र |
| 15. | रिचा इंटरप्राइजेज (एच.पी.सी.एल.) बुरहार | रिफिल की आपूर्ति में विलंब | –वही– |
| 16. | तोपरानी गैस एजेंसी (एच.पी.सी.एल.), देवास | –वही– | –वही– |
| 17. | बुक एंड कुक (एच.पी.सी.एल.) भोपाल | –वही– | –वही– |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 18. | दिव्या फ्लेम (एच.पी.सी.एल.) भोपाल | रिफिल के वितरण में अनियमितता | सावधानी पत्र |
| 19. | गुप्ता ब्रदर्स (एच.पी.सी.एल.) कटनी | –वही– | –वही– |
| 20. | बाला जी गैस (एच.पी.सी.एल.) हरदा | –वही– | –वही– |
| 21. | अमरदीप गैस एजेंसी (एच.पी.सी.एल.), सिनोहवा | कनेक्शन देने में विलंब | –वही– |
| 22. | कटनी गैस एजेंसी (एच.पी.सी.एल.), कटनी | –वही– | चेतावनी/सावधानी पत्र |
| 23. | आशान्वित इंटरप्राइजेज (एच.पी.सी.एल.), इन्दौर | –वही– | सावधानी पत्र |
| 24. | कल्याण गैस एजेंसी (एच.पी.सी.एल.), रायपुर | रिफिल की आपूर्ति में विलंब/ टी.वी. के प्रति पैसा वापस न देना। | –वही– |
| 25. | विनीत गैस (बी.पी.सी.एल.) भोपाल | आपूर्ति में विलंब/हाट प्लेट की जबरन बिक्री | डिस्ट्रीब्यूटर को चेतावनी दी गई। |
| 26. | राजा गैस (बी.पी.सी.एल.) ग्वालियर | हाट प्लेट की जबरन बिक्री | –वही– |
| **वर्ष 1992** | | | |
| 1. | प्रदीप इंटरप्राईजेज (आई.ओ.सी.) | टी.वी. ग्राहक के नामांकन से इनकार | डिस्ट्रीब्यूटर को चेतावनी दी गई। |
| 2. | आटो हाउस (आई.ओ.सी.) भोपाल | रिफिल की आपूर्ति में विलंब | –वही– |
| 3. | एस.बी. गैस (आई.ओ.सी.) भोपाल | –वही– | डिस्ट्रीब्यूटर को सावधान किया गया। |
| 4. | जौहर गैस (आई.ओ.सी.) भोपाल | –वही– | –वही– |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 5. | जयदका गैस (आई.ओ.सी.) भोपाल | रिफिल की आपूर्ति में विलम्ब | डिस्ट्रीब्यूटर को चेतावनी दी गई। |
| 6. | अविराट गैस (आई.ओ.सी.) होसंगाबाद | –वही– | डिस्ट्रीब्यूटर को सावधान किया गया। |
| 7. | दामोह गैस (आई.ओ.सी.) दामोह | प्राथमिकता कनेक्शन जारी करने से इन्कार करना। | डिस्ट्रीब्यूटर को चेतावनी दी गई। |
| 8. | आर.के. डिस्ट्रीब्यूटर (आई.ओ.सी.) भोपाल | रिफिल की आपूर्ति में विलंब | डिस्ट्रीब्यूटर को सावधान किया गया। |
| 9. | कैलाश गैस (आई.ओ.सी.) ग्वालियर | पी.आर. रिसाव के लिए शुल्क लिया गया। | वितरक को चेतावनी दी गई। |
| 10. | आर.के. डिस्ट्रीब्यूटर (आई.ओ.सी.) भोपाल | अनिवार्य जांच नहीं की गई। | वितरक को चेतावनी दी गई। |
| 11. | जोहार गैस (आई.ओ.सी.) भेपाल | अनिवार्य जांच नहीं की गई | वितरक को चेतावनी दी गई। |
| 12. | एस.बी. गैस (आई.ओ.सी.) भोपाल | ग्राहकों से रिसने वाले सिलेंडरों को शोरूम लाने के लिए कहा। | वितरक को सावधान किया गया। |
| 13. | डी.वी. गैस (आई.ओ.सी.) जगदलपुर | रिफिल बुक करने से इनकार किया, अधिक शुल्क लेना। | वितरक को चेतावनी दी गई। |
| 14. | गंगोत्री गैस (आई.ओ.सी.) महेन्द्रगढ़ | रिफिल बुक करने से इनकार किया, अधिक शुल्क लेना। | वितरक को चेतावनी दी गई। |
| 15. | रूपा गैस एजेंसीज (एच.पी.सी.एल.), भोपाल | रिफिल वितरण में धांधली | चेतावनी पत्र |
| 16. | सुविधा फ्लेम्स (एच.पी.सी.एल.) इटारसी | रिफिल वितरण में धांधली | चेतावनी पत्र |
| 17. | अभिषेक (एच.पी.सी.एल.) देवारस | रिफिल आपूर्ति में विलंब | चेतावनी पत्र |
| 18. | एम.पी. स्टेट कंसफैड (एच.पी.सी.एल.) खांडवा | रूखा व्यवहार | चेतावनी पत्र |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 19. | कटनी गैस सर्विस (एच.पी.सी.एल.), कटनी | दुबारा कनेक्शन देने में विलंब | सावधानी पत्र |
| 20. | सारथ एजेंसीज (एच.पी.सी.एल.) भोपाल | दुबारा कनेक्शन देने में विलंब | सावधानी पत्र |
| 21. | जसवंत राज सिंह (एच.पी.सी.एल.) राजगढ़ | टी.वी. के प्रति जमा को न लौटाना/त्रुटिपूर्ण सिलेंडर को न बदलना। | सावधानी पत्र/ सुधार हेतु सुझाव |
| 22. | कल्याण गैस एजेंसी (एच.पी.सी.एल.), रायपुर | नाम परिवर्तन को दर्ज नहीं किया गया। | सावधानी पत्र |
| 23. | शिवा गैस एजेंसी (एच.पी.सी.एल.) अम्बिकापुर | प्रतिभूति न लौटाना | सावधानी पत्र |
| 24. | अमर गैस एजेंसी (एच.पी.सी.एल.) विलासपुर | नये कनेक्शन दुबारा न देना | सावधानी पत्र |
| 25. | रायपुर गैस (एच.पी.सी.एल.) रायपुर | नए कनेक्शन दुबारा न देना | सावधानी पत्र |
| 26. | विनीत गैस (बी.पी.सी.एल.) भोपाल | रिफिल आपूर्ति में विलंब/ हाट प्लेट के लिए दबाव डालना। | वितरक को चेतावनी |
| 27. | नन्दीश्वर गैस (बी.पी.सी.एल.) इंदौर | मैकेनिक सहायता देने में विलंब/नए कनेक्शन लगाने में विलंब। | वितरक को चेतावनी |
| 28. | समिधा गैस (बी.पी.सी.एल.) ग्वालियर | हाट प्लेट के लिए दबाव डालना | वितरक को चेतावनी |
| 29. | गैस सेंटर (बी.पी.सी.एल.) उज्जैन | रिफिल के लिए अधिक पैसा लेना | डिलीवरी मैन की जांच के लिए चेतावनी वितरक को दी गई। |
| **वर्ष 1993** | | | |
| 1. | राय गैस (आई.ओ.सी.) भोपाल | रिफिल आपूर्ति में विलंब | वितरक को सावधानी पत्र |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 2. | आटो हाउस (आई.ओ.सी.) भोपाल | रिफिल आपूर्ति में विलंब | वितरक को सावधानी पत्र |
| 3. | आर.के. डिस्ट्री. (आई.ओ.सी.) भोपाल | रिफिल आपूर्ति में विलंब | वितरक को सावधानी पत्र |
| 4. | एस.बी. गैस (आई.ओ.सी.) भोपाल | रिफिल आपूर्ति में विलंब | वितरक को सावधानी पत्र |
| 5. | अर्चना गैस (आई.ओ.सी.) भोपाल | रिफिल आपूर्ति में विलंब | वितरक को सावधानी पत्र |
| 6. | जैडका गैस (आई.ओ.सी.) सागर | रिफिल आपूर्ति में विलंब | वितरक को सावधानी पत्र |
| 7. | रायगढ़ गैस सर्विस (आई.ओ.सी.) रायगढ़ | रिफिल आपूर्ति में विलंब | वितरक को सावधानी पत्र |
| 8. | आर.के. डिस्ट्री. (आई.ओ.सी.) भोपाल | मैकेनिक भेजने में विलंब | वितरक को सावधानी पत्र |
| 9. | गैस ओ माऊ (आई.ओ.सी.) मऊ | रिफिल आपूर्ति में विलंब | वितरक को सावधानी पत्र |
| 10. | एस.बी. गैस (आई.ओ.सी.) भोपाल | रिफिल बुक करने से इनकार करना | वितरक को सावधानी पत्र |
| 11. | आटो हाउस (आई.ओ.सी.) भोपाल | रिफिल बुक करने से इनकार करना | वितरक को सावधानी पत्र |
| 12. | जयदीप गैस (एच.पी.सी.एल.) भिलाई | टी.वी. नहीं देना | सावधानी पत्र |
| 13. | जसवंत राज (एच.पी.सी.एल.) रायगढ़ | नए कनेक्शन देने में विलंब | सावधानी पत्र |
| 14. | बंगला गैस (एच.पी.सी.एल.) बिलासपुर | नए कनेक्शन देने में विलंब | सावधानी पत्र |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 15. | शिवा गैस एजेंसी (एच.पी.सी.एल.), अम्बिकापुर | डी.बी.सी. दर्ज नहीं करना | सावधानी पत्र |
| 16. | विनीत गैस (बी.पी.सी.एल.) भोपाल | आपूर्ति में विलंब/हाट प्लेट के लिए दबाव देना | वितरक को चेतावनी |
| 17. | मोदी गैस (बी.पी.सी.एल.) मऊ | रिफिल के लिए अधिक पैसा लेना | डिलीवरी मैन की जांच के लिए वितरक को चेतावनी |
| 18. | नंदीश्वर गैस (बी.पी.सी.एल.) इंदौर | रिफिल के लिए अधिक पैसा लेना | डिलीवरी मैन की जांच के लिए वितरक को चेतावनी |
| 19. | अमरदीप गैस (एच.पी.सी.एल.) सैंधवा | विलंबित आपूर्ति | वितरक को चेतावनी |
| 20. | नन्दा गैस (एच.पी.सी.एल.) खांडवा | विलंबित आपूर्ति | सावधानी पत्र |
| 21. | दिव्या फ्लेम्स (एच.पी.सी.एल.) भोपाल | रूखा व्यवहार | सावधानी पत्र |
| 22. | रूपा गैस (एच.पी.सी.एल.) भोपाल | हाट प्लेट के लिए दबाव | चेताया गया |
| 23. | सारा गैस (एच.पी.सी.एल.) भोपाल | मुफ्त बदलने से इनकार | सावधानी पत्र |
| 24. | नर्मदा गैस (एच.पी.सी.एल.) शहडोल | नए कनेक्शन देने में विलंब | सावधानी पत्र |

[अनुवाद]

**अस्पताल के लिए जापान द्वारा सहायता**

5333. **श्री दत्तात्रेय बंडारू :**
**श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**

**क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को हैदराबाद के उस्मानिया सामान्य अस्पताल के लिए जापानी सहायता हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है, और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द)** : (क) जी, हां।

(ख) इसका जापानी सहायता के लिए प्रस्ताव किया गया है।

**[हिन्दी]**

**निराश्रित बच्चे**

5334. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :**
**श्री लाल बाबू राय :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अपेक्षित निराश्रित बच्चों के लिए विभिन्न कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार इसमें कितनी सफलता मिली है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई और कितनी धनराशि का उपयोग किया गया, और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाएंगे ?

**कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्कावालू)** : (क) और (ख) देश में उपेक्षित तथा निराश्रित बच्चों को, देशभाल तथा सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के कल्याण की योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना थी, जिसे 1-4-1992 से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरित कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत कोई राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। वर्ष 1993-94 के आगे बेसहारा बच्चों के कल्याण की एक नई केन्द्रीय योजना आरंभ की गई है। इस योजना में 1994-95 तक 37 नगरों को शामिल करते हुए लगभग 20,100 बच्चों के लाभान्वित होने की आशा है। अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) बेसहारा बच्चों के कल्याण की केन्द्रीय योजना, जोकि स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है और देखभाल तथा सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के कल्याण की योजना, जो राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठन तथा निराश्रित बेसहारा बच्चों के पुनर्वास हेतु कार्य कर रहे हैं।

**विवरण**

**देखभाल तथा सुरक्षा के जरूरतमंद बच्चों की योजना**

**(दिनांक 1-4-92 से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरित)**

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | के दौरान निर्मुक्त अनुदान (रु. लाख में) | | के दौरान कवर किए गए बच्चों की संख्या | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1991-92 | 1992-93 | 1991-92 | 1992-93 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 22.88 | 22.88 | 1983 | 1983 |
| 2. | असम | 8.07 | 8.07 | 695 | 695 |
| 3. | बिहार | 2.83 | 2.83 | 675 | 675 |
| 4. | गुजरात | 10.03 | 10.03 | 925 | 925 |
| 5. | हरियाणा | 6.56 | 6.56 | 450 | 450 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 1.45 | 1.45 | 67 | 67 |
| 7. | कर्नाटक | 48.21 | 48.21 | 3875 | 3875 |
| 8. | केरल | 15.19 | 15.19 | 1125 | 1125 |
| 9. | मध्य प्रदेश | 6.41 | 6.41 | 475 | 475 |
| 10. | महाराष्ट्र | 34.82 | 34.82 | 2507 | 2507 |
| 11. | मणिपुर | 1.35 | 1.35 | 100 | 100 |
| 12. | मेघालय | 7.87 | 7.87 | 550 | 550 |
| 13. | नागालैंड | 5.74 | 5.74 | 425 | 425 |
| 14. | उड़ीसा | 50.91 | 50.91 | 3338 | 3338 |
| 15. | राजस्थान | 6.96 | 6.96 | 650 | 650 |
| 16. | पंजाब | 2.24 | 2.24 | 82 | 82 |
| 17. | तमिलनाडु | 148.86 | 148.86 | 10.473 | 10.473 |
| 18. | उत्तर प्रदेश | 31.09 | 31.09 | 3059 | 3059 |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 19. त्रिपुरा | 5.40 | 5.40 | 400 | 400 |
| 20. सिक्किम | 1.35 | 1.35 | 100 | 100 |
| 21. पश्चिम बंगाल | 68.23 | 68.23 | 5140 | 5140 |
| 22. अरुणाचल प्रदेश | 3.11 | 3.11 | 320 | 320 |
| 23. गोवा | 4.98 | 4.98 | 448 | 448 |
| 24. मिजोरम | 0.34 | 0.34 | 25 | 25 |
| 25. जम्मू और कश्मीर | 0.45 | 0.45 | 25 | 25 |
| 26. दिल्ली | 9.45 | 9.45 | 350 | 350 |
| 27. अंडमान निकोबार द्वीप समूह | 2.70 | 2.70 | 100 | 100 |
| 28. पांडिचेरी | 12.90 | 12.90 | 675 | 675 |
| कुल | 520.38 | 5.20.38 | 39037 | 39037 |

**2. आवारा-बेसहारा बच्चों के कल्याण की योजना (1993-94 से शुरू की गई)**

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | 1993-94 के दौरान स्वैच्छिक संगठन को निर्मुक्त सहायता अनुदान (रुपए लाख में) | कवर किए गए अनुमानित बच्चों की संख्या 1993-94 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 0.62 | 300 |
| 2. | गुजरात | 8.05 | 900 |
| 3. | कर्नाटक | 6.44 | 900 |
| 4. | महाराष्ट्र | 17.11 | 2400 |
| 5. | उत्तर प्रदेश | 12.32 | 1200 |
| 6. | पश्चिम बंगाल | 27.74 | 2100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 7. | दिल्ली | 18.22 | 2100 |
| 8. | तमिलनाडु | 20.95 | 7800 |
| | | 111.45 | 11700 |

[अनुवाद]

**आत्मरक्षा के उपाय**

5335. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्वालियर के निकट टेकनपुर स्थित सीमा सुरक्षा बल की अश्रुगैस उत्पादन इकाई द्वारा हाल ही में प्रदाहक छिड़काव के टिन के डिब्बे के रूप में आत्मरक्षा हेतु एयरोसोल उपकरण तैयार किया गया है, और

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट)** : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) अश्रुगैस एकक, टेकनपुर द्वारा विकसित युक्ति में दाबानुकूलित धारित में पैक परम्परागत सी.एन. इरीटेंट होता है। इस युक्ति को दो आकृतियों में बनाया गया है–पहली सुगंध स्प्रे कनस्तर से मिलती जुलती और दूसरी एक "पिस्टल ग्रिप" स्वरूप वाली। किसी उपद्रवी के मुंह पर 4 से 6 फुट की दूरी से स्प्रे किए जाने पर इससे तुरंत ही बेचैनी होती है और इससे आंखें बन्द हो जाती हैं तथा प्रभावित स्थान पर जलन होती है। दो आकारों-25 कि.ली. और 60 मि.ली. में उपलब्ध इस युक्ति को एक साल तक सक्रिय रखा जा सकता है।

**खुदरा बिक्री केन्द्र**

5336. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1993 की स्थिति के अनुसार पिछले खुदरा बिक्री केन्द्रों से संबंधित विपणन योजनाओं में से राज्यवार कितने स्थानों पर ये केन्द्र आवंटित किये जाने हैं;

(ख) 1988-93 के लिए चालू योजना के अन्तर्गत राज्यवार कितने स्थानों का चयन किया गया है;

(ग) 1993-94 के दौरान राज्यवार कितने स्थानों पर ये केन्द्र आवंटित किए गए;

(घ) 1988-93 के दौरान राज्यवार कितने स्थानों पर खुदरा बिक्री केन्द्रों ने कार्य करना शुरू कर दिया;

(ङ) 1993-94 के दौरान राज्यवार कितने अतिरिक्त स्थानों का चयन किया गया, और

(च) 1 अप्रैल, 1994 की स्थिति के अनुसार चयन किए गए कितने स्थान आवंटन हेतु विचाराधीन हैं ?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) :** (क) से (घ) आवश्यक सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) उन स्थानों को विपणन में सम्मिलित किया जाता है, जो मात्रा दूरी से संबंधित तेल उद्योग के व्यवहार्यता मानकों को पूर्ण करते हैं। 1988-93 के बाद की खुदरा बिक्री केन्द्र विपणन योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(च) 1-4-94 तक 1410 स्थान आवंटन के लिए लंबित थे।

**विवरण**

| क्र. सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | गत खुदरा बिक्री केन्द्र विपणन योजना में लंबित स्थानों की संख्या | चालू विपणन योजना के अंतर्गत निर्दिष्ट खुदरा बिक्री केन्द्र स्थानों की संख्या (1988-93) | 1993-94 में आबंटितों स्थानों की संख्या | 1988-93 में शुरू किये गए स्थानों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 20 | 65 | 43 | 68 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 1 | 3 | 3 | 5 |
| 3. | असम | 6 | 39 | 10 | 34 |
| 4. | बिहार | 72 | 188 | 77 | 84 |
| 5. | गोवा | 7 | 7 | 4 | 6 |
| 6. | गुजरात | 56 | 53 | 23 | 57 |
| 7. | हरियाणा | 17 | 47 | 25 | 36 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 4 | 15 | 7 | 7 |
| 9. | जम्मू और कश्मीर | 7 | 14 | – | 5 |
| 10. | कर्नाटक | 18 | 70 | 53 | 53 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11. | केरल | 14 | 38 | 29 | 37 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 50 | 102 | 74 | 71 |
| 13. | महाराष्ट्र | 54 | 23 | 43 | 96 |
| 14. | मणिपुर | – | 5 | 1 | 9 |
| 15. | मेघालय | 4 | 7 | 4 | 9 |
| 16. | मिजोरम | 1 | 3 | – | 4 |
| 17. | नागालैंड | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 18. | उड़ीसा | 19 | 29 | 20 | 40 |
| 19. | पंजाब | 14 | 57 | 28 | 26 |
| 20. | राजस्थान | 40 | 115 | 36 | 100 |
| 21. | सिक्किम | – | 6 | – | 2 |
| 22. | तमिलनाडु | 33 | 96 | 61 | 62 |
| 23. | त्रिपुरा | – | 4 | – | 1 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 100 | 364 | 98 | 228 |
| 25. | वेस्ट बंगाल | 39 | 34 | 19 | 63 |
| | **संघ राज्य क्षेत्र** | | | | |
| 1. | अंडमान | – | 1 | – | 1 |
| 2. | चंडीगढ़ | – | 2 | 5 | 3 |
| 3. | दादरा और नागर हवेली | – | – | – | – |
| 4. | दिल्ली | 10 | 65 | 40 | 13 |
| 5. | दमन और दीव | – | 1 | 1 | – |
| 6. | लक्षदीप | – | – | – | – |
| 7. | पांडिचेरी | – | 4 | 2 | 2 |
| | कुल जोड़ | 598 | 1519 | 707 | 1127 |

**प्राकृतिक गैस की कमी**

5337. **श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :**
**श्री तारा सिंह :**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्राकृतिक गैस की भारी कमी से उर्वरक क्षमता के व्यापक विस्तार की योजनाएं प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई हैं;

(ख) क्या प्राकृतिक गैस की कमी को पूरा करने हेतु सरकार ने विदेशों के साथ संयुक्त उद्यम लगाने की संभावनाओं का पता लगाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) देश में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता बनाए रखने के लिए सरकार का अन्य क्या कदम उठाने का विचार है;

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) :** (क) से (घ) प्राकृतिक गैस के उत्पादन में वृद्धि के लिए सरकार ने अनेक अल्पावधिक तथा मध्यावधिक उपाए शुरू किए हैं, जिनमें छोटे और मध्यम क्षेत्रों में अन्वेषण और विकास के लिए निजी पार्टियों की भागीदारी तथा मध्यपूर्व से गैस का आयात भी शामिल है, जिससे उर्वरक क्षेत्र सहित समस्त क्षेत्रों की मांग के लिए गैस की उपलब्धता में वृद्धि होगी।

**[हिन्दी]**

**स्वास्थ्य कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत बिहार की बकाया धनराशि**

5338. **श्री लाल बाबू राय :**
**श्री राम कृपाल यादव :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए दी गई कुल धनराशि में से बकाया धनराशि अभी भी नहीं दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं, और

(ग) शीघ्र धनराशि देते हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) :** (क) और (ख) 1990-91 तक प्राप्त हुए व्यय के अंकेक्षित विवरणों के आधार पर बिहार सरकार को बकाया के रूप में 5442.15 लाख रुपये देय हैं। 1751.37 लाख रुपये की शेष धन राशि को छोड़कर इन बकाया राशियों के लिए पिछले 2 वर्षों में 3690.78 लाख रुपये की धनराशि रिलीज की गई है।

(ग) 1994-95 के दौरान बकाया धन राशि दे दिए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

**रोगी देखभाल भत्ता**

5339. **श्री अमर रायप्रधान** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कितने प्रसूति अस्पताल और कितने आयुर्वेदिक अस्पताल कार्य कर रहे हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक अस्पताल में प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों को रोगी देखभाल भत्ते के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया;

(ग) क्या उक्त अस्पतालों में प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों को रोगी देखभाल भत्ते के भुगतान के संबंध में कोई विसंगति है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) सरकार ने ऐसी विसंगति को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा)** : (क) एक-एक।

(ख) निम्नलिखित श्रेणियों को छोड़कर प्रसूति अस्पताल और आयुर्वेदिक अस्पताल के कर्मचारियों को क्रमशः 80 रु. और 70 रु. प्रतिमास के हिसाब से रोगी परिचर्या भत्ते का भुगतान किया जाता है :

(1) स्टाफ नर्स

(2) नर्सिंग सिस्टर

(3) सहायक नर्सधात्री

(4) लेडी हेल्थ विजिटर

(ङ) कोई विसंगति नहीं है।

**चंडीगढ़ में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण**

5340. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर परियोजनावार कितना व्यय किया गया, और

(ख) आरंभ किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है और इनमें कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

**कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्कावालू)** : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्मुक्त की गई धनराशियां इस प्रकार है :

| योजना | 1991-92 | 1992-93 | 1993-94 (लाख रुपये) |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाति विकास निगम | 26.68 | 4.80 | 4.80 |
| पुस्तक बैंक | 0.30 | 1.50 | – |
| अनुसूचित जाति हेतु विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता | 9.23 | 9.44 | 12.39 |

(ख) चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को आशुलिपिक दर्जीगिरी, कसीदाकारी, कम्प्यूटर तथा वाहन चलाने के कार्य में प्रशिक्षण प्रदान करने तथा स्वरोजगार कार्यक्रमों के लिए अनुसूचित जाति के लाभग्राहियों को आर्थिक सहायता देने के लिए खर्च की गई थी। 1991-92 के दौरान स्व-रोजगार कार्यक्रम के लिए अनुसूचित जाति के 316 व्यक्तियों को आर्थिक सहायता दी गई थी और अनुसूचित जाति के 172 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया था। 1992-93 के दौरान अनुसूचित जाति के 395 व्यक्तियों को स्वरोजगार कार्यक्रम के लिए आर्थिक सहायता दी गई थी और अनुसूचित जाति के 232 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया था।

**तुंगभद्रा नहर**

5341. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक में तुंगभद्रा नहर को सुदृढ़ करने की परियोजना को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो कब और उस पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी, और

(ग) यदि नहीं तो इस परियोजना को कब तक मंजूरी दे दी जाएगी ?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन)** : (क) और (ख) कर्नाटक में तुंगभद्रा बायीं तट नहर, दायीं तट उच्च स्तरीय नहर और दायीं तट निम्न स्तरीय नहर में 10 क्यूसेक एवं उससे अधिक की क्षमता की वितरणियों को पक्का करने के लिए 18.78 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर परियोजना रिपोर्ट तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए जनवरी, 1978 में केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त हुई थी। यह पाया गया था कि यह परियोजना रिपोर्ट परियोजना रिपोर्टों को तैयार करने के दिशा-निर्देशों के अनुसार नहीं बनायी गयी थी, तदनुसार राज्य सरकार से अनुरोध किया गया था कि वह संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करे। संशोधित प्रस्ताव राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) परियोजना की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार कितनी जल्दी केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों का अनुपालन करती है और पर्यावरण व वन दृष्टिकोण से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की तथा पुनर्वास व पुनर्स्थापन योजनाओं पर कल्याण मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त करती है।

**सर्प-विष**

5342. **डा. असीम बाला** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सर्प-विष विकसित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सर्प विष विकसित करने वाले संगठन का नाम क्या है;

(घ) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम भी सर्प-विष का उत्पादन करते हैं, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानंद)** : (क) से (ङ) सर्प-विष चूंकि अनेक घटकों का मिश्रण है, जिसमें भिन्न-भिन्न भेषज विज्ञानीय और जैव-रासायनिक विशेषताएं हैं, को विकसित अथवा संश्लेषित नहीं किया जा सकता। सर्प की विष ग्रंथियों से विष केवल हाथ से ही निकाले जाने पर प्राप्त किया जा सकता है। किंग्स संस्थान, मद्रास, हाफकिन्स संस्थान, बंबई और केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली जैसे बहुत से संस्थान हैं, जो विष रोधी औषधियां तैयार कर रहे हैं।

**[हिन्दी]**

**पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्रों तथा रसोई गैस एजेंसियां**

5343. **श्री एन.जे. राठवा** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार गुजरात में सभी आदिवासी जिला मुख्यालयों में पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्रों और रसोई गैस एजेंसियों की स्थापना करने का है;

(ख) क्या इस संबंध में कुछ अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है ?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा)** : (क) से (घ) गुजरात के जनजातीय जिला मुख्यालयों सहित सभी जिला मुख्यालयों पर एल.पी.जी. (रसोई गैस) डिस्ट्रीब्यूटरशिपें देने के संबंध में निर्णय लिया गया है। तदनुसार डांग्स जिलान्तर्गत अहवा को विपणन योजना में सम्मिलित किया गया है। इस स्थान को गुजरात राज्य के लिए गठित तेल चयन बोर्ड के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूटर के चयन हेतु दिनांक 14 जनवरी, 1994 को विज्ञापित किया गया है।

**[अनुवाद]**

**एड्स रोग का पता लगाना**

5344. **श्री एस.एम. लालजान बाशा** :
**श्री दत्तात्रेय बंडारू** :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी यात्रियों/पर्यटकों में से एड्स रोग पीड़ितों को पहचान करने के लिए कोई जांच की जाती है, और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितने मामलों का पता लगाया गया है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द)** : (क) राजनयिक मिशनों में कार्यरत विदेशियों, पादरियों और ननों, पत्र सूचना ब्यूरो से प्राधिकृत पत्रकारों, 18 वर्ष से कम और 70 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को छोड़कर भारत में एक साल से अधिक समय तक ठहरने के इच्छुक विदेशियों के लिए एच.आई.वी. परीक्षण अनिवार्य है।

(ख) वर्ष 1991, 1992 और 1993 के दौरान केवल तीन रोगियों का पता लगाया गया है।

**[हिन्दी]**

**परिवार कल्याण कार्यक्रम के संबंध में गलत जानकारी**

5345. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार कल्याण कार्यक्रम के बारे में गलत आंकड़ों से संबंधित रिपोर्ट सरकार की जानकारी में आई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार गत तीन वर्षों का ब्योरा क्या है, और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानंद)** : (क) से (ग) क्षेत्र सत्यापन पर आधारित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। उपचारी कदम उठाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इसके परिणाम भेज दिए गए हैं।

**विवरण**

**वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान परिवार नियोजन स्वीकारकर्ताओं के एक नमूने में एन.एस.पी./अपात्र/इनकारकर्ता रोगी (क्षेत्रीय मूल्यांकन दलों, स्टेट डी एंड ई सेलों और क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालयों से मिली सूचना के अनुसार)**

| क्रम.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | प्रतिशत | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1991-92 | 1992-93 | 1993-94 (अनन्तिम) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 12.23 | 6.14 | 8.02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 2. | असम | 5.70 | 8.24 | 0.25 |
| 3. | बिहार | 15.19 | 7.40 | 9.74 |
| 4. | गुजरात | 3.04 | 1.88 | 3.44 |
| 5. | हरियाणा | 1.33 | 7.80 | 7.53 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 0.18 | 4.92 | 9.12 |
| 7. | कर्नाटक | 0.84 | 2.72 | 8.18 |
| 8. | केरल | 0.07 | 0.06 | 0.01 |
| 9. | मध्य प्रदेश | 4.71 | 4.83 | 5.66 |
| 10. | महाराष्ट्र | 6.30 | 7.01 | 5.40 |
| 11. | राजस्थान | 0.62 | 1.91 | 3.57 |
| 12. | उत्तर प्रदेश | 14.61 | 10.88 | 10.30 |
| 13. | पश्चिम बंगाल | 2.86 | 2.64 | 0.49 |
| 14. | तमिलनाडु | 5.50 | 3.39 | 2.23 |
| 15. | उड़ीसा | 4.81 | 3.74 | 2.25 |
| 16. | चंडीगढ़ | x | 8.13 | x |
| 17. | पंजाब | शून्य | शून्य | 3.33 |
| 18. | दिल्ली | 10.12 | x | 1.29 |
| 19. | पांडिचेरी | x | x | शून्य |
| 20. | मणिपुर | x | x | शून्य |
| 21. | सिक्किम | 0.92 | \ | x |
| 22. | त्रिपुरा | 3.64 | x | x |

टिप्पणी : एन.एस.पी.–इस क्षेत्र में कोईस व्यक्ति नहीं रह रहा है।

x–क्षेत्र सत्यापन नहीं किया गया।

[अनुवाद]

**ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा भूमि कटाव**

5346. **श्री प्रबीन डेका** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुणे स्थित केंद्रीय जल और विद्युत शोध केंद्र ने असम में ब्रह्मपुत्र नदी के भूमि कटाव की प्रकृति की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो भूमि कटाव को रोकने के लिए किन उपायों की सिफारिश की है, और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की है ?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन)** : (क) से (ग) केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे ने पलासबारी और मुकलमुआ हाउलिघाट क्षेत्र में डिब्रूगढ़ शहर के नजदीक असम में ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव की प्रकृति की जांच की है। माडल अध्ययनों के आधार पर, तट पलस्तर व स्परों के रूप में सुरक्षात्मक उपायों की सिफारिश की गयी है। केन्द्रीय सरकार ने इस क्षेत्रों के लिए असम सरकार द्वारा तैयार की गयी 46.43 करोड़ रुपए की लागत की तीन बाढ़ सुरक्षात्मक योजनाएं अनुमोदित की हैं।

**रसोई गैस का विपणन**

5347. **श्री हरिन पाठक** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी उद्यमियों द्वारा रसोई गैस के विपणन की नई नीति लागू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह कब से प्रभावी हुई है;

(घ) देश में विशेष तौर पर गुजरात राज्य में इस नई नीति के अन्तर्गत ऐसी कितनी एजेंसियां उपभोक्ताओं को रसोई गैस की आपूर्ति कर रही हैं, और

(ङ) निजी एजेंसियों के सिलेण्डरों का वजन कितना है तथा इसके लिए उपभोक्ताओं से कितनी धनराशि ली जा रही है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा)** : (क) जी, हां।

(ख) समानान्तर, विपणन प्रणाली के अंतर्गत सरकार ने निजी एजेंसियों को उनके अपने निबंधनों व शर्तों के अधीन बाजार निर्धारित मूल्यों पर उनकी अपनी मूलभूत सुविधाओं और वितरण नेटवर्क का प्रयोग/स्थापना करते हुए घरेलू और गैर घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं का एल.पी.जी. का आयात और विपणन करने की आज्ञा दे दी है। उन्हें सुरक्षा प्रदूषण नियंत्रण आदि (जो भी लागू

हो) के संबंध में संबंधित अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने होंगे। एल.पी.जी. (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) आदेश, 1993 के अंतर्गत समानान्तर विपणनकर्ताओं को ऐसे क्रियाकलापों को आरंभ करने से पूर्व एल.पी.जी. का आयात, भरण, विपणन, वितरण और विक्रय के संबंध में अपनी मंशा और क्षमताएं बताना और अपने द्वारा आयात किए जाने वाले उत्पादों का विवरण देते हुए एक मासिक रिपोर्ट भेजना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त उन्हें सरकार को आवश्यक संबद्ध विवरण और सूचना भेजनी होती है।

(ग) समानान्तर विपणन प्रणाली 16 फरवरी, 1993 को आरंभ की गई।

(घ) 12-4-1994 तक पांच निजी पार्टियों ने बंबई में भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. की सुविधाओं का प्रयोग करते हुए लगभग 11.3 टी.एम.टी.एल.पी.जी. का आयात किया है।

(ङ) समानान्तर विपणनकर्त्ता द्वारा बिक्री योग्य सिलिंडरों में एल.पी.जी. का निवल भार 14.2 कि.ग्रा. ±0.5 कि.ग्रा. के सिवा कुछ भी हो सकता है। समानान्तर विपणनकर्त्ता बाजार निर्धारित मूल्यों पर आयातित एल.पी.जी. को विक्रय करने के लिए स्वंतत्र है।

**रसोई गैस एजेंसियां**

5348. **श्री प्रकाश वी. पाटील :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों से नई रसोई गैस एजेंसियों के आवंटन के लिए लोगों से अभ्यावेदन आवेदन प्राप्त हुए हैं, और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) :** (क) और (ख) एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोलने के लिए महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न भागों से समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते रहते हैं। तेल उद्योग के व्यवहार्यता मानक पूरा करने वाले स्थान एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्थापित करने के लिए एल.पी.जी. विपणन योजना में शामिल किया जाता है। तदनुसार 76 एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के प्रस्ताव महाराष्ट्र के लिए वर्तमान एल.पी.जी. विपणन योजना में सम्मिलत किए गए हैं।

**मध्य प्रदेश को जलापूर्ति**

5349. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा करार के अनुसार मध्य प्रदेश को पर्याप्त जलापूर्ति की जा रही है;

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) केंद्रीय सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन)** : (क) से (ग) बुंदेलखंड क्षेत्र में सारी नदियों पर स्थित भान्दर नहर, जमनी बांध, राजघाट बांध परियोजना, रंगवान बांध, ग्रेटर गंगऊ बांध, उर्मिल बांध और ललितपुर बांध जैसी परियोजनाओं के संबंध में उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के बीच विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय करार हैं। उनमें से भांदर नहर, गुरुसराय नहर व जमनी बांध जैसी कुछ के बारे में मध्य प्रदेश द्वारा प्रयोग के लिए निर्मुक्त किए जाने वाले जल की मात्रा के संबंध में उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश राज्य सरकारों के बीच विचारों में मतभेद हैं। जैसाकि सूचना दी गयी है, मध्य प्रदेश सरकार ने मतभेदों को दूर करने के लिए द्विपक्षीय रूप से इस मामले को उठाने का निर्णय लिया है।

**मध्य प्रदेश में छठी अनुसूची को लागू किया जाना**

5350. **डा. कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को राज्य के जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्तता प्रदान करने हेतु संविधान की छठी अनुसूची लागू करने के बारे में कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गठित की जाने वाली स्वायत्त परिषदों में किन-किन क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा, और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद)** : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

**महाराष्ट्र में स्वयं सेवी संगठन**

5351. **श्री अन्ना जोशी** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान महाराष्ट्र में विभिन्न स्वयं सेवी संगठनों से वित्तीय सहायता हेतु कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) सरकार ने इनमें से कितने आवेदन पत्रों को स्वीकार किया है और इनमें से प्रत्येक को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ग) स्वीकृति हेतु कितने आवेदन पत्र लंबित पड़े हैं, और

(घ) इन्हें कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी ?

**कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्कावालू)** : (क) 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान कल्याण मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता के लिए प्राप्त किए गए आवेदन पत्रों की संख्या इस प्रकार है :

| | |
|---|---|
| 1991-92 | 96 |
| 1992-93 | 109 |
| 1993-94 | 181 |
| कुल : | 386 |

(ख) 89 संगठनों को कवर करते हुए 164 आवेदनों को वित्तीय सहायता के लिए अनुमोदित कर दिया गया है। संगठनों के नाम तथा निर्मुक्त सहायता अनुदान संलग्न विवरण में दिया गया है। 62 आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया गया था।

(ग) 160 आवेदन पत्र लम्बित हैं।

(घ) वित्तीय सहायता के लिए पात्र लंबित आवेदन पत्रों पर निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए तथा संगठनों और संबंधित राज्य सरकारों से आवश्यक सूचना/स्पष्टीकरण, जहां भी आवश्यक हो, प्राप्त होने पर ही चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अथवा बाद के वित्तीय वर्षों के दौरान विचार किया जाएगा।

**विवरण**

| क्र.सं. | स्वैच्छिक संगठन का नाम | के दौरान निर्मुक्त राशि (रुपए लाख में) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1991-92 | 1992-93 | 1993-94 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **विकलांग कल्याण** | | | |
| 1. | एन.ए.एस.ई.ओ.एच. बंबई | 5.89 | 2.13 | 5.45 |
| 2. | अयोध्या चॉरिटेबल ट्रस्ट, पुणे | 1.50 | 2.00 | 2.50 |
| 3. | इम्पेक्ट इंडिया फाउंडेशन, बंबई | 0.60 | – | – |
| 4. | फेलोशिप ऑफ दि फिजिकली हेंडीकेप्ड, बंबई | 0.40 | 0.94 | 0.93 |
| 5. | इंडियन कैंसर सोसायटी, बंबई | 2.27 | – | 2.32 |
| 6. | अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, बंबई | 14.00 | 19.00 | 19.33 |
| 7. | कृत्रिम अंग केन्द्र, पुणे | – | 0.25 | 0.21 |
| 8. | सुश्रुत मेडिकल केयर एंड रिसर्च सोसायटी, पुणे | – | 0.36 | 1.50 |
| 9. | विकास विद्यालय जानकीबाई शिक्षण संस्था, दादरा | 1.11 | 0.61 | – |
| 10. | नेशनल एसोसिएशन ऑफ दि ब्लाइंड, बंबई | 11.04 | 15.46 | 23.15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 11. | स्पास्टिक सोसायटी ऑफ इंडिया, बंबई | 2.95 | 3.51 | – |
| 12. | तात्रु सेवा संघ, नागपुर | 3.48 | 1.74 | 2.86 |
| 13. | सोसायटी ऑफ रिहेबिलिटेशन आफ क्रिप्पलड चिल्ड्रेन, बंबई | 3.84 | 4.26 | – |
| 14. | श्री ट्रस्ट, वीरार | 2.96 | 6.96 | 10.75 |
| 15. | कॉम्युनिटि एड एण्ड स्पान्सरशिप प्रोग्राम, बंबई | 4.54 | 3.36 | – |
| 16. | सुहुरुद मंडल, पुणे | 0.62 | 2.00 | 2.48 |
| 17. | सोसायटी फॉर एजूकेशन ऑफ क्रिप्पलड (चाइल्ड एंड एडल्ट), बंबई | 0.34 | 0.18 | 1.73 |
| 18. | गांधी सेवा ट्रस्ट, हुगली | 0.45 | 2.50 | – |
| 19. | ए.डब्ल्यू.एम.एच., बंबई | 3.23 | 1.17 | – |
| 20. | सोसायटी फॉर वोकेशनल रिहेबिलिटेशन ऑफ रिटार्डेड, बंबई | 0.22 | 0.40 | 0.27 |
| 21. | सोसायटी फॉर स्पेशल एजूकेशन ऑफ दि डीफ, बंबई | – | 6.27 | 2.25 |
| 22. | हेल्लेन केल्लर इंस्टिच्यूट फॉर डीफ एंड डीफ ब्लांइड, बंबई | 3.56 | 2.02 | – |
| 23. | रिसर्च सोसायटी फॉर केयर ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन नीड ऑफ स्पेशल केयर, बम्बई | 6.62 | 7.48 | 3.73 |
| 24. | अपंग कल्याण पुनर्वासन संस्था, बुलडाना | 1.50 | 4.00 | 2.00 |
| 25. | प्राइड इंडिया, बंबई | 2.12 | 3.98 | 2.47 |
| 26. | नेशनल फेडरेशन ऑफ दि ब्लाइंड, बंबई | 0.25 | 0.54 | – |
| 27. | विद्या भवन, एजूकेशन सोसायटी, पराभानी | – | 2.50 | 2.00 |
| 28. | पूना जिला, लिप्रोसी कमेटी | – | 0.64 | – |
| 29. | अखिल भारतीय, ग्रामीण सेवा संघ, दिल्ली | – | 2.13 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 30. | एन.एस.डी. इंडस्ट्रियल होम फॉर ब्लाइंड, बंबई | – | 0.39 | 2.20 |
| 31. | श्री राम एजूकेशन सोसायटी, खमगांव | – | 1.50 | – |
| 32. | एन.ए.डब्ल्यू.एच., अमरावती | 0.23 | 0.23 | – |
| 33. | श्री सिद्धेश्वर शिक्षण एंड सेवा | – | 2.50 | 2.00 |
| 34. | गंगामैया शिक्षा प्रसारक मंडल, बिलोली | – | 1.80 | – |
| 35. | सृजन मंडल जिला, सांगली | – | 4.50 | – |
| 36. | पूना होम फॉर ब्लाइंड, पुणे | – | 1.16 | – |
| 37. | शिक्षण प्रसारक मंडल पुणे | – | 2.10 | – |
| 38. | लायंस डीफ एंड डम्ब एंड फिजिकली हेंडीकेप्ड स्कूल, नागपुर | – | – | 0.50 |
| 39. | इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी, बरसी | 2.34 | – | – |
| 40. | के.ई.एम. अस्पताल, पुणे | 3.26 | – | 5.76 |
| 41. | एन.एस.डी. इंडस्ट्रियल होम फॉर दि ब्लाइंड, बंबई | – | – | 2.20 |
| 42. | विजय मर्चेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर डिस्एब्लड, बंबई | 1.34 | – | 1.49 |
| 43. | अपंग मैत्रयी, थाणे | 1.50 | – | – |
| 44. | सोसायटी फॉर दि वेल्फेयर ऑफ दि फिजिकल हैंडीकेप्ड, पुणे | – | – | 3.50 |
| 45. | वल्लभदास डोगरा इंडियन सोसायटी फॉर दि एम.आर., बंबई | 0.43 | – | – |
| 46. | अपंग कल्याण शिक्षण संस्थान, डीफ एंड डम्ब स्कूल, सांगली | 0.05 | – | – |
| 47. | राष्ट्रनाथ तुकाडोजी सोसायटी, नागपुर | 1.26 | – | 4.75 |
| 48. | जानकीबाई शिक्षण संस्था, दादरा, बंबई | – | – | 1.49 |
| 49. | थाणे जिला स्ट्री शक्ति, थाणे | – | – | 1.50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 50. | लायन डीफ एण्ड डम्ब एण्ड फिजिकली हैंडीकैप्ड स्कूल, कोपनगांव | – | – | 0.50 |
| | **अनुसूचित जनजाति विकास** | | | |
| 51. | भारतीय एग्रो इंडस्ट्रीज, फाउंडेशन, पुणे | 3.04 | 4.38 | 2.07 |
| 52. | सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया सोसायटी, पुणे | 14.71 | 21.22 | 10.61 |
| 53. | ए.बी.एम. समाज प्रबोधन संस्थान, थाणे | – | 5.40 | 21.89 |
| 54. | नवलभान प्रतिष्ठान, धूले डिस्ट्रिक्ट | – | 4.46 | 1.94 |
| 55. | नेशनल इंस्टिच्यूट ऑफ वमेन, सी एंड वाई डेवलपमेंट, नागपुर | – | – | 1.87 |
| 56. | सेवाधन ट्रस्ट, पुणे | – | – | 207 |
| | **समाज रक्षा तथा बाल कल्याण** | | | |
| 57. | भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, नागपुर | 0.47 | – | – |
| 58. | वीर अर्जुन युवक मंडल, नागपुर | 0.35 | – | – |
| 59. | राष्ट्रीय विधायन मंच, जलगांव | 0.48 | – | – |
| 60. | सर्व सेवा संघ, पुणे | – | – | 1.21 |
| 61. | अहिल्यादेवी महिला मंडल, नागपुर | – | – | 0.44 |
| 62. | भारतीय ग्रामीण आदिवासी विकास संस्थान, चन्द्रपुर | – | – | 0.19 |
| 63. | मुक्त द्वार मानती मंडल, जलगांव | 0.59 | 0.73 | – |
| 64. | इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल वेल्फेयर, बंबई | 3.03 | 0.07 | – |
| 65. | बंबई सबअर्बन सीनियर सिटिजन एसोसिएशन, बंबई | 0.08 | 0.09 | – |
| 66. | जानकीबाई ट्रस्ट, धुले | 0.30 | 0.92 | – |
| 67. | इंडियन एसोएिशन ऑफ रिटायर्ड परसन्स, मेहिम, बंबई | 0.15 | 0.12 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 68. | वेस्ट खानदेश भागिनी सेवा मंडल, धुले | 0.23 | 0.75 | 0.75 |
| 69. | इंस्टिच्यूट ऑफ रूरल हेल्थ एंड सोशल वेल्फेयर सर्विसेज, चंदलगाब, कोल्हापुर | – | – | 1.59 |
| 70. | राष्ट्रशांत तुकडोजी महाराज टेक्नोलॉजी एण्ड एजूकेशन सोसायटी, गणेशपीठ, नागपुर | – | – | 1.35 |
| 71. | मात्रु सेवा संघ, नागपुर | – | – | 0.48 |
| 72. | इंडियन एसोसिएशन फॉर प्रोमोशन ऑफ एडोप्शन, वॉलनटीयर को-आर्डिनेशन एजेंसी, महाराष्ट्र, आर.एन.ए. हाऊस, प्रथम मंजिल, वीर नरीमन रोड, फोर्ट, बंबई-400034 | 0.81 | 0,81 | 0.81 |
| 73. | यूथ फॉर युनिटी एंड वॉलनटियर एक्शन, बंबई | – | – | 3.08 |
| 74. | सोसायटी फॉर प्रोमोशन ऑफ एरिया रिसोर्सेस सेंटर, बंबई | – | – | 3.17 |
| 75. | सुपोर्ट, बंबई | – | – | 2.46 |
| 76. | कोआर्डिनेशन कमेटी फॉर वलनरएबल चिल्ड्रेन | – | – | 1.76 |
| 77. | वैश्यालय, बंबई | – | – | 1.76 |
| 78. | कॉम्युनिटी एंड स्पान्शरशिप प्रोग्रा॰ पुणे | – | – | 3.08 |
| 79. | डिपाटमेंट ऑफ कांटिन्यूइंग एंड एडल्ट एजूकेशन एन.एस.डी.टी वूमेन यूनिवर्सिटी, पुणे | – | – | 1.16 |
| 80. | अपंग व निराधार बहु–उद्देश्यीय कल्याणकारी संस्थान, नागपुर | – | – | 0.62 |
| 81. | श्रद्धानन्द महिला आश्रम, श्रद्धानन्द रोड, किंग्स सर्कल, माटुंगा, बंबई | 1.40 | 1.63 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 82. | बलवंत कौर आनन्द मेमोरियल वेल्फेयर सोसायटी (रजि.) प्रीतमंदिर, आनंदन कोरनॉर, 18, डा. कोयाजी रोड़ पुणे–411001 | – | 1.63 | 2.95 |
| 83. | बाल विकास महिला मंडल, लातुर | – | – | 1.63 |
| 84. | श्री श्रद्धानन्द अनाथालय, नागपुर | – | – | 3.26 |
| 85. | दनयान गंगोत्री एजूकेशन सोसायटी, लातुर | – | – | 1.63 |
| 86. | वतशालय ट्रस्ट बंबई, बंबई | – | – | 3.04 |
| 87. | अघजराश्रम नासिक, नासिक | – | – | 3.26 |
| | **अनुसूचित जाति कल्याण** | | | |
| 88. | सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसायटी, पुणे | 13.86 | 15.00 | 40.75 |
| 89. | पद्मश्री अन्नासाहेब जाधव भारतीय समाज पन्नति मंडल, भिलवंडी | 5.88 | 7.40 | 7.40 |
| 90. | सिद्धार्थ बहुउद्देश्यीय शिक्षा संस्था, नांदेड | – | 2.19 | – |
| 91. | भारतीय आदिम जात सेवक संघ, पुणे | – | – | 0.35 |
| | **अल्पसंख्यक कल्याण** | | | |
| 92. | अंजुमन-ए-तारीकी-ए- ताल्लीम, मालेगां | – | – | 1.35 |

**[हिन्दी]**

**स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन**

5352. **श्री विलास राव नागनाथ राव गुंडेवार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय सरकार को निर्देश दिया है कि स्वतंत्रता सेनानियों से पेंशन के लिए विलम्ब से प्राप्त आवेदनों को रद्द नहीं किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार उन स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने का है, जिनके आवेदन विलम्ब से प्राप्त हुए हैं, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद)** : (क) से (ग) जी हां, श्रीमान्। माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक रिट याचिका में अन्य बातों के साथ यह निदेश दिया है कि स्वतंत्रता सेनानी पेंशन प्रदान करने के लिए आवेदन पत्रों को, स्वीकार किया जाना चाहिए, चाहे वे आवेदन किसी भी तारीख को प्रस्तुत किए गए हों। न्यायालय ने यह निदेश भी दिया है कि पेंशन, तभी प्रदान की जाएगी जब दावे के समर्थन में अपेक्षित प्रमाण संलग्न हों। इसने आगे यह भी कहा कि दावे के समर्थन में आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की वास्तविकता या उनकी अन्यथा जांच करना सरकार का काम है न कि न्यायालय का। तदनुसार ही स्वतंत्रता सेनानी पेंशन प्रदान करने के लिए आवेदनों पर अभी भी विचार किया जा रहा है, बशर्ते कि आवेदक सरकारी रिकार्ड से स्वीकार्य दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करता हो। हालांकि इस प्रकार के कुछ दावों को पेंशन प्रदान करने के लिए अनुमोदित भी किया गया है, लेकिन इस प्रकार के मामलों के बारे में कोई पृथक आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं।

**हवाई पट्टी का निर्माण**

5353. **श्री साईमन मरान्डी** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा गोड्डा जिले में लालमटिया के निकट बंदनवार गांव में हवाई पट्टी का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ संथाल और अन्य आदिवासी लोगों से भूमि का अधिग्रहण किये जाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) क्या इस गांव में रह रहे आदिवासियों ने सरकार को विरोध प्रकट करने वाला कोई ज्ञापन दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) इस प्रयोजनार्थ किस वैकल्पिक स्थान का चयन किया गया है ?

**कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा)** : (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न ही नहीं उठता।

**[अनुवाद]**

**"हार्ट सर्जरी"**

5354. **श्री उदय सिंह राव गायकवाड** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के कर्मचारियों को बत्रा अस्पताल, इस्कोर्ट हार्ट इन्स्टीट्यूट, नेशनल हार्ट इन्स्टीट्यूट में 'हार्ट सर्जरी' सुविधा उपलब्ध कराने का अधिकार प्रदान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सी.जी.एच.एस. लाभभोगियों को भी इसी तरह की सुविधा प्रदान करने का है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सी.जी.एच.एस. लाभभोगी पहले से ही एंजियोग्राफी और नीचे बतलाए गए पैकेज डील के अनुसार इन अस्पतालों में हृदय शल्य चिकित्सा से संबंधित कारोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट सुविधाएं पाने के हकदार हैं :

| हकदारी | एन्जियोग्राफी | सी.ए.बी.जी. |
|---|---|---|
| सामान्य वार्ड (2500 रु. मूल वेतन से कम) | 7,000 रु. | 50,000 रु. |
| सेमी प्राई. वार्ड (2500 रु. से 3500 रु. मूल वेतन) | 8500 रु. | 55,000 रु. |
| प्राईवेट वार्ड (3500 रु. से अधिक मूल वेतन) | 9500 रु. | 65,000 रु. |

**स्वास्थ्य रक्षा परियोजनाएं**

5355. **श्रीमती वसुंधरा राजे** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्वास्थ्य रक्षा परियोजनाओं को कौन-कौन से अन्तर्राष्ट्रीय दानदाता धनराशि प्रदान कर रहे हैं और यह धन किस प्रकार प्राप्त होता है, और

(ख) सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजना में अन्तर्राष्ट्रीय दानदाताओं और विश्व बैंक से कितनी सहायता प्राप्त हुई है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द)** : (क) देश में स्वास्थ्य परिचर्या परियोजनाओं का वित्तपोषण करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय दाताओं में ये शामिल हैं :

(1) डेनिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी,

(2) स्वीडिस अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी,

(3) नार्वे अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी,

(4) यूनाइटिड किंगडम समुद्रपार विकास प्रशासन,

(5) संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि,

(6) संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी,

(7) समुद्रपार आर्थिक सहयोग निधि,

(8) संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल निधि और

(9) विश्व बैंक।

धन आमतौर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के नियमित बजट के जरिए दिया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय दाता अंकेक्षित लेखा विवरण प्राप्त होने पर आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को रकम की प्रतिपूर्ति करते हैं।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

**एच.आई.वी. संक्रमण**

5356. **श्री गुरुदास कामत :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में एच.आई.वी. संक्रमण विश्व में सबसे अधिक है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इससे देश में सामाजिक-आर्थिक विकास को खतरा उत्पन्न होने की संभावना है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) :** (क) और (ख) इस कथन की पुष्टि करने के लिए कोई विश्वसनीय तथा तुलनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, इसका संक्रमण देश में काफी फैल गया है। यह अधिकतर असुरक्षित बहुसहभागी संभोग करने तथा विसंक्रमित न की गई सूइयों के इस्तेमाल से होता है।

(ग) और (घ) तथापि, यह बात व्यापक तौर पर स्वीकार्य है कि क्योंकि यह विषाणु अत्यधिक संभोग कामी आयु वर्ग (अर्थात् 15 से 45 वर्ष तक का आयु वर्ग) के लोगों पर अधिक आक्रमण करता है, इसलिए सामाजिक तथा आर्थिक विघटन होता है।

**दिल्ली पुलिस को राशन भत्ता**

5357. **डा. साक्षी जी :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली पुलिस कार्मिकों को राशन भत्ता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) :** (क) से (ग) इस संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्राप्त प्रस्ताव की, वित्त मंत्रालय के परामर्श से विस्तृत जांच पड़ताल की गई और उसके बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से कुछ स्पष्टीकरण मांगे गए।

**कच्चे पेट्रोलियम का आयात**

5358. **श्री के. प्रधानी :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नाइजीरिया से कच्चा पेट्रोलियम आयात कर रही है;

(ख) यदि हां, तो किस वर्ष से इसका आयात किया जा रहा है, और

(ग) उस देश से किन शर्तों के अधीन कच्चा पेट्रोलियम का आयात किया जा रहा है ?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) :** (क) से (ग) वर्तमान में इंडियन आयल कारपोरेशन के पास कच्चे तेल/पेट्रोलियम उत्पादों के आयात हेतु नाइजीरियों के साथ कोई आवधिक संविदा नहीं है। तथापि, इंडियन आयल कारपोरेशन स्थल गत खरीद के प्रति नाइजीरिया से उद्गमित कच्चे तेल, एच.एस.डी. तथा एस.के.ओ. का आयात करता रहा है।

**स्वास्थ्य और जनसंख्या प्रबंधन**

5359. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान का विचार स्वास्थ्य और जनसंख्या प्रबंधन के संबंध में दक्षिण एशिया का पहला अन्तर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यह पाठ्यक्रम कब से आरंभ किया जाएगा?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानंद) :** (क) जी, हां।

(ख) 3 माह का पाठ्यक्रम विकासशील देशों के ऐसे उम्मीदवारों के लिए तैयार किया गया है, जो इस समय अधिमानतः जिला अथवा इसके समान स्तर पर सामान्य/विशिष्ट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या कार्यक्रमों/अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंध के लिए उत्तरदायी हैं।

(ग) 1 नवम्बर, 1994।

**[हिन्दी]**

**मध्य प्रदेश में नलकूप लगाया जाना**

5360. **श्री शिवराज सिंह चौहान :**
**श्री खेलन राम जांगडे :**

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक नलकूप लगाने के लिए कोई योजना प्रस्तुत की है, जिसके लिए विश्व बैंक की सहायता मांगी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इसे शीघ्र मंजूरी प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

**[अनुवाद]**

**कुष्ठ रोग निवारण के लिए विश्व बैंक की सहायता**

5361. **डा. कृपा सिन्धु भोई** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक की सहायता से कुष्ठ रोग निवारण कार्यक्रम किन-किन राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है और यह किस वर्ष शुरू किया गया था, और

(ख) इन राज्यों में विगत तीन वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द)** : (क) विश्व बैंक सहायता प्राप्त कुष्ठ कार्यक्रम आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और पांडिचेरी को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 1-2-1994 से प्रारंभ किया गया है।

(ख) इस स्थिति में अभी उपलब्धियों का मूल्यांकन करना जल्दबाजी होगी।

**साम्प्रदायिक दंगे**

5362. **श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने 1990 में सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को साम्प्रदायिक दंगों को नियंत्रित करने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए थे;

(ख) यदि हां, तो इसकी विस्तृत रूपरेखा क्या है, और

(ग) क्या 6 दिसम्बर, 1992 के बाद की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए इन दिशा-निर्देशों की समीक्षा की गई है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद)** : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) राज्यों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को दिए दिशा-निर्देशों में ऐसे पहलू शामिल हैं, जैसे कि आसूचना एकत्र करना, निवारात्मक उपाय करना, समाज-विरोधी तत्वों को निष्क्रिय करना, गैर-सरकारी भागीदारी को प्रोत्साहित करना, पुनर्वास के उपाय आदि।

(ग) ये दिशा-निर्देश लागू हैं। तथापि, जहां तक साम्प्रदायिक दंगों के पीड़ितों को राहत एव पुनर्वास दिए जाने को प्रशासित करने से संबंधित दिशा-निर्देशों का संबंध है, ये दिशा-निर्देश दिसम्बर, 1992 में संशोधित किए गए थे।

**बम विस्फोट**

5363. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव :**
**श्री विलास मुत्तेमवार :**
**श्री एस.बी. सिदनाल :**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने 6 दिसम्बर, 1993 को अनेक शहरों में हुए बम विस्फोटों की श्रृंखला के संबंध में मुम्बई में हाल ही में पुलिस के लगातार छापों में 12 लोगों को गिरफ्तार किया है और हथियारों और गोला बारूद का बड़ा जखीरा जब्त किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उन दोषियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए क्या कदम उठाये हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने हाल ही में मार्च, 1993 में मुम्बई बम विस्फोटों के दो मुख्य अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या ऐसी घटनाओं से बचने के लिए सभी राज्यों को सचेत कर दिया गया है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट)** : (क) दिनांक 5/6-12-93 को रेल गाड़ियों और अन्य स्थानों पर हुए बम विस्फोटों के संदर्भ में केन्द्रीय जांच ब्यूरो, बम्बई पुलिस और हैदराबाद पुलिस द्वारा मारे गए छापों के दौरान 12 दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें से केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा 7, बम्बई पुलिस द्वारा एक तथा हैदराबाद पुलिस द्वारा 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था।

(ख) इन बम विस्फोटों से संबद्ध मामलों की जांच की जा रही है। जांच पूरी होते ही न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया जाएगा।

(ग) और (घ) बम्बई बम विस्फोट के मामले के संबंध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अब्दुल अज़ीज और मोहम्मद इकबाल नामक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है।

(ङ) जी हां, श्रीमान्।

**तिब्बती शरणार्थी**

5364. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**
**श्री मनोरंजन भक्त :**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि सिक्किम सरकार ने राज्य में तिब्बती शरणार्थियों को बिना किसी प्रकार की रोक अथवा बाधा के सीमा पार करने और वापस आने की अनुमति हाल ही में दी है;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सिक्किम सरकार को ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने का अनुदेश दिया गया है जो तिब्बत अथवा नेपाल की यात्रा करके फिर से भारत वापस आ गए; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट)** : (क) से (घ) भारत सरकार को रिपोर्ट मिली थी कि सिक्किम में ठहरे कुछ शरणार्थियों ने बिना अनुमति के काठमांडू की यात्रा की थी। सिक्किम सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई थी। ऐसे मामलों में कार्रवाई करने के अधिकार राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों में निहित हैं। तथापि, सिक्किम सरकार ने सूचित किया है कि उन्हें सिक्किम में ऐसी किसी घटना के घटित होने की जानकारी नहीं है। सिक्किम की राज्य सरकार ने पुलिस प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि तिब्बती शरणार्थी अपने आवागमन के बारे में लागू कानूनी प्रावधानों और दिशानिर्देशों का अनुपालन करें।

**ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड**

5365. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड पश्चिम बंगाल क्षेत्र में 1695 करोड़ रु. की संस्वीकृत लागत वाली 27 परियोजनाओं को पूरा करने में असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजीत पांजा)** : (क) और (ख) 2 करोड़ रु. तथा इससे अधिक लागत की 27 परियोजनाएं जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित हैं, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के अर्न्तगत कुल 1695.64 करोड़ रु. के स्वीकृत पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत क्रियान्वयनाधीन हैं। इन परियोजनाओं में से 13 परियोजनाएं कार्यक्रम के अनुसार प्रगति पर हैं और 14 परियोजनाएं लम्बित हैं। इन परियोजनाओं में विलम्ब होने का मुख्य कारण निम्न है– भूमि अधिग्रहणी में तथा विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास में अवरोध और कानून संबंधी व्यवस्था से जुड़ी समस्याएं, प्रतिकूल भू-खनन परिस्थितियां और निधि संबंधी अवरोध।

(ग) राज्य सरकार के साथ लम्बित भूमि संबंधी मामलों में त्वरिता लाए जाने के लिए तथा पुनर्वास की समस्याओं से निपटने के लिए निकटतम अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। ऐसी परियोजनाओं के मामले में जो कि इन सीम विकास के दौरान आई प्रतिकूल भू-खनन परिस्थितियों से अन्तर्गत हैं, उनके मामले में संशोधित परियोजना रिपोर्टों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और ये परियोजना संशोधित संकल्पना के अनुसार क्रियान्वित की जा रही हैं। निधियों की उपलब्धता को परियोजना के मामले में प्राथमिकता दी जाती है जोकि क्रियान्वयन के अग्रिम चरण में है। कोयले की चोरी को रोकने के लिए और कानून तथा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को उच्चतम स्तर पर निरन्तर रूप में अनुस्मारक भेजे जाते हैं।

[हिन्दी]

**उत्तर प्रदेश को परिवार कल्याण कार्यक्रम हेतु सहायता**

5366. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राज्य में जनसंख्या नियंत्रण हेतु अतिरिक्त वित्तीय सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द)** : (क) से (घ) उत्तर प्रदेश सहित अनेक राज्य परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त सहायता लेना चाहते हैं। राज्यों को आवश्यकताओं, उपलब्ध सीमित संसाधनों और धन का उपयोग करने की क्षमता के अनुसार ही उन्हें संसाधनों का आबंटन किया जाता है।

[अनुवाद]

**पेट्रोल के खुदरा बिक्री केन्द्र**

5367. **श्री राम नाईक : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुम्बई में वर्ष 1992-93 में तथा 1993-94 में पेट्रोल के कुल कितने खुदरा बिक्री केन्द्र स्वीकृत किए गए; और

(ख) कितने खुदरा पेट्रोल बिक्री केन्द्रों को बिना बारी के स्वीकृति दी गई; और

(ग) बिक्री केन्द्रों के आबंटन में बारी से पूर्व मंजूरी देने के क्या कारण हैं ?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा)** : (क) और (ख) 1992-93 के दौरान यहां बंबई में कोई भी पेट्रोल/डीज़ल खुदरा बिक्री केन्द्र आबंटित नहीं किया गया था वहीं तेल चयन बोर्ड के माध्यम से तथा सरकार के स्वविवेक अधिकारों के तहत क्रमशः एक-एक अर्थात् दो खुदरा बिक्री केन्द्र की डीलरशिपों के लिए 1993-94 में आशय पत्र निर्गत किए गए थे।

(ग) स्वविवेक आबंटन अनुकंपा के आधार पर उचित मामलों में किए जाते हैं।

**कोचीन रिफाइनरी लिमिटेड**

5368. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान कोचीन रिफाइनरी लिमिटेड की कितनी क्षमता का उपयोग किया गया और इसका कितना कारोबार था;

(ख) 1994-95 में अनुमानतः कितनी क्षमता का उपयोग किया जाएगा और कितना कारोबार होगा;

(ग) क्या कोचीन रिफाइनरी लिमिटेड के विस्तार और विविधीकरण हेतु कोई प्रस्ताव/योजना विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अनुमानित विस्तार के साथ-साथ किन-किन क्षेत्रों में विविधीकरण पर कितना खर्च आएगा, यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा, इस कार्य के लिए धनराशि दी जाएगी तथा इस प्रयोजनार्थ क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा)** : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोचीन रिफाइनरी लिमिटेड की क्षमता उपयोग और कार्यव्यापार निम्नवत रहा है :

| वर्ष | क्षमता उपयोग % | कार्यव्यापार (करोड़ रुपए) |
|---|---|---|
| 1991-92 | 107.8 | 1486.14 |
| 1992-93 | 113.8 | 1811.54 |
| 1993-94 (अनन्तिम) | 108.1 | 1970.00 |

(ख) 1994-95 के लिए अनुमानित क्षमता उपयोग और कार्यव्यापार क्रमशः 103.33 प्रतिशत और 1975.89 करोड़ रुपए है।

(ग) और (घ) 481.24 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से सी.आर.एल. 4.5 एम.एम.टी.पी.ए. की वर्तमान परिशोधन क्षमता का 7.5 एम.एम.टी.पी.ए. तक विस्तार कर रही है। यह परियोजना मार्च, 1995 तक पूरी हो जाएगी।

**[हिन्दी]**

**भारतीय नागरिकता**

5369. **श्री राजेश कुमार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितने पाकिस्तानी नागरिकों ने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया है;

(ख) इनमें से कितने लोगों को नागरिकता प्रदान की गई है;

(ग) क्या उन्हें नागरिकता प्रदान करने से पूर्व समुचित जांच की गई थी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट)** : (क) जिन पाकिस्तानी नागरिकों ने पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन किया, उनकी प्रत्येक वर्ष की संख्या निम्न प्रकार है :

| वर्ष | आवेदकों की संख्या |
|---|---|
| 1991 | 280 |
| 1992 | 399 |
| 1993 | 338 |

(ख) जिन पाकिस्तानी नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई, उनकी संख्या निम्न प्रकार है :

| वर्ष | उन व्यक्तियों की संख्या, जिन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान की गई |
|---|---|
| 1991 | 218 |
| 1992 | 246 |
| 1993 | 171 |

(ग) जी हां, श्रीमान्।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा अर्जित लाभ**

5370. **श्री नवल किशोर राय :**
**श्री गुमान मल लोढा :**

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड ने गत तीन वर्षों से लगातार लाभ अर्जित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोल इंडिया लिमिटेड ने इस अवधि के दौरान अतिरिक्त पूंजी निवेश किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या मार्च, 1991 के पश्चात् देश में कोयले के मूल्य कई बार बढ़ाये गये हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या देश में कोयले की उत्पादन लागत में कमी आने का पता लगाने हेतु कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा)** : (क) और (ख) वर्ष 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान कोल इंडिया लि. द्वारा कमाया गया लाभ नीचे दिया गया है :

| | |
|---|---|
| 1991-92 | (+) रु. 167.07 करोड़ |
| 1992-93 | (+) रु. 291.27 करोड़ |

वर्ष 1993-94 के दौरान को.इं.लि. द्वारा 351 करोड़ रु. (अनंतिम) का लाभ कमाए जाने का अनुमान है वास्तविक आंकड़े लेखों को अंतिम रूप दिए जाने तथा लेखापरीक्षा किए जाने के बाद ही प्राप्त हो सकेंगे।

(ग) और (घ) जी, हां। पिछले 3 वर्षों के दौरान को.इं.लि. में हुए निवेश का विवरण नीचे दिया गया है :

| | (करोड़ रु. में) |
|---|---|
| 1991-92 | 1755.19 |
| 1992-93 | 1808.47 |
| 1993-94 | 1659.54 (अनंतिम) |

(ङ) और (च) को.इं.लि. द्वारा उत्पादित किए गए कोयले की कीमतें मार्च, 1991 के बाद तीन बार संशोधित कर दी गयी हैं जो कि नीचे दर्शायी गई हैं :

| | रु./टन |
|---|---|
| को.इं.लि. के कोयले का औसत कीमत जो कि मार्च,1991 में अद्यतन थी | 249.00 |
| (i) 27-12-1991 से प्रभावी को.इं.लि. के कोयले का संशोधित औसत कीमत | 322.00 |
| (ii) 17-12-1993 से प्रभावी को.इं.लि. के कोयले की संशोधित औसत कीमत | 364.00 |
| (iii) 19-6-1993 से प्रभावी को.इं.लि. के कोयले की संशोधित औसत कीमत | 382.00 |

(छ) और (ज) विद्यमान मूल्य पर कोयले के उत्पादन लागत में कुछ समय बाद वृद्धि हो रही है विभिन्न लागतों की लागत में वृद्धि होने के कारण होती है किन्तु को.इं.लि. ने सूचित किया है कि 1989-90 तथा 1992-93 की अवधि के दौरान उत्पादन लागत में 26.3% तक वृद्धि हुई है जबकि थोक बिक्री मूल्य सूचकांक में 38% तक की वृद्धि हुई। अतः उत्पादन लागत में वृद्धि थोक कीमतों से कम हुई और इस तरह से इस अवधि के दौरान उत्पादन लागत में सही अर्थों में गिरावट आ गई।

**[अनुवाद]**

**रूस के साथ समझौता**

5371. **श्री राम निहोर राय** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोल इंडिया लिमिटेड को कल पुर्जों की आपूर्ति के लिए एशियन स्टेट ट्रेडिंग आर्गेनाइजेशन के साथ कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रूसी निर्माताओं से ऐसे कल पुर्जों की सीधे तौर पर आपूर्ति के लिए कोई निविदा प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) अतिरिक्त कलपुर्जों की आवश्यकताओं को पूरी कराए जाने के लिए सितम्बर/अक्तूबर, 1992 और मई/जून, 1993 में कोल इंडिया लिमिटेड ने दो दल को सी.आई.एस. देशों (जिसमें रूस भी शामिल है) के लिए भेजा था, जिन्होंने रूस एवं अन्य उत्पादनकर्ताओं के साथ सीधा संपर्क स्थापित किया। तत्पश्चात् को.इं.लि. और उत्पादनकर्ताओं के साथ सीधा संपर्क स्थापित किया। तत्पश्चात् को.इं.लि. और उत्पादनकर्ता आपूर्तिकर्ताओं के साथ जो कि अधिकांशतः रूस, यूक्रेन और बाइलो रूस में स्थित है, नवम्बर, 1993 एवं जनवरी, 1994 की अवधि के बीच शावेल ड्रेगलाइन, डम्पर, पी.एस.एल.वी. सेट और शीयरियरों के लिए अतिरिक्त कलपुर्जों की आपूर्ति किए जाने के संबंध में आर्डर प्राप्त किए।

**मानसिक रूप से विकलांग बच्चे**

5372. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में 30,000 से अधिक शिशु मृत जन्म लेते हैं और लगभग, 1,20,000 शिशु मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग जन्म लेते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से इस संबंध में कोई ठोस प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द)** : (क) भारत के महापंजीयक के रिकार्ड, के अनुसार, वर्ष 1991 में देश में मृत जन्म दर 10.7 प्रति हजार थी। मानसिक और शारीरिक रूप से अविकसित जन्में बच्चों की संख्या के बारे में विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

**पंजाब से आए शरणार्थी**

5373. **श्री मोहन रावले** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों और संघ-राज्य क्षेत्रों में रह रहे पंजाब से आए शरणार्थियों की संख्या के संबंध में कोई जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो राज्य/संघ-राज्य क्षेत्रवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ऐसे शरणार्थियों पर प्रतिवर्ष कितनी धनराशि खर्च कर रही है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार राज्यों को ऐसे शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता दे रही है; और

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार राज्य/संघ-राज्य क्षेत्रवार दी गई ऐसी सहायता का ब्यौरा क्या है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट)** : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :

| क्र. सं. | राज्य | परिवारों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | दिल्ली | 15586 |
| 2. | हरियाणा | 1453 |
| 3. | राजस्थान | 206 |
| 4. | हिमाचल प्रदेश | 63 |
| 5. | जम्मू और कश्मीर | 25 |
| 6. | उत्तर प्रदेश | 322 |
| | योग : | 17655 |

(ग) यह मामला, सम्बद्ध राज्य सरकारों से संबंधित है।

(घ) जी नहीं, श्रीमान्।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

**महिलाओं की मृत्यु दर**

5374. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और उनकी मृत्यु दर के संबंध में सामाजिक औषधि और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली ने कोई अध्ययन किया था;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन के क्या परिणाम निकले; और

(ग) इस अध्ययन को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द)** : (क) जी हां।

(ख) विशेष जिलों, ब्लॉकों और गांवों में महिलाओं के खराब स्वास्थ्य के कारणों एवं परिवार नियोजन कार्यक्रम की स्थिति पर स्नातकोत्तर छात्रों द्वारा अध्ययन किए गए थे। इसलिए देश के लिए इन परिणामों का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता। ये अध्ययन अभी तक प्रकाशित नहीं किए गए हैं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

**केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की तैनाती**

5375. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की कितनी वाहिनियां इस समय दिल्ली में तैनात हैं; और

(ख) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को शांति और युद्ध क्षेत्रों में तैनाती हेतु क्या मानदंड अपनाये गए हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट)** : (क) इस समय दिल्ली में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 11 बटालियनें तैनात हैं।

(ख) एक बटालियन एक क्षेत्र में आमतौर पर 3 वर्ष रहती है। बटालियनें आसान इलाके से कठिन इलाकों में और कठिन इलाके से आसान इलाकों में बारी-बारी से आती-जाती रहती हैं, जो तैनाती की आवश्यकता पर निर्भर करता है।

**आवारा बच्चों का कल्याण**

5376. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में आवारा बच्चों के कल्याण के लिए कोई नई योजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना में शामिल किये गये शहरों के नाम क्या हैं;

(घ) शहरवार कितने आवारा बच्चों की पहचान कर ली गई है और कितने लाभान्वित होंगे;

(ङ) 1993-94 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत शहरवार कितनी धनराशि जारी की गई; और

(च) प्रत्येक शहर में आवारा बच्चों के लिए कितने केन्द्र स्थापित किये गये/करने का प्रस्ताव है ?

**कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्कावालू)** : (क) और (ख) जी, हां। बेसहारा बच्चों के कल्याण के लिए केंद्रीय योजना के अंतर्गत स्वयंसेवी संगठनों को बेसहारा बच्चों के विकास के लिए सुविधाएं प्रदान करने हेतु केंद्रों को चलाने के लिए 90% अनुदान दिये जाते हैं। इस योजना के मुख्य संघटक इस प्रकार हैं :

1. बेसहारा बच्चों तथा उनके परिवारों की पहचान।
2. निवारणात्मक स्वास्थ्य सेवाओं का प्रचालन तथा उपचार सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करना।
3. पोषाहार समर्थन प्रदान करना।
4. साक्षरता के लिए सुविधाएं प्रदान करना तथा औपचारिक शिक्षा पद्धति में उनके एकीकरण के लिए प्रयास आरम्भ करना।
5. व्यावसायिक प्रशिक्षण और
6. आश्रय तथा स्वास्थ्यवर्द्धक रहन-सहन इत्यादि सुविधाएं प्रदान करना।

(ग) से (च) अपेक्षित सूचना देते हुए एक विवरण संलग्न है।

**विवरण**

| क्र.सं. | शहर का नाम | लाभ प्रदान किये जाने वाले संभावित बेसहारा बच्चों की सं. | 1993-94 के दौरान निर्मुक्त राशि (रु. लाख में) | 1993-94 के दौरान गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से स्थापित केंद्रों की संख्या | 1994-95 के दौरान गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित अतिरक्त केंद्रों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | अगरतला | 300 | — | — | 1 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | अहमदाबाद | 900 | 8.05 | 3 | — |
| 3. | अजिवाल | 300 | — | — | + |
| 4. | भुवनेश्वर | 300 | — | — | 1 |
| 5. | भोपाल | 300 | — | — | 1 |
| 6. | बम्बई | 1500 | 12.25 | 5 | — |
| 7. | बंगलौर | 900 | 6.44 | 3 | — |
| 8. | कलकत्ता | 2100 | 27.74 | 7 | — |
| 9. | कोयम्बटूर | 300 | — | — | 1 |
| 10. | चंडीगढ़ | 300 | — | | 1 |
| 11. | दिल्ली | 2100 | 18.22 | 7 | — |
| 12. | गुहावटी | 300 | — | | 1 |
| 13. | गनटोक | 300 | — | | 1 |
| 14. | हैदराबाद | 600 | 0.61 | 1 | 1 |
| 15. | इटानगर | 300 | — | — | 1 |
| 16. | इन्दौर | 300 | — | — | 1 |
| 17. | इम्फाल | 300 | — | — | 1 |
| 18. | जयपुर | 300 | — | — | 1 |
| 19. | कोजीकोड | 300 | — | — | 1 |
| 20. | कोहिमा | 300 | — | — | 1 |
| 21. | कानपुर | 300 | 3.69 | 1 | — |
| 22. | लखनऊ | 300 | 8.63 | 3 | — |
| 23. | लुधियाना | 300 | — | — | 1 |
| 24. | मद्रास | 1800 | 20.95 | 6 | — |
| 25. | मदुरई | 300 | — | — | 1 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|---|---|---|---|---|---|
| 26. | नागपुर | 600 | 0.62 | 1 | 1 |
| 27. | पटना | 300 | | – | 1 |
| 28. | पुणे | 600 | 4.25 | 2 | – |
| 29. | पणजी | 300 | + | + | 1 |
| 30. | शिमला | 300 | – | – | 1 |
| 31. | श्रीनगर/जम्मू | 300 | – | – | 1 |
| 32. | शिलोग | 300 | – | – | 1 |
| 33. | सूरत | 300 | – | – | 1 |
| 34. | वदोदरा | 300 | – | – | 1 |
| 35. | विशाखापतनम | 300 | | | 1 |
| 36. | वाराणसी | 300 | – | | 1 |
| 37. | त्रिवेन्द्रम | 300 | – | – | 1 |
| | कुल | 20100 | 111.45 | 30 | + 28 |

**टिप्पणी** :– वर्ष 1993-94 के लिए इस योजना के अंतर्गत 5 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान है। प्रति केंद्र प्रति वर्ष समुचित व्यय 7.39 लाख रुपये है।

**श्रम कानूनों का उल्लंघन**

5377. **डा. असीम बाला** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कोल इंडिया लि. श्रम कानूनों का उल्लंघन कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो कोल इंडिया लि. में श्रम कानूनों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा)** : (क) और (ख) कोल इंडिया लि. के संस्थापन में श्रमिक नियमों को लागू किए जाने का स्तर सामान्यतः बहुत ऊंचे दर्जे का रहा है। केन्द्रीय सरकार की औद्योगिक तन्त्र/श्रम मंत्रालय का श्रमिक संबंधी नियमों का लागू कराने वाला तन्त्र इस बारे में समय-समय पर निरीक्षण करता है ताकि श्रमिक संबंधी नियमों को लागू कराया जा सके।

[हिन्दी]

**पेट्रोल खुदरा बिक्री केन्द्रों और रसोई गैस एजेंसियों का आबंटन**

5378. **श्री एन.जे. राठवा** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में विशेषतः आदिवासी जिलों में, ऐसे स्थानों का ब्यौरा क्या है जिनकी खुदरा डीजल/पेट्रोल विक्रय केन्द्रों, तेल के थोक डिपुओं और नई रसोई गैस एजेंसियों की स्थापना करने के लिए पहचान की गई है और इस संबंध में सारी प्रक्रिया संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं परन्तु अभी तक विज्ञापन जारी नहीं किए गए हैं;

(ख) उपरोक्त स्थानों में से उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जिनके संबंध में पहले ही विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं परन्तु कोई निर्णय नहीं लिया गया है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा)** : (क) विज्ञापनों का निर्गम तथा तेल चयन बोर्डों को माध्यम से डीलरों का चयन एक अनवरत प्रक्रिया है तथा दिन-प्रतिदिन आधार पर स्थिति परिवर्तित होती रहती है। तथापि तेल कम्पनियों द्वारा यह रिपोर्ट की गई है कि जनजातीय जिलों को सम्मिलित करते हुए गुजरात में 24 एल.पी.जी. (रसोई गैस) डिस्ट्रीब्यूटरशिपों तथा 15 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों के स्थान विज्ञापन हेतु आबंटित थे।

(ख) और (ग) पहले ही विज्ञापित 73 एल.पी.जी. (रसोई गैस) डिस्ट्रीब्यूटरशिपें तथा 59 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें गुजरात में साक्षात्कार हेतु लंबित थी। डीलरों/डिस्ट्रब्यूटरों की साक्षात्कारों तथा चयन संबंधी प्रगति साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या निहित स्थानों की संख्या तथा तेल चयन बोर्डों इत्यादि द्वारा नियत साक्षात्कारों की संख्या जैसे विविध पहलुओं पर निर्भर करती है। डीलरशिपों/डिस्ट्रब्यूटरशिपों को चालू करने में विज्ञापन की तिथि के उपरांत 1-2 वर्षों का समय लगता है।

[अनुवाद]

**सरकारी सेवाओं में अल्पसंख्यक**

5379. **श्री एस.एम. लालजान वाशा** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी रोज़गार क्षेत्र में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकारी रोजगार क्षेत्र में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्कावालू)** : (क) से (ख) जी, हां। मई, 1980 में सरकार द्वारा स्थापित अल्पसंख्यक उच्चाधिकार प्राप्त पैनल ने अन्य बातों के साथ-साथ सरकारी सेवाओं में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के बारे में एक नमूना सर्वेक्षण किया था। सर्वेक्षण के ब्यौरे पैनल की रिपोर्ट में दिये गये हैं जिसे 27 अगस्त, 1990 को सदन के पटल पर पहले ही रख दिया गया है।

(ग) (1) सरकार ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को यह सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश जारी किए हैं कि नौकरियों के लिए अल्पसंख्यक उम्मीदवारों के पंजीकरण एवं प्रायोजित करने के मामले में कोई भेदभाव न किया जाए। राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे (1) अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में पंजीकरण के लिए विशेष अभियान चलाने, (2) अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में सचल पंजीकरण यूनिटें/उप रोजगार कार्यालय के गठन (3) जिला और रोजगार कार्यालय स्तर पर रोजगार कार्यालयों से सम्बद्ध अल्पसंख्यक समुदाय सलाहकार समितियों के सदस्यों को शामिल करने और (4) प्रगति की मॉनिटरिंग करने हेतु राज्य स्तर पर मॉनिटरिंग तेल स्थापित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के वास्ते रोजगार कार्यालयों को आवश्यक अनुदेश जारी करें।

(2) सरकार ने भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को यह अनुदेश जारी किये हैं कि जहां ग्रुप सी अथवा ग्रुप डी पदों/सेवाओं में 10 या 10 से ज्यादा रिक्तियों की भर्ती करने हेतु यहां चयन समितियां/बोर्ड है या गठित किये जाने हैं तो उन चयन समितियों/बोर्डों में अनिवार्य एक सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो और एक सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय का होना अनिवार्य है। तथापि, जहां 10 रिक्तियों से कम के लिए चयन करना है, उस मामले में ऐसी समितियों/बोर्डों में शामिल करने हेतु अनुसूचित जातियों/जनजातियों के एक अधिकारी तथा अल्पसंख्यक समुदाय के एक अधिकारी की तलाश करने में कोई कमी न बरती जाए।

(3) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 20 विश्वविद्यालयों और 32 महाविद्यालयों के माध्यम से एक कोचिंग योजना चला रहा है ताकि अल्पसंख्यकों के कमजोर वर्ग विभिन्न प्रतियोगी/प्रवेश परीक्षाओं में अन्य उम्मीदवारों के साथ समान शर्तों पर प्रतियोगिता कर सकें। कल्याण मंत्रालय भी 1992–93 से ख्याति प्राप्त व्यावसायिक कोचिंग संस्थानों के जरिये आर्थिक मानदंड के आधार पर कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा–पूर्व कोचिंग की एक नई योजना कार्यान्वित कर रहा है।

**पेट्रोल खुदरा बिक्री केन्द्र और एल.पी.जी. एजेंसियों**

5380. **श्री प्रबीन डेका :**
**श्री दत्ता डेका :**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में एल.पी.जी. एजेंसियां तथा पेट्रोल/डीजल और मिट्टी के तेल के खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने के लिए 31 दिसम्बर, 1993 तक विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन प्रस्तावों को स्वीकृति देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा)** : (क) और (ख) पिछली विपणन योजनाओं से लंबित स्थानों के अतिरिक्त असम की वर्तमान विपणन योजना में सम्मिलित 39 खुदरा बिक्री केन्द्र 17 एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें और 15 एस.के. ओ-एल.डी.ओ. डीलरशिपें आबंटन के लिए 31 दिसम्बर, 1993 तक उपलब्ध थीं। उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों का चयन तेल चयन बोर्ड के माध्यम से निर्धारित कार्यविधि के तहत किया जाता है तथा यह प्रगति पर है।

**[हिन्दी]**

**हुरासी परियोजना**

5381. **श्री साईमन मरान्डी** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्टर्न कोल फील्ड् लिमिटेड का विचार राजमहल परियोजना के अंतर्गत लालमटिया में हुरासी परियोजना को पुनः आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान इस परियोजना पर कितना व्यय किया गया;

(ग) क्या लाल मटिया से पिरपेटी और लालमटिया से गोड्डा तक की दोनों तरफ की सड़कों को पक्का और चौड़ा बनाने संबंधी कोई योजना केन्द्रीय सरकार के विचारधीन है;

(घ) यदि हां, तो यह काम कब शुरू होगा और कब तक पूरा हो जायेगा; और

(ङ) इस पर कितना व्यय किया जायेगा ?

**कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा)** : (क) और (ख) वर्तमान में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. की लालमटिया क्षेत्र की हुरा "सी" परियोजना को शुरू किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। चूंकि राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम के फरक्का तथा कहलगांव के संयोजित विद्युत गृहों के वर्तमान मांग को, चालू राजमहल ओपनकास्ट परियोजना (10.5 मि.टन प्रति वर्ष) से, आसानी से पूरा किया जा सकता है।

(ग) इस संबंध में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता है।

**[अनुवाद]**

**तेल की खोज के लिए निधि**

5382. **श्रीमती वुसन्धरा राजे** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक तेल अन्वेषण निधि स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उस निधि में आरंभिक चरण में कितनी धनराशि नियम किये जाने का विचार है;

(ग) क्या तेल की खोज के लिए निजी क्षेत्रों को भी उस निधि से धन दिया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा)** : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

**रसोई गैस एजेंसियों और पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्र**

5383. **श्री काशीराम राणा :**
**श्री महेश कनोडिया :**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में फरवरी, 1994 तक रसोई गैस एजेंसियों और पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्रों के आवंटन के लिए कितने पत्र लंबित थे;

(ख) रसोई गैस एजेंसियों और पेट्रोल के खुदरा बिक्री केन्द्रों के आवंटन हेतु चालू वर्ष के दौरान किन-किन स्थानों का सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान ऐसी कितनी एजेंसियों/खुदरा बिक्री केन्द्र आवंटित किये गये हैं/आवंटित करने का विचार है;

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा)** : (क) गुजरात हेतु चालू विपणन योजना में सम्मिलित पिछली योजनाओं से लंबित चले आ रहे 53 पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्र को डीलरशिपों तथा 65 डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के स्थानों के संबंध में चयन प्रक्रिया गुजरात राज्य के लिए गठित तेल चयन बोर्ड के माध्यम से अपनायी जा रही है तथा तेल कम्पनियों द्वारा किया जाने वाला आबंटन कार्य प्रगति पर है।

(ख) से (ग) तेल कंपनियां विविध स्थानों पर आवधिक सर्वेक्षण करती हैं। उद्योग के व्यवहार्यता विषयक मानदंडों को पूरा करने वाले स्थानों को डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों की नियुक्ति हेतु बनाई गई विपणन योजना में सम्मिलित किया जाता है। 1994-95 की विपणन योजना को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

**अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार**

5384. **श्री सैयद शहाबुद्दीन :**
**श्री रतिलाल वर्मा :**

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992 और 1993 के दौरान राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जानजातियों के प्रति उत्पीड़न के मामलों के संबंध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और कितने व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किये गये और कितने व्यक्ति नजरबन्द हैं, जिन पर मुकदमा चलाया जाना है;

(ख) 31 दिसम्बर तक वर्ष-वार इन मामलों में कितने व्यक्तियों को दोषी पाया गया और दण्डित किया गया; और

(ग) 31 दिसम्बर, 1992 और 1993 की स्थिति के अनुसार राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ऐसे कुल कितने मामले लम्बित थे ?

**कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्कावालू)** : (क) से (ग) राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**कंडोम की बिक्री**

5395. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में एड्स की रोकथाम करने के लिए कंडोमों की बिक्री में कोई वृद्धि नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या एक महत्वपूर्ण अध्ययन से पता चला है कि देश में कोई भी राज्य एड्स से मुक्त नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो किस आधार कार्य पर एड्स की रोकथाम के लिए अभियान चलाया जाएगा ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री वी. शंकरानन्द)** : (क) जी, हां।

(ख) इतना ही नहीं बल्कि कुल निःशुल्क आपूर्ति भी बढ़ी है, इसका अन्य संभावित कारण पर्याप्त जागरुकता का अभाव और आपूर्ति का कल्पनात्मक वितरण है।

(ग) अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा राज्यों तथा दादरा और नगर हवेली, दमण व संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से एच.आई. व्याप्तता की सूचना प्राप्त हुई।

(घ) सितम्बर, 1992 से देश भर में एड्स के निवारण और रोकथाम के लिए एक व्यापक कार्यक्रम चलाया गया है। तैयार की गई कार्यनीतियों में-(क) जनशिक्षा के माध्यम से एच.आई.वी./एड्स के बारे में जागरुकता उत्पन्न करना,

(ख) रक्त निरापदता और रक्त उत्पादों का युक्तिसंगत उपयोग,

(ग) यौन संचारी रोगों की रोकथाम,

(घ) कंडोम को बढ़ावा देना और

(ङ) एच.आई.वी./एड्स के रोगियों की निगरानी और नैदानिक उपचार करना शामिल हैं।

**दंकुनी स्थित निम्न तापक्रम कार्बनीकरण (एल.टी.सी.) संयंत्र**

5386. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड का विचार पश्चिम बंगाल के दंकुनी स्थित अपने 140 करोड़ रुपये के निम्न तापक्रम कार्बनीकरण संयंत्र को बेच देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कोल इंडिया लि. ने किन-किन कंपनियों के साथ बातचीत शुरू की है ?

**कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा)** : (क) से (ग) निम्न तापीय कार्बनीकरण (एल.टी.सी.) संयंत्र जो कि पश्चिम बंगाल में दानकुनी में स्थित है, वर्तमान में भारी घाटा उठा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप कोल इंडिया के वित्तीय परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। एल.टी.सी. संयंत्र के वित्तीय कार्य-निष्पादन में समग्र रूप से सुधार लाये जाने के लिए अनेक कार्रवाई मुद्दे विनिर्दिष्ट किये गये हैं। एक सुझाव यह प्रस्तुत किया गया है कि कोक तथा कोयले की गैस के संवितरण तथा उत्पादन के कार्य को किसी संयुक्त उद्यमी कंपनी को सौंपे जाने की संभावनाओं का पता लगाया जाय, जिसमें आनकुनी कोयला काम्प्लेक्स और ग्रेटर कलकत्ता गैस सप्लाई कारपोरेशन एक हिस्सेदार के रूप में कार्यरत रखा जाए।

**एच.पी.सी.एल. के तेल शोधक कारखाने**

5387. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विजाग और मुम्बई स्थित हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लि. के तेल शोधक कारखानों में गत दो वर्षों के दौरान कितनी क्षमता का उपयोग किया गया तथा कितना उत्पादन और कारोबार हुआ और 1994-95 के लिए लक्षित उत्पादन कितना है;

(ख) क्या उक्त दो तेल शोधक कारखानों के विस्तार का कोई प्रस्ताव/योजना है;

(ग) मंगलौर में 30 लाख टन क्षमता वाले संयुक्त उद्यम के तेल शोधक कारखाने के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(घ) क्या इसकी क्षमता की चरणबद्ध तरीके से 90 लाख टन तक बढ़ाये जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) संयुक्त उद्यम के उक्त तेल शोधक कारखाने का निर्माण कार्य कब पूरा होगा और यह कब से काम करना आरंभ करेगा;

(छ) क्या एच.पी.सी.एल., ओमान/तेल कंपनी के साथ मिलकर पश्चिमी तट पर दूसरा तेल शोधक कारखाना स्थापित करने जा रहा है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितना व्यय होगा और इसका निर्माण पूरा होने पर इसका अनुमानित उत्पादन तथा कारोबार कितना होगा ?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा)** : (क) 1992-93 और 1993-94 के दौरान हिन्दुस्तान पेट्रालियम रिफाइनरियों को क्षमता का उपयोग तथा उत्पादन नीचे दर्शाया गया है :-

| | 1992-93 | | 1993-94 (अस्थायी) | |
|---|---|---|---|---|
| | क्षमता उपयोग (प्रतिशत) | उत्पादन (एम.एम.टी.) | क्षमता उपयोग | प्रतिशत उत्पादन (एम.एम.टी.) |
| बम्बई रिफाइनरी | 106.4 | 5.62 | 109.8 प्रतिशत | 5.67 |
| विशाख रिफाइनरी | 100.7 | 4.27 | 98.9 प्रतिशत | 4.20 |

वर्ष 1994-95 हेतु बम्बई और विभाग रिफाइनरियों का लक्षित उत्पादन क्रमशः 4812 और 4015 हजार टन है। 1992-93 और 1993-94 के दौरान हिन्दुस्तान पेट्रोलियम का.लि. का कारोबार क्रमशः 10595.78 करोड़ रुपए और 11856.84 करोड़ रुपए अनंतिम था।

(ख) विभाग रिफाइनरी के 3 एम.एम.टी.पी.ए. तक के विस्तार के लिए विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट बनाने के लिए भारत सरकार ने एच.पी.सी.एल. को अधिकृत किया है।

(ग) मंगलौर रिफाइनरी के निर्माण में की गई प्रगति मार्च, 1994 तक 40 प्रतिशत है

(घ) और (ङ) मंगलौर रिफाइनरी की शोधन क्षमता को 3 एम.एम.टी.पी.ए. से बढ़ाकर 9 एम.एम.टी.पी.ए. करने हेतु सरकार ने मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लि. को आशय पत्र जारी किया है।

(च) सरकारी अनुमोदन के अनुसार परियोजना अप्रैल, 1991 से 48 महीनों के भीतर पूरी की जानी है।

(छ) और (ज) हिन्दुस्तान पे.का.लि. और ओमान आयल कम्पनी (ओ.ओ.सी.) ने दोनों देशों के बीच संयुक्त उद्यम के रूप में भारत के पश्चिमी तट पर 6 एम.एम.टी.पी.ए. को ग्रासरूट रिफाइनरी की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जून, 1992 के मूल्यों के आधार पर परियोजना की लागत लगभग 3000 करोड़ रुपए आने की संभावना है।

## सुरक्षा मानदंड

5388. **श्री मोहन रावले** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल उद्योग सुरक्षा मनदंडों का पालन कर रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन संबंध में तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय ने अब तक क्या भूमिका निभायी है; और

(घ) पेट्रोलियम उद्योग के कर्मियों में सुरक्षा के प्रति जागरुकता बढ़ाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं तथा इसके क्या परिणाम निकले ?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा)** : (क) और (ख) तेल कम्पनियों द्वारा सुरक्षा मानदंडों पर आमतौर से अमल किया जा रहा है।

(ग) तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय विविध मानदंडों/मानकों इत्यादि को तैयार करने में लगा हुआ है जो प्रकाशित किए जाते हैं तथा उद्योग को जारी किए जाते हैं। तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय, रिफाइनरियों, गैस संसाधन संयंत्रों, विपणन प्रतिष्ठानों इत्यादि के बाह्य सुरक्षा ओडिट नियमित रूप से करता है तथा उनसे अद्भुत सिफारिशों के क्रियान्वयन पर नजर रखता है।

(घ) तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय सभी कंपनियों को सुरक्षा मानदंडों तथा मानकों से अवगत कराने हेतु उनके लिए नियमित आधार पर कार्यशालाएं तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है। इसने तेल उद्योग से वरिष्ठ एवं मध्यम स्तर के लगभग 650 कार्यकारियों को सुरक्षा से संबंधित प्रशिक्षण जानकारी देने के लिए चार कार्यशालाएं चलाई हैं। इसने तेल कंपनियों के 250 कार्यकारियों के लिए ए.एस.सी.आई. (एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज आफ इंडिया) हैदराबाद में 10 कोर्स चलाए हैं। तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय "पेट्रोसेफ" नामक एक पत्रिका भी प्रकाशित करता है जिसमें सुरक्षा विकास के संबंध में सीखे गए पाठ प्रकाशित किए जाते हैं तथा इन्हें तेल उद्योग के लगभग 1000 कर्मचारियों में परिचालित किया जाता है।

## छोटे अस्पताल

5389. **श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रमुख अस्पतालों में रोगियों को भीड़ कम करने के उद्देश्य से दिल्ली के आसपास के इलाकों में कई छोटे अस्पताल खोलने की परियोजना के कार्यान्वयन में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) यह योजना कब शुरू की गई थी; और

(ग) विलंब के क्या कारण हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ.सी. सिल्वेरा)** : (क) छोटे अस्पतालों को स्थापित करने के लिए की गई प्रगति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) यह योजना छठी पंवर्षीय योजना में शुरू की गई।

(ग) विभिन्न अस्पतालों को पूरा करने में देरी के कारण मुख्य रूप से भूमि का स्वामित्व प्राप्त करने के मुकदमेबाजी, लागतों में वृद्धि, कृषि के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि का संस्थागत

प्रयोजनों के लिए उपयोग करने संबंधी क्लीएरेंस और नागरिक/स्थानीय निकायों इत्यादि से अन्य अपेक्षित क्लीएरेंसों से संबंधित है।

**विवरण**

1. **संजय गांधी स्मारक अस्पताल, मंगोलपुरी**

बाह्य रोगी विभाग अप्रैल, 1986 में आरम्भ किया गया था। अंतरंग रोगी सुविधाएं सितम्बर, 1987 में आरम्भ हुई। अक्टूबर, 1990 से 12 घंटे आपाती सेवाएं भी आरम्भ की गईं।

2. **लालबहादुर शास्त्री अस्पताल, खिचड़ीपुर**

बाह्य रोगी सेवाएं दिसम्बर, 1991 में आरम्भ हुई। अस्पताल भवन के दिसम्बर, 1994 तक पूरी तरह तैयार हो जाने की सम्भावना है।

3. **राव तुलाराम स्मारक अस्पताल, जफ्फरपुर**

बाह्य रोगी सेवाएं सितम्बर, 1988 में आरम्भ हुई। भवन पूरा होने वाला है। अंतरंग रोगी विभाग के लिए कर्मचारी मंजूर किए गए हैं।

4. **बाबू जगजीवनराम स्मारक अस्पताल, जहांगीरपुरी**

बाह्य रोगी विभाग की सेवाएं अगस्त, 1993 में सीमित कर्मचारियों के द्वारा कुछ स्पेशियलिटियों में वार्ड ब्लॉक में आरम्भ की गई।

5. **सरकारी अस्पातल, पूठ खुर्द**

अस्पताल परिसर के लिए निर्धारित प्लाट की चारदीवारी पूरी हो गई है। भूमि के उपयोग में परिवर्तन के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र दिल्ली विकास प्राधिकरण से जनवरी, 1993 में प्राप्त हुआ। परियोजना की आधारशिला 26-2-1993 को रखी गई। दिल्ली शहरी कला आयोग द्वारा नक्शे और संरचनात्मक डिजाइन स्वीकृत कर दिए गए हैं।

6. **सरकारी अस्पताल, सिरसपुर**

अदालत के आदेश द्वारा स्वास्थ्य सेवा निदेशालय को भूमि कब्जा दे दिया गया है। भूमि उपयोग में परिवर्तन के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त हो गया है। मुख्य प्लाट में निर्माण कार्य आरम्भ करने के लिए लोक निर्माण विभाग को आवश्यक आदेश जारी किए गए हैं।

7. **सरकारी अस्पताल, मैदानगढ़ी**

भूमि के उपयोग में परिवर्तन के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र हेतु अनुरोध किया जा रहा है। 20 एकड़ के प्लाट पर चारदीवारी के निर्माण पर 10.58 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है।

8. **गुरु गोविन्द सिंह अस्पताल, रघुबीर नगर**

आधारशिला 29 जनवरी, 1991 को रखी गई थी। दिल्ली शहरी कला आयोग ने नवम्बर, 1992 में नक्शे स्वीकृत कर दिए गए हैं और उसे अन्तिम अनुमोदन के लिए दिल्ली नगर निगम को भेजा था जो दिल्ली नगर निगम द्वारा 1-3-1993 को दे दिया गया था। भवन के नक्शे अब दिल्ली शहरी कला आयोग द्वारा अनुमोदित कर दिए गए हैं। वास्तविक निर्माण कार्य 19-1-1994 को आरम्भ हुआ है।

9. **500 पलंगों वाला बाबा साहेब बी.आर. अम्बेदकर अस्पताल, रोहिणी**

29.4 एकड़ भूमि की खरीद, भूमि के भराव और चारदीवारी के निर्माण के लिए अगस्त, 1993 तक 288.66 लाख रुपये खर्च किए गए हैं।

**[अनुवाद]**

**केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के लिए कल्याणकारी उपाय**

5390. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कर्मचारियों की भारी आवासीय समस्या के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उनके लिए आवासों के निर्माण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) इन कर्मचारियों के लिए अन्य क्या सुविधाएं दिये जाने पर विचार किया जा रहा है;

(घ) क्या सरकार किन्हीं कल्याणकारी कार्यक्रम पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट)** : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) स्कीम को अब वार्षिक योजना में सम्मिलित कर लिया गया है ताकि इस प्रयोजन के लिए साधनों के आवंटन में वृद्धि की जा सके।

(ग) से (च) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों के लिए अनेक सुविधाएं और कल्याण कार्यक्रम मौजूद हैं, जिन्हें, यदि आवश्यकता हो तो समय-समय पर बढ़ाया जाता है।

**विकलांग बच्चे**

5391. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :**
**श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :**

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विकलांग, नेत्रहीन, बहरे एवं गूंगे बच्चों के कल्याण के लिए शत प्रतिशत वित्तीय सहायता देने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष और चालू वर्ष में इस संबंध में कितनी राशि मंजूर की गई ?

**कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्कावालू)** : (क) और (ख) सरकार ने देश में विकलांगों, दृष्टिहीनों, मूक बधिर बच्चों के कल्याण के लिए कोई 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता की योजना नहीं शुरू की है। तथापि, बच्चों सहित विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए 90 प्रतिशत की सीमा तक स्वैच्छिक संगठनों की वित्तीय सहायता देने की कुछ योजनाएं कार्यान्वित करती है। योजनाओं का विवरण-I संलग्न हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। ये योंजनाएं सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा स्वैच्छिक संगठनों को परिचालित कर दी गई हैं। अनुदान राशि राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों का सिफारिश पर दो किस्तों में वार्षिक आधार पर प्रदान की जाती है। अनुदान निर्मुक्त करते समय लेखा परीक्षित खातों, उपयोग प्रमाण-पत्र तथा गत वर्ष में संगठन के वास्तविक निष्पादन को ध्यान में रखा जाता है।

(ङ) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इन योजनाओं के तहत स्वीकृत संलग्न विवरण-II पर दी गई है।

**विवरण-I**

1. विकलांगों संबंधी संगठनों को सहायता की योजना के तहत स्वैच्छिक संगठनों को विकलांगों की चार श्रेणियों अर्थात् अस्थि विकलांग, दृष्टि विकलांग, श्रवण विकलांग, मानसिक रूप से मन्द लोगों के कल्याण हेतु 90 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है। यह अनुदान (क) पता लगाने, प्रारम्भिक अवस्था में हस्तक्षेप विकलांगता निवारण, शिक्षा व प्रशिक्षण (ग) पुनर्वास शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक एवं आर्थिक के उद्देश्य से दिया जाता है।

2. विशेष स्कूल स्थापना से संबंधित स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना के तहत उन जिलों में नये विशेष स्कूलों की स्थापना के लिए जहां कोई विशेष स्कूल नहीं है तथा वर्तमान विशेष स्कूलों के उन्नयन के लिए 90 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है।

3. प्रमस्तिष्काघात तथा मानसिक मन्दता के क्षेत्र में मानव शक्ति विकास संबंधी संगठनों की योजना के तहत प्रमस्तिष्काघात तथा मानसिक मन्दता के क्षेत्र में अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को 100 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है।

4. कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्तियों के पुनर्वास संबंधी स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना के तहत कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु स्वैच्छिक संगठनों को 90 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है।

**विवरण-II**

करोड़ रुपये में

| योजना का नाम | वर्ष | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1991-92 | 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 |
| | व्यय | | आवंटन | |
| 1. विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों की सहायता | 6.80 | 9.60 | 10.40 | 8.70 |
| 2. विशेष विद्यालयों की स्थापना के लिए स्वैच्छिक संगठनों की सहायता | — | — | 0.10 | 1.50 |
| 3. प्रमस्तिष्काघात तथा मानसिक मन्दता के क्षेत्र में मानव शक्ति के विकास के लिए स्वैच्छिक संगठनों की सहायता | 0.10 | 0.25 | 0.30 | 0.30 |
| 4. कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए स्वैच्छिक संगठनों की सहायता | 0.10 | 0.17 | 0.40 | 0.40 |

*यह योजना 1993-94 में शुरू की गई थी।

**[हिन्दी]**

**गुजरात में स्वैच्छिक संगठनों को सहायता**

5392. **श्री एन.जे. राठवा** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष गुजरात के विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों से वित्तीय सहायता के लिए कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) सरकार ने उनमें से कितने आवेदन पत्रों को मंजूरी दी है तथा उनमें से प्रत्येक संगठन को कितनी वित्तीय सहायता दी है;

(ग) कितने आवेदन पत्र मंजूरी हेतु लम्बित हैं;

(घ) उन्हें कब तक मंजूरी दी जायेगी;

(ङ) क्या सरकार का विचार स्वयंसेवी संगठनों द्वारा किये गये कार्यों के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण कराने का है।

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्कावालू)** : (क) पिछले गत तीन वर्षों के दौरान सहायता अनुदान के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या इस प्रकार है :-

| | |
|---|---|
| 1991-92 | 31 |
| 1992-93 | 25 |
| 1993-94 | 45 |
| कुल | 101 |

(ख) वित्तीय सहायता के लिए 45 संगठनों को शामिल करते हुए 76 आवेदन पत्रों को अनुमोदित कर दिया गया है। संगठनों के नाम तथा निर्मुक्ति सहायता अनुदान संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) 25

(घ) निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए वित्तीय सहायता के लिए पात्र लंबित आवेदन पत्रों पर या तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अथवा उसके बाद के वित्तीय वर्ष में विचार किया जायेगा।

(ङ) से (छ) चूंकि अनुसूचित जाति/जनजाति तथा विकलांग व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित विकासात्मक क्रियाकलापों में तथा समाज रक्षा में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका तेजी से बढ़ रही हैं, अतः सरकार गैर सरकारी संगठनों के कार्यकरण के बारे में कुछ अध्ययन विख्यात संगठनों को सौपेंगी।

**विवरण**

| क्र. सं. | संगठन का नाम | 1991-92 के दौरान निर्मुक्त राशि (रुपये लाख में) | 1992-93 | 1993-94 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **विकलांग कल्याण** | | | | |
| 1. | ब्लाइंड मेन्स एसोसिएशन, वस्त्रपुर अहमदाबाद | 8.28 | 8.03 | 8.27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 2. | के.एल. इंस्टिच्यूट फॉर डीफ, भावनगर | 1.08 | 1.21 | 1.78 |
| 3. | अंधजन विविधलक्ष्मी ताल्लीम केन्द्र, जामनगर | 4.83 | 3.95 | 4.18 |
| 4. | के.के. स्कूल एंड होम फॉर दि ब्लाइंड, भावनगर | 2.25 | – | – |
| 5. | पी.एस. कोठारी मल्टीपरपज स्कूल फॉर दि डीफ | 3.10 | – | – |
| 6. | स्मरूबी विकास ट्रस्ट, गांधीनगर | 0.35 | – | – |
| 7. | अंध अपंग कल्याण केन्द्र, अहमदाबाद | 0.18 | 0.47 | 0.53 |
| 8. | वी.एच. गांधी डीफ उम्ब स्कूल, मोडिसा | 0.72 | – | – |
| 9. | अंकुर स्कूल फॉर एम.आर., भावनगर | 0.36 | – | – |
| 10. | माता लक्ष्मी रोटरी चॉरिटेबल सोसायटी | 0.61 | – | – |
| 11. | सोसायटी फॉर दि मेंटली रिटार्डेड, राजकोट | 1.03 | 1.74 | 2.06 |
| 12. | मेडिकल केयर सेंटर ट्रस्ट, वड़ौदरा | 0.90 | 1.20 | 1.94 |
| 13. | लाइट आउस फॉर ब्लाइंड गर्ल्स, अहमदाबाद | 2.57 | 1.76 | 2.33 |
| 14. | श्री डी.एस. परेश डीफ एंड डम्ब स्कूल, सुरेन्द्र नगर | 0.40 | – | – |
| 15. | गुजरात केलवानी ट्रस्ट, अहमदाबाद | 4.79 | – | – |
| 16. | के.एस. डेधिया मूक वधिर विधा मंदिर | 1.14 | – | – |
| 17. | अंध अपंग कल्याण केन्द्र, अहमदाबाद | 0.18 | 0.47 | 0.53 |
| 18. | शारदा ट्रस्ट स्मृति विकास शाला ऑफ मेंटी रिटार्डेड, डोका | – | 0.35 | – |
| 19. | अंध कल्याण केन्द्र, अहमदाबाद | 0.47 | – | 0.25 |
| 20. | अपंग परिवार कल्याण केन्द्र, भावनगर | – | 0.20 | 0.33 |
| 21. | मानव कल्याण ट्रस्ट, नबसारी | – | 2.50 | – |
| 22. | रचनात्मक अभिगम ट्रस्ट, अहमदाबाद | – | 2.37 | 0.34 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 23. | वी-वन सोसायटी, बड़ौदरा | 1.50 | 1.80 | 2.15 |
| 24. | मानव दया ट्रस्ट | 0.50 | - | - |
| 25. | के.एल. इंस्टिच्यूट फॉर डीफ, भावनगर | 0.50 | 1.00 | 1.25 |
| 26. | मेडिकल केयर सेंटर, वड़ौदरा | 2.50 | 4.00 | 5.00 |
| 27. | ब्लाइंड मेन्स एसोसिएशन, अहमदाबाद | 12.00 | 15.00 | 18.00 |
| **समाज रक्षा** | | | | |
| 28 | अहमदाबाद डि. प्रोबेशन एंड आफ्टरकेयर एसोसिएशन | – | 0.43 | – |
| 29. | विकास गृह, अहमदाबाद | – | 0.98 | – |
| 30. | गुजरात केल्वानी ट्रस्ट, अहमदाबाद | 0.48 | – | – |
| 31. | रचनात्मक अभिगम ट्रस्ट, अहमदाबाद | – | – | 3.94 |
| 32. | इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेल्फेयर, अहमदाबाद | – | – | 3.72 |
| 33. | गुजरात केल्वानी ट्रस्ट, अहमदाबाद | – | – | 0.75 |
| 34. | अखण्ड ज्योति फाउण्डेशन, अहमदाबाद | – | – | 0.61 |
| 35. | मैसर्ज रचनात्मक अभिगम ट्रस्ट, वी.सी.ए., गुजरात | 0.14 | 0.72 | 0.81 |
| **अल्पसंख्यक कल्याण** | | | | |
| 36. | अंजुमन-ए-तालीमी इदारा, बहरूच | – | – | 1.67 |
| 37. | मकदुम एजूकेशन सोसायटी, सावरकण्ठ आदिवासी विकास | – | – | 1.35 |
| 38. | भारत सेवाश्रम संघ आश्रम रोड, अहमदाबाद | 0.47 | 1.65 | 1.61 |
| 39. | जरापन नासरपुर विगहग केल्वानी मण्डल, वादी, सूरत, गुजरात | – | 1.12 | 2.72 |
| 40. | सुशीलाबन मणिलाल संघवी मेमोरियल ट्रस्ट, नीलपर रापर, डिस्ट्रिक्ट | – | – | 6.33 |
| 41. | ग्राम स्वराज संघ, निलापर डिस्ट्रिक्ट | – | – | 6.33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 42. | श्री सर्वोदय आश्रम, सनाली जिला | — | — | 6.33 |
| 43. | सर्वोदय केन्द्र, अनिरगढ़; झबुआ | — | — | 6.33 |

**[अनुवाद]**

**सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत मामले**

5393. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसंबर, 1993 तक की स्थिति के अनुसार सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के तहत राज्य/संघ क्षेत्र राज्य-वार कितने मामले लम्बित पड़े हैं;

(ख) अप्रैल-दिसंबर, 1993 के दौरान इस अधिनियम के तहत राज्य/संघ क्षेत्र-राज्य-वार कितने अतिरिक्त मामले दर्ज किए गए;

(ग) इस अवधि में राज्य/संघ क्षेत्र राज्यवार अलग-अलग कितने मामलों का निपटारा हुआ और कितने मामलों में अभियुक्तों को सजा दी गई; और

(घ) 31 दिसंबर, 1993 तक की स्थिति के अनुसार अभियोजन के अधीन लोगों की संख्या सहित राज्य/संघ-क्षेत्र राज्य-वार कितने मामले लम्बित थे।

**कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्कावालू)** : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**तेल के कुओं की खुदाई**

5394. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने जनवरी, 1994 तक दक्षिणी क्षेत्र में 481 कुएं खोदे हैं;

(ख) यदि हां, तो 1992-93 के दौरान दक्षिणी क्षेत्र से कुल कितना तेल उत्पादन हुआ;

(ग) क्या तेल के कुओं के खुदाई हेतु कोई ठोस कार्यक्रम बनाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में कब तक अन्तिम निर्णय ले लिया जायेगा ?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा)** : (क) ओ.एन.जी.सी. ने कृष्णा-गोदावरी, कावेरी, अण्डमान अपतट और केरल कोंकण अपतटीय बेसिनों में जनवरी, 1994 तक 486 कूपों का वेधन किया है।

(ख) 1992-93 के दौरान ओ.एन.जी.सी. ने अपने दक्षिणी क्षेत्र से 0.352 एम.टी. कच्चे तेल का उत्पादन किया है।

(ग) से (ङ) ओ.एन.जी.सी. द्वारा अपने दक्षिणी क्षेत्र के लिए 1994-95 हेतु तैयार किया गया वेधन कार्यक्रम नीचे दिया गया है :-

| रिग | वर्ष | कूप | मीटरेज (000 मी.) |
|---|---|---|---|
| तटीय | 17 | 45 | 126.70 |
| अपतटीय | 2 | 8 | 21.95 |
| योग | 19 | 53 | 148.65 |

**एड्स की जानकारी**

5395. **श्री मनोरंजन भक्त :**
**श्री अम्मा जोशी :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1993 के दौरान एड्स की जानकारी देने हेतु एक मीडिया अभियान आरंभ किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने एड्स की जानकारी देने हेतु अभियान में तीव्रता लाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रचार अभियान में अब तक दूरदर्शन, आकाशवाणी, समाचार पत्र, केबल और बाह्य प्रचार माध्यमों का इस्तेमाल किया गया है। 1994-95 के दौरान इस अभियान को और तेज करने हेतु अतिरिक्त प्रचार और जागरुकता संबंधी सामग्रियां तैयार की जा रही हैं। इस प्रयोजन के लिए सरकार के पास उपलब्ध सभी अन्य फील्ड प्रचार माध्यमों का उपयोग करने का विचार है।

**प्रसवपर्व लिंग निर्धारण परीक्षणों पर प्रतिबंध**

5396. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे देश में गैर-सरकारी संगठन, विशेष रूप से महिला संगठन कन्या शिशु के संरक्षण हेतु प्रसवपूर्व लिंग निर्धारण परीक्षण पर कानूनी प्रतिबंध लगाने के लिए लगातार अनुरोध करते रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा प्रसवपूर्व लिंग निर्धारण परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रसवपूर्व निदान तकनीक विनियमन और दुरुपयोग निवारण विधेयक, 1991 लोक साभ में प्रस्तुत किया गया है।

**सिंचाई परियोजनाएं**

5397. **श्री एस.एम. लालजान बाशा** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने अनेक सिंचाई परियोजनाओं के असंतोषजनक कार्य निष्पादन के बारे में अपने विचारों से अवगत कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक द्वारा वित्त देने के तथ्य क्या हैं;

(घ) क्या ऐसी कोई परियोजना आंध्र प्रदेश में स्थित है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन)** : (क) और (ख) विश्व बैंक वित्तीय और भौतिक प्रगति को तीव्र करने वाली परियोजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान विभिन्न पुनरीक्षण मिशनों की व्यवस्था करता है और बीच-बीच में सुधारात्मक कार्रवाई करता है। चूंकि सिंचाई परियोजनाएं सामान्यतः 5 वर्ष और अधिक अवधि की होती हैं और इनका कार्यान्वयन सामान्यतः विभिन्न प्राकृतिक व प्रशासनिक बातों पर निर्भर करता है, इसलिए भारत सरकार की सिफारिशों पर बैंक द्वारा ज्यादातर परियोजनाओं के मामले में वर्ष दर वर्ष के आधार पर समय बढ़ाया जाता है। ऐसे अवसरों पर पुनरीक्षण मिशन भी स्थिति का जायजा लेते हैं। इन परिस्थितियों में कुछ ऐसे दृष्टांत भी आएं जब बैंक ने बाह्य सहायता का कम उपयोग करने पर, जिससे कुछ परियोजनाओं की धीमी भौतिक प्रगति हुई, अपनी राय सम्प्रेषित की। इसके मुख्य कारण ये हैं : प्रारम्भ में कार्यान्वयन कार्यक्रम का आगे बढ़ जाना, स्थानीय प्रतियोगी बोली के अनुमोदन में देरी, राज्य सरकार के पास वित्त का अभाव, अध्ययन करने, पुनर्स्थापना और पुनर्वास पहलू, प्राकृतिक आपदाएं और रुपये के रूप में दाता मुद्रा का मूल्य बढ़ जाना जैसी कुछ शर्तें बैंक द्वारा लगा देना।

(ग) जहां तक 11 सिंचाई परियोजनाओं को विश्व बैंक सहायता देने का सम्बंध है, 1609 मिलियन अमेरिकी डालर की विश्व बैंक सहायता में से 692.7 मिलियन अमेरिकी डालर का संचित उपयोग किया गया।

(घ) और (ङ) आंध्र प्रदेश में देरी से प्रगति होने तथा श्री सेलम बायां तट नहर और श्रीराम

सागर दायां तट नहर जो आंध्र प्रदेश सिंचाई II परियोजना के रूप में जानी जाती है, में कुछ कार्य पूरे किए जाने के कारण विश्व बैंक ने चिंता व्यक्त की।

**दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम**

5398. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सात राज्यों में सघन दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम में सहायता के लिए विश्व बैंक से सम्पर्क किया है;

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक से कुल कितनी राशि मांगी गई है;

(ग) किन-किन राज्यों में इस राशि का उपयोग किया जायेगा;

(घ) क्या सरकार ने देश में पता लगाये गये कम कार्यकुशलता वाले 19 जिलों में विद्यमान सुविधाओं को बढ़ाने का भी निर्णय लिया है;

(ङ) ये जिले किन राज्यों में स्थित हैं; और

(च) भारत में दृष्टिहीनता नियंत्रण के लिए विश्व बैंक कब तक ऋण उपलब्ध कराने को सहमत हो गया है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द)** : (क) से (ग) जी, हां। विश्व बैंक राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के लिए 117.8 मिलियन अमेरिकी डालर का ऋण देने के लिए सहमत हो गया है। विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र और तमिलनाडु को कवर करेगी।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) परियोजना का कार्यान्वयन चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 1994-95 से शुरू होगा।

**[हिन्दी]**

**केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय**

5399. **श्री एन.जे. राठवा :**
**श्री विलासराव नागनाथराव गुन्डेवार :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय गुजरात और महाराष्ट्र में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कितने औषधालय चल रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में इन औषधालयों पर कितनी धनराशि व्यय की गयी है;

(ग) क्या सरकार का इन राज्यों में और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय खोलने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सी. सिल्वेरा)** : (क) 64

(ख) सूचना इस प्रकार है-4073.79 लाख रुपये।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

**[अनुवाद]**

**पूर्वोत्तर क्षेत्र में अर्द्ध-सैनिक बल**

5400. **श्रीमती बिभू कुमारी देवी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्रों में बढ़ती हुई विद्रोही गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय लोगों को अधिकाधिक संख्या में भर्ती करके अर्द्ध-सैनिक बलों को मजबूत करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद)** : (क) से (ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ राज्यों में विद्रोही समूहों की हिंसक गतिविधियों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में अर्द्ध-सैनिक बलों को मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं। अर्द्ध-सैनिक बलों/सुरक्षा बलों की अतिरिक्त यूनिटें गठित की गई हैं। राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए सामान्य सहायता अनुदान के अलावा असम (14.70 करोड़ रु.), मणिपुर (10.50 करोड़ रु.) और नागालैण्ड (7.40 करोड़ रु.) की राज्य सरकारों को वर्ष 1993-94 के दौरान विशेष अनुदान/निधि उपलब्ध कराई गई है। भारत रिजर्व बटालियनें गठित करने में भी राज्य सरकारों की सहायता की जाती है। 1993-94 के दौरान असम द्वारा 2 और मणिपुर एवं मिजोरम द्वारा एक-एक भारत रिजर्व बटालियन गठित करने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई। योजना के अनुसार, इन बटालियनों में भर्ती स्थानीय आधार पर की जाएगी।

**गृह राज्य मंत्री का जम्मू और कश्मीर की यात्रा**

5401. **डा. अमृतलाल कालिदास** :
**श्री राम विलास पासवान** :
**श्री मोहन सिंह** (देवरिया) :
**डा कार्तिकेश्वर पात्र** :
**श्री उदयसिंह राव गायकवाड़** :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में राज्य मंत्री ने हाल ही में कश्मीर की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस यात्रा के क्या उद्देश्य थे;

(ग) कश्मीर की स्थिति का क्या आकलन किया गया है;

(घ) क्या सरकार द्वारा कोई प्रशासनिक परिवर्तन करने का विचार किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या मंत्री जी ने 21 मार्च, 1994 को राज्य के विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ भी बैठक की थी; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट)** : (क) से (छ) आंतरिक सुरक्षा राज्य मंत्री, स्थिति का मौके पर, मूल्यांकन करने, लोगों की समस्याएं जानने हेतु उनसे मिलने, और, प्रशासन को सक्रिय बनाने और इसे अधिक जिम्मेदार एवं जबाबदेह बनाने की दृष्टि से राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए जम्मू एवं कश्मीर राज्य का दौरा करते रहे हैं। उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, जब भी जैसा भी जरूरी होता है, प्रशासनिक परिवर्तन किए जाते हैं।

जम्मू एवं कश्मीर में विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने और उनमें गति लाने के मार्ग तलाश करने के लिए राज्य मंत्री (आंत.सु.) ने दिल्ली में 21-3-1994 को राज्य सरकार और विकासात्मक गतिविधियों से संबंधित कई केन्द्रीय मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की। यह एक सतत् प्रक्रिया है और सभी संबंधितों (प्राधिकारियों) के साथ ऐसी बैठकें नियमित रूप से की जाती हैं।

## सिंचाई परियोजनाएं

5402. **श्री अंकुशराव रावसाहेब टोपे** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंचाई परियोजनाओं के पूरा होने में अत्याधिक विलंब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं का विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन)** : (क) से (ग) आठवीं योजना के शुरू में निर्माणाधीन वृहद, मध्यम और विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण सिंचाई योजनाओं का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

| योजना जिसमें शुरू की गयी | परियोजनाओं की संख्या | | |
|---|---|---|---|
| | वृहद | मध्यम | विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| प्रथम योजना (1951-56) | 4 | 1 | -- |
| द्वितीय योजना (1956-61) | 8 | — | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| तृतीय योजना (1961-1966) | 16 | 4 | 2 |
| वार्षिक योजनाएं (1966-69) | 3 | – | – |
| चौथी योजना (1969-74) | 17 | 7 | 3 |
| पांचवीं योजना (1974-78) | 55 | 96 | 13 |
| वार्षिक योजनाएं (1978-80) | 13 | 28 | 3 |
| छठी योजना (1980-85) | 29 | 57 | 33 |
| सातवीं योजना (1985-90) | 12 | 33 | 41 |
| वार्षिक योजनाएं (1990-92) | 1 | – | – |
| कुल | 158 | 226 | 95 |

परियोजना में समय ज्यादा लगाने के लिए उत्तरदायी मुख्य कारण परियोजनाओं की प्रचुर मात्रा है परिणामस्वरूप संसाधनों को थोड़ा-थोड़ा करके बांटा जाता है। परियोजनाओं के पूरा होने में विलम्ब घटकों में ये शामिल हैं : प्रारम्भिक स्तरों पर अपर्याप्त अन्वेषण जिसके कारण परियोजना के व्याप्ति क्षेत्र और डिजाइन में परिवर्तन हो जाना, भूमि (निजी व वन दोनों) के अधिग्रहण में और उजड़े हुए व्यक्तियों के पुनर्वास व पुनर्स्थापन में कठिनाइयां, ठेका सम्बन्धी समस्याएं, श्रम समस्याएं तथा जन आन्दोलन आदि।

**गैस के उत्पादन में कटौती**

5403. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :**
**श्री एस.बी. सिदनाल :**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अप्रैल, 1994 से मुम्बई में अपने अपतटीय क्षेत्रों से गैस उत्पादन में कटौती करने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) तो उत्पादन में यह कटौती कब तक चलेगी;

(घ) उत्पादन में कटौती से टी.ई.सी.एम.एस.ई.बी. और अन्य रसायन और उर्वरक एककों जैसे उपभोक्ताओं पर कितना प्रभाव पड़ेगा;

(ङ) क्या उत्पादन में कटौती का रसायन और उर्वरक/एककों जैसे प्रमुख उपभोक्ताओं द्वारा बहुत विरोध किया गया है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इनकी मांगों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा)** : (क) से (ग) पश्चिमी अपतटीय क्षेत्रों में प्रसंस्करण/कूप प्लेटफार्मों को चरणबद्ध रूप से बंद किए जाने के कारण मई, 1994 के मध्य तक गैस के उत्पादन में अस्थायी कमी होगी।

(घ) उरान से उपभोक्ताओं की आपूर्तियों को गैस लिंकेज समिति द्वारा योजना के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

(ङ) और (च) उपभोक्ताओं की इच्छा के अनुसार मार्च, 1994 हेतु पहले प्रस्तावित बंदी को अप्रैल-मई, 1994 तक स्थगित किया गया था।

**[हिन्दी]**

**हिन्दी में इन्दिरा गांधी राजभाषा शोल्ड**

5404. **श्री बीर सिंह महतो** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी में उत्कृष्ट कृति के लिए "इंदिरा गांधी राजभाषा शोल्ड" कब शुरू की गई थी ?

(ख) यह पुरस्कार हिन्दी की किस विद्या के लिए दिया जाता है; और

(ग) वर्ष 1990-91 तथा 1992-93 के लिए इस पुरस्कार के विजेताओं तथा उनकी कृतियों के नाम क्या हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एस. सईद)** : (क) और (ख) केन्द्र सरकार के सेवारत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा, उन विषयों पर जिनसे उनका सरकारी तौर पर संबंध रहा हो, हिन्दी में लिखी गई सर्वोत्कृष्ट मौलिक पुस्तकों के लिए नकद तीन पुरस्कार, इन्दिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना का एक अंग है। यह पुरस्कार योजना वर्ष 1986-87 में लागू की गई थी।

(ग) वर्ष 1990-91 के लिए इस पुरस्कार के विजेताओं और उनकी कृतियों के नाम निम्नलिखित हैं :-

| पुरस्कार | लेखक | उनकी कृति |
|---|---|---|
| प्रथम | श्री प्रदीप कुमार | जल विज्ञानीय प्रेक्षण संदर्भ ग्रंथ |
| द्वितीय | डॉ. राकेश कुमार टंडन | हम स्वस्थ कैसे रहें |
| तृतीय | श्री सुबह सिंह यादव, डॉ प्रभुदयाल यादव | भारतीय बैंकिंग की आधुनिक प्रवृत्तियां |

वर्ष 1992-93 के लिए अभी पुरस्कार नहीं दिए गए हैं।

**राजस्थान के हिस्से का जल**

5405. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने टिहरी बांध से जल के अपने हिस्से की मांग की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी मांग स्वीकार कर ली गई है;

(ग) यदि हां, तो इस बांध से कितने प्रतिशत जल इस राज्य को दिया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन)** : (क) से (घ) राजस्थान के क्षेत्रों के लिए टिहरी बांध परियोजना का 10 प्रतिशत जल आबंटित करने के लिए राजस्थान सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को राजी करने के वास्ते केन्द्रीय सरकार को पत्र भेजा है। तदनुसार इस मामले को उत्तर प्रदेश सरकार के साथ उठाया गया है, जिसने जुलाई, 1988 में राजस्थान सरकार को तथा सितम्बर, 1988 में केन्द्रीय सरकार को भी यह सूचित किया है कि टिहरी बांध परियोजना पर गंगा जल की वचनबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए राजस्थान के क्षेत्रों में जल की आपूर्ति करना संभव प्रतीत नहीं होता।

---

**12.00 मध्याह्न**

**[हिन्दी]**

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** (लखनऊ) : अध्यक्ष, महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण मामले की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। क्या इस देश में 'हरिजन' शब्द का प्रयोग एक अपराध माना जायेगा ? परिगणित जाति के हमारे बन्धु यह शिकायत करें कि वे 'हरिजन' के नाम से न जाने जायें तो बात समझ में आती है क्यों कि संविधान में 'हरिजन' शब्द का उल्लेख नहीं है, शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब का उल्लेख है, लेकिन इस समय 'हरिजन' शब्द को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है, वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। गांधी जी ने 'हरिजन' शब्द प्रचलित किया, लेकिन उससे पहले हिन्दी के महाकवि भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने मुसलमानों के लिये यह कहा था "उन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिन्दू वारियो" जो मुसलमान हरि के भक्त हैं, उन पर करोड़ों हिन्दुओं को न्यौछावर किया जा सकता है। गांधी जी ने इस शब्द का प्रयोग करते हुए एक पत्रिका निकाली। कुछ राज्य सरकारों ने, जिनमें हमारी सरकार भी शामिल थी, कहा था कि 'हरिजन' शब्द गिरावट को दिखाता है और समाज में समता के भाव को चोट पहुंचाता है। इस दृष्टि से सरकारी कामकाज में इसका प्रयोग नही होता, लेकिन अगर व्यवहार में कोई प्रयोग कर दे, अपने नाम के आगे 'हरिजन' शब्द लगा दे तो क्या उसे दंडित किया जायेगा, क्या उसे सजा दी जायेगी, क्या यह हमारी राष्ट्रीय परम्परा के अनुकूल होगा ?

अध्यक्ष महोदय, मैं किसी विशेष व्यक्ति या विशेष राज्य को ध्यान में रख कर यह सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस सवाल पर चर्चा होनी चाहिये और इसलिये मैंने यह सवाल उठाने की धृष्टता की है। मैं नही जानता कि इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि सदन कमी समय निकाल कर, इसके बारे में चर्चा करें।

[अनुवाद]

**श्री पी.जी. नारायणन** (गोबिचेट्टिपालयम) : अध्यक्ष महोदय, चीन से युद्ध के तत्काल पश्चात् ही सन् 1963 में शार्ट सर्विस कमीशनड ऑफिसर्स' के प्रशिक्षण के लिए ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी' मद्रास में स्थापित की गई थी। यह अकादमी सैन्य परंपराओं की साक्षी रही है। अब भारतीय सेना ने इसे मद्रास से स्थानांतरित करने का निश्चय किया है। इस संबंध में मैं सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि यदि इस अकादमी को मद्रास से किसी दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया गया तो सेना में दक्षिण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व धीरे-धीरे कम हो जाएगा। प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों सहित अधिकांश रक्षा प्रतिष्ठान उत्तर भारत में स्थित थे। इस अकादमी के स्थानांतरण से भर्ती पर अवश्य प्रभाव पड़ेगा। तमिलनाडु की जनता इस बात से बहुत ही उत्तेजित है और उसे यह आशंका है कि इस अकादमी के स्थानांतरण से हजारों व्यक्ति बेरोजगार हो जाएंगे और इससे आगे के रोजगार अवसरों पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा।

इसके अलावा इस अकादमी को मद्रास से स्थानांतरित करने संबंधी प्रस्ताव पर राज्य सरकार के साथ कभी भी चर्चा नहीं की गई है। तमिलनाडु की मुख्य मंत्री ने भी प्रधान मंत्री को इस तथ्य से अवगत कराया है। इसके बावजूद भारतीय सेना के उच्च अधिकारी इस अकादमी को मद्रास से स्थानांतरित करने के लिए कृत संकल्प हैं।

यदि सेना इस बात पर बल जोर देती है तो तमिलनाडु की सरकार और जनता इसका कड़ा विरोध करेगी। अतः इस संबंध में, मैं सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं और माननीय प्रधान मंत्री से स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं।

**श्री रूपचन्द पाल** (हुगली) : मंत्रियों और अन्य व्यक्तियों द्वारा सभा के सत्र के दौरान सभा के बाहर नीति संबंधी मामलों के बारे में सार्वजनिक उद्घोषणा करने के संबंध में पहले भी कई अवसरों पर इस सभा में असंतोष व्यक्त किया गया था। लेकिन आजकल यह प्रथा बन गई है कि कुछ मंत्री सभा के बाहर ही नीति संबंधी उद्घोषणा करते हैं।

अब यह बात मंत्रियों तक ही सीमित नहीं है। टेलीफोन नीति के बारे में टेलीफोन आयोग के अध्यक्ष और मंत्री महोदय ने भिन्न-भिन्न विचार व्यक्त किए हैं जबकि इस नीति को अभी मंत्री मंडल की स्वीकृति नहीं मिली है और प्रेस में विवादास्पद वक्तव्य छप रहे हैं। हाल ही में योजना आयोग के सदस्य सचिव ने पुनर्गठन समिति के सदस्य के रूप अपने विचार व्यक्त किए थे। यहां तक कि संसद सदस्यों को एक समिति विशेष के सदस्य के रूप में उस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से तब तक कोई विचार व्यक्त नहीं करने चाहिएं जब तक कि उसका प्रतिवेदन सभा पटल पर न रख दिया जाए और यह सार्वजनिक न हो जाए। लेकिन सरकारी अधिकारी भी अति महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करते हुए सरकार की नीति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। स्थायी समिति ने स्पष्ट रूप से अपनी राय व्यक्त कर दी है और टेलीफोन का पूर्णतः निजीकरण करने के बारे में मंत्री महोदय के अपने भिन्न विचार हैं। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह सरकारी अधिकारियों को विशेष रूप से जब सभा का सत्र चल रहा हो। महत्वपूर्ण नीतिगत मामलों पर सार्वजनिक तौर पर घोषणा करने से रोकें।

[हिन्दी]

**श्री राम विलास पासवान** (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, मैं फिर से एक बार सरकार का ध्यान

पूरे देश में शैड्यूल्ड कास्ट्स के ऊपर हो रहे अत्याचारों की ओर खींचना चाहता हूं। खासकर दिल्ली की बगल में मेरठ में जिस तरह की घटना घटी, बाबा साहेब अम्बेडकर की न सिर्फ मूर्ति को तोड़ा गया, बल्कि वहां मूर्ति तोड़ने के पहले दो शैड्यूल्ड कास्ट्स के लड़के रिषीपाल और बिट्टू की 30 मार्च को गोली मारकर हत्या कर दी गई।

31 मार्च को मैं वहां जा रहा था तो मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। मैंने कहा कि क्यों गिरफ्तार कर लिया गया तो कहा कि आप नहीं जा सकते हैं। जब मैंने 3 अप्रैल को जाना चाहा तो हमको गाजियाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और हमको नोटिस दिया गया कि एक सप्ताह तक आप मेरठ में नहीं घुस सकते हैं। हमने कहा कि कम्युनल रायट होता है, कास्ट रायट होता तो मैम्बर आफ पार्लियामेंट को यह अधिकार होता है कि मैम्बर आफ पार्लियामेंट जाय, स्थिति का जायजा ले। हमने पूछा कि हमको क्यों रोका जा रहा है, उन्होंने लिखित में दिखलाया। एक तो मेरा आपसे आग्रह है कि इस तरह की जब घटना घटती है और कोई पब्लिक रिप्रेजेण्टेटिव वहां पर जाना चाहे और उसको जान बूझकर गिरफ्तार किया जाय तो इसको मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं।

फिर मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि वहां पर कहा गया कि जमीन विवादास्पद है, जबकि वहा गांव की जमीन है। मैं आपके माध्यम से सरकार से दो तीन मांग करना चाहता हूं। जो लोग अभी भी वहां 379 और 395 के मुकदमे के तहत जेल में बन्द हैं, जो लोग मारे गये हैं, सरकार से हम लोगों ने मांग की थी कि उनको 5 लाख रुपया मुआवजा दिया जाय और स्पेशल कोर्ट बिठाकर उसकी जांच कराई जाय।

**[अनुवाद]**

**अध्यक्ष महोदय** : राज्य सरकार को कार्यवाही करनी है।

**[हिन्दी]**

**श्री राम विलास पासवान** : स्टेट गवर्नमेंट का तो है लेकिन शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्स और बाबा साहेब अम्बेडकर का मामला हमेशा यहां उठता है।

उसी मेरठ में 4 घटनाएं और घटी हैं। भोला में एक शैड्यूल्ड कास्ट के आदमी की गरदन काट दी गई। वहां टटेरी में शैड्यूल्ड कास्ट के आदमी को जिंदा जलाने का काम किया गया। 13 और 14 अप्रैल को 2 गांवों में घटना घटी। मैं यहां सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार जवाब नहीं दे तो कम-से-कम सरकार सदन को बताने की तो कार्रवाई करें कि इस तरह से दलितों के ऊपर जुल्म और अत्याचार हो रहे हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया जा रहा है, उन लोगों के द्वारा जो दिन-रात उनका नाम लेते रहते हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार इस संबंध में अभियुक्तों के खिलाफ कड़ी-से-कड़ी कार्यवाही करे और जो लोग निर्दोष पाए जायें, जिनको जेल हुई है, उनको छुड़वाने की व्यवस्था करे। मुकदमा वापिस लेने की कार्यवाही करे। यह मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं। (व्यवधान)

**श्री कालका दास** (करोल बाग) : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी वहां जाकर स्थिति को देखा

है कि किस तरह से 16 लोगों को मैडिकल कालेज में गोलियां लगी हैं। महिलाओं और छोटे बच्चो की आंख में गोलियां लगी हैं और

**अध्यक्ष महोदय** : आप स्टेट गवर्नमेंट के मामले को यहां पर डिसकस करेंगे।

**श्री कालका दास** : अध्यक्ष महोदय, वहां पर जो झगड़ा हुआ है और श्रषिपाल और बिट्टू को बिना किसी झगड़े के गोली मार दी गई। वहां पर जब हम गए, तो हम लोगों को भी रोक लिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया और फिर रात को छोड़ा गया। लेकिन वहां पर ऐसी स्थिति बना दी गई कि उनसे बात भी न करें। वहां पर झगड़ा शेरगढ़ी के पास की जमीन का है। उनको कहा गया कि यह जमीन सरकार की है, लेकिन जब जांच की तो पता चला कि वह सरकार की नहीं है। वहां के तालाब को समतल करके शैड्यूल्ड कास्ट्स ने 28 तारीख को मूर्ति रखी थी, जिस समय मूर्ति रखी जा रही थी, उस मसय उनको नहीं रोका गया और 30 तारीख को उनको गोलियों से भून दिया गया। वहां 36 नौजवान लड़के

**[अनुवाद]**

**अध्यक्ष महोदय** : आप इस प्रकार अपनी बात जारी नहीं रख सकते हैं। आप बैठ जाइए।

**[हिन्दी]**

**श्री कालका दास** : 36 नौजवान लड़कों को जेल में बन्द कर दिया गया और उन पर सख्त दफायें लगाई हैं। वे लड़के पढ़ने के लिए, इम्तिहान देने के लिए जा रहे थे।

**[अनुवाद]**

**अध्यक्ष महोदय** : आपको सीमाओं को समझना चाहिए।

**[हिन्दी]**

**श्री कालका दास** : मैं निवदेन करता हूं कि यहां से स्टेट गवर्नमेंट को निर्देश दें, ताकि उनको राहत मिले।

**डा. रमेश चन्द्र तोमर** (हापुड़) : अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद के लोग आतंक के साए में जी रहे हैं। मुझे कष्ट के साथ कहना पड़ता है कि गाजियाबाद के डा. पी.एन. बहल, जो प्रसिद्ध चर्म रोग विशेषज्ञ हैं, उनकी कहानी को कोई भुला भी न पाया था कि 19 तारीख को उनके चार वर्षीय बालक का अपहरण कर दिया गया।

**[अनुवाद]**

**अध्यक्ष महोदय** : श्री तोमर, मैं आपको बाल भवन के कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में बोलने की अनुमति दे रहा हूं।

**[हिन्दी]**

**डा. रमेश चन्द्र तोमर** : महोदय, बाल भवन सोसाइटी के सारे कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर काफी समय से आन्दोलन कर रहे हैं। इससे बाल भवन का जो कार्य नियमित रूप से चलता था, उसमें बहुत-सी बाधायें पड़ रही हैं और जो बच्चों के शिविर लगाए जाते थे, वे भी नहीं

लग पा रहे हैं। मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि जो कर्मचारी आन्दोलनरत हैं, उनकी मांगों पर हमदर्दी पूर्वक ध्यान देकर समस्या का हल करें जिससे बाल भवन का कार्य नियमित रूप से चले। इसके साथ ही जो गर्मियों में शिविर लगने वाले हैं, वे शिविर भी लगें। यही मेरा आप से अनुरोध है।

महोदय, आठ-नौ दिन पहले चार वर्ष के बालक का अपहरण हो गया है और उसका कुछ भी पता नहीं चला है।

**[अनुवाद]**

**अध्यक्ष महोदय** : यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

**(व्यवधान)***

**[हिन्दी]**

**श्री सूरज मंडल** (गौड़डा) : अध्यक्ष महोदय, रक्षा मंत्रालय के द्वारा नेतरहार्ट फील्ड फायरिंग रेंज के लिए ज़मीन को अर्जित करने के लिए बिहार सरकार को कहा गया है। 245 गांव, 1471 वर्ग किलोमीटर ज़मीन अर्जित की जा चुकी है और वहां के लोग आन्दोलन कर रहे हैं। उन लोगों को विस्थापित किया जा रहा है। सरकार के द्वारा झारखण्ड इलाके में पहले ही स्टील प्लान्ट, कोयला उद्योग और दूसरी चीजों के लिए काफी लोगों के विस्थापित किया जा चुका है। वहां गांव काफी दूरी पर हैं। विस्थापित होने के कारण 45 लाख आदिवासी असम में जाकर चाय बागान में शरण ले चुके हैं। कुछ लोग नागालैंड, अन्डमान निकोबार में चले गए हैं और मिजोरम में पत्थर वाली जगहों पर काम कर रहे हैं। बिहार सरकार उस इलाके में ज़मीन को एक्वायर करके वहां के लोगों को उजाड़ने का षड़यन्त्र कर रही है। मैं भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय से निवेदन करना चाहता हूं कि आदिवासियों को वे न उजाड़ें। फर्स्ट-फेस में 245 गांवों और उसके बाद और गांवों को भी उजाड़ने का काम है। ऐसी स्थिति में हम लोग वहां अल्पसंख्यक हो जायेंगे। इसलिए भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय से कहना चाहता हूं, बिहार सरकार झारखन्ड इलाकों में बदले की भावना से हमारी ज़मीनों को अर्जित कर रही है।

उसको रक्षा मंत्रालय किसी दूसरे प्रांत में ले जाये और नहीं तो उत्तर-बिहार की जहां बहुत ज़मीन पड़ी है वहां करें क्योंकि वहां लोग आन्दोलन कर रहे हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उन लोगों को विस्थापित होने से बचा लिया जाये या रक्षा मंत्रालय मध्य प्रदेश ले जायें जहां काफी जमीन पड़ी है वहां ले जाएं, लेकिन झारखंड के इलाके में ऐसा न करें क्योंकि वहां बहुत लोग विस्थापित हो रहे हैं।

**श्री नीतीश कुमार** (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी केन्द्र सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि दक्षिण-बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में आदिवासियों को उजाड़ने की कार्यवाही न करें। महोदय, अनेकों गांवों के आदिवासियों को वहां से हट जाने के नोटिस मिल गए हैं, चूंकि वे फायरिंग रेंज

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

में आ जाएंगे। इसलिए हम आपके माध्यम से सरकार से अपील करेंगे कई संस्थानों की स्थापना के लिये, कई परियोजनाओं को चालू करने की दृष्टि से, उनको स्थापित करने की दृष्टि से पहले ही बड़े पैमाने पर आदिवासियों का विस्थापन हो चुका है और जो विस्थापित होते हैं उनको फिर से बसाने की न कोई योजना होती है, न ही उनको पर्याप्त मुआवजा मिलता है यही अनुभव रहा है और जो विरोध का स्वर मुखर हुआ है उसके पीछे यह भी एक भावना रही है। इसलिए हम आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह करेंगे कि रक्षा मंत्रालय इस पर पुनर्विचार करे और उस इलाके में आदिवासियों को उजाड़ने की कार्यवाही न की जाये।

**[अनुवाद]**

**डा. कृपासिन्धु भोई** (सम्बलपुर) : अध्यक्ष महोदय, उड़ीसा में एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम के लिए पी.एम.टी. में प्रवेश हेतु पिछले तीन वर्षों से नियम लागू थे। इस वर्ष न्यायपालिका और जनता ने उनकी आलोचना की है। इसलिए मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि राज्य की मेडिकल प्रवेश परीक्षा में आए आठ प्रश्नों के संबंध में उड़ीसा उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी।

उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि गलत प्रश्नों का लाभ उन उम्मीदवारों को दिया जाए जिन्होंने 115 या अधिक अंक प्राप्त किए हैं और ऐसे मामलों का पुर्नमूल्यांकन किया जाए। लेकिन राज्य सरकार पहले ही जनवरी, 1994 में 290 विद्यार्थियों को एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश दे चुकी है। जिन विद्यार्थियों को पूर्व-निर्धारित कम-से-कम 123 अंक मिले हैं उन्होंने उच्चतम न्यायालय में एक विशेष याचिका दायर कर उड़ीसा उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती दी है। उन्होंने उच्चतम न्यायालय में अपनी ओर से कोई बात नहीं कही है। उन्होंने विशेष याचिका की अनुमति मांगी है। उच्चतम न्यायालय ने आदेश पारित कर दिया है।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री भोई, कृपया बात स्पष्ट कीजिए। आप कौन-सा मुद्दा उठा रहे हैं ? हम आपकी बात समझ नहीं पा रहे हैं।

**डा. कृपासिन्धु भोई** : उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद भी उड़ीसा सरकार ने उन आठ गलत प्रश्नों का विद्यार्थियों को कोई लाभ नहीं दिया है। उच्च न्यायालय ने विशेषज्ञों की नियुक्ति की थी। आमतौर पर विशेषज्ञों की नियुक्ति राज्य सरकार का स्वास्थ विभाग करता है। लेकिन इस मामले में राज्य उच्च न्यायालय ने विशेषज्ञों की नियुक्ति की है और उन्होंने पाया कि आठ प्रश्न गलत हैं। इसी आधार पर राज्य सरकार ने विशेष याचिका दायर करने के लिए उच्चतम न्यायालय की अनुमति मांगी है। उच्चतम न्यायालय इस बात से खिन्न था कि राज्य सरकार उड़ीसा उच्च न्यायालय के निदेश नहीं मान रही है। इसलिए उच्चतम न्यायालय की यह राय है कि जिन 290 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है वह पूर्णतः गैर कानूनी है। अतः उन्होंने 290 विद्यार्थियों के प्रवेश को रद्द कर दिया है।

मुख्य बात यह है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं और यह संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में शामिल हैं। अतः मैं चाहता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री स्वास्थ्य मंत्री से उच्चतम न्यायालय में अपना मामला रखने के लिए कहें

ताकि जो 290 विद्यार्थी चार महीने से इस पाठ्यक्रम में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनकी पहली परीक्षा भी हो चुकी है वह सब बेकार न हो जाएं। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इन 290 विद्यार्थियों को उच्च न्यायालय ने भी बुलाया था। अतः मेरा अनुरोध है कि इन 290 विद्यार्थियों, जिन्हें एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश मिला चुका है, के मूल्यांकन और स्थिति को मान्यता दी जानी चाहिए। मैं स्वास्थ्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध करता हूं कि केन्द्र सरकार को उच्चतम न्यायालय के समक्ष जाना चाहिए अथवा सरकार को राज्य सरकार को सभी चूकों का ब्यौरा देते हुए उच्चतम न्यायालय के समक्ष जांच के लिए प्रस्तुत करने का निदेश देना चाहिए इस मामले में जब तक केन्द्र सरकार प्रयास नहीं करेगी तब तक इन 290 विद्यार्थियों, जिन्हें पहले ही प्रवेश मिल चुका है और चार महीने से इस पाठ्यक्रम में पढ़ाई कर रहे हैं, के हितों की रक्षा नहीं होगी।

**श्री सैयद शहाबुद्दीन** (किशनगंज) : महोदय, संविधान तिहत्तरवां (संशोधन) विधेयक संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया था और पूरे देश में इसका स्वागत किया गया है। यह हमारी जनता को एक नई दिशा प्रदान कर रहा है। पंचायती राज प्रारंभ करने से गांधी जी के ग्राम राज का सपना पूरा हो जाएगा। इसे कुछ ही दिन पहले 23 अप्रैल, 1994 से शुरू किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत राज्यों को एक वर्ष के भीतर विद्यमान विधान में संशोधन करने के लिए कहा गया था। मेरे विचार से सभी राज्यों ने ऐसा किया है लेकिन संविधान का यह नया अध्याय तब तक अर्थहीन रहेगा जब तक कि संविधान के अंतर्गत चुनाव नहीं कराए जाते और संविधानिक तथा स्वतंत्र पंचायतें नहीं चुनी बनाई जाती। मुझे डर है कि इस संबंध में विधेयक के प्राथमिक भाग अर्थात् धारा 243(ख) जिसमें कहा गया है कि ऐसी पंचायतें होंगी की और अनेक कुछ राज्यों ने ध्यान नहीं दिया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वर्तमान पंचायतों की अवधि पूरी होने तक बनाए रखा जाएगा लेकिन कुछ राज्यों में पंचायतें नहीं हैं इसलिए मेरा कहना है कि संविधान के तहत पंचायतों के चुनाव तत्काल कराए जाएं। मुझे खुशी है कि पश्चिम बंगाल ने इस संबंध में कार्यवाही की है। उन्होंने न केवल कानून में संशोधन ही किया है बल्कि 23 अप्रैल, 1994 से पहले संशोधित कानून के अंतर्गत चुनाव भी करवा लिए हैं। मैं चाहता हूं कि देश के सभी राज्य इसका अनुकरण करें। यह सही है कि चुनाव करवाने में कुछ कठिनाइयां हैं। निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन, प्रत्येक पंचायत में पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों आदि के लिए स्थान आरक्षित करने हेतु प्रत्येक जाति की भावनाओं को ध्यान में रखने का प्रश्न है लेकिन इन कठिनाइयों का समाधान किया जा सकता है यदि इस संबंध में राजनैतिक इच्छा हो। इसलिए मैं सभा में इस बात का उल्लेख कर रहा हूं कि भारत की संसद द्वारा उठाए गए इस ऐतिहासिक कदम को लागू किया जाए।

अतः, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि जिन राज्यों में अभी तक चुनाव नहीं कराये गए हैं— उन सभी राज्यों को यह कहें एवं निर्देश दें कि वे कम-से-कम कानून लागू होने की वर्तमान तारीख अर्थात् 23 अप्रैल, 1994 से छह महीने की अवधि के अन्दर-अन्दर चुनाव करवा लें।

**[हिन्दी]**

**श्री अन्ना जोशी** (पुणे) : अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र रॉ काटन प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1971, 22 साल से महाराष्ट्र में एनफोर्स्ड है। समय-समय पर महाराष्ट्र सरकार केन्द्र सरकार से इसका एक्सटेंशन मांगती है। लास्ट एक्सटेंशन जो 3 साल का मिला था, उसकी मियाद 30 जून, 1993 को खत्म हो गई है। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने और दस साल इस एक्ट

के एक्सटेंशन के लिए परमिशन मांगी थी। महाराष्ट्र के कपास उत्पादकों को अच्छी कीमत और प्रोटेक्शन मिले तो इस दृष्टि से यह अच्छी स्कीम है। उसका व्यापार करते हैं तो कपास उत्पादकों को बोनस भी मिलता है। यह स्कीम जारी रहे और सुचारू रूप से उसको यंत्रणा विकसित हो, इसके लिए टाईम की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से टैक्सटाईल मिनिस्टर को विनति करता हूं कि जो दस साल का एक्सटेंशन महाराष्ट्र सरकार ने मांगा है उस पर सोच-विचार करके परमिशन दी जाए।

**श्री तेजनारायण सिंह** (बक्सर) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश और बिहार का सीमा विवाद का मामला बहुत दिनों से पेंडिग पड़ा हुआ है। भोजपुर, बक्सर और बलिया जिलों के किसान हर साल सीमा विवाद के चलते अपने में खून-खराबा करते रहते हैं। दोनों राज्यों के अधिकारियों की बैठक कई बार हुई, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला। इसलिए करीब तीन हजार एकड़ जमीन परती पड़ी हुई है जिस पर खेती नहीं हुई है, इसका कारण यह है कि उत्तर प्रदेश के किसान बिहार के किसानों को इस ज़मीन पर बोने नहीं देते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रशासन भी इसमें दखलंदाजी करता है और बिहार के किसानों पर गोली चला देता है/इसलिए, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि इंटर स्टेट काउंसिल की बैठक बुलाएं और इस मामले को सुलझाएं या खुद अपनी पहल करें जिससे बार्डर डिस्पयुंट का मामला सुलझ जाए। त्रिवेदी एवार्ड के मुताबिक पिलर गाढ़े गए लेकिन उत्तर प्रदेश के किसान इसे नहीं मान रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि भारत सरकार को प्रेरित करें कि बैठक बुलाएं और दोनों राज्यों के सीमा विवाद के मामले को सुलझाएं।

**श्री चन्द्र शेखर** (बलिया) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, वह बहुत महत्वपूर्ण है और यह सवाल कई बार उठाया गया है। मैंने, गृह मंत्री को अभी हाल में एक पत्र लिखा है कि यह दोनों तरफ से शिकायत है। ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस गोली चलाती है। गोली अधिकतर आपस में लोगों में चलती हैं। पुलिस तो कम चलाती है, एक-आध बार हुआ होगा। लेकिन, हर साल आपसी गोली चलने से लोग मर जाते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार के अधिकारी पहले मिलकर आपस में बैठकर कोई समाधान निकाल लेते थे। इधर कुछ दिनों से, वह परंपरा जैसे टूट-सी गई है इसलिए केन्द्र सरकार को इसमें बीच-बचाव करना चाहिए। दोनों मुख्य-मंत्रियों या मुख्य-सचिवों को बुलाकर कोई रास्ता निकालना चाहिए। अब फसल कटने का समय है तो इस समय फिर झगड़े होंगे। बुवाई के समय और कटाई के समय यानि दोनों समय झगड़े होते हैं। गृह मंत्री जी और भारत सरकार इस पर तत्काल ध्यान देंगे और दोनों सरकारों को बुलाकर इस पर कोई ऐसा निर्णय करेंगे जिससे इस विवाद पर अनावश्यक रूप से लोगों की हत्या न हो।

**श्री राजवीर सिंह** (आंवला) : अध्यक्ष महोदय, आज के दैनिक जागरण में बहुत महत्वपूर्ण समाचार छपा है कि भारत सरकार ने जम्मू-काश्मीर के राज्यपाल के सलाहकार के लिए श्री एस.एम. मुर्शीद को भेजा था। वहां उन्होंने एक लिस्ट बनाई कि कौन-कौन पाकिस्तान-परस्त अधिकारी हैं···**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : यह एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है और दूसरा यह न्युज पेपर में आया है, उसके बारे में आपको कोई अथान्टिकेट मालूम नहीं है। ऐसे मामले पार्लियमेंट में नहीं उठाने चाहिए।

**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : आपके जो साथी बोलना चाहते हैं उनको बोलने देना चाहिए।

**(व्यवधान)**

**श्री काशीराम राणा** (सूरत) : अध्यक्ष महोदय, मैं चार दिन से नोटिस दे रहा हूं, हमें बोलने का मौका नहीं मिलता **(व्यवधान)**

**[अनुवाद]**

**अध्यक्ष महोदय** : मैं आपको बता दूं कि यह आपका अधिकार नहीं है। कृपया बैठ जाइये। मैं मात्र आधे घण्टे के समय में सभी सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं दे सकता। हर रोज़, इसी प्रकार का प्रश्न उठाया जा रहा है।

**(व्यवधान)**

**[हिन्दी]**

**अध्यक्ष महोदय** : आप बैठ जाइये। यह बहुत भद्दा तरीका है कि रोज-रोज उठकर यह कहना कि हमको मौका नहीं दिया।

**श्री सूर्य नारायण यादव** (सहरसा) : अध्यक्ष महोदय, इस शून्य काल को बन्द करवा दें।

**डा. परशुराम गंगवार** (पीलीभीत) : अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में शराब पीकर सड़कों पर आतंक फैलाने की घटनायें बढ़ती जा रही हैं। यह विडम्बना ही है कि एक तरफ लोग शराबबंदी के लिए अभियान छेड़े हुए हैं और दूसरी तरफ राज्य सरकार शराब पीने को बढ़ावा दे रही है। सरकार का तर्क है कि इससे उसके राजस्व में वृद्धि होती है। आज समाज में चाहे चोरी हो, डकैती हो, बलात्कार की घटना हो, हत्या हो या हरिजनों का उत्पीड़न हो, ये सब दुष्कर्म शराब पीकर ही लोग करते हैं। उधर सरकार तर्क देती है कि शराब से उसकी आमदनी बढ़ रही है। शराब के दुष्परिणामों के कारण सरकार नये थाने, नये कोर्ट, नये अस्पताल आदि खोलती है। अगर कुल मिलाकर देखा जाये कि सरकार को किससे अधिक आमदनी हो रही है या नुकसान हो रहा है तो वास्तविक स्थिति का पता चलता है। आज शराब पीने से जो महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, कत्ल होते हैं, लोग बीमार होते हैं उनमें जो खर्चा आता है उसका हिसाब लगाया जाये तो सरकार को जितना राजस्व इससे मिलता है उससे कहीं ज्यादा इन कार्यों पर खर्चा हो जाता है। इसलिए यह कहना कि इससे आमदनी बढ़ती है, ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्र में पहले शराब बंद थी, लेकिन इस वर्ष राज्य सरकार ने वहां पर शराब खोल दी है। उत्तर प्रदेश में एक हज़ार नई दुकानें शराब की खोली गई हैं। मेरे क्षेत्र पीलीभीत में 35 नई दुकानें शराब की खोली गई हैं। हमारे क्षेत्र में महिलाओं और छात्रों ने इसको लेकर आंदोलन किया और सत्याग्रह किया, लेकिन पुलिस ने उनको रोका। आंदोलन और सत्याग्रह कर रहे लोगों ने शराब की दुकानों के सामने प्रदर्शन किया और उनको बंद करवाना चाहा, लेकिन पुलिस ने उनको वहां से हटाकर जबर्दस्ती दुकानें खुलवाईं। मेरी मांग है भारत सरकार से कि जिस प्रकार से मोरारजी देसाई ने शराबबंदी लागू की थी, वैसे ही फिर सारे देश में शराब पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और शराब की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए। भारत में पूर्ण रूप से शराब बंद की जाए।

[अनुवाद]

12.32 म.प.

## सभा पटल पर रखे गये पत्र

**खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत अधिसूचना**

**कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :-

खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 332 (अ), जो 25 मार्च, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में कतिपय संशोधन करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

**[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी.-5749/94]**

**मिट्टी का तेल (प्रयोग पर निर्बंधन और अधिकतम कीमत का नियतन) आदेश, 1993**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक)** : कैप्टन सतीश कुमार शर्मा की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :-

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत मिट्टी का तेल (प्रयोग पर निर्बंधन और अधिकतम का नियतन) आदेश, 1993 जो 2 सितम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 584 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

**[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी.-5750/94]**

**भारतीय दन्त परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन, कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण आदि**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) भारतीय दन्त परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय दन्त परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी.-5751/94]**

(3) (एक) सेन्ट्रल काउंसिल आफ इंडियन मेडिसिन, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल काउंसिल आफ इंडियन मेडिसिन, बई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी.-5752/94]**

---

## प्राक्कलन समिति

**12.33½ म.प.**

### (i) सैंतीसवां तथा इकतालीसवां प्रतिवेदन

**डा. कृपासिन्धु भोई** (सम्बलपुर) : मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)—केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के संबंध में समिति के तेरहवें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी सैंतीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) रक्षा मंत्रालय—सैन्य बल स्तर, जनशक्ति, प्रबंध और नीति के संबंध में समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा दी गई कार्यवाही संबंधी इकतालीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

### (ii) सकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी विवरण

**डा. कृपासिन्धु भोई** : मैं अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही तथा निम्नलिखित प्रतिवेदनों के अध्याय-पांच के संबंध में अंतिम उत्तरों को दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) गृह मंत्रालय-लक्षद्वीप के संबंध में पहला प्रतिवेदन (9वीं लोक सभा)।

(2) पर्यावरण और वन मंत्रालय—वन अनुसंधान संस्थान-देहरादून के संबंध में पन्द्रहवां प्रतिवेदन (10वीं लोक सभा)।

---

**12.34½ म.प.**

## लोक लेखा समिति

### चौहत्तरवां तथा तिहत्तरवां प्रतिवेदन

**श्री भगवान शंकर रावत** (आगरा) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :–

(1) स्वीकृत अनुदानों और प्रभारित विनियोगों (1991-92) से अधिक व्यय संबंधी चौहत्तरवां प्रतिवेदन।

(2) परिवार कल्याण कार्यक्रम से संबंधित 139वें प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) पर की गई कार्यवाही संबंधी तिहत्तरवां प्रतिवेदन।

---

**12.35 म.प.**

## रेलवे में कार्यरत ठेका-श्रमिकों की कतिपय मांगों को पूरा करने के लिए विधान में विशेष उपबंध करने के बारे में याचिका

**[हिन्दी]**

**श्री बसुदेव आचार्य** (बांकुरा) : मैं रेलवे में कार्यरत ठेका श्रमिकों की कतिपय मांगों को पूरा करने के लिये विधान में विशेष उपबंध करने हेतु श्री तपन दत्ता, महासचिव, रेलवे संविदाकार श्रमिक संघ, पश्चिम बंगाल और अन्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिक प्रस्तुत करता हूं।

**[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी.-5753/94]**

---

**12.36 म.प.**

## नियम 377 के अधीन मामले

### निर्धन माता-पिता अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान कर सकें, इस हेतु निर्धन माता-पिताओं को समर्थ बनाने के प्रयोजन, से उन्हें मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता

**श्री पी.पी. कालियापेरूमल** (कुड्डालोर) : विश्व में तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है। हमें अपने बच्चों को हर तरह से सक्षम बनाना ही होगा, ताकि वे भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सकें। 20वीं शती के अंत तक सभी को साक्षर बनाना हमारे देश का ही नहीं वरन्, पूरे विश्व का लक्ष्य है। किन्तु भारत के ग्रामीण इलाकों में साक्षरता केवल 55.8 प्रतिशत ही है।

हमारे देश में बाल-श्रमिकों की समस्या अत्यंत विकट है। इनकी संख्या लगभग 13.65 मिलियन आंकी गई है। इनके माता-पिता भी शारीरिक श्रम करने वाले मजदूर हैं। हमारे देश में लगभग 5.51 करोड़ जनता गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रही है। परिवार की आमदनी बढ़ाने के लिए बच्चों को भी काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। हमारे संविधान में जबरदस्ती बेगार लेने पर रोक लगाई गई है। ऐसी स्थिति में सभी को शिक्षित करने का लक्ष्य प्राप्त करना कठिन है।

सभी बच्चों को उत्तम स्तर की शिक्षा प्रदान करने के भी समान अवसर प्राप्त नहीं हैं। शिक्षा प्राप्त करने के अवसरों का बड़े पैमाने पर दोहरीकरण हो रहा है, जोकि शोचनीय स्थिति है।

यदि निर्धन माता-पिताओं को उनके बच्चों द्वारा अर्जित आय के बराबर धनराशि मुआवजे के रूप में प्रदान की जाये, तो वे अपने बच्चों को विद्यालय भेजने में समर्थ हो पायेंगे। यदि सरकार ऐसा मुआवजा प्रदान करने में संकोच करती है, तो 20वीं शती के अंत तक सभी को साक्षर बनाने का हमरा लक्ष्य मात्र स्वप्न बनकर रह जायेगा। अतः, मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि दरिद्र माता-पिताओं को मुआवजे की अदायगी की जाये ताकि वे अपने बच्चों को विद्यालय भेज सकें। सरकार से यह भी अनुरोध है कि बेहतर स्वर की शिक्षा-सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान किये जाएं।

**[अनुवाद]**

**(दो) भारत अर्थ मूवर्स लि. को रेलवे कोच के निर्माण के लिए पर्याप्त क्रयादेश दिये जाने की आवश्यकता**

**श्री सी.पी. मुदाल गिरियप्पा** (चित्रदुर्ग) : भारत अर्थ मूवर्स लि. देश के सरकारी क्षेत्र के अत्यंत कुशल व्यापारिक उपक्रमों में से एक है। अपनी स्थापना के समय से ही इस कम्पनी ने निरंतर अत्याधिक विकास करते हुए अपने कीर्तिमान को बनाए रखा है और यह कंपनी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की अत्यधिक लाभ अर्जित करने वाली कंपनियों में से एक है। वित्तीय वर्ष 1992-93 के दौरान इस कम्पनी ने राजकोष में 26.00 लाख रुपये का योगदान किया।

इस समय कम्पनी घोर मंदी का सामना कर रही है और धन की कमी के कारण भी इसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे बोर्ड द्वारा 1975-76 के दौरान आश्वासन दिये जाने पर इस कम्पनी ने करोड़ों रुपये का निवेश कर यात्री डिब्बों के निर्माण की अपनी क्षमता को 250 कोचों से बढ़ाकर 800 कोच किया था। इस कम्पनी को 450 कोच के लिए क्रयादेश मिला जो 1992-93 में कम होकर 350 कोच रह गया और 1993-94 में 250 कोच रह गया। वर्ष 1994-95 के लिए रेलवे बोर्ड की ओर से अभी तक इस कंपनी को कोई क्रयादेश प्राप्त नहीं हुआ है। इसके परिणामस्वरूप दक्ष कामगारों को काम नहीं मिल रहा है अन्ततः 5000 प्रशिक्षित कामगारों की छंटनी की गयी है।

माननीय रेल मंत्री से मेरा अनुरोध है कि इस कम्पनी को कम-से-कम 600 यात्री डिब्बों के निर्माण का क्रयादेश दें ताकि भारत अर्थ मूवर्स लि. के 5000 कर्मचारियों के परिवारों को भूखों मरने से बचाया जा सके।

**(तीन) आन्ध्र प्रदेश के श्री काकुलम जिले में ग्रामीण क्षेत्रों को बिजली की सुविधा प्रदान करने हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता**

**डा. विश्वानाथम कैनिथी** (श्री काकुलम) : मैं आन्ध्र प्रदेश के श्री काकुलम जिले से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। आन्ध्र प्रदेश के श्री काकुलम जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में

[डा. विश्वानाथम कैनिथी]

विद्युतीकरण करने के संबंध में भेदभाव बरता जा रहा है। इस क्षेत्र में बिजली की उचित व्यवस्था नहीं है। अब तक राज्य के 70 प्रतिशत ग्रामों में से 40 प्रतिशत से भी कम ग्रामों को बिजली की सुविधायें प्रदान की गयी हैं। कुछ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति ग्रामों एवं उपनिवेशों का अभी विद्युतीकरण किया जाना है।

केन्द्रीय सरकार ने अल्प-विकसित क्षेत्रों के लिए बिजली की सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना की है। किन्तु इस जिले में, जिसमें अनेक पर्वतीय जनजातीय क्षेत्र और तटीय गांव हैं, इस संगठन का कोई सहायक निकाय स्थापित नहीं किया गया है। सम्पूर्ण जिले में, जिसमें दो संसदीय खण्ड भी हैं, केवल 17 सब-स्टेशन हैं और इस क्षेत्र में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हजारों सिंचाई मोटरें एवं पम्प सेट भी लगे हैं।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह इस जिले के सर्वांगीण विकास के लिए पर्याप्त धनराशि का आबंटन करने हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण निगम पर दबाव डाले।

**(चार) देश के ईंट उद्योग को उच्च श्रेणी का कोयला प्रदान किये जाने की आवश्यकता**

**श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी** (केसरगंज) : भारतवर्ष के लगभग 60,000 ईंट उद्योग जो ग्रामीण उद्योग हैं और प्रत्यक्ष रूप से 90 लाख श्रमिकों को प्रतिवर्ष रोज़गार देता है, उच्च श्रेणी का कोयला न मिल पाने के कारण अब संकट में पड़ रहा है। पूर्व कोयला मंत्री द्वारा ईंट उद्योग को 33 प्रतिशत बी, सी श्रेणी का अच्छा कोयला देना स्वीकार कर कोयले की आपूर्ति प्रारंभ कर दी गई थी जिसे कुछ दिनों पूर्व कोयला मंत्रालय ने एक पक्षीय रूप से समाप्त कर दिया। वर्तमान समय में एल.एस.एस. स्कीम के अंतर्गत उच्च श्रेणी का लाखों टन कोयला अन्य बिचौलियों को बेचा गया है जिसे मनमाने मूल्य पर खरीदने हेतु ईंट उद्योग विवश है। जबकि देश के ईंट उद्योगों को भारत सरकार उद्योगों की सूची में मान्यता प्रदान कर चुकी है।

अतः मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि देश के प्राचीनतम ईंट उद्योग की रक्षा हेतु अन्य उद्योगों को दी जाने वाली सुविधाओं के साथ 33 प्रतिशत उच्च श्रेणी के कोयले की आपूर्ति पूर्ववत अविलंब दी जाए ताकि वह ग्रामीण उद्योग सुचारु रूप से चल सके। पर्यावरण विभाग द्वारा वृक्षों के कटान पर प्रतिबंध लगाने के कारण ईंट उद्योग को लकड़ी नहीं मिल पाती कि जिसके कारण निम्न श्रेणी का कोयला सही ढंग से नहीं जल पाता। उसे सही ढंग से जलाने के लिये उच्च श्रेणी के कोयले की तुरंत आवश्यकता को देखते हुए अच्छे कोयले की आपूर्ति तुरंत प्रारंभ की जाए।

**(पांच) हाल ही में ओलावृष्टि से प्रभावित राजस्थान की जनता को राहत प्रदान करने के प्रयोजन से राजस्थान सरकार को केन्द्रीय सरकार द्वारा विशेष सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता**

**प्रो. रासा सिंह रावत** (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति है। वह पिछड़ापन है तथा निरंतर एक के बाद दूसरा प्राकृतिक संकट उपस्थित होता है। राजस्थान में पिछले दिनों भयंकर आंधी, तूफान एवं ओलावृष्टि से किसानों को करोड़ों रुपए की बची-खुची फसलें बरबाद हो गई हैं तथा दस व्यक्तियों की ओलों की चोट से मृत्यु हो चुकी है। हज़ारों वृक्ष

गिर गए तथा जल-धन, पशु-पक्षियों को भारी क्षति पहुंची है सैकड़ों भेडें भी ओलावृष्टि के आघात से मर गई हैं। गांव में हज़ारों किसानों के झौपड़ों के छप्पर एवं टीन उड गए हैं। राजस्थान के अधिकांश ग्राम अकालग्रस्त हैं। राज्य सरकार पहले ही अकाल-पीड़ित लोगों को रोज़गार, पेयजल, पशुओं को चारा आदि की व्यवस्था में लगी हुई है। उस पर यह नयी प्राकृतिक आपदा आ जाने से भयावह परिस्थिति पैदा हो गई है।

अतः केन्द्रीय सरकार से आग्रहपूर्वक अनुरोध है कि ओलावृष्टि से पीड़ित मृत व्यक्तियों को पर्याप्त मुआवजा, नष्ट हुई फसलों के स्वामी किसानों को उनकी नुकसान की भरपाई करने तथा अन्य जन-धन की हानि से निपटने हेतु राज्य सरकार को विशिष्ट केन्द्रीय सहायता प्रदान कर राहत दें।

**(छः) बिहार में रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता**

**श्री मंजय लाल** (समस्तीपुर) : अध्यक्ष महोदय, बिहार में ज़ोनल मुख्यालय की मांग काफी पुरानी है। वर्तमान में भारतीय रेल नौ ज़ोन में विभक्त है। इनमें से चार रेलवे ज़ोन का कार्यक्षेत्र बिहार में पड़ता है जो पूर्व रेलवे, पूर्वोतर रेलवे एवं उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे है। किन्तु इन चारों रेलवे ज़ोन के मुख्यालय बिहार प्रवेश के बाहर ही हैं। 1986-87 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में 5,362 किलोमीटर रेलवे की लंबाई है जो पूरे देश के रेलवे की लंबाई का 8.7% है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। रेलवे की आय के दृष्टिकोण से बिहार का महत्वपूर्ण योगदान है। केवल कोयला के परिवहन से ही बिहार राज्य रेलवे को कुछ माल ढुलाई का लगभग 17% आय देता है। यदि सभी खनिजों एवं तैयार, माल का योग लिया जाए तो वह 25% से ऊपर पहुंच जाता है।

अतः केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए बिहार में एक जोनल रेलवे मुख्यालय की स्थापना की जाए।

**(सात) उड़ीसा के ऐतिहासिक शहर खुर्दा को केन्द्र द्वारा प्रायोजित आई.डी.एस.एम.टी. योजना में शामिल करने की आवश्यकता**

**श्री शिवाजी पटनायक** (भुवनेश्वर) : ऐतिहासिक शहर खुर्दा, जो कभी उड़ीसा की राजधानी हुआ करता था, 1991 की जनगणना के अनुसार उसकी आबादी इस समय 32,0,000 है। यह भुवनेश्वर का उपनगर है जो कि शहरी आबादी में तेजी से वृद्धि के कारण लगभग इसका अभिन्न भाग बन गया है। 1984 में इस शहर को आई.डी.एस.एम.टी. शहरों की राज्य सूची में शामिल किया गया था। वस्तुतः इस संबंध में एक परियोजना रिपोर्ट तैयार करके 1984 में भारत सरकार को भेज दी गयी थी किन्तु उसके बाद इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई।

यह ऐतिहासिक शहर, जो कि ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के खिलाफ हमारे देशवासियों के ऐतिहासिक संघर्ष के अन्तिम गढ़ों में एक था, तेजी से विकसित हो रहा है।

इस बात को ध्यान में रखते हुए, सरकार से मेरा अनुरोध है कि इसे केन्द्र द्वारा प्रायोजित आई.डी.एस.एम.टी. योजना में शामिल किया जाये ताकि वहां की जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप इसके लिए संतुलित शहरी विकास कार्यक्रम लागू किया जा सके।

## (आठ) आन्ध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र संबंधी विचाराधीन सिंचाई योजनाओं के लिए मंजूरी दिये जाने की आवश्यकता

**श्री ए. प्रताप साय** (राजमपेट) : आन्ध्र प्रदेश के सबसे अधिक पिछड़े क्षेत्र रायलसीमा से संबंधित अनेक सिंचाई परियोजनायें लम्बे अरसे से केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं। रायलसीमा प्रवेश में जिसके अन्तर्गत कडप्पा, अनन्तपुर, चित्तूर एवं करनूल, ये चार जिले आते हैं, प्रति वर्ष 600 मीली मीटर से भी कम वर्षा होती है। उन्नीसवीं शताब्दी में 5 वर्षों में एक बार अकाल पड़ता था। बीसवीं शताब्दी में तीन वर्षों में एक बार अकाल पड़ने लगा है। इस क्षेत्र के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों की जनता पेयजल के अभाव के कारण कठिनाइयों का सामना कर रही है। इसलिए उपरोक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए इन परियोजनाओं में से तेलुगु गंगा, गालेरू नागरी हिन्धरी-नीवा जैसी लंबित पड़ी मुख्य परियोजनओं को मंजूरी प्रदान की जानी चाहिए और आवश्यकता होने पर केन्द्र सरकार को वित्तीय सहायता भी प्रदान करनी चाहिए। उपर्युक्त परियोजनाओं के पूरा होने से इस क्षेत्र की 25 से 30 लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि की सिंचाई संभव हो सकेगी। रायलसीमा की सभी लम्बित परियोजनाओं की अनुमानित लागत लगभग 1700 करोड़ रुपये होगी। भारतीय भू-सर्वेक्षण पूर्वानुमान के अनुसार यदि उक्त सभी परियोजनाओं को 15 वर्ष के भीतर मंजूरी दे दी जाए तो इस क्षेत्र को रेगिस्तान बनने से रोका जा सकता है। आन्ध्र प्रदेश की कृषि योग्य लगभग सभी भूमि अर्थात 287 लाख हैक्टेयर भूमि की सिंचाई करना पर्याप्त होगा और अंततः इसके परिणामस्वरूप गरीबी दूर की जा सकेगी, रेगिस्तान के प्रसार को रोका जा सकेगा, सूखे और अकाल की स्थिति से बचा जा सकेगा तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।

**अध्यक्ष महोदय** : विभिन्न दलों के नेताओं के साथ बातचीत की गई और सब इस बात के लिए सहमत हो गये हैं कि सबसे पहले सिंचाई मंत्रालय से संबंधित मांगों को लिया जाएगा। मैं समझता हूं कि इस सदन में कल भी इस संबंध में घोषणा की गई थी। अतः अब हम सिंचाई मंत्रालय से संबंधित मांगों पर चर्चा करेंगे।

**[हिन्दी]**

**श्री हाराधन राय** (आसनसोल) : अध्यक्ष जी, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है। कल जब रेलवे बजट पर डिस्कशन और वोटिंग हुई थी उस समय मेरा कर-मोशन सैपरेटली मूव हुआ था और उस पर सैपरेटली वोटिंग भी हुई थी लेकिन बुलेटिन में उसका कहीं उल्लेख नहीं है जबकि मेरे कट-मोशन पर हाउस में वोटिंग भी हुई थी।

**[अनुवाद]**

**श्री पवन कुमार बंसल** (चंड़ीगढ़) : माननीय सदस्य ने उन प्रस्तावों को प्रस्तुत किया था लेकिन कल उन पर मतदान नहीं हुआ था।

**श्री अनिल बसु** (आरामबाग) : महोदय यह केवल कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित करने के लिए ही है।

**अध्यक्ष महोदय** : जी, अच्छा।

[अनुवाद]

12.47 म.प.

## अनुदानों की मांग (सामान्य), 1994-95

### जल संसाधन मंत्रालय

**अध्यक्ष महोदय** : अब सदन में जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 82 पर चर्चा तथा मतदान किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए पांच घंटे का समय आबंटित किया गया है। सदन में उपस्थित जिन माननीय सदस्यों के अनुदानों की मांगों संबंधी कटौती प्रस्ताव परिचालित किये जा चुके हैं, यदि वे अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो 15 मिनट के भीतर सभा-पटल पर पर्चियां भेज दें जिनमें उन कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्या लिखी हों जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हैं। केवल उन्हीं कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किया माना जायेगा।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ में जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 82 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 6 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

**लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1994-95 के लिए**
**जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांग**

| मांग संख्या | मांग का नाम | 17 मार्च, 1994 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि | | सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की राशि | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | राजस्व रु. | पूंजी रु. | राजस्व रु. | पूंजी रु. |
| 82. | जल संसाधन मंत्रालय | 56,60,00,000 | 3,54,00,000 | 282,98,00,000 | 17,71,00,000 |

[हिन्दी]

**श्री दाऊ दयाल जोशी** (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, जल संसाधन मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा आरम्भ करते हुये मैं कहना चाहता हूं कि अपने वाले समय में हमारे देश में पानी की भीषणतम स्थिति उत्पन्न होने वाली है। हमने जितनी योजनाएं अब तक बनायीं वे सब डिफैक्टिव बनीं। शुरू से, जनसंघ के कार्यकर्ता के नाते, मैं 1953 से लगातार कार्य करता आ रहा हूं। जब बृहद योजनायें बनीं तो हमारे कोटा में पंडित जी सन् 1956 में चम्बल परियोजना का उद्घाटन करने के लिये पधारे थे।

[श्री दाऊ दयाल जोशी]

चूंकि हम शुरू से इस मत के रहे हैं कि बृहद योजनाएं बहुत अधिक खर्चीली और ज्यादा जमीन को खराब करने वाली है और निकट भविष्य में दलदल पैदा करने वाली योजनाएं रही हैं इसलिए हम चाहते थे कि बृहद योजनाओं की जगह अगर मध्यम और लघु सिंचाई योजनाएं स्वीकृति होती तो जो स्थिति आज देश में बनती चली जा रही है वह नहीं बनती।

**[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]**

**12.51 म.प.**

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कहता कि बड़ी सिंचाई योजनाएं लाभदायक नहीं हैं। बड़ी सिंचाई योजनाएं किसान को सस्ती पड़ती हैं, लेकिन माननीय मंत्री जी कभी आपने ठंडे दिमाग से सोचने का प्रयास किया कि आज भी अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद खड़े हो गए हैं इनका क्या कारण है ? आज नर्मदा सागर का विवाद खड़ा हो गया है। कोई कहता है कि बांध की ऊंचाई कम करो और कोई कहता है कि बढ़ाओ जिसके कारण वह योजना आज विवाद में फंसी हुई है।

मेरी मान्यता है कि आपने जितना धन चम्बल सिंचाई योजना के लिए दिया था अगर उतना धन लघु सिंचाई योजनाओं के लिए दिया होता, तो आज उस प्रदेश की स्थिति ही दूसरी होती। मेरे दल की सरकार ने मध्य प्रदेश में जीवनधारा योजना के अन्तर्गत हर किसान को एक कुआ उपलब्ध करवाया और एकीकृत ग्रामीण योजना के अन्तर्गत एक मोटर उपलब्ध करवाई जिसके कारण किसान की माली हालत एकदम ऊपर उठी और वह योजना किसान के उत्थान, उसकी बहबूदी के लिए एक साकार रूप धारण करने जा रही थी, किन्तु बीच में ही सरकार नहीं रही।

मेरा निवेदन करना यह है कि आने वाले समय में पानी की भयंकरतम स्थिति होने वाली है। मंत्री जी आज से 100 वर्ष पहले तक मेरे हिन्दुस्तान में 100 से 150 इंच तक वर्षा होती थी और अब मात्र 30-40 इंच वर्षा होती है। चेरापूंजी अलग है। हालांकि अब तो चेरापूंजी में भी, जहां सर्वाधिक वर्षा होती थी, वहां पानी के अकाल की स्थिति आ गई है।

मान्यवर मंत्री जी, आप जिस दुर्ग से आते हैं क्या यह बात सही नहीं है कि वहां पानी का अकाल है। आपको आश्चर्य होगा कि आपके प्रदेश में 9 नदियां बहती हैं और उसके बाद भी आपके यहां पानी का अकाल है। आपके यहां नर्मदा नदी कल-कल का नाद करती हुई बहती है। आपके यहां बेतवा और सोन जैसी नदियां बहती हैं और उसके बाद भी मध्य प्रदेश में जिस प्रकार की स्थिति खड़ी हो गई वह शोचनीय है। आज छत्तीसगढ़ का इलाका पानी के लिए तरस रहा है और मध्यप्रदेश के अंदर उस क्षेत्र में ढाई लाख लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। मेरा निवेदन है कि राजस्थान में 33 हजार से अधिक गांव पानी के लिए तरस रहे हैं। गुजरात में 10 हजार गांव महाराष्ट्र में 328, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु और अन्य प्रदेशों में पानी की स्थिति बहुत ही खराब है। बिहार के पलामू, गया आदि स्थानों में पानी के बिना अकाल की स्थिति पैदा हो रही है। उत्तर प्रदेश में गंगा, सरयू और यमून्न जैसी महा नदियां बहती हैं। वहां भी लोग पानी के लिए तरसने की स्थिति में आ गए हैं। उत्तराखंड में जहां आज पानी के छोटे-छोटे स्रोत हैं वहां आज सैकड़ों लोग मीलों पैदल चल कर पानी लाने की स्थिति में पहुंच गए हैं। इलाहाबाद और बनारस जहां गंगा मैय्या बहती है वहां भी पानी की कमी हो गई है। सोनभद्र और मीर्जापुर जैसे गांवों में लोग पानी के लिए तरसते हैं, बंगाल में एक नदी है जिसमें डेढ़ सौ साल पहले जहाज चलते थे, लेकिन आज उस नदी में पानी नहीं है और पानी के अभाव में यह नदी सुखती जा रही है।

आपने जो बड़े बांध बनाए हैं, इनके कारण आज नदियां सुख रही हैं। आज गंगा के प्रदूषण की बात हो रही है। मैंने कल्पना की थी कि सुबह उठते ही चहुं ओर शान्ति, अन्तरिक्ष ओम शान्ति, आपाः शान्ति जपेः पानी शुद्ध रहे, गन्दा न हो, पानी के द्वारा लोगों को प्राण मिले, जल ही प्राण है। आपने योजना बनाते समय पानी की समुचित व्यवस्था नहीं की। आपकी जितनी भी योजनाएं हैं सब फेल होती जा रही हैं।

आपने राष्ट्रीयकरण किया था, वह राष्ट्रीयकरण कहां गया। समाजवादी समाज की जो कल्पना आपने की थी, उसका क्या हुआ आपको फुरसत ही नहीं है। यदि आप संसदीय कार्य मंत्री ही रहे तो सफल हैं।* ···**(व्यवधान)**···**

**[अनुवाद]**

**श्री पवन कुमार वंसल** (चण्डीगढ़) : महोदय, वह सीमा से बाहर जा रहे हैं। **(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय :** श्री दाऊ दयाल जोशी द्वारा लगाये गये आरोपों को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

**(व्यवधान)**

**जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : महोदय, ये आरोप झूठे एवं गलत हैं। **(व्यवधान)**

**[हिन्दी]**

**श्री दाऊ दयाल जोशी :** मेरा निवेदन है कि आने वाली शताब्दी में पानी की जो सबसे भयंकरतम स्थिति आएगी, उसकी चिन्ता कीजिए। दुनिया में 50 लाख व्यक्ति प्रति वर्ष पानी की कमी से मरते हैं। पानी की कमी नहीं है, तीन-चौथाई धरती पानी के भरी पड़ी है। ···**(व्यवधान)**·· आज नदियां क्यों गन्दी हो गईं, क्यों आपने बड़ी योजनाओं को हाथ में लेकर छोटी योजनाओं की चिन्ता नहीं की ? आपने कभी नहीं सोचा कि तालाब से खेती हो सकती है। आपने बड़ी योजनाएं बना दीं लेकिन वहां जो वॉटर लौगिग होती है, उसे रोकने के लिए आपने क्या व्यवस्था की है?

मैंने एक पत्रिका में पढ़ा था। उसमें बताया गया था कि जहां-जहां वॉटर लौगिग होती है वहां प्रति हेक्टेयर पर छोटा-सा कुआं बना दें तो वॉटर लौगिग की समस्या दूर हो जाएगी। आप वृहत योजनाएं बनाएं, इसका मैं विरोधी नहीं हूं लेकिन उन योजनाओं पर देश का 43 हजार करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। आपको 113 लाख क्यूबिक मीटर पानी देना था लेकिन वह पूरा नहीं मिल पाया है। आपने जो बड़े बांध बनाए हैं, उनमें नीचे तलहट में बड़ी तादाद में मिट्टी जम गई है। जमीन में मिट्टी ज्यादा जम जाने से पानी की आवक कम होती है जिसके कारण आए दिन पानी की समस्या हो जाती है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप देखिए आखिरकार आपकी योजनाओं में क्या डिफैक्ट था। हम छोटी योजनाओं के, मध्यम योजनाओं के पक्ष में थे। आपने बड़ी योजनाओं में पैसा खर्च किया।

---

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री दाऊ दयाल जोशी]

**1.00 म.प.**

उस पैसे की जगह छोटी-छोटी योजनायें बना कर काश्तकारों की जमीनों को पानी मुहैय्या करा दिया होता तो जमीन की यह दुर्दशा नहीं होती और वहां ड्रेन्स नहीं बनती।

ओ.एफ.डी. वर्क आपने मजबूरी से चालू किया और इसके लिये किसान लोग पश्चाताप कर रहे हैं। बलराम जाखड़ साहब बैठे हुए हैं मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि किसान अपने खून-पसीने की कमाई से खेती करता है और अन्न उपजाता है, लेकिन उस पर भी आप टैक्स लगा देते हैं। आपने क्या उसकी किसी चीज पर सेल्स टैक्स में छूट दी है। वह आपको सब टैक्स देता हैं तो आपकी पूरी जिम्मेदारी यह बन जाती है कि नुक्सान होने पर उसकी आप क्षति-पूर्ति कर दें।

जल संसाधन मंत्रालय की मीटिंग में मैंने आपसे निवेदन किया था कि मेरे कोटा जिले में जो ओ.एफ.डी. वर्क हुआ है, उसके तहत लाखों रुपया काश्तकारों के नाम पर मांगा गया। इस मामले को लेकर लगातार हम लड़ते रहे हैं। बैंक का काफी ब्याज अभी उन पर बकाया है। कोटा जिले में ओ.एफ.डी. वर्क के लिये जो पैसा काश्तकारों ने बैंकों से लिया, उसको देने की स्थिति में वे नहीं हैं। मध्यम वर्ग और सामान्य वर्ग के काश्तकारों को अब वह पैसा चुकाने के लिये मजबूर किया जा रहा है। आप इससे उनको राहत दिलायें।

यमुना जल विवाद के लिये आपने 2-3 मीटिंग्स की। आपने कहा कि आपके मुख्यमंत्री अपनी बात पर अड़े रहते हैं। मैं इस बात को नहीं मानता हूं। राजस्थान के हित में राजस्थान का मुख्यमंत्री हर कीमत पर लड़ता है, जूझता है। यही कारण है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भैरों सिंह शेखावत जी ने राजस्थान में अपना नाम अमर बनाया हुआ है। उन्होंने कांग्रेस की वहां से छुट्टी करवा दी। हमारे मुख्यमंत्री किसी भी दबाव के आगे झुकते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं। हमें अपने पानी का पूरा हिस्सा मिलना चाहिये। आपने मुझ से कहा कि आप अपने मुख्यमंत्री को समझाइये, नहीं तो नुकसान हो जायेगा। हमारे मुख्यमंत्री कोई नये मुख्यमंत्री नहीं हैं। वह कई वर्षों से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। रावी-ब्यास के पानी सम्बन्धी विवाद को लेकर वह हमेशा लड़ते रहे हैं। नाथपा-झाखड़ी के विवाद को लेकर शिव चरण माथुर जी एक समझौता कर गये थे। उस समय बहुत कड़ी आलोचना विधान सभा से उन्हें सहनी पड़ी थी···**(व्यवधान)**

**श्री शिव चरण माथुर** (भीलवाड़ा) : आपने मेरा नाम लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नाथपा-झाखड़ी का कोई समझौता ही नहीं हुआ है।

**श्री दाऊ दयाल जोशी** : राजस्थान के हित की आपने अनदेखी कर दी थी। इसकी विधान सभा में बहुत निन्दा भी हुई थी। रावी-ब्यास का पानी आपने गलत तरीके से···**(व्यवधान)**

**श्री शिव चरण माथुर** : रावी-ब्यास के पानी के बारे में 1955 से लगातार संधियां हुई हैं। उसके परिणाम अच्छे निकले हैं। आपके मुख्यमंत्री जब विरोधी पक्ष के नेता थे, उस समय उन्होंने जो बातें कहीं, मुख्यमंत्री बनने के बाद उनको स्वीकार भी कर लिया। जो एग्रीमेंट हुआ और मुझे जो जयचन्द और मीरजाफर कहा, उसी एग्रीमेंट को उन्होंने बाद में स्वीकार कर लिया जिससे राजस्थान को फायदा हुआ। गलत बात आप क्यों कहते हैं ?

**श्री दाऊ दयाल जोशी** : राजस्थान की विधान सभा में आपको जयचन्द कहा गया। इसलिये कहा गया कि आप गलत समझौता करके केन्द्र सरकार के पास चले गये। आपने राजस्थान के हित सुरक्षित नहीं रखे। दूसरी कांग्रेसी नेताओं के दबाव में आ गये। इसकी कटु आलोचना लगातार 9 घंटे तक राजस्थान की विधान सभा में हुई। उस समय मैं विधान सभा का सदस्य था···**(व्यवधान)**

**श्री शिव चरण माथुर** : इतिहास के पन्नों में जो लिख दिया गया है, उसको झुठलाया नही जा सकता है।

**श्री दाऊ दयाल जोशी** : रावी-ब्यास के मामले में हम आज भी परेशान हैं।

आप स्वयं महसूस करेंगे, जिस प्रकार का हैंड आज पंजाब के पास है, उसके होते जब चाहे वह राजस्थान कैनाल में पानी दे, जब चाहे पानी रोक दे···**(व्यवधान)**···

**[अनुवाद]**

**श्री जगमीत सिंह बरार** (फरीदकोट) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

**श्री जगमीत सिंह बरार** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि श्री शिव चरण माथुर जी ने जो रावी-ब्यास विवाद का जिक्र किया है, वह 1995 से संबंधित था। भूतपूर्व सिंचाई मंत्री, स्वर्गीय श्री गुलजारी लाल नन्दा द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार ही रावी-ब्यास के कुल 15.8 मिलियन एकड़ फुट पानी में से 8 मिलियन एकड़ फुट पानी राजस्थान को आबंटित किया गया था। अतः राजस्थान का उस पानी पर कोई अधिकार नहीं है। अपितु केन्द्र सरकार के हस्तक्षेप के कारण जिस भूमि की सिंचाई नहीं की जाती थी, उस भूमि के लिए इस आदेश द्वारा पानी उपलब्ध करवाया गया है। 15.8 मिलियन एकड़ फुट पानी में से राजस्थान को पहले ही 8 मिलियन एकड़ फुट पानी दिया गया है। अतः राजस्थान पानी की उस मात्रा से अधिक मात्रा में पानी की मांग करने का कोई हक नही है। **(व्यवधान)**

**[हिन्दी]**

**श्री दाऊ दयाल जोशी** : मैं आपके इस विवाद में पड़ना नहीं चाहता लेकिन यह बात सही है। मेरा निवेदन है कि रावी व्यास पर संयुक्त निरीक्षण की बात हुई थी। आज राजस्थान का एस.ई. वहां पर बैठता है। माननीय शिव चरण माथुर जी, जब आप मेरी कमेटी के चेयनमैन थे, तब आपने और हमने बैठकर बातचीत की थी कि हैड वर्क्स पर हमारा अधिकार है लेकिन वहां के ए.ई.एन. को पंजाब वाले गांठते ही नहीं हैं, उसकी परवाह ही नहीं करते हैं···**(व्यवधान)**····

**[अनुवाद]**

**श्री जगमीत सिंह बरार** : नियंत्रण भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के अधीन है। यह केन्द्र सरकार के पास है। यह पंजाब सरकार के पास नहीं है।

**[हिन्दी]**

**श्री शिव चरण माथुर** : यह ऐतिहासिक बैकग्राउण्ड नहीं जानते हैं। ऐसी बात अगर कहेंगे तो ठीक नहीं है।

**श्री दाऊदयाल जोशी** : पंजाब वैसे पानी के मामले में हमारा बड़ा भाई है इसलिए आपको हम पर रहम करना चाहिए। आपको पानी के मामले में विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। हमारा जो अधिकार है, वह तो हम लेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक समझौता हुआ था कि इस सारे मामले को सुप्रीम कोर्ट को रैफरेस करना था। माननीय जल मंत्री महोदय, क्या वह विवाद आपने सुप्रीम कोर्ट में रैफरेस कर दिया। मेरा कहना है कि आप कृपा करके हमारा जो यमुना जल विवाद है, जिस पर राजस्थान के मुख्य मंत्री जी का पक्ष है, उन्होंने कहा है कि अगर हमारे साथ न्याय नहीं हुआ तो हम निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में जायेंगे। अच्छा यह है कि एक बार आप उनको बुलाइये, मुख्य मंत्रियों के साथ बिठाइये और बैठकर बातचीत कीजिए।

चूंकि हम ही एक रेगिस्तानी प्रदेश के निवासी हैं, केवल हम ही दुर्भाग्यशाली हैं, जहां पर हमारी अपनी एक भी नदी नहीं है। हमारे पास अपनी नदी नहीं होने के कारण कभी हमको मध्य प्रदेश की ओर देखना पड़ता है, कभी पंजाब की तरफ देखना पड़ता है। यह ठीक है कि हम अपने प्रयत्न से अपनी बिजली पैदा कर रहे हैं। अभी हमने रामगढ़ में गैस आधारित विद्युत केन्द्र स्थापित किया है। ···**(व्यवधान)**···

**श्री शिव चरण माथुर** : मैं इनको यील्ड करने के लिए कह रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के संदर्भ में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद में जवाहर लाल जी ने इण्डस वाटर ट्रीटी की, जिसका जिक्र आपने कल किया था। अगर यह ट्रीटी नहीं होती तो वह पानी जो तीन नदियों का हिन्दुस्तान को मिलने वाला था, जिसको पंजाब अकेले संभाल नहीं सकता था, अगर राजस्थान की भूमि नहीं होती तो शायद इस पानी का उपयोग हिन्दुस्तान नहीं कर सकता था। इसलिये हमारे फाउण्डिग फादर्स ने, जवाहरलाल जी जैसे महान व्यक्ति ने यह सोचा कि राजस्थान के पास बहुत बड़ी जमीन है। पानी आता है और उस पानी को इधर डाइवर्ट करके वहां काम में ले सकते हैं। आप उस राजस्थान को दुर्भाग्यशाली कहते हैं, जिस इलाके में एक दाना पैदा नहीं होता था, आज वहां 30 लाख टन अनाज पैदा करने की क्षमता राजस्थान में पैदा हो गई तो आप दुर्भाग्यशाली कैसे कहते हैं।

देखिये जोशी जी, मैं अपनी बात कह रहा हूं···**(व्यवधान)**···

**श्री दाऊ दयाल जोशी** : इसकी बुनियाद क्या थी, हमारे बीच में जो ट्रीटी हुई थी। हमारा जो सतलूज का पानी आया है, आपके कार्यकाल में हमको जो नहर बनानी थी, वे बता दें···**(व्यवधान)**···

**[अनुवाद]**

**उपाध्यक्ष महोदय** : हमें अपने आपको इस विवाद में शामिल नहीं करना चाहिये।

**(व्यवधान)**

**श्री जगमीत सिंह बरार** : महोदय, यह अति गम्भीर मामला है। मुझे इस संबंध में कुछ स्पष्टीकरण चाहिए।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप सरकार के समक्ष रखे जाने वाले विभिन्न तथ्यों को सही तरीके से प्रस्तुत कीजिए तथा रचनात्मक सुझाव दीजिए।

[हिन्दी]

**श्री दाऊ दयाल जोशी** : जो अन्याय हुआ है, उसको कहीं-न-कहीं चर्चित करेंगे। राजस्थान के हित के लिए पानी की चर्चा न करें, यह मेरा कर्तव्य नहीं बनता है।

**श्री भोगन्द्र झा** (मधुबनी) : उपाध्यक्ष महोदय, जो इतिहास का मामला है, उसमें इतनी दखल नहीं होनी चाहिए। इनको बोलने दें, जब हम अपना-अपना बोलें, तो उसको सुधार दें। भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी का नाम आया है, जो उन्होंने सफाई दी, वह ठीक थी। इतना तथ्यों पर दखल नहीं होना चाहिए।

**श्री दाऊ दयाल जोशी** : मेरा निवेदन करना यह है कि राजस्थान ने अपने सोर्स से अपनी स्थिति को देश के नक्शे में खड़ा किया है। लेकिन आज अगर उसके साथ न्याय किया जाएगा, माननीय विद्याचरण शुक्ल जी राजस्थान के साथ न्याय करेंगे, तो निश्चित रूप से कुछ कल्याण हो सकता है। गंगा कैनाल की बात कई बार उठायी गई है गंगा कैनाल 110 साल पहले राजा गंगा सिंह ने बनवाई थी, लेकिन आज उसकी दुर्दशा है। हमारे पास सीमित साधन है, फिर भी हम लोगों को पानी मुहैया करा रहे हैं। राजस्थान सरकार की कुछ मजबूरियां हैं, राजस्थान आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ राज्य है। इस वजह से हम आपके पास आकर आग्रह करते हैं कि गंगा कैनाल के लिए कोई-न-कोई विशेष फन्ड हमको मुहैया करायें। फिर वही बात आ जाएगी। राजस्थान गंगा कैनाल के लिए पंजाब द्वारा पानी छोड़ा जाना था, लेकिन पंजाब हर बार गंगा कैनाल में पानी देने के लिए विवाद खड़ा कर देता है। हमने गंगा कैनाल की मरम्मत करवा दी और जो मरम्मत पंजाब को करवानी थी, उसमें उसने कुछ किया नहीं। इसलिए आज भी बीकानेर जिले के काश्तकार पानी के लिए परेशान हैं। मेरा निवेदन है कि इन्दिरा गांधी नहर जो जीवन दायनी रेखा है, उसका विकास बहुत ही चिंटी की तरह चल रहा है। राजस्थान कैनाल राजस्थान के लिए केवल सिंचाई का साधन नहीं है। माननीय मंत्री जी मैं आपसे निवदेन करना चाहता हूं कि इन्दिरा गांधी कैनाल से जोधपुर और बीकानेर को पीने का पानी मिलेगा। यह मरू प्रदेश है और इस मरू प्रदेश में अगर राजस्थान कैनाल और इन्दिरा गांधी कैनाल को गम्भीरता से लेकर उसके विकास के लिए धन मुहैया कराये, तो काम हो सकता है। यह योजना मूल योजना के तहत कब पूर्ण होनी थी, लेकिन आज उसकी स्थिति क्या है। राजस्थान कैनाल की कास्ट दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। यह एक अहम मुद्दा है। इसके साथ ही मेरा एक निवेदन और भी है। मेरे जिले में एक पार्वती कैनाल है, जो 114 वर्ष पहले कोटा एस्टेट ने बनवाई थी। यह कैनाल जगह-जगह से छिन्न-भिन्न हो गई है। राजस्थान सरकार के पास अपने साधन सीमित हैं। इसलिए मैं आपसे निवदेन करना चाहता हूं, ऐसी पुरानी योजनाओं पर आप गम्भीरता से विचार करें। हमारे कोटा जिले में गंगा नगर जिले में आपने सी.ए.डी. की स्थापना की थी और सी.ए.डी. की धन मुहैया नहीं हुआ। इसको आपको पैसा देना चाहिए था। आपने चम्बल सिंचित विकास क्षेत्र के नाम से भी कुछ स्थापना की थी और हमारे इन्दिरा गांधी नहर के लिए भी स्थापना की थी। आज सैकेन्ड फेस चम्बल का स्वीकृत हो चुका है। मैं शिव चरण माथुर जी से ही पूछना चाहता हूं कि सैकेन्ड फेस का क्या हुआ ? यह इसलिए नहीं क्योंकि कोटा जिले में भाजपा के लोगों का अधिपत्य है। आपके ही मंत्रिमंडल के सहयोगी वित्त मंत्री, श्री बशुन शर्मा, थे और उस समय हमें विदेशों से लोग सहायता देने को तैयार थे।

राजस्थान का वित्त मंत्री कहे कि हम विदेशों से सम्बल सिंचित विकास विभाग के लिये

[श्री दाऊ दयाल जोशी]

कोई अनुदान राशि प्राप्त नहीं करना चाहते। आज तो इस सरकार का वित्त मंत्री कटोरा हाथ में लेकर-"भिक्षाम देही, भिक्षाम देही" का राग विलापता दुनिया के बाजारों में घूम रहा है। लेकिन राजस्थान सरकार एक मात्र कांग्रेस राज में ऐसी सरकार थी, चूंकि हम विरोधी पक्ष में रहे क्योंकि हमारा वहां वर्चस्व रहा है इसलिए वहां सी.ए.डी. का सैकिंड फेस नहीं आया। महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि वहां सी.ए.डी. के सैकिंड फेस को आप कोटा जिले के लिए काम करवाने की कृपा करें।

महोदय, हम जो भू-जल विभाग का संकट देख रहे हैं इसके लिए आपने कोई योजना नहीं बनाई। पहले यह तय था कि 50 फुट की दूरी पर कुआं लगता था। कृषि मंत्री की जोरदार व्यवस्था के बाद, कि खूब तिलहन, दलहन पैदा करें जिससे देश इनमें आत्मनिर्भर हो जाए तो उसके कारण माननीय जाखड़ जी 10 साल के अंदर राजस्थान में दल-दल पैदा हो जाएगा, रेगिस्तान बन जाएगा। हम जिस प्रकार से जमीन के जल को निकाल रहे हैं, जिस प्रकार से जमीन का भू-जल दोहन कर रहे हैं उस पर आपको कहीं-न-कहीं रोक लगानी पड़ेगी वरना जैसा मैंने कहा कि आने वाली शताब्दी पानी के अकाल की शताब्दी होगी अगर आपने जमीन का दोहन नहीं रोका। अगर आपने दलहन और तिलहन पैदा करने के नाम पर जमीन का पानी जोरों से खींचा। आप कुओं पर इलेक्ट्रिफिकेशन करके और लोगों को उस पानी से फसल पैदा करने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं उससे कुछ बनने व बिगड़ने वाला नहीं है। मेरा निवेदन है कि आप इसको गंभीरता से लीजिये। अगर जमीन में पानी न रहा, अगर नदिया सुखती चली गईं, आपने तालाबों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया तो भविष्य में इसके बुरे परिणाम होंगे। आप तालाब विकास बोर्ड केन्द्र में बनाने वाले थे। आपने घोषणा की थी कि हम जल्दी ही तालाब विकास बोर्ड का गठन करेंगे। अगर आपने यह नहीं किया तो मुझे डर है कि जैसे नदियों का पानी गंदा होता चला जा रहा है, प्रदूषित होता चला जा रहा है तो वास्तव में हम आने वाली शताब्दी में क्या लाएंगे।

महोदय, हम विदेशों से दलहन, तिलहन, तेल भी महंगा खा सकते हैं लेकिन क्या हम दुनिया के देशों से पानी ला सकते हैं ? आप और शिव चरण माथुर जी 11 रुपए की बोतल का पानी पी सकते हैं लेकिन आम नागरिक कहां से पानी पीएगा। आपके राज में 11 रुपए की बोतल पानी की मिल रही है, केवल पानी ही तो है, क्या वह विशेष पानी है ? सिर्फ हिमालय से निकलने वाला डिसटिल वाटर बोतलों से भर दिया गया है और इस आधार पर आप पानी कहां से लाएंगे, आप जरा इस पर गंभीरता से सोचिये। आपको निश्चित रूप से इस पर विचार करना पड़ेगा।···**(व्यवधान)**···

महोदय, मेरा दूसरा निवेदन यह है कि आपने जिस प्रकार से गंगा प्रदूषण यमुना प्रदूषण के लिए और बड़ी-बड़ी नदियों के लिए योजनाएं बनाई हैं, मेरा कहना यह है कि जिन नदियों में मिट्टी और पत्थर है आज वे नदियां, नदियां नहीं रही हैं इन नदियों को ठीक स्वरूप प्रदान करने के लिए यदि आपको अलग से भी विभाग बनाना पड़े तो आप बनाएं। लोग कहते हैं कि लाल किले के नीचे से यमुना बहती थी लेकिन आज वह यमुना कहां है बहुत दूर चली गई है और जहां है वहां यमुना है क्या, इसको आप स्वयं ही देख लिजिये। आपके लिए यह अहम मुद्दा है इस पर भी आप गंभीरता से विचार कीजिये।

महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं अगर आपने पानी के लिए कोई समुचित

व्यवस्था नहीं की तो देश के लिए वह बहुत दुर्भाग्यशाली दिन होगा, जिसको देखने के लिये आप और हम न रहें लेकिन आने वाले पीढ़ियां जो आपको और हमको कोसेंगी। लोग कहेंगे कि हमारे पूर्वज इतने निर्दयी थे कि इस प्रकार से उन्होंने इस धरती का, जल का शोषण किया।

जिसके कारण आज ये दिन देखना पड़ रहा है, इसलिए निश्चित रूप से आप इस ओर ध्यान दें। कल ही एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि राजस्थान की 11 परियोजनाएं केन्द्र सरकार के पास लंबित हुई हैं। 8 मध्यम और 3 बड़ी योजनाएं लंबित पड़ी हुई हैं। इसी तरह से मैं बताना चाहता हूं कि आप आदिवासियों की बहुत बात करते हैं, लेकिन गडरदा एक ऐसी परियोजना है जहां पर शिवचरण माथुर जी का और हरिदेव जोशी जी का उद्घाटन पत्थर लगा हुआ है, लेकिन अभी तक इस परियोजना का काम शुरू नहीं किया गया है। चन्द्र शेखर जी शिवचरण माथुर जी की बहुत तारीफ कर रहे थे, मैं बताना चाहता हूं कि जब ये वहां पर उद्घाटन करने के लिए गए तो दाल-बाटी में 3 लाख रुपया खर्च हुआ, लेकिन इस योजना पर काम कुछ भी नहीं हुआ। इस क्षेत्र में आपको सुन कर आश्चर्य होगा कि 90 प्रतिशत आदिवासी रहते हैं। इस योजना के बारे में मैंने पहली बार भी मंत्री महोदय से बात की थी और आपसे कहा था कि इसके बारे में शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। चुनाव का लाभ लेने के लिए हर वार इस योजना का उद्घाटन करवा दिया जाता है और काम कुछ नहीं होता है। मेरा अनुरोध है कि इस परियोजना पर शीघ्र काम शुरू करवाया जाए, ताकि आदिवासी जनता को राहत मिल सके।

इसी तरह से सिंचाई विभाग द्वारा चंबल के लिए प्रति वर्ष 80 लाख रुपया दिया जाता है, जिसमें से 65 लाख रुपया प्रशासनिक खर्चों में चला जाता है और मात्र 15 लाख इतनी बड़ी चंबल नदी के लिए रखा जाता है इससे पूरे मध्य प्रदेश में सिंचाई का काम होता है और यह भिंड-मुरैना तक जाती है। इसके टेल पोर्शन में सिंचाई नहीं हो पाती है और यहां के लोग लड़ने-झगड़ने के लिए कोटा तक आते हैं। मेरा अनुरोध है कि इस मद में राशि बढ़ाने का काम करें। नहरों में गाद जम गई है, तटबंध कटते जा रहे हैं और मेटीनेस ठीक से नहीं हो पा रहा है। इस ओर निश्चित रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है।

एक बात की ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। आज भूजल का जो दोहन हो रहा है, उसकी वजह से जमीन छितरी हो गई है, जमीन में गड्ढ़े पड़ गए हैं, जिसकी वजह से भूकंप आने की स्थिति हो गई है। यदि इस स्थिति को रोकना है तो भूजल के दोहन को रोकना होगा नहीं तो भूकंप के भयंकर परिणाम हो सकते हैं और जान-माल का नुक्सान हो सकता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें। मंत्री जी वास्तविकता को पहचानें, क्योंकि आपके विभाग द्वारा दिए गए आंकड़े सही नहीं हैं। आंकड़ों में जहां 80 क्यूबिक फीट पानी बताया जाता है, वहां पर असल में 40 क्यूबिक फीट पानी होता है। इसलिए आप अपने विभाग पर थोड़ी पकड़ रखें और फालतू बातों के चक्कर में न पड़ें, अपने आपको बदनामी से बचाएं और विभाग के अधिकारियों को कस कर रखें, ताकि इस क्षेत्र में अच्छा काम हो सके और देश का विकास हो सके।

इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे हिन्दुस्तान और विशेषकर राजस्थान में सिंचाई सुविधाओं की तरफ ध्यान देने का काम करें और कोटा जिले का भी कल्याण करने का कष्ट करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

[अनुवाद]

**श्री जितेन्द्र नाथ दास** (जलपाईगुड़ी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :-

"कि जल संसाधन मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाये"

– पश्चिम बंगाल में तीसता परियोजना के लिए धनराशि उपलब्ध कराने में असफलता। (1)

– बाढ़ नियंत्रण के लिये प्रभावी उपाय किये जाने की आवश्यकता। (2)

**श्री बसुदेव आचार्य** (बांकुरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :-

"कि जल संसाधन विकास मंत्रालय के शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाये"

– अपर तारकेश्वर परियोजना को स्वीकृति प्रदान करने में असफलता। (3)

– कांगसबाती आधुनिकीकरण परियोजना को स्वीकृति प्रदान करने में असफलता। (4)

– सरकारी उपक्रम की इकाई राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड को पुनर्जीवित करने तथा नवीकृत करने में असफलता। (5)

– सरकारी उपक्रम की इकाई राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड को बंद करने की कार्यवाही को रोकने में असफलता। (6)

– पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी किनारे का भू-कटाव रोकने में असफलता। (7)

**श्री हराधन राय** (आसनसोल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :-

"कि जल संसाधन मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

– ई.सी.एल. तथा सी.आई.एल. द्वारा रेता निकालने के कारण लगातार भू-कटाव से दामोदर नदी के किनारे को बचाने में असफलता। (8)

– पश्चिम बंगाल के बर्धमान, हुगली, नाडिया तथा मुर्शीदाबाद जिलों के लोगों की जान-माल को बचाने के लिए हुगली/भागीरथी नदी के भू-कटाव को रोकने में असफलता। (9)

**श्री उद्धव बर्मन** (बारपेटा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :-

"कि जल संसाधन मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

– असम में सिंचाई परियोजनाओं के लिए धनराशि उपलब्ध कराने में असफलता। (12)

– असम में बाढ़ नियंत्रण के लिए प्रभावी और सार्थक उपाय किये जाने में असफलता। (13)

"कि जल संसाधन मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जाये।"

-- ब्रहमपुत्र बोर्ड द्वारा तैयार की गई मास्टर योजना को क्रियान्वित करने के लिये उपाय करने की आवश्यकता। (23)

- असम में नदियों द्वारा भूमि कटाव को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्कता। (24)

**श्री चन्द्र शेखर** (बलिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिवचरण माथुर जी की इस वजह से तारीफ नहीं कर रहा था कि मेरे पुराने मित्र हैं, बल्कि इसलिए तारीफ कर रहा था कि आज भी कांग्रेस में ऐसे लोग हैं जो महात्मा गांधी या जवाहर लाल नेहरू का नाम लेने में संकोच नहीं करते। आज जब जवाहर लाल नेहरू या महात्मा गांधी पर हमला हुआ तो पिछले 15 दिन या एक महीने से मैं देख रहा हूं कि एक भी कांग्रेसी ने गांधी जी पर हुए हमले के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। शिव चरण माथुर जी अभी जवाहर लाल नेहरू और महात्मा गांधी को भूले नहीं हैं, यह अच्छी बात है और शायद इससे अन्य कांग्रेसियों को भी प्रकाश मिले तो बहुत भला होगा और शायद हमारे प्रधान मंत्री जी को भी इससे कुछ प्रेरणा मिले।

**[अनुवाद]**

**1.25 म.प.**

**लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिये 2.25 म.प. पर पुनः संमवेत होने तक स्थगित होली है।**

**तत्पश्चात् लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए 2.25 म.प. तक के लिए स्थगित हुई।**

**2.25 म.प.**

**मध्यान्ह भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.25 म.प. पर पुनः समवेत हुई।**

**[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]**

## अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1994-95

### जल संसाधन मंत्रालय-जारी

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप अच्छी तरह जानते हैं। कि निर्धारित समय पांच घंटे है।

| | | |
|---|---|---|
| कांग्रेस | – | 2 घंटे 15 मिनट |
| भाजपा | – | 1 घंटा 2 मिनट |
| जनला दल | – | 20 मिनट |
| सी.पी.आई. (एम) | – | 19 मिनट |
| सी.पी.आई. | – | 7 मिनट |

ए.डी.एम.के. – .6 मिनट

जनता दल (ए) – 5 मिनट

सभी स्वतन्त्र सदस्य, एक साथ – 3 मिनट

समय का वितरण राजनैतिक दल की संख्या के अनुसार किया गया है।

अच्छा होगा कि सभी राजनैतिक दलों के संचेतक उन्हें निर्धारित समय के अनुसार नाम भेजें।

श्री एम. कृष्णस्वामी वाद विवाद में भाग लें।

**श्री एम. कृष्णस्वामी** (वन्डिवास) : महोदय, मैं जल संसाधन मंत्रालय से सम्बद्ध अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं।

मंत्रालय को यह कठिन कार्य सौंपा गया था कि कृषि, सिंचाई और अन्य जरूरतों के लिए जल के महत्व को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध जल संसाधनों को बेहतर वैज्ञानिक तरीके से विनियमित और विकसित करें।

अन्य देशों में जल को पाइप लाइनों के माध्यम से हजारों मील की दूरी तक ले जाया जा रहा है।

अब पाकिस्तान में भी एक योजना बनी है कि जल पूर्वी देशों में भेजा जाए। इसी प्रकार हम भी पाइपलाइन के माध्यम से जल भेज सकते हैं क्योंकि अनेक स्थानों पर जल की कमी है, विशेषकर तमिलनाडु में पेय जल हेतु तथा सिंचाई के लिए भी पानी की कमी है। स्थिति बहुत खराब है। यह समस्या कई वर्षों से विद्यमान है। निकटवर्ती राज्यों में जहां पानी फालतू है वहां से तमिलनाडु में पानी लाने के कोई प्रयास नहीं किए गए हैं। जल संसाधन मंत्रालय ने संसद में कहा कि गोदावरी नदी के जल का उपयोग 50 प्रतिशत प्रतिवर्ष से कम है। मुझे बताया गया है कि अगर बाढ़ का पानी भी जोड़ा जाए तो यह प्रतिशत बहुत कम है। तमिलनाडु को सम्पूर्ण अतिरिक्त जल की जरुरत नहीं है। लेकिन अगर इस जल का थोड़ा प्रतिशत भी हमारे राज्य में भेज दिया जाए तो राज्य समृद्ध हो जाएगा। इससे देश को लाभ होगा। अधिक जल उपलब्धता के कारण बेहतर अर्थव्यवस्था होगी और स्वास्थ्य इत्यादि भी बेहतर होगा।

महोदय, मैं आपको ऐसे उदाहरण दे सकता हूं जहां ऐसे प्रस्ताव हैं कि विभिन्न देशों के बीच लम्बी दूरी के लिए समुद्र के अन्दर से जल ले जाने की व्यवस्था है। लेकिन यह समझना कठिन है कि सराकर ये सुविधाएं तमिलनाडु को प्रदान करने में तत्पर क्यों नहीं है। सभवतः तमिलनाडु भारत में उन थोड़े से राज्यों में से एक है जहां पर पीने के पानी की भी निरन्तर कमी रहती है। अगली योजना अवधि में जल संसाधन मंत्रालय को जल की कमी के क्षेत्रीय समाधान पीने के प्रयास करने चाहिए। तमिलनाडु, ऐसा राज्य हो सकता है जो ऐसे प्रयास का लाभ उठा सके। थोड़ा प्रयास और थोड़ा कार्यान्वयन भी महत्वपूर्ण परिणाम होगा। हम ऐसे कार्यक्रमों पर बड़ी धनराशि व्यय कर रहे हैं जिससे कोई परिणाम प्राप्त नहीं हो रहा। हम सभी गांवों में टेलीफोन और टेलीविजन उपलब्ध करा रहे हैं। मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। लेकिन ऐसे भी गांव हैं जहां पीने के लिए भी पानी नहीं हैं जो कि बुनियादी जरूरत है। और सर्वप्रथम गांवों को जल उपलब्ध कराने पर जोर दूंगा। हमें गांवों में टेलीफोन, टेलीविजन इत्यादि अन्य सुविधाओं के साथ-साथ जल भी उपलब्ध कराना चाहिए।

मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के गांवों का दौरा कर रहा हूं। मैं देखता हूं कि वहां पर पानी बिल्कुल भी नहीं है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर कई वर्षों से बिल्कुल भी वर्षा नहीं हुई है। जल संसाधन परियोजना कार्यान्वित करने से रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे और उद्योग तथा कृषि को बढ़ावा मिलेगा। वास्तव में अध्ययनों से पता चलता है कि जल संसाधन परियोजनाओं में सर्वाधिक राशि-उपयोग होता है। इसलिए सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए कि क्या दस वर्षों तक जल संसाधन उपयोग परियोजनाओं पर अन्य विभागीय कार्यों की अपेक्षा अधिक जोर दिया जा सकता है। ऐसा करके हम गंगा-कावेरी नदियों को जोड़ सकते हैं। पानी की समस्या बहुत अधिक है। इसलिए डा. के.एल.राव की योजना के विकल्प के रूप में राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी ने देश में फालतू जल वाले बेसिन से कम जल वाले बेसिन में जल भेजकर अधिकतम उपयोग हेतु एक राष्ट्रीय संदर्शी योजना तैयार की। यह अनुमान है कि भूतल के जल संसाधनों के अंतरण से 30 मिलियन हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी और 40 मिलियन किलोवाट बिजली का अतिरिक्त उत्पादन हो सकेगा। मैं समझता हूं कि प्रायद्वीपीय संदर्शी योजना को जोड़ने का कार्य अभी भी विचाराधीन है और व्यवहार्य रिपोर्ट को पूरा किया जाएगा।

अब मैं सुझाव देता हूं कि दक्षिण में प्रायद्वीपीय नदियों जैसे कृष्णा, गोदावरी कावेरी, पेन्नार, वैघाई, महानदी को परस्पर जोड़ दिया जाए ताकि अन्तर्देशीय जल परिवहन और सिंचाई के लिए जलमार्ग तैयार किया जा सके। तमिलनाडु में किसान सिंचाई के लिए मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर रहते हैं। जल राष्ट्रीय संसाधन हैं इसलिए इन नदियों को परस्पर जोड़ा जाना चाहिए। अगर नदियों का नेटवर्क होगा तो पावर ग्रिड की तरह जल ग्रिड स्थापित करके जल के उपयोग को विनियमित किया जा सकता है और यह ग्रिड वितरण हेतु जल की मात्रा तय करे। हालांकि प्रारम्भ सरकार को अधिक निवेश करना पड़ेगा लेकिन इसका दीर्घ-कालिक लाभ होगा और जलमार्गों में पानी का बहाव निरन्तर रहेगा। सरकार अन्य विकास परियोजनाओं को 3-4 वर्षों तक रोककर इसे प्राथमिकता दे सकती है ताकि इस योजना के लिए और अधिक राशि आवंटित किए जा सकें।

हम जानते हैं कि अनेक योजनाएं तैयार करके कार्यान्वित की जा रही हैं। लेकिन इस प्रकार हम अपने धनकोष का अपव्यय कर रहे हैं। हम इस अपव्यय को रोककर इन परियोजनाओं में इस कोष को व्यय कर सकते हैं।

एक बार इन नदियों को जोड़कर अवरोध-मुक्त जलमार्ग तैयार कर लिए जाते हैं इससे अन्तर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा और कम दूरी के अनेक स्थानों को जोड़ा जा सकेगा और हमारे विदेशी मुद्रा के स्रोत में बचत करके काफी पेट्रोल और डीजल की बचत हो सकेगी। यह बहुत ही व्यवहार्य और कम लागत की योजना है और मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस योजना को तुरन्त कार्यान्वित करे।

महोदय, कावेरी अब एक महत्वपर्ण मुद्दा है। विशेषकर तमिलनाडु में हम जल के बगैर बहुत प्रभावित हैं। आप जानते हैं कि जल प्राप्त करने में कुछ कठिनाइयां हैं। जब तक ये बाधाएं दूर नहीं होती, किसान प्रभावित रहेंगे। मैं माननीय मंत्री से आग्रह करता हूं कि इन बाधाओं

[श्री एम. कृष्णस्वामी]

को दूर करें ताकि कुछ राहत प्रदान की जा सके। यह विवाद काफी लम्बे समय से लम्बित पड़ा है। **(व्यवधान)**

अगर प्रायद्वीपीय नदियों को जोड़ दिया जाए तो कावेरी का उलझा हुआ विवाद भी समाप्त हो जाएगा क्योंकि तब सभी दक्षिणी राज्यों में जल अतिरिक्त हो जाएगा और ऐसा दक्षिण जल ग्रिड के माध्यम से जल का बेहतर प्रबन्धन और विनियमन करने से होगा। इसके अलावा इससे बाढ़ नियन्त्रण, नहर प्रणाली, नौवहन, जल आपूर्ति, मत्स्यन, लवणता नियंत्रण और प्रदूषण नियन्त्रण के अतिरिक्त लाभ मिल सकेंगे।

मेरा सुझाव है कि प्रायद्वीपीय नदियों को जोड़ने के प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी को पर्याप्त धनराशि और शक्तियां प्रदान की जाएं।

मद्रास शहर में लोग पेयजल की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण एक दशक से भी अधिक समय से पीड़ित हैं। सरकार ने काफी विलंब के बाद कृष्णा नदी से नहर के द्वारा जल लाने के लिए तेलुगु गंगा जल परियोजना तैयार की है। मैं मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वह अपने अच्छे प्रभाव का उपयोग करके सुनिश्चित करे कि आन्ध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से यह परियोजना यथा शीघ्र कार्यान्वित हो जाए और मद्रास महानगर को कुछ राहत मिले।

मैं तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्यों में समस्याग्रस्त क्षेत्रों में भूजल स्रोतों के विकास, प्रबन्धन और संरक्षण के लिए लगभग 260 प्रभावित खंडों हेतु मंत्रालय के कार्य योजना प्रस्ताव का स्वागत करता हूं।

महोदय, इस वर्ष योजना और गैर-योजना के तहत 392.85 करोड़ रुपये का प्रावधान है। यह पर्याप्त नहीं है।

मैं विशिष्ट योजनाएं शुरू करने के लिए माननीय जल संसाधन मंत्री श्री विद्याचरण शुक्ल को बधाई देता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करके जल संसाधन मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं।

**श्री एम.आर. कादम्बूर जनार्दनन** (तिरुनेलवेलड़ी) : कावेरी जल विवाद के लिए आप मंत्री महोदय से उत्तर क्यों नहीं मांगते हैं ? समिति का क्या हुआ ? **(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रत्येक वक्ता को बोलने के लिए 8 से 10 मिनट का समय मिलेगा ताकि सभी इस चर्चा में भाग ले सकें मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे समय-सीमा का ध्यान रखें। आप जानते हैं कि कल क्या हुआ था। माननीय सदस्य अलग से अपने नाम दे रहे थे। इसलिए सचेतकों को उन सदस्यों की सूची भेजनी चाहिए जो चर्चा में भाग लेंगे ताकि सभी सदस्यों को बोलने का अवसर मिल सके।

**[हिन्दी]**

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में प्रस्तुत जल संसाधन मंत्रालय की अनुदान मांगों पर बोलते हुए मुझे कहना है कि हमारे जल संसाधन विभाग की नीति

बहुत दोषपूर्ण है जिसके चलते देश में 37 प्रतिशत लोग हर साल बाढ़ से तबाह होते हैं, परेशान होते हैं और 53 प्रतिशत लोग सुखाड़ से पीड़ित होते हैं केवल 10 प्रतिशत लोगों के पीने के पानी की व्यवस्था होती है लेकिन उसमें भी जल-विवाद हो या यमुना जल-विवाद हो, आज स्थिति यह है कि धरती का तीन-चौथाई भाग पानी से भरा होने के बावजूद हमारे देश में जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही है।

मैं कहना चाहता हूं कि विश्व भर में एक-चौथाई भाग स्वच्छ पानी से वंचित रहता है और खासकर अपने देश में स्वच्छ पानी के अभाव के कारण लोगों के स्वास्थ्य और सम्पत्ति पर बुरा असर पड़ रहा है। एक अनुमान के अनुसार लगभग 50 लाख लोग हर साल गंदा पानी पीने से मौत के शिकार हो जाते हैं। गंदे पानी के कारण कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं।

हमारे देश में पानी के सही रूप से उपयोग करने संबंधी जो योजनायें बनी हैं क्योंकि जो देश पानी का सही उपयोग नहीं कर सकता वह देश कभी समृद्ध नहीं हो सकता, उस देश का कभी विकास नहीं हो सकता और विश्व भर में केवल 30 प्रतिशत हाईड्रो बिजली यानी पनबिजली है, मंत्री जी यहां बैठे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में हायड्रो इलैक्ट्रिक पैदा करने के मामले में बहुत उपेक्षा है, पनबिजली पैदा करने पर कोई जोर नहीं दिया जाता। जितनी योजनाएं बन रही हैं या परियोजनाएं बन रही हैं, उनमें ज्यादा से ज्यादा हायड्रो इलैक्ट्रिक पैदा होनी चाहिये लेकिन उस दिशा में सरकार उतनी सजग नहीं है, जितना उसे होना चाहिये। इस काम को उचित प्रियौरिटी नहीं मिलती। प्राथमिकता के अभाव में, दोषपूर्ण नीति के चलते, आज हमारे देश में कहीं जलसंकट दिखायी देता है, कहीं सुखाड़ की स्थिति दिखायी देती है और कहीं जल-जमाव की समस्या दिखायी देती है जिससे पर्यावरण की समस्या उत्पन्न होती है।

डा. राम मनोहर लोहिया ने आज से 30 साल पहले कहा था कि जब तक गंगा तट की सफाई, जमीन की सफाई अंदर से नहीं होगी तब तक जल-मार्ग परिवहन के मामले में कठिनाई आती रहेगी और इंसान का मन भी साफ नहीं हो सकता क्योंकि इसका पर्यावरण पर बुरा प्रभाव, प्रतिकूल असर पड़ता है। इसलिये गंगा की सफाई बहुत जरूरी है। आज से 30 साल पहले देश के महान चिन्तक, समाजवादी नेता और दार्शनिक डा. राम मनोहर लोहिया ने ऐसे विचार प्रकट किये थे लेकिन खेद है कि हमारी सरकार का ध्यान उस ओर नहीं गया। उस समय भी नहीं गया और आज भी उस आधार पर, प्राथमिकता के आधार पर, योजनायें नहीं बनायी जा रही हैं। जब हमारे देश की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है तो आबादी बढ़ने के साथ-साथ पानी और बिजली की खपत भी बढ़ रही है। यानी देश की आबादी और पानी बिजली की खपत दोनों साथ-साथ बढ़ रही हैं। इसे देखते हुये आज देश के सामने जो सबसे कठिन समस्या है, हम उसे हल नहीं कर सकते जब तक कि हर खेत को पानी और हर इंसान को पीने का पानी उपलब्ध नहीं करा दिया जाता उस समय तक मूल रूप से हिन्दुस्तान समृद्धि के रास्ते पर नहीं बढ़ सकता, विकास के मार्ग पर नहीं चल सकते, उन्नति के रास्ते पर नही पहुंच सकता।

उपाध्यक्ष महोदय, बाढ़ एवं बाढ़ प्रबन्धन, वाटर मैनेजमेंट एवं फ्लड और उत्तर भारत, विशेषकर उत्तरी बिहार की बाढ़ की स्थिति के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि जो नदियां उत्तर भारत और उत्तरी बिहार में बहती हैं वे नेपाल से निकलती हैं। उनमें चाहे पंचेश्वरी हो, करनाली हो, कोसी हो, कमला बालान, बागमती या अदवारा समूह हो, ये सब नेपाल से निकल कर वहां से पानी, मिट्टी और तूफान ला कर हिन्दुस्तान में सिल्टेशन का काम, जल-जमाव का काम, पानी

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

से फसल को बर्बाद करने का काम और उत्तरी बिहार में साढ़े तीन करोड़ लोगों को बाढ़ से प्रभावित करने का काम करती हैं जिससे वहां का विकास, यातायात के साधन, स्कूल, मदर्से, सड़कें, भवन और फसलें सब चौपट हो जाते हैं। हर साल यह तबाही मची रहती है और 6 महीने बाढ़ और 6 महीने सुखाड़ की यही स्थिति पैदा होती है। इसलिए इस समस्या का स्थाई हल निकालने की दिशा में कोई पहल होना चाहिए, लेकिन इसका स्थाई हल निकालने की दिशा में कोई सकारात्मक पहल नहीं हो रही है। बहुत मन्द गति से सरकार चल रही है। उससे काम चलने वाला नहीं है क्योंकि जब तक पानी की समुचित व्यवस्था नहीं होगी, तब तक यह देश उन्नत नहीं होगा, समुन्नत नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, काफी समय पहले से इन नदियों पर मल्टी पर्पज हाई लेवल डैम बनाने का प्रस्ताव चला आ रहा है इन नदियों के उद्गम स्थानों पर ही इस प्रकार का डैम बनाया जाए जिससे जितना पानी जरूरत हो उतना ले लें और सिल्ट तथा अन्य समस्याएं हमारे लिए पैदा न हों तथा इन डैमों को बनाकर इनसे जल विद्युत तैयार की जाए। नेपाल के पाना से विशेषज्ञों के अनुसार 20 हजार मैगवाट बिजली पैदा करने की क्षमता है और इन डैमों और विद्युत के बारे में नेपाल सरकार से समझौता भी हुआ था, लेकिन इसके बावजूद अभी तक कोई ठोस परिणाम नहीं आ रहे हैं। अभी कुछ कदम-ताल शुरू हुई है, लेकिन बहुत मद गति से काम चल रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, कमला, बागमती, कोसी आदि नदियों में जहां से उद्गम होता है, जहां से इनका स्रोत है वहीं पर बराह, सीसा पानी और नुंथर में ये मल्टी परपज हाई लैवल डैम बनाए जाएं जिससे बिजली पैदा हो और जितना पानी जरूरी हो उतना लिया जा सके और मशीन लगाकर बालू को वहीं रोका जा सके जिससे सिल्ट की समस्या भी उत्पन्न न हो। यदि इन बांधों को बनाकर इनसे बिजली पैदा की जाए, तो इनसे 30 हजार मैगवाट बिजली पैदा की जा सकती है, जो किसानों को सस्ती दर पर मिल सकती है जिससे छोटे-छोटे रोजगार उत्तर भारत और बिहार में आरंभ किए जा सकते हैं। इस कार्य को प्राथमिकता से लिया जाना चाहिए और युद्ध स्तर पर पूरा किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, खासकर पूर्वांचल और उत्तर इलाके में प. बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे बिहार हो और चाहे उत्तर प्रदेश हो, असम हो, इन सभी इलाकों में भरपूर बिजली की आपूर्ति सस्ती दर पर की जा सकती है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि वह मल्टी परपज हाई लैवल के डैम बनाने के कार्य को प्राथमिकता के आधार पर लें। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सिर्फ बिहार में 3.5 करोड़ लोग हर साल बाढ़ से प्रभावित होते हैं। मैंने अभी शुरू में ही कहा है कि बिहार में 17 जिले, सहररग, मधुबनी, दरभंगा, सुगौल, सीतामढ़ी, मधेपुरा, कटिहार, खगरिया, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, मोतीहारी और बेतिया हैं, यह जिले पूरी तरह से हर साल प्रभावित होते हैं। कुछ जिले ऐसे हैं जो आंशिक रूप से बाढ़ से प्रभावित होते हैं, जैसे पटना जिले का पुनपुन हिस्सा और रोहताश का कुछ इलाका, भागलपुर, संथाल परगना, जो गंगा के किनारे बसा हुआ है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहता हूं कि सरकार जब तक अपनी दो नदियों का प्रायरटी निर्धारण नहीं करेगी, तब तक यह समस्या बनी रहेगी अभी बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क पर सरकार खर्च नहीं करती है। 1991 में भारत सरकार और नेपाल सरकार के विदेश मंत्रियों

की वार्ता हुई थी और यह सहमति हो गई थी कि बाढ़ पूर्वानुमान का नेटवर्क स्थापित किया जाय। बाढ़ अपने से पहले जनता को सचेत करने के लिए बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क स्थापित होने से बाढ़ का जो खतरा है, अचानक जो बाढ़ आती है और गांवों में अचानक पानी प्रवेश करके वहां की फसल को तहस-नहस कर देता है, घरों को बहाकर ले जाता है और लोगों की करोड़ों रुपये की सम्पत्ति और जान-माल खतरे में पड़ जाते हैं, उससे बचाव के लिए, सचेत करने के लिए पहली बार बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क स्थापित करने के लिए 46 जगह तय थीं। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि 46 जगहों में से केवल 16 जगहों पर स्थापित हुआ है तो बाकी जगह आप क्यों नहीं करते हैं। उत्तर भारत में हर साल लोगों की जान-माल बाढ़ के कारण खतरे में पड़ती है तो इसको प्रायरटी क्यों नहीं दी जाती।

मैं जो सस्ती दर पर पनबिजली की बात कह रहा था, उसमें मैं कहना चाहता हूं कि यह बिजली प्रदूषणमुक्त भी होगी। नेपाल में इसका इकोनोमिक सर्वे करने के लिए यहां से टीम गई थी, उंसने यह सर्वे किया है। अभी सरकार ने राष्ट्रीय जल नीति बनाने की बात की है। राष्ट्रीय जल नीति के विषय में मैं कहना चाहता हूं कि रीवर बेसिन को यूनिट मानकर नीति तैयार करने की बात होनी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आज जो रीवर बेसिन प्लानिंग हुई, उसमें एक आयोग बना। वह आयोग सोन नदी पर बना परन्तु उस आयोग को अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही समाप्त कर दिया गया।

मैं अभी एक रिपोर्ट का जिक्र करना चाहता हूं। यह रिपोर्ट केन्द्रीय भूजल बोर्ड, जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 1993-94 के लिए तैयार की गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि "वर्ष 1993-94 के दौरान केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने स्वतः प्रवाही क्षेत्रों को रेखांकित करने के लिए बिहार, असम, नागालैण्ड, त्रिपुरा और मध्य प्रदेश में पुनर्मूल्यांकन जल भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों के अन्तर्गत 43,960 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र समाविष्ट किया है। स्वतः प्रवाही जलभूतों की विकास क्षमता का पता लगाने के लिए उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम और मध्य प्रदेश में 9 अन्वेषणात्मक और 2 प्रेषण, एक स्लिम होल और दो पीजियोमीटरों की ड्रीलिंग की गई। इन परियोजनाओं से सम्बन्धित अध्ययनों पर कार्यवाही की जा रही है।"

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जून, 1993 में यह रिपोर्ट आई है। मैं इसके लिए विभाग को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने काफी मुस्तैदी से काम किया है। उस समय मंत्री जी ने भी इसमें काफी इण्टरैस्ट लिया था लेकिन जून, 1993 में यह रिपोर्ट आने के बाद अब अप्रैल, 1994 चल रहा है। मैं समझता हूं कि इसमें भी बल्कि ढिलाई बरती जा रही है। यह बहुत अच्छी परियोजना है, क्योंकि इसमें जल स्वतः धरती से निकलता है। नेपाल की सीमा में और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इसका जिक्र है। यह वैज्ञानिक तरीके से, तकनीकी दृष्टि से बहुत अच्छी रिपोर्ट तैयार की गई है लेकिन इस प्रोजैक्ट को क्रियान्वित करने की दिशा में सरकार कोई सकारात्मक पहल नहीं कर रही है।

**3.00 म.प.**

उत्तर प्रदेश में प्रभावी तराई क्षेत्र सहारनपुर, महाराजगंज, नैनीताल, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बहराइच गौंडा बस्ती, इन जगहों पर सम्भावनायें हैं कि पानी स्वतः ही निकल रहा है।

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

यहां कोई बिजली की मोटर की जरूरत नहीं है, कोई पावर की जरुरत नहीं है, लेकिन ड्रीलिंग करके सिंचाई के लायक और पीने के पानी के लायक बनाने की बात है। इस योजना के बारे में उत्तर प्रदेश और बिहार में सर्वे हो चुका है। मधुबनी जिले में लदनियां-कमलाबाड़ी नदी के पूर्वांचल में करीब 50 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र उपस्थित है और इसी प्रकार सीतामढ़ी जिले में उमगांव, पपरौन एवं सूरसंड ग्रामों का आच्छादित करना करीब 80 किलोमीटर का क्षेत्र उपस्थित है। इस प्रकार जल अपने आप धरती के नीचे से निकल रहा है। इसमें कोई बिजली की मोटर लगाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से पंजाब में, राजस्थान में, काश्मीर में और मैं अपने प्रदेश का भी जिक्र कर देना चाहता हूं, पानी के संकट का जहां तक मामला है, पीने के पानी का जहां तक अभाव है, उनको हल किया जा सकता है, इस योजना को मजबूती से और प्राथमिकता के आधार पर टेक-अप करने से समस्या को हल किया जा सकता है। इस रिपोर्ट में अनुशंसायें जल संसाधन मंत्रालय की है। जब इतनी मेहनत से आपके प्रयत्न से रिपोर्ट तैयार हुई है, तो उसको आप प्राथमिकता के आधार पर लागू करें।

अब मैं भारत और नेपाल की वार्ता के बारे में कहना चाहता हूं। पिछले दिनों भारत और नेपाल परियोजनाओं के बारे में वार्ता हुई है। भारत के प्रधान मंत्री महोदय के अक्टूबर, 1992 में नेपाल के दौरे के दौरान एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाने पर सहमति हुई। जिसमें ये शामिल है, करनाली, पंचेश्वर, सप्तकोसी, बूढ़ी गंडक, कमला और बागमती परियोजनाओं की परियोजना रिपोर्ट की जांच करना और तैयार करना, बाढ़ पूर्वानुमान एवं चेतावनी प्रणाली की स्थापना, बाढ़ सुरक्षा तटबन्धों का निर्माण तथा विद्युत का आदान-प्रदान। इस कार्य को शुरू करने के लिए वार्ता हुई थी, लेकिन आज उस वार्ता में किए गए निर्णय पर भी ढिलाई बरती जा रही है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस वार्ता में ढिलाई क्यों नहीं बरती जानी चाहिए, क्योंकि यह राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय हित का भी मामला है। नेपाल से निकलने वाली जो भी नदिया हैं और जिस नदी से बाढ़ निकलकर हिन्दुस्तान में तबाही मचाती है, उस नदी के ऊपर हाई लेवल डैम बनाने की बात है। कोसी में कैचमेट एरिया में बराह क्षेत्र में और कमला और बागमती नेपाल क्षेत्र में डैम बनाने के लिए भारत सरकार को नेपाल से पहल करके, समझौता करके तुरन्त आगे कार्यवाही करना चाहिए। अभी कोसी पर प्रस्तावित हाई लेवल डैम है, उसमें 1200 करोड़ रुपए की प्राक्कलित लागत का अनुमान लगाया गया है। 1200 करोड़ रुपया बाढ़ के स्थायी हल के लिए खर्च होगा और जबकि हम हर साल एक हजार करोड़ रुपया बाढ़ से तबाही की सुरक्षा के नाम पर, फल्ड-फाइटिंग के नाम पर, तटबन्धों की सुरक्षा के नाम पर खर्च कर देते हैं। यह 1200 करोड़ रुपए खर्च कर दिए जायें तो हम स्थायी रूप से बाढ़ का मुकाबला कर सकते हैं। इसलिए तुरन्त हाई लेवल डैम का निर्माण होना चाहिए। दूसरी बात, नदियों में जो सभी तरह के जल हैं, चाहे ऊपर का जल हो, वर्षा का जल हो, चाहे सतही जल हो या भूगर्भ का जल हो, उसको एक इकाई मान कर परियोजना बनानी चाहिए, तभी जाकर गरीब लोगों को लाभ मिलेगा।

तीसरी बात, जो मैं कहना चाहता हूं, नदियों के लिए एक मॉडल तैयार होना चाहिए और उसके आधार पर राज्यों को निर्देश जाना चाहिए। जो केन्द्रीय सरकार परियोजना तैयार करेगी, राज्य को उसके अनुसार डायरैक्टिव जाना चाहिए। इससे एक समन्वित रूप से कार्यवाही करने में सुविधा होगी।

कोआर्डीनेशन बना रहेगा, समन्वय स्थापित रहेगा। इससे हम ज्यादा तेजी से बाढ़ की तबाही पर काबू कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल इन तीनों को मिलाकर एक उच्चाधिकार प्राप्त जल आयोग बनना चाहिये क्योंकि इस आयोग में जो वार्ता होती है उसमें तकनीकी रूप से विदेश मंत्रालय को भी सहमति लेनी पड़ती है। मैं समझता हूं कि भारत सरकार और नेपाल सरकार इस पर सहमत हो जाए। इस पर वार्ता करके, समझौता करके एक ऐसा उच्चाधिकार प्राप्त वाटर कमीशन बने जिसको पूरे अधिकार हों। फिर वे जो भी तय करेंगे उसका अनुपालन हो। अगर ऐसा हो तो एक ठोस काम हो सकता है। उत्तर-बिहार को बाढ़ से बचाया जा सकता है इसके लिए एक मास्टर प्लान तैयार होना चाहिये। जहां-जहां बाढ़ का प्रकोप है उसके लिए एक मास्टन प्लान तैयार होना चाहिये।

महोदय, आर्थिक विकास के लिए औद्योगिकीकरण पर प्राथमिकता दी जाती है और उसके साथ-साथ बाढ़ नियंत्रण और जल आयोग की प्राथमिकता की उपेक्षा की गई है मैं चाहूंगा कि जो 70 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं और जो कृषि करते हैं इसलिए ज्यादा प्राथमिकता बाढ़ नियंत्रण और जल योजना पर देनी चाहिये। क्योंकि जो अभी तक उपेक्षा हुई है उसके कारण जल की समुचित व्यवस्था न होने के कारण देश समृद्ध नहीं हो पाया है। हमारा देश विकसित नहीं हो सका है, हम उन्नति नहीं कर पाए हैं।

महोदय, फरक्का बांध के बारे में मैं कहना चाहता हूं इससे कई नुकसान हैं। देश के दो प्रहरी हैं "सागर और हिमालय", और इसके प्रहरी मछवारे और कमजोर वर्ग के लोग हैं। देश की सभी नदियां सागर में मिलती हैं। मछलियां नदियों में नीचे से ऊपर की ओर आती हैं, जब से फरक्का बांध बना है तब से देश की आधी मछलियां नदियों में आनी बंद हो गयीं। ह्वेल मछली का उत्पादन भी ठप हो गया। देश के 25 प्रतिशत जो मछवारे हैं उनके खाने और उत्पादन करने का यही एक मात्र रोजगार था। इसलिये फरक्का बांध से देश के अरबों रुपए की आर्थिक आय कम हो गई है, देश के लाखों मछवारे बेरोजगार हो गये हैं। इसलिये बढ़ती हुई आबादी को शुद्ध भोजन हेतु मछली ही एक मात्र साधन है। मछली से आटा तैयार कर देश को मजबूत कर सकते है इसलिये मेरा कहना यह है कि इस पर आप पुनर्विचार करें।

महोदय, सरकार ऐसी व्यवस्था करे जिससे फरक्का से मछलियों का नदियों में आना-जाना जारी रहे इससे देश मजबूत होगा, इस दिशा में कोई प्रयास करना चाहिये कि किस तरह से मछलियों का आना-जाना होगा। इसका एक सर्वे करा लें ताकि मछवारे जो बेरोजगार हो गए हैं उनके लिए भुखमरी की जो समस्या उत्पन्न हो गई है और सबसे कठिन परिश्रम करने वाला जो यह वर्ग है उनको भी रोजगार उपलब्ध हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

**[अनुवाद]**

**श्री अनिल बसु** (आरामबाग) : महोदय, विकास, प्रबंधन और जल संसाधनों का विनियमन हमारे आर्थिक विकास और देश की समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण कारक हैं। न केवल कृषि क्षेत्र का विकास बल्कि औद्योगिक क्षेत्र का विकास भी जल संसाधनों पर निर्भर करता है। हमारे पास विशाल प्राकृतिक भंडार हैं। हमारे पास बड़ी-बड़ी नदियां हैं जो बर्फीले पहाड़ों से भी निकलती हैं और वर्षा के पानी से भी बनती हैं। हमारे भूमिगत जल संसाधन प्रचुर मात्रा में हैं। यदि हम इन सभी

[श्री अनिल बसु]

क्षमताओं का योजनाबद्ध तरीके से उपयोग करते हैं तो इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था समृद्ध हो सकती है। अब हम अर्थव्यवस्था के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में मंत्रालय की भूमिका को देखें।

**3.10 म.प.**

**[श्रीमती संतोष चौधरी पीठासीन हुई]**

इसके बारे में केवल यही कहा जा सकता है कि यह बिल्कुल अस्त-व्यस्त है। सिंचाई क्षेत्र के लिए योजना आबंटन पहली योजना के कुल आबंटन का 18.7 प्रतिशत था। इसे कम करके सातवीं योजना में 8.7 प्रतिशत कर दिया गया। आठवीं योजना में कुल आवंटन 4,34,000 करोड़ रुपये का है। इसमें से सिंचाई, सामुदायिक क्षेत्र विकास और बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र के लिए 32525 करोड़ रुपये दिए गए हैं। यह कुल आबंटन का केवल 7.5 प्रतिशत है जो जब से योजनाएं प्रारंभ हुई हैं तब से सबसे कम आबंटन है। आठवीं योजना के दस्तावेज में योजना आयोग ने स्वयं ही कहा था कि सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण एक प्राथमिक क्षेत्र हैं लेकिन दुर्भाग्यवश आबंटन देने के समय इसे इस बार स्वतंत्रता पश्चात् की अवधि में सबसे कम आबंटन दिया गया है इसलिए जब हम इस मंत्रालय की अनुदानों पर चर्चा कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि आठवीं योजनावधि और इस वर्ष के दौरान इस मंत्रालय को जो भी धन दिया गया है उसका अधिकांश भाग इसके कर्मचारियों तथा अधिकारियों को वेतन और भत्ते देने में ही व्यय हो जाएगा तथा बहुत ही कम राशि जल संसाधनों के विकास के लिए रह जाएगी चाहे यह बड़ा, मध्यम या छोटा सिंचाई क्षेत्र हो या बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र, इनके लिए कम राशि रह जाएगी। केन्द्रीय क्षेत्र आबंटन में सिंचाई और सामुदायिक क्षेत्र विकास के लिए आठवीं योजना के दौरान केवल 1500 करोड़ रुपया दिया गया है जो कुल केन्द्र योजना आबंटन का 0.6 प्रतिशत है। यदि आप जल संसाधन क्षेत्र में राज्यों के आबंटन और केन्द्र के आबंटन की तुलना करें तो आप पाएंगे कि इसका अनुपात 45 : 5 है अर्थात् राज्य का आबंटन 95 प्रतिशत है और केन्द्र का अंश केवल 5 प्रतिशत है। इस प्रकार जबकि हम इस ओर ध्यान दे रहे हैं इस मंत्रालय को इतना महत्व दे रहे हैं और योजना आयोग ने अपने योजना दस्तावेज में इस क्षेत्र को प्राथमिकता दी है लेकिन फिर भी आबंटित राशि इतनी अपर्याप्त है कि यह मंत्रालय की महत्वपूर्ण और तात्कालिक मांगों को भी पूरा नहीं कर सकती है। मंत्रालय का बजट केवल कार्मिकों के वेतन इत्यादि के लिए पर्याप्त है और इसीलिए हम देख रहे हैं कि इस वर्ष योजना क्षेत्र में बजट प्रक्कलन 261.47 करोड़ रुपये दिए गए हैं जो 1993-94 के संशोधित प्राक्कलनों से बहुत कम हैं जो कि 280.36 करोड़ रुपये थे। हम जानते हैं कि मंत्रालय ने योजना आयोग से संपर्क किया था और इसे 5886 करोड़ रुपये की आवश्यकता थी लेकिन योजना आयोग ने मंत्रालय का प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया तथा आठवीं योजनावधि के दौरान 1500 करोड़ रुपये आबंटित किए। यहां तक कि आगामी तीन वर्षों के दौरान कार्यरत अति महत्वपूर्ण योजनाओं और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के लिए इस मंत्रालय को 1000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। योजना आयोग ने अब तक वह राशि देने का भी आश्वासन नहीं दिया है। इस प्रकार योजना आयोग ने अर्थव्यवस्था के इस अति महत्वपूर्ण क्षेत्र की अपेक्षा की है। योजना आयोग और केन्द्र सरकार इस अति महत्वपूर्ण क्षेत्र को नाम-मात्र की सेवा प्रदान कर रहा है। सरकार के विरुद्ध मेरा यह आरोप है।

स्वतंत्रता के बाद से जल संसाधन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत अनेक

महत्वपूर्ण संगठन गठित किए गए हैं। गठित संगठनों, संस्थानों और विशेषज्ञ निकायों की कोई कमी नहीं है। वे राष्ट्र के धन संसाधनों की ओर ध्यान देते हैं लेकिन दुर्भाग्यवश अपेक्षित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कोई योजित प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। इस सरकार के साथ यही समस्या है। बड़ी-बड़ी बातें की जाती हैं, विचार रखे जाते हैं, अच्छी बातें लिखी जाती हैं, उद्घोषणाएं की जाती हैं लेकिन जब आबंटन का प्रश्न आता है तो अर्थव्यवस्था के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को अपेक्षित आबंटन नहीं दिया जाता है। इसके परिणामस्वरूप पूरे देश को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस सरकार के साथ यही मुख्य समस्या है। राष्ट्रीय जल नीति सितम्बर, 1987 में बनाई गई थी और उसके पहले प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जल आयोग गठित किया गया था। मुख्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री इसके सदस्य हैं। सितम्बर, 1987 में राष्ट्रीय जल नीति बनाने के बाद 5-6 वर्षों तक कोई बैठक नहीं हुई थी। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद जो राष्ट्रीय जल नीति के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने का शीर्ष निकाय है ने राष्ट्रीय जल बोर्ड का गठन किया। यह राष्ट्रीय जल बोर्ड राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद को रिपोर्ट देगा और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद पूरी स्थिति की समीक्षा करेगी। 1987 में राष्ट्रीय जल नीति बनाने के बाद कोई बैठक नहीं हुई थी जबकि प्रधान मंत्री इसके अध्यक्ष हैं। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को ऐसा महत्व दिया जाता है। महोदय, अन्य महत्वपूर्ण संगठन भी हैं जैसे राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण जो प्रायद्वीपीय और हिमाचल क्षेत्र में नदी बेसिन की देख-रेख करता है। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के अंतर्गत अनेक संगठन है। एक तकनीकी परामर्शदात्री समिति है, दक्षिणी और उत्तरी भागों में तथा ब्रह्मपुत्र और गंगा को जोड़ने के लिए पूर्वी क्षेत्र में अनेक परियोजनाएं और योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। ऐसी योनजाएं हैं और नई योजनाएं भी बनाई जा रही हैं लेकिन जब इनके क्रियान्वयन की बात आती है तो कहा जाता है कि यह राज्य का विषय है और तकनीकी परामर्श देने तथा नीतियां बनाने के अतिरिक्त केन्द्र सरकार का कोई दायित्व नहीं है तथा इसका क्रियान्वयन राज्यों का दायित्व है। यदि इस प्रकार दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां चलती रहीं तो यह देश के लिए विनाशकारी साबित होंगीं।

हमारे राज्य की कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं के संबंध में मुझे यह कहना है कि टीस्टा बांध परियोजना हमारे देश की अति महत्वपूर्ण परियोजना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 400 करोड़ रुपये से अधिक इस पर व्यय किया है। इसमें केन्द्र सरकार का क्या अंश है ? यह 15 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है और इसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी है। लेकिन जो आबंटन राज्य सरकार को दिया जाना चाहिए था वह नहीं दिया गया है। बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए इस वर्ष जो धन दिया गया है वह इतना कम है कि मंत्रालय राज्य सरकार के किन्हीं योजनाओं के लिए धन नहीं दे पाएगा।

तीस्ता के अतिरिक्त फरक्का बांध भी है।

**सभापति महोदय** : कृपया संक्षेप में बोलिए। आप दस मिनट का समय ले चुके हैं।

**श्री अनिल बसु** : महोदया, मैंने अभी अपनी बात शुरू ही की है ! जब हम जल संसाधनों की बात करते हैं तो दस निमट का समय कुछ भी नहीं है। जब बाढ़ का विषय हो तो आप मुझे संक्षेप में बोलने के लिए कहते हैं।

**सभापति महोदय** : कृपया समय मत बर्बाद कीजिए।

**श्री अनिल बसु** : जल अनेक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। यह सभा में

[श्री अनिल बसु]

गहमा-गहमी के वातावरण को शान्त करने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। यह भीड़ को तितर-बितर करने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है।

**सभापति महोदय :** मैं फिर से कह रही हूं कृपया समय मत बर्बाद कीजिए। मैं आपको और दो मिनट देती हूं। कृपया विषय पर आइए।

**श्री अनिल बसु :** ठीक है महोदया, अन्य महत्वपूर्ण समस्या फरक्का बांध के बारे में है। फरक्का बांध पूर्णतः मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। यह राज्य सरकार के पास नहीं है। मैं यह बताना चाहता हूं कि फरक्का बांध के नीचे मालदा, मुर्शिदाबाद, रघुनाथपुर और अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कटाव हो रहा है। मेरे मित्र जायनल अबेदिन उस क्षेत्र के हैं और आप कृपया उनसे पूछिए कि उनका क्या अनुभव है। उस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कटाव हो रहा है। इस ओर कौन ध्यान देगा ? बजटीय आबंटन कितना किया गया है और आवश्यकता कितने आबंटन की है ? महोदया मैं आपको बताना चाहता हूं कि जल परियोजना सहित कुल 166 करोड़ रुपये की आवश्यकता है और केवल 14 करोड़ रुपये दिए गए हैं, यदि धन नहीं दिया जाएगा तो फरक्का बांध प्राधिकरण कटाव को रोकने का कार्य कैसे करेगा ? भगीरथी के बायें किनारे पर बड़े पैमाने पर कटाव हो रहा है। मेरे जिले हुगली में बालागढ़ में गंगा का कटाव हो रहा है और दो या तीन गांव पहले ही समाप्त हो चुके हैं। इसे तत्काल रोकने का कार्य करना चाहिए। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय पूरी गंभीरता से इस ओर ध्यान देंगे।

अपने क्षेत्र के बारे में मुझे यह कहना है कि यह अत्यंत बाढ़ प्रवण क्षेत्र है। डी.वी.सी. प्रणाली द्वारा कृत्रिम रूप से बाढ़ आती है। जबकि डी.वी.सी. आपके प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं है फिर भी मैं यह मुद्दा उठाना चाहता हूं क्योंकि यह मेरे क्षेत्र का अत्यंत ज्वलंत मुद्दा है। डी.वी.सी. योजना के अनुसार सात बहु-उद्देश्यीय बांध बनाए जाने थे जिनके लिए 4.6 मिलियन एकड़ फुट पानी की आवश्यकता थी लेकिन अभी तक चार बांध ही बनाए गए हैं और उनकी भंडारण क्षमता केवल 2.9 मिलियन एकड़ फुट है। मानसून के दौरान यदि भारी वर्षा होती है तो बांध के जल ग्रहण क्षेत्र में एकत्रित पानी को छोड़ दिया जाता है और इससे बाढ़ आ जाती है विशेष रूप से दामोदर, खनकपुर, आरामबाग और पंसुकरा में बाढ़ आ जाती है। इससे अनेक कठिनाइयां होती हैं।

बाढ़ के अतिरिक्त अन्य अनेक चिंताजनक मुद्दे हैं। खरीफ मौसम के दौरान लोग कोई भी फसल नहीं लगा सकते हैं क्योंकि डी.वी.सी. के कारण बाढ़ आ जाती है। वे केवल दोरों फसल लगा सकते हैं जिसके लिए डी.वी.सी. के माध्यम से सिंचाई का पानी चाहिए होता है। लेकिन डी.वी.सी. से भी पूरा पानी नहीं मिलता है। पानी के बिना वे कैसे रह सकते हैं ? चूंकि यह पूर्णतः कृषि पर निर्भर क्षेत्र है इसलिए लोगों के पास जीविकोपार्जन का अन्य कोई विकल्प नहीं है। यह किसका दायित्व है ? मंत्री महोदय ने एक पत्र लिखा है जिसमें कहा गया है कि यह राज्य सरकार का दायित्व है लेकिन जल संसाधन मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में मैंने भिन्न बात देखी है, मैं उसे उद्धृत करता हूं :

> "घरेलू जल आपूर्ति, खरीफ सिंचाई, जल विद्युत और उद्योग के लिए जल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए तथा मानसून के दौरान अतिरिक्त बाढ़ को रोकने

के लिए दामोदर घाटी निगम के जलाशयों का विनियम" विनियम संहिता के अनुसार किया जाता है जिसे भागीदार राज्य सरकारों ने स्वीकार किया है और उसमें कहा गया है कि यह केन्द्रीय जल आयोग का दायित्व है।"

यह केन्द्रीय जल आयोग की जिम्मेदारी है, जो कि उनके मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। अतः इस मंत्रालय की यह सुनिश्चित करने को कुछ जिम्मेदारियां हैं कि बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आवश्यकतानुसार पानी उपलब्ध करवाया जाए ताकि वे अपना जीवन यापन कर सकें।

दूसरा महत्वपर्ण मुद्दा जो मैं उठाना चाहता हूं वह राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम अर्थात् एन.पी.सी.सी. के बारे में है। यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो अनेक मंत्रालय प्रशासनिक नियंत्रण में है। दुर्भाग्यवश यह संगठन जो कि 1957 में राज्यों और केन्द्र सरकार दोनों की भागीदारी से गठित किया गया था, सरकार की नीति के कारण इसका परिसमापन किया जा रहा है। इस संगठन की जिम्मेदारी भारी निर्माण कार्य करना है। इसने बहुत अच्छा काम किया है और देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित की है। यदि यह संगठन घाटे में चल रहा है तो यह इस संगठन का दोष नहीं है। यह संगठन कार्य कर रहा है लेकिन धनाभाव के कारण इसे बाद में भुगतान नहीं किया जा रहा है और इस बात के लिए इस संगठन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। अतः वित्तीय संकट से परियोजनाओं के लिए ऐसे संगठन का परिसमापन किया जा रहा है जिसमें 4500 कुशल कर्मी हैं। मैं मंत्रालय के निष्पादन बजट से कुछ अंश उद्धृत करना चाहता हूं :

"वित्तीय संकट से पार पाने के लिए एक व्यापक पुनरुद्धार योजना तैयार की गई थी और सितम्बर, 1993 में हुई एक अन्तर–मंत्रालय बैठक में इसे आमतौर पर स्वीकार किया गया था। प्रस्तावों को, अनुमोदन के लिए वित्त मंत्रालय को भेजा गया था। कार्यशील पूंजी की आवश्यकता, उपस्करों के नीवनीकरण और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं के बारे में बजटीय समर्थन के प्रस्तावों को स्वीकार किया गया था, वित्त मंत्रालय पूंजी पुनर्निर्माण और प्रतिकारी सरकारी गारंटी देने वाले प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुआ। कम्पनी को चरणबद्ध ढंग से बंद करने का वित्त मंत्रालय का सुझाव विचाराधीन है।"

**सभापति महोदय** : कृपया अपनी बात समाप्त करने की कोशिश कीजिए। आपके दल को केवल 19 मिनट का समय दिया गया है और आप पहले ही अधिक समय ले चुके हैं।

**श्री अनिल बसु** : महोदया मैं आपकी बात से सहमत हूं लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय के बारे में वाद-विवाद हो रहा है। योजना आयोग ने इस मंत्रालय की उपेक्षा की है और इस पर सभा द्वारा कुछ ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

हमें इसके पुनरुद्धार के लिए किस-किस चीज की आवश्यकता है ? पुनरुद्धार का मतलब है 55 करोड़ रुपए के सरकारी ऋण को इक्विटी में बदलना, उपरोक्त ऋण पर ब्याज माफ करना, 60 करोड़ रुपए के लिए प्रतिकारी सरकारी गारंटी और ऋण के रूप में या कार्यशील पूंजी के लिए 25 करोड़ रुपए की एकबारगी वित्तीय सहायता, महोदया, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि बन्द करने पर पुनरुद्धार से कहीं अधिक लागत आएगी। इसको बंद करने पर लगभग 164 करोड़ रुपए की लागत आएगी और पुनरुद्धार को लागत 102 करोड़ रुपए है। कोई भी यह देख सकता

[श्री अनिल बसु]

है कि कौन सा किफायती है, सार्वजनिक क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण संगठन जिसे 1957 में बनाया गया था, जिसने बहुत अच्छा काम किया है और देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित की है, उसका केवल 102 करोड़ रुपए व्यय करके पुनरुद्धार किया जा सकता है लेकिन उस संगठन को यह राशि भी नहीं दी गई है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए भी मंत्री महोदय, ने जो राशि देने का वायदा किया गया था वह भी नहीं दी गई है।

महोदया, एक पहलू जो कि चिन्ता का विषय है वह है, बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी लगभग 40 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ प्रवण क्षेत्र है। अभी तक 13.8 हेक्टेयर क्षेत्र में बाढ़ सुरक्षा कार्य किया गया है। हर वर्ष 7 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होता है। सम्पत्ति, जानमाल और अवसंरचनात्मक सुविधाओं की हानि होती है। आप बाढ़पीड़ितों को राहत पहुंचाने और उनके पुनर्वास पर करोड़ों रुपए व्यय करते हैं। महोदया, मंत्रालय ने कभी भी कोई विशिष्ट बाढ़ प्रबंधन योजना तैयार नहीं की है। 28-4-1994 अर्थात आज अतारांकित प्रश्न संख्या 474 के उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा है :

> "बाढ़ नियंत्रण योजनाओं की जांच, करना, योजनाएं बनाना और उनका निष्पादन करना प्रथमतः राज्य सरकारों की जिम्मेदारियां हैं। केन्द्र तकनीकी, उत्प्रेरक और प्रमोशनल प्रकृति के कार्यों में सहायता देता है। बाढ़ों को रोकने और उनके बेहतर प्रबंध के उपायों का पता लगाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने 207 सिफारिशें दी हैं। गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड जिसका सचिवालय गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के साथ था, उसकी स्थापना 1972 में की गई थी, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग ने गंगा की सभी 23 नदी प्रणालियों के बाढ़ प्रबंधन के लिए व्यापक मास्टर प्लान्स तैयार किए हैं। इसी तरह से 1981 में स्थापित ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने ब्रह्मपुत्र और बराक बेसिनों में बाढ़ प्रबंधन के लिए व्यापक मास्टर प्लान तैयार किए हैं।"

जब लाखों लोग बाढ़ की समस्या का सामना कर रहे हैं, तब आप इस योजना को कैसे कार्यान्वित करेंगे ? योजना बनाकर आप उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। सरकार का यह दृष्टिकोण है। योजना आयोग का भी यही दृष्टिकोण है। आश्चर्यजनक बात यह है कि मंत्रालय को बहुत थोड़ी-सी राशि आबंटित की गई थी और वह थोड़ी-सी राशि भी खर्च नहीं की गई है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

उत्तर बिहार और गंगा बेसिन के अन्य राज्यों को बाढ़ रहित बनाने के लिए कार्यक्रम का उदाहरण लीजिए। मंत्रालय को उपलब्ध करवाए गये धन का इस्तेमाल न करने का यह एक उदाहरण है। इस वर्ष के बजट में सिंचाई और गंगा बेसिन के राज्यों और गंगा बेसिन के अन्य क्षेत्रों में फ्लड प्रूफिंग योजनाओं के लिए कोई आवंटन नहीं किया गया है। योजना आयोग ने कहा था कि जब तक चल रही योजनाओं को पूरा नहीं किया जाता है तब तक कोई योजनाएं मंजूर नहीं की जाएंगी। योजना आयोग ने इस तरह का दृष्टिकोण क्यों अपनाया है ? यह एक विशाल देश है। हमारे पास सतही जल और भूजल की व्यापक संभावनाएं हैं। दस्तावेजों में कहा गया है कि यह प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। दूसरी ओर आप कह रहे हैं कि आप कोई भी नई योजनाएं मंजूर नहीं करेंगे।

अब मैं कलकत्ता पत्तन के बारे में एक प्रश्न पर आऊंगा। इस पत्तन के बने रहने के लिए गंगा के पानी की जरूरत है। गंगा नदी विभिन्न राज्यों से होकर बहती है। यदि भारतीय राज्यों

और हमारे पड़ौसी देश के साथ गंगा में पानी के बंटवारे के बारे में कोई योजना तैयार नहीं की जाती है। तो यह पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए बर्बादी का कारण होगा। आपको कलकत्ता पत्तन को पानी देने के लिए भी कुछ करना चाहिए।

महोदय, कुछ पानी ऊपरी नदियों में डाला जा रहा है। यदि यह बड़े पैमाने पर होता है तो इससे निचली नदियों में समस्या खड़ी हो जाएगी। अतः गंगा समस्या के बारे में एक व्यापक और योजनाबद्ध दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

अब मैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र पर आऊंगा और वह क्षेत्र है औद्योगिक विकास आने वाले वर्षों में जल की बहुत अधिक कमी होगी। पानी की बचत और पानी का बेहतर उपयोग समय की पुकार है। आवश्यक योजनाएं और कार्यक्रम तैयार किए जाने चाहिए तथा यथा आवश्यक आबंटन किया जाना चाहिए ताकि जल संसाधन मंत्रालय देश की अर्थव्यवस्था के विकास में अपनी भूमिका निभा सके।

**श्री मणिशंकर अय्यर** (मईलादुतुराई) : मैंने कावेरी डेल्टा के प्रतिनिधि के रूप में आज आपसे सभा में बोलने की अनुमति मांगी थी, मेरा पूरा निर्वाचन क्षेत्र कावेरी के डेल्टा में पड़ता है और कावेरी डेल्टा का बहुत थोड़ा-सा भाग मेरे निर्वाचक क्षेत्र में नहीं पड़ता है।

मुझे केवल एक ही उद्देश्य के लिए निर्वाचित किया गया था और वह उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि मेरे क्षेत्र के किसानों के लिए कावेरी में पानी का बहाव निरन्तर बना रहे। मैं इस समस्या के समाधान के बारे में बहुत चिन्तित हूं। हमारे निर्वाचन के एक सप्ताह से भी कम समय में हमें लगा कि वास्तव में इस समस्या का समाधान हो गया है, क्योंकि इस मुद्दे पर विचार करने के लिए 1990 में जिस अधिकरण की स्थापना की गई थी उसने अपना अन्तरिम आदेश दे दिया है जिसे 25 जून, 1991 को सार्वजनिक कर दिया गया था।

हर तमिलभाषी, वास्तव में हर भारतीय जो इस देश में कानून व्यवस्था और संवैधानिक शासन देखना चाहते हैं, को यह उम्मीद थी कि अन्तरिम आदेश को निर्बाध रूप से और अवश्य ही कार्यान्वित किया जाएगा। वास्तव में उस आदेश को राजपत्र में प्रकाशित करने में काफी विलम्ब हुआ। अन्ततः इसे 10 दिसम्बर, 1991 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया और उच्चतम न्यायालय ने इस मुद्दे का 3 अप्रैल, 1992 को अन्तिम रूप से समाधान किया था।

मुझे इस सभा को यह बताने के लिए कि वास्तव में हमारी स्थिति क्या है जल संसाधन मंत्रालय के 1993-94 के प्रतिवेदन से आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। मुझे इसके दो वाक्य से अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन के पृष्ठ 10 पर पैरा 2-6-1-1 है, इसमें कहा गया है :

> "अधिकरण ने 3 अप्रैल ,1992 के अपने आदेश में यह ठहराया है कि उसने अन्तरिम आदेश में इस स्थिति में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उसने स्पष्ट किया है कि इसके बाद यदि परिस्थितियों में कोई बदलाव आता है या किसी वर्ष विशेष में किसी पक्ष के लिए कोई कठिनाई उत्पन्न की जाती है तो वह पक्ष समुचित आदेश के लिए अधिकरण के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत कर सकता है।

इस परिप्रेक्ष्य में कोई भी यह कल्पना कर सकता है कि अन्तरिम अवधि में हम इस आदेश को निर्बाध रूप से यथाशीघ्र कार्यान्वित कर सकते हैं और अधिकरण से अपना अंतिम निर्णय देने

[श्री मणिशंकर अय्यर]

का आग्रह किया जा सकता है, कोई भी तमिलभाषी चाहे किसी भी दल, का हो, चाहे वह ए.आई.ए.डी.एम.के. अथवा डी.एम.के. या कांग्रेस पार्टी का हो इस बात पर सहमत हैं कि चाहे अधिकरण का अंतिम आदेश कुछ भी हो वह बाध्यकारी होगा, उसे स्वीकार किया जाएगा। यह इस उम्मीद में किया गया था, कि शायद इस समस्या का समाधान शीघ्र हो सके, अन्तिरिम आदेश को निर्बाध रूप से कार्यान्वित किया जा सके और अन्तिम आदेश जल्दी आएगा जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा।

13 दिसम्बर, 1991 को जब इस सभा ने कावेरी जल के मुद्दे पर चर्चा की थी उस दौरान श्री एच.डी. देवगौड़ा ने यह निम्नलिखित प्रश्न पूछा था। उन्होंने पूछा था कि क्या अन्तिम आदेश मई, 1992 से पहले दे दिया जाएगा ? मैं दो वर्ष पहले की बात कर रहा हूं। मंत्री महोदय ने कहा था कि वह अधिकरण की ओर से कोई आश्वासन नहीं दे सकते हैं कि वह कितनी जल्दी अन्तिम आदेश देगा, उन्होंने निम्नलिखित विचार व्यक्त किए थे, मैं उनके शब्दों को उद्धृत करना चाहता हूं। मैं लोक सभा की दिनांक 13 दिसम्बर, 1991 की कार्यवाही के कालम 714 से उनका वक्तव्य उद्धृत कर रहा हूं। मंत्री महोदय ने कहा था कि "अन्तरिम आदेश कानूनी तौर पर लागू होगा, लेकिन भगवान की कृपा से यह लागू नहीं हो पाएगा क्योंकि अगले मौसम तक पानी की आपूर्ति की जरूरत नहीं होगी।" दूसरे शब्दों में दिसम्बर, 1991 में जल संसाधन मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया था कि यह समाधान इस तरह से किया जाना चाहिए था कि फसल के मौसम, 1992 के मुख्य कुरूवाई मौसम से देश के सामने कोई वास्तविक समस्या नहीं होगी क्योंकि अंतरिम आदेश लागू किया जा चुका होगा और अंतिम आदेश शीघ्र ही आ जाएगा।

1992 में ईश्वर ने स्वयं हमारी रक्षा की। कर्नाटक जो तमिलनाडु को नहीं देना चाहता था वह ईश्वर ने तमिलनाडु को दे दिया। 1992 में एक तरह से ऐसा लगा कि समस्या का हल हो गया क्योंकि 1992 में किसी राज्य के सामने कोई गंभीर मुद्दा नहीं था। मैं समझता हूं कि इसके परिणामस्वरूप कुछ आत्मसंतोष मिला। मेरी जानकारी के अनुसार जहां तक मैं जानता हूं, इसका परिणाम यह हुआ कि इस मामले में 13 दिसम्बर, 1991 को जब जल संसाधन मंत्री जी अंतिम बार यहां पर बोले थे और वर्ष 1993 के ग्रीष्म ऋतु के बीच सभा को विश्वास में नहीं लिया गया, अंतरिम आदेश की निगरानी या उसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कोई विशेष कदम नहीं उठाए गए थे।

इसका परिणाम यह हुआ, जैसा कि भारत जैसे ऊष्ण कटिबंधीय देश में अवश्यभावी है, जहां एक वर्ष बारिश होती है और इस बात की कोई गारन्टी नहीं है कि उससे अगले वर्ष भी बारिश होगी कि तमिलनाडु विशेष रूप से कावेरी डेल्टा में और विशेष रूप से मेरे निर्वाचन क्षेत्र मईलादुतुराई में जुलाई, 1993 में हमें गंभीर संकट का सामना करना पड़ा। इस देश के किसी संबंधित प्राधिकरण की असफलता के संदर्भ में, उस अन्तरित आदेश के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना, जिसे उच्चतम न्यायालय जैसे प्राधिकरण ने वैध ठहराया है, तब तमिलनाडु की मुख्यमंत्री उस नाटकीय ढंग से जिसका सारे देश को पता है, जिसे कम-से-कम अच्छे परिणाम भी आए, यद्यपि मैं इस नाटकबाजी को पसंद नहीं करता···(**व्यवधान**)

**श्री एम.आर. कादम्बूर जर्नादनन** (तिरूनेलवेली) : कृपया "नाटक" मत कहिए। वह चार

दिन तक भूख हड़ताल पर रही। कम-से-कम आप जैसे व्यक्ति को तो "नाटक" शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।

**श्री मणिशंकर अय्यर** : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मेरी योग्यता का हवाला दिया गया है मैंने जिस शब्द "नाटक" का हवाला दिया गया है। मैंने जिस शब्द "नाटक" का इस्तेमाल किया था मैं उसे पुनः दोहराता हूं। उन्हें यह शब्द इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। वे इसे गांधीवादी सत्याग्रह कह सकते हैं। तथ्य यह है कि इसके परिणामस्वरूप···**(व्यवधान)**····

**श्री एम.आर. कादम्बूर जनार्दनन** : मुझे खेद है कि मैंने "योग्यता" शब्द का इस्तेमाल किया। मेरा आशय था कि आप जैसे सज्जन को इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। वह चार दिन तक भूख हड़ताल पर रहीं।

**श्री मणिशंकर अय्यर** : मुझे भय है कि उनके दल के साथ समझौता करने की मेरी इच्छा का मतलब यह नहीं है कि मैं उनकी पार्टी का सदस्य हूं। मैं अपने शब्द पर जोर देता हूं कि जुलाई, 1993 में मरीना बीच पर एक नाटक किया गया था, जिसका नतीजा यह हुआ था कि हम केन्द्र सरकार से एक औपचारिक वक्तव्य दिलाने में सफल हो गए थे, जिसमें कहा गया था कि हम इन दोनों कमियों और मौजूदा परिस्थितियों का समाधान करेंगे, एक बात यह थी कि एक निगरानी समिति जिसमें संबंधित राज्यों के मुख्य अभियन्ता शामिल हों, के माध्यम से निगरानी की जाएगी और एक कार्यान्वयन समिति बनाई जाए जिसका पहला काम उस समस्या का समाधान करना होगा जो मुख्य अभियन्ता स्तर पर हल न की जा सकती हो, लेकिन जैसे-जैसे हम 1994 के ग्रीष्म काल की तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि एक ऊष्ण कटिबंधीय देश में मानसून पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, ऐसे में हमें अभी भी यह मालूम नहीं है कि क्या निगरानी समिति की कभी बैठक हुई है, और यदि हुई है तो उसने कावेरी बेसिन में अगले कई सप्ताहों तक व्याप्त रहने वाली स्थिति की निगरानी करने के लिए क्या कदम उठाए हैं, यदि वह अपने आप इस समस्या का हल नहीं कर सकते हैं तो वह क्या कदम उठाने जा रही हैं अथवा क्या कार्यान्वयन समिति को उन समस्याओं को हल करना होगा जिनका कि निचले स्तर पर हल नहीं हो पाया है।

महोदया, दूसरे शब्दों में जून, 1991 के अन्तरिम आदेश के बावजूद, इस आदेश को दिसम्बर, 1991 में राजपत्र में प्रकाशित करने के बावजूद, जल संसाधन मंत्री द्वारा 13 दिसम्बर, 1991 को इस सदन में पुनः आश्वस्त करने वाला वक्तव्य देने के बावजूद, उच्चतम न्यायालय द्वारा अप्रैल, 1992 में कावेरी जल विवाद अधिकरण के अन्तरिम आदेश को मान्यता देने के बावजूद, श्री विद्याचरण शुक्ल द्वारा मद्रास में कार्यान्वयन और निगरानी समिति की घोषणा के बावजूद आज जब हम अन्तरिम आदेश दिए जाने के बाद चौथे साल में प्रवेश कर रहे हैं, हमें अभी भी मालूम नहीं है कि क्या तमिलनाडु के किसान कावेरी में 205 टी.एम.सी. पानी की उम्मीद कर सकते हैं, जो कि उसे जून, 1991 में दिए जाने का आश्वासन दिया गया था। हम इन परिस्थितियों में भंजाउर और नगई क्वाद-ए-मिलेश जिलों, जिन्हें दक्षिण भारत में "सबसे अधिक धान-उत्पादन" जिलों के रूप में जाना जाता है उनकी प्रतिष्ठा को बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। हमें कावेरी जल विवाद के बारे में इस दृष्टिकोण से सहायता नहीं मिल रही है, इस दृष्टिकोण में प्रबंधक संकट है इस समस्या का समाधान नहीं।

महोदया, मेरे हिसाब से विशेष रूप से चूंकि केन्द्र में कांग्रेस दल की सरकार है और कर्नाटक में भी उसी दल की सरकार है मुझे कोई कारण दिखाई नहीं दे रहा है इस समय जबकि यह समस्या संवेदनशील नहीं है, तब केन्द्र सरकार और कर्नाटक सरकार की एक बैठक क्यों नहीं

[श्री मणिशंकर अय्यर]

बुलाई जाये है जिसमें यह निर्णय लिया जाए कि अन्तरिम आदेश को किस ढंग से लागू किया जाएगा। जब हम संकट की घड़ी में ही समस्या के समाधान के लिए कदम उठाते हैं तो ऐसे तनाव-पूर्ण वातावरण में निश्चित तौर पर किसी भी पक्ष को व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाने में कठिनाई होती है।

परन्तु अगर हमने इस समस्या का समाधान करने पर उस समय विचार किया होता जब इसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं थी, सितम्बर से मई तक इसमें कोई बाधा नहीं होती, इस समय कर्नाटक को हमारे लिए पानी छोड़ने में कोई कठिनाई नहीं होती है और जितना भी पानी हम तक पहुंचता उससे अपना काम चलाने में हमें कोई कठिनाई नहीं होती। यदि हमें उस समय इस समस्या को हल करना होता तो इसका कोई हल पाया जा सकता था। लेकिन जिस समय निर्णय लेना संभव था उस समय कोई निर्णय नहीं लिया गया है और निर्णय लेने की प्रक्रिया का सहारा केवल उस समय लिया गया जबकि हमारे सामने गम्भीर संकट है फिर हम कभी भी ऐसी स्थिति में कैसे आ सकते हैं जिसमें इस समस्या का हल हो सके। महोदया, मैं जल संसाधन मंत्रालय, राज्य मंत्री के माध्यम से जल संसाधन मंत्री का ध्यान अगस्त, 1991 में उस समय घटित हुई एक छोटी-सी घटना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जब मेरे निर्वाचन क्षेत्र के कुम्बाकोणम कस्बे के छात्रों का एक दल इंडिया गेट पर पहुंचा और कई दिनों तक वहां पर भूख-हड़ताल पर बैठा रहा, उस समय मुझे श्री पी.जी. नारायणन सहित ए.आई.डी.एम.के. के कुछ मित्रों के साथ जल संसाधन मंत्री को उन छात्रों से मिलने के लिए जाने के लिए मनाना पड़ा था उस समय श्री विद्याचरण शुक्ल ने स्वयं यह आश्वासन देते हुए उन छात्रों को जूस के गिलास देकर उनकी भूख हड़ताल समाप्त करवाई थी कि केन्द्र सरकार इस मामले पर अधिकरण से यथाशीघ्र अंतिम आदेश लेने के लिए बचन-बद्ध है ताकि यह प्रश्न कि क्या अन्तरिम आदेश को लागू किया गया या नहीं किया गया, ताकि क्वादे-मिलेथ और थंजाउर जिलों के बीच रोड़ा न बने जो हजार वर्ष पहले से दक्षिण भारत में चावल के प्रमुख उत्पादक जिलों के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। वर्ष 1991, 1992 और 1993 बीत गए हैं, 1994 भी आधा बीत गया है, यदि कोई भी यह पूछता है कि कावेरी जल विवाद अधिकरण का अन्तिम आदेश कब आ रहा है तो इसका एकमात्र उत्तर यह हो सकता है कि भगवान ही जानता है या शायद यह बात भगवान को भी न मालूम हो। महोदया, हम इन परिस्थितियों में काम नहीं कर सकते हैं।

मैं यहां पर एक तमिलभाषी की हैसियत से बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर एक भारतीय की हैसियत से बात कर रहा हूं, पूरा कावेरी बेसिन उत्तेजित है, संदेह की स्थिति में है, बहुत आश्चर्य की स्थिति में है कि इसका भविष्य क्या होगा।

जल संसाधन मंत्री ने 13 दिसम्बर, 1991 को यहां पर घोषणा की थी कि वह आठवीं पंचवर्षीय योजना में कर्नाटक को पहली बार 240 करोड़ रुपए से अधिक आबंटित करने जा रहे हैं ताकि वह कर्नाटक में कावेरी नदी में उपलब्ध जल सम्भावनाओं का कृषि कार्यों के लिए विकसित कर सके। महोदया, मेरी जानकारी के अनुसार इस सभा में किसी भी तमिलभाषी चाहे वह किसी भी दल से सम्बद्ध में क्यों न हो, ने आपत्ति नहीं की। इस आपत्ति करने के बजाय हमने इसका स्वागत किया। मुझे आशा है कि केन्द्रीय सरकार कृषि संभावनाओं के विकास के लिए 240 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। लेकिन यदि हम कावेरी बेसिन को एकीकृत रूप में देखें एक ऐसी नदी

के रूप में नहीं जो दो राज्यों में बंटी है, तो महोदया, मैं समझता हूं कि आप मुझ से सहमत होंगी कि कावेरी डेल्टा में कावेरी द्वारा सिंचित क्षेत्र का रख-रखाव सुनिश्चित करना उतना ही आवश्यक है जितना कि कावेरी के ऊपरी क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधाएं प्रदान करना अभी तक हम तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी जल बंटवारे के बारे में उतने उदासीन हैं जितने कि कावेरी आधुनिकीकरण कार्यक्रम के प्रति। महोदया, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मुझे कुछ मिनट का समय और दिया जाए, मैं अपनी बात जल्दी समाप्त करने की कोशिश करूंगा।

कावेरी आधुनिकीकरण कार्यक्रम 800 करोड़ रुपए की एक परियोजना है, जो पिछले तीस वर्षों से अधर में है और इसे अभी तक विश्व बैंक की जानकारी में भी नहीं लाया गया है क्योंकि हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं और इसी बीच एक हजार वर्ष पुरानी सिंचाई प्रणाली तेजी से जीर्ण-शीर्ण होती जा रही है। इसका कारण यह है कि केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने कमाण्ड ऐरिया डेवलपमेंट स्कीम को कुछ ऐसा मान लिया है जो केवल नई सिंचाई योजनाओं पर लागू होती है पुरानी सिंचाई प्रणाली पर नहीं। केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय को उनकी सहायता और सहयोग से अद्यतन जानकारी देने की कोशिश करने के लिए मैंने उनके एक विशेषज्ञ की सेवाएं हासिल की और हमने अक्तूबर, 1991 में कावेरी डेल्टा का दौरा किया तथा कावेरी डेल्टा में इस संयुक्त दौरे के परिणामस्वरूप मैंने तमिलनाडु के मुख्य मंत्री को कावेरी डेल्टा पुनर्वास प्राधिकरण (सी.ए.डी.आर.ए.) स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तमिलनाडु की मुख्य मंत्री ने इस सुझाव को सिद्धान्त रूप में स्वीकार किया है। इस संबंध में एक तरफ राज्य सरकार और योजना आयोग तथा दूसरी तरफ जल संसाधन मंत्रालय के बीच बातचीत शुरू हुई है। आंशिक रूप से तमिलनाडु सरकार की दृढ़ता की कमी से और आंशिक रूप से योजना आयोग और केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के बीच समन्वय के अभाव में राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के बीच सी.ए.डी.आर.ए. (कावेरी डेल्टा पुनर्वास प्राधिकरण) के मुद्दे पर यह बातचीत पिछले साढ़े तीन वर्ष से सफल नहीं हो पाई है। मैंने श्री थुंगन से उतना ही निवेदन किया जितना कि ए.आई.ए.डी.एम.के. के मेरे मित्रों ने डा. जयललिता से किया कि यह आवश्यक नहीं है कि कावेरी मुद्दे को कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच हल किए जाने वाली एक समस्या के रूप में देखा जाए बल्कि इसे तमिलनाडु और केन्द्र सरकार के बीच हल किए जाने वाले एक मुद्दे के रूप में देखा जाए। यह केवल तभी हो सकता है जब इस कार्य के लिए अपेक्षित दृढ़ निश्चय किया जाए और केवल तभी प्रतिवर्ष 205 टी.एम.सी. जल की सीमित मात्रा कावेरी डेल्टा क्षेत्र की सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त हो सकती है। यदि कावेरी में पर्याप्त जल नहीं छोड़ा जाता है तो कावेरी डेल्टा को भारत के लोगों को उनकी अपेक्षा के अनुरूप खाद्यान्न दे पान्ना संभव नहीं होगा।

महोदया, दो और समस्याएं हैं जिनकी तरफ मैं एक-एक वाक्य में सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि आपने मुझे कहा है कि मैं अपना समय कावेरी मुद्दे पर पहले ही समाप्त कर चुका हूं।

एक समस्या पीने के पानी की है। मैंने देखा है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र, शायद यह बात देश के शेष भागों में भी सम्भव रूप से लागू होती है, वहां पर पीने के पानी के प्रावधान के लिए वास्तविक मूलभूत सुविधाओं की कमी नहीं है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के बहुत बड़े हिस्से में पाइपलाइन का जाल बिछा हुआ है। लगभग हर गांव में पानी की ऊंची-ऊंची टंकिया हैं। वहां पर पीने के पानी की सुविधाओं की कमी नहीं है। लेकिन वहां पीने का पानी नहीं है। मुझे लगता है कि पीने

[श्री मणिशंकर अय्यर]

के पानी की सुविधाएं पीने का पानी क्यों उपलब्ध नहीं करवाती हैं इस का कारण यह है कि वहां पर साधारण-सी प्रबंधन की कमी है, मैं यह बात केवल अपनी जानकारी के आधार पर नहीं कह रहा हूं बल्कि श्री सैम पित्रोदा के साथ निर्वाचन क्षेत्र में घूमते हुए उनसे पूछे गए सवालों के आधार पर कह रहा हूं।

गांव में उस नौजवान को एक रुपया प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाता है जिसका काम ओवरहेड टैंक को भरने वाली मोटर को चलाना और बंद करना है। यह पारिश्रमिक इतना कम है कि वह मोटर को उस समय बंद नहीं करता है जिस समय कि विद्युत बोल्टेज में फ्लैक्चुएशेन होता है। इसका नतीजा यह होता है कि मोटर जल जाती है। वास्तव में तमिलनाडु में तथा देश के किसी भी हिस्से में पंचायती राज के अभाव का मतलब यह है कि ग्राम समुदाय के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से कोई भी जिम्मेदार नहीं है कि जन सेवाओं के लिए करोड़ों रुपए की लागत के वास्तविक संसाधन उपलब्ध करवाए जाते हैं।

**श्री एम.आर. कादम्बूर जर्नादनन** : केवल तमिलनाडु में ही नहीं बल्कि पूरे देश में पंचायती राज नहीं है।

**श्री मणिशंकर अय्यर** : महोदया, मुझे खेद है कि उन्होंने भी ठीक वही बात कही है जो कि मैंने कही थी। मैंने कहा "मेरे राज्य में, जैसा कि मैं देश के अन्य भागों में उम्मीद करता हूं," मैं समझता हूं कि उन्हें इन नाटकबाजियों में पड़ने के बजाय राज्य की और देश की समस्याओं की ओर ध्यान देने के लिए थोड़ा और समय देना चाहिए। पीने के पानी का मुद्दा राष्ट्रीय जल नीति का ही हिस्सा है और मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन का भी हिस्सा है, मैं यह अनुरोध कर रहा था कि केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय को उन क्षेत्रों में भी पीने के पानी की आपूर्ति के प्रबंधन के पहलू पर गौर करना चाहिए जिनमें वास्तविक मूलभूत सुविधाएं विद्यमान हैं। शायद केन्द्र सरकार द्वारा तमिलनाडु सरकार को और संभवतः अन्य राज्य सरकारों को ऐसी प्रबंधन और तकनीकी विशेषज्ञता उपलब्ध किए जाने की आवश्यकता है जिससे वह विद्यमान वास्तविक मूलभूत सुविधाओं का अधिकतम उपयोग कर सकें।

मेरा अंतिम प्रश्न मत्स्य पालन के बारे में है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो स्पष्ट रूप से जल संसाधन मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है बल्कि कृषि मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में आता है, फिर भी मामले का तथ्य यह है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र, भारत के अनेक तटीय राज्यों तथा निश्चित रूप से अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का यह अनुभव रहा है कि यदि हम समुचित क्षेत्र व्यवस्था करके मत्स्य पालन की भूमि को कृषि भूमि से पृथक नहीं करते हैं और इस तरह के तरीके नहीं खोजते हैं जिनसे मत्स्य पालन क्षेत्र से खारे पानी का कृषि क्षेत्र में आना रुक सके तो इससे इस बात का गंभीर खतरा है कि कृषि योग्य क्षेत्रों में कृषि बुरी तरह से प्रभावित होगी। कृषि क्षेत्र और मत्स्य पालन क्षेत्र के बीच नहरें बनाना ऐसी विशेषज्ञता नहीं है जो साधारण तौर से कृषि मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है, मूल रूप से इसमें जल निकासी प्रणाली तैयार करना शामिल है और इस कार्य के लिए जल संसाधन मंत्रालय जिसके पास विशेषज्ञता उपलब्ध है या उसे यह मालूम है कि ऐसी विशेषज्ञता कहां से प्राप्त की जा सकती है।

मैं अन्त में अपने जल संसाधन मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वे केन्द्रीय कृषि मंत्रालय से सम्पर्क बनाने, और उनके माध्यम से राज्य सरकारों से अनुरोध करता हूं कि यह सुनिश्चित

किया जाए कि भारत के सभी तटीय राज्यों में जिसमें मत्स्य पालन का विकास हो रहा है, जल संसाधन मंत्रालय के पास कृषि और मत्स्यपालन दोनों क्षेत्रों को अलग करने के लिए वास्तविक रूप से समुचित योजनाएं होने के कारण कृषि को कोई खतरा नहीं है।

**[हिन्दी]**

**4.00 म.पू.**

**श्री राजवीर सिंह** (आंवला) : सभापति महोदय, जल संसाधन एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है और मुझे बहुत दुख है कि इसका कोई फुल टाईम नहीं है, इसलिए इसकी देखभाल में कुछ कोताही हो रही है।

सभापति महोदय, मैं प्रारंभ में एक बात कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की एक चमरानी बांध योजना बनाई गई थी, आपको आश्चर्य होगा कि यह बांध तो आज तक नहीं बना, लेकिन नहरें बना दी गई हैं, जिनमें आज तक पानी नहीं आया है और सिंचाई नहीं हुई है। शादी हुई नहीं और बच्चे का नामकरण पहले ही कर दिया गया। उन नहरों की ईंट-पत्थर तक समाप्त हो गए है और लाखों-करोड़ों रुपए का सरकारी धन का नुकसान हुआ है। पर्यावरण विभाग ने कोई आपत्ति लगा दी, जिसकी वजह से यह बांध आज तक नहीं बन पाया है, लेकिन सुनने में यह भी आता है कि कांग्रेस के दो बड़े नेताओं के झगड़े की वजह से भी यह बांध नहीं बन पाया। मुख्य मंत्री चाहते थे कि बांध बने और यहां केन्द्र के एक बड़े मंत्री समझते थे कि यदि यह बांध बन गया तो मुख्य मंत्री को श्रेय जाएगा और वर्षों हो गए हैं, यह बांध आज तक नहीं बन पाया है। मेरा कहना है कि इस तरह से आपस की पार्टी बंदी, गुट बंदी या नियोजन न होने के कारण जनता के खून-पसीने की कमाई की इस तरह से बरबादी नहीं होनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस बात का उत्तर दें।

इसी तरह से टिहरी बांध परियोजना है, इसकी बहुत आवश्यकता है। यह मामला बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से निर्णय नहीं लिया गया है। इस बांध के बनने से इसके पानी का सिंचाई में उपयोग होगा और देश को लाभ होगा।

सभापति महोदय, पिछले कई वर्षों से देखने में आ रहा है कि इस तरह के विवाद खड़े कर दिए जाते हैं, जिनका निपटारा नहीं हो पाता और इस बीच में निर्माण की लागत बढ़ जाती है और अन्य दुष्परिणाम सामने आते हैं, विकास में रुकावट आती है, पानी नहीं आता हो, बिजली नहीं आती है। इस बांध से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, सबको लाभ होगा, केवल किसी एक राज्य को लाभ नहीं होगा इसलिए इन मामलों को राष्ट्रीय स्तर पर रख कर विचार करना चाहिए।

**4.02 म.पू.**

**(सभापति महोदय, श्री पी.सी. चाको पीठासीन हुए)**

सभापति महोदय, इसी तरह से नर्मदा परियोजना है। गुजरात वाले कहते हैं कि यह बांध ऊंचा बनना चाहिए, मध्य प्रदेश वाले कहते हैं कि नीचा बनना चाहिए, लेकिन यह कोई गुजरात या मध्य प्रदेश का बांध नहीं है, सारे देश को इससे लाभ होने वाला है और फिर आप केन्द्रीय एजेंसी के रूप में बैठे हैं, आप इन दोनों को बिठा कर इनका समझौता करवाइए। मंत्री जी कहते हैं कि जो पंचायत तय करेगा, वही होगा, लेकिन हो नहीं रहा है, काम शुरू नहीं हो पा रहा है। मेरा अनुरोध है कि मंत्री महोदय इस विषय पर गंभीरता से विचार करें।

[श्री पी.सी. चाक्को]

एक और महत्वपूर्ण समस्या की ओर में मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। आज उत्तर प्रदेश में तथा अन्य प्रदेशों में भू-जल.नीचे जा रहा है। आज भी मेरे पास अखबार की कटिंग है, जिसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में पेयजल का संकट है, पानी के लिए त्राहि-त्राहि मची हुई है। 280 विकास खंडों में भूगर्भीय जल का संकट है और पिछले वर्ष उनको डार्क और ग्रे घोषित किया जा चुका है, जहां पर बोरिंग नहीं की जा सकती। वहां पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है और पीने के पानी का सवाल खड़ा हो गया है। वाटर लेबल दिन-प्रति-दिन नीचे जा रहा है। पहले हमारे यहां उत्तर प्रदेश में भू-जल आसानी से उपलब्ध हो जाता था, लेकिन अब वाटर लेबल के नीचे जाने से यह स्थिति पैदा हो गई है। अनियंत्रित रूप से बोरिंग करने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है, इसके बारे में मैंने पिछली बार भी आपका ध्यान दिलाया था। जिसके मन में जहां आता है वह वहां पर बोरिंग कर लेता है। वर्षा हो नहीं रही है और वाटर लेबल नीचे जा रहा है। स्थिति यहां तक गंभीर है कि पीने के पानी के लिए जो हैंड पंप लगाए गए हैं, उनको भी प्रति वर्ष 4-5 फुट नीचे करना पड़ता है, नहीं तो उनमें पानी आना बंद हो जाता है। उसमें नीचे पाईप जोड़ कर डालना पड़ता है। आपका विभाग इस समस्या को दूर करने के लिए क्या कर रहा है, यह मैं जानना चाहूंगा।

इस समस्या को दूर करने के लिए मैं कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। सुझाव वहीं हैं जो मैंने पिछली बार बताया था और मेरे प्रश्न के उत्तर में राज्य मंत्री जी ने बताया था कि वह योजना ठंडे बस्ते में नहीं डाली गई है। वह सुझाव था डा. के.एल. राव योजना, जिसमें दक्षिण और उत्तर की नदियों को जोड़ कर पानी का इंतजाम करने की बात है।

आप अरबों रुपए की हर वर्ष बाढ़ सहायता देते हैं। उत्तर प्रदेश तथा बिहार प्रदेशों में हर साल बाढ़ आती है और बारिश का पानी सर्वनाश करता हुआ समुद्र में चला जाता है, लेकिन उसको रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है। जिस समय यहां पानी होता है तो उस समय दक्षिण में नहीं होता है और जब वहां पानी होता है तो यहां नहीं होता। यह बात सच है कि यह बड़ी महत्वांकाक्षी और बड़ी मंहगी योजना है। बाढ़ की विनाशलीला में अरबों रुपयों की संपत्ति का विनाश होता है और अरबों रुपए सहायता के रूप में दिए जाते हैं यह पुरानी योजना है इस को लागू किया जाए जो नदी और नहरों का पानी रुक सके यानि जो नीचे लेवल जा रहा है वह रुक जाएगा। इसको कब से प्रारंभ करेंगे तो इसका जवाब दें। नदियां उथली होती जा रही हैं यानि सिल्ट बनता जा रहा है और मामूली पानी आने से वह सीमा तोड़कर बाढ़ के रूप में चला जाता है। नदियों को गहरा करें तो पानी का उपयोग हो सकता है और विनाश से बचा जा सकता है। और लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है। इसी प्रकार नदियों की मिट्टी को निकालकर बांध के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और उस पर गांवों में जाने के लिए पक्की सड़क बनायी जा सकती है। जब आप पत्थर डाल देंगे तो इससे बांध की दीवार मजबूत होगी और पानी का दुरुपयोग नहीं होगा। इसको बार-बार आप स्वीकार करते हैं,और जब आपके मंत्रालय की रिपोर्ट आती है तो कहा जाता है कि यह आवश्यक चीज है। लेकिन इन आवश्यक चीजों को आप कब लागू करेंगे। इन चीजों को आप गंभीरता से लें। मैं यहां पर कोई विवादास्पद बात करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसको गंभीरता से लें। हमारे यहां नरौरा में गंगा के ऊपर बांध है, वहां पर बहुत बड़ा बैराज है और नहरें निकलती हैं। वहां की सब नहरें दायीं ओर जाती हैं लेकिन बाईं

ओर नहीं जाती है। जब गंगा का विनाश होता है तो उसका शराप बदायूं जिले की जनता भोगती है लेकिन उसका आशीर्वाद नहीं मिलता है क्योंकि पानी की एक बूंद नहीं मिलती है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक प्रस्ताव पास करके आपके पास भेजा है कि नरौरा बांध से दातागंज तक नहर बनवाएं जिसके कारण सिंचाई का इंतजाम हो सके। लेकिन यहां पर दाग आने से बोरिंग करना बंद हो गया है और इसमें एक इंच नहर नहीं है। नहर के न होने से बोरिंग नहीं हो सकती है। कृषि की उपज पैदा करने के लिए पानी चाहिए, लेकिन वह आप नहीं दे सकते हैं। आपका जल-संसाधन मंत्रालय है और सारा सिंचाई का काम आपके जिम्मे है। सिंचाई का प्रबंध नहीं है लेकन पानी का दुरुपयोग हो रहा है। आप गंभीरता से इस पर विचार करें। आप वहां पर एक नहर निकाल दें। बदायूं जिले में एंक भी नहर नहीं है उसके बगल से गंगा जाती है। दो गंगा के बीच में बसा हुआ या इलाका है लेकिन एक इंच कैनाल नहीं है। वहां पर इलैक्ट्रीक ट्युबवैल और डीजल पंप सैट्स हैं लेकिन बिजली नहीं मिलती है। अखबारों में घोषणा की जाती है कि 16-18 घंटे बिजली दे रहे हैं परंतु चार घंटे भी बिजली नहीं मिलती है। डीजल का हाल यह है कि हमारे यहां गेहूं की गहाई का सीज़न चल रहा है, लेकिन डीजल पम्पों पर लाइनें लगी हुई हैं और वह नहीं मिल रहा है। ओले पड़ने की सम्भावना है, बादल गरज़ रहे हैं, बिजली मिल नहीं रही है। ऐसी परिस्थितियों में इन क्षेत्रों में बिजली और डीजल से इनको मुक्त करके नहर बना दी जाये तो इससे वहां के लोगों को भी लाभ होगा और आपको भी लाभ होगा। इसके अलावा पानी का जो स्तर नीचे जा रहा है वह भी रुकेगा।

सदन में जल संसाधन मंत्रालय की स्थाई समिति की रिपोर्ट रखी गई है, यह आपके हित में है, इसको आपको पूरी को मानना चाहिए। मैं इस रिपोर्ट के कुछ अंश यहां उद्धृत करना चाहता हूं। हमने सरकार से कहा है कि इसके लिए बजट ज्यादा रखना चाहिए। आप देखें तो पता चलेगा कि जो केन्द्रीय बजट है वह घट रहा है। 1993-94 में 280 करोड़ रुपये योजनागत व्यय था, इस बार 261.47 करोड़ रुपये ही है। जबकि पानी की आवश्यकता को देखते हुए इसमें बढ़ोत्तरी की जानी चाहिए थी और अधिक योजनायें बनानी चाहिए थी। कुल मिलाकर योजना और गैर-योजना में पिछली बार 366.26 करोड़ रुपये थे, जिसको अबकी बार घटाकर 347 करोड़ के करीब कर दिया गया है। मैं आपके माध्यम से रिपोर्ट का एक अंश कोट करना चाहता हूं :

> "समिति इस तथ्य पर भी आश्चर्यचकित है कि उपशीर्ष बी.आई. (8) (2) के अंतर्गत जल संसाधनों के पर्याप्त विकास के लिए दूरस्थ संवेदना हेतु अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग तथा इसे लागू करने के लिए आगामी वर्ष के दौरान कुछ भी राशि प्रदान नहीं की गई। पूर्ववर्ती वर्ष 1993-94 के दौरान इस गतिविधि के लिए एक लाख रुपये आबंटित किये गये थे जिसे बाद में संशोधित करके 10 हजार रुपये कर दिया गया था।"

इतनी बड़ी योजना बनाना और केवल एक लाख रुपये स्वीकृत करना फिर उसमें भी कटौती करके दस हजार रुपये देना, इस तरह से कैसे काम चलेगा। आगे फिर मैं इसमें से पढ़ना चाहता हूं :

> "इस संबंध में समिति का सुझाव है कि जल संसाधनों के सतत् विकास के लिए दूरस्थ संवेदन उपकरण के अधिक लोकप्रिय तथा उपयोग बनाया जाना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए निधियां प्रदान की जानी चाहिएं।"

मैं आपके ही मंत्रालय के विकास के लिए यह बात बता रहा हूं कि ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए। मैं आगे फिर समिति की रिपोर्ट कोट करना चाहता हूं :

[श्री पी.सी. चाक्को]

"समिति मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक सरकारी उपक्रम राष्ट्रीय परियोजना निगम लि. की बिगड़ती वित्तीय स्थिति पर बहुत अधिक चिंतित है। वित्त मंत्रालय ने इस उपक्रम के पूंजी पुनर्गठन के लिए मंत्रालय के अनुरोध को अस्वीकृत कर दिया है तथा यह सुझाव दिया है कि इस उपक्रम को चार-पांच वर्षों की अवधि में चरणबद्ध तरीके से बंद कर दिया जाये। समिति को मंत्रालय द्वारा यह जानकारी दी गई है कि वित्त मंत्रालय का यह प्रस्ताव अभी विचाराधीन है तथा अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इस वर्तमान वर्ष के दौरान इस उपक्रम की स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना को कार्यान्वित करने के लिए इस उपशीर्ष बी.आई. (9) (1) के अंतर्गत कोई अनुदान मंजूर नहीं किया गया है।

समिति का यह विचार है कि राष्ट्रीय परियोजना निगम लिमिटेड का सुधार और नवीकरण किया जाना चाहिए। इसको समाप्त नहीं करना चाहिए।"

मैं एक और अंश आपके ध्यान में लाना चाहता हूं।

2.14 इस उपशीर्ष के अंतर्गत 1.00 करोड़ रुपये (योजना) भूजल के कृत्रिम रिचार्ज के लिए दो प्रत्येक प्रायोगिक और अप्रचालनात्मक परियोजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु प्रदान किये गये हैं। प्रचलनात्मक परियोजनायें चंड़ीगढ़ और दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्रों में आरंभ की जा रही हैं जहां भूजल में निरंतर गिरावट रिकार्ड की गई है। प्रायोगिक परियोजनायें कर्नाटक में कोलरा और गुलबरगा जिलों में महाराष्ट्र में अमरावती तथा वालगांव जिलों में आरंभ की गई हैं। इस योजना की कुल अनुमानित लागत 3.67 करोड़ रुपये है जिसे चार वर्षों में क्रियान्वित किया जायेगा।

"पूर्ववर्ती वर्षों अर्थात् 1993–94 के दौरान 0.03 करोड़ रुपये अलग रखे गये थे किन्तु दुर्भाग्यवश कुछ भी खर्च नहीं किया जा सका है क्योंकि योजना ही प्रारम्भ नहीं की गयी। मंत्रालय द्वारा इस योजना को जिस प्रकार से क्रियान्वित किया गया है, समिति उसे गंभीरता से लेती है तथा यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय द्वारा इस योजना का शीघ्र तथा समय से निष्पादन सुनिश्चित किया जायेगा। भूमिगत तथा भू–जल संसाधनों के पर्याप्त विकास के लिये भूमिगत तथा भू–जल के समन्वित उपयोग के लिए विस्तृत अध्ययन करने हेतु 3 लाख रुपये (योजना) स्वीकृत किये गये हैं। यह योजना प्रारम्भ में तीन बेसिनों अर्थात् सारदा सहायक कमांड क्षेत्र,उत्तर प्रदेश, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, राजस्थान, मही कांडला कैनाल कमांड, गुजरात कमांड, उड़ीसा, तुंगभद्रा कमांड, आन्ध्र प्रदेश तथा घटप्रभा कमांड गुजरात के लिये स्वीकृत की गयी थी।

प्रथम चरण में प्रथम तीन सिंचाई कमांड क्षेत्रों के अध्ययन के किये गये थे जिनके वर्ष 1993-94 के दौरान पूरा होने की संभावना है। शेष कमांडों के अध्ययन 1993-94 के दौरान किये गये हैं।

समिति यह नोट करती है कि 8वीं योजना के दौरान विशेषकर उन सिंचाई कमांड क्षेत्रों में जहां बड़ी मात्रा में पानी का जमाव हो जाता है, भूमिगत तथा भूजल के संयुक्त उपयोग के लिए प्राथमिकता का क्षेत्र होगा। देश में कमान क्षेत्रों में सिंचित कृषि के लिये जल जमाव की समस्या को ध्यान में रखते हुए समिति को यह जानकर निराशा हुई कि

मंत्रालय इस योजना के लिये मामूली राशि अर्थात् 3 लाख रुपये आबंटित करके सतह और भूमिगत जल के संयोजित उपयोग को ही प्रोत्साहन दे रहा है।"

सभापति महोदय, मंत्रालय इसको गंभीरता से नहीं ले रहा है। योजना आयोग पैसा नहीं दे रहा है। जल संसाधन मंत्रालय बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है क्योंकि पानी के बिना जन-जीवन कुछ भी नहीं है। इस मंत्रालय में ऐसी लापरवाही ही, उसके लिये पैसे की कमी हो तो कृषि में कैसे आत्मनिर्भर हो सकते हैं ? एक तरफ आप कहते हैं कि हम एक्सपोर्ट करेंगे, यह कैसे होगा ? हमारी जो जमीन अभी तक असिंचित पड़ी हुई है जिसके लिये पानी की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं तो गेहूं को जहां पर 4-5 बार पानी चाहिये और धान की फसल के लिये काफी पानी चाहिये, वह कैसे कर पायेंगे ? इस कारण से कृषि उपज पर कुठाराघात हो रहा है। जो कृषि के लिये हम.खाद प्रयोग में ला रहे हैं, उसके लिये तो हमें काफी पानी की जरूरत है और वह हमारे पास है नहीं। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इसको रुटीन के आधार पर न चलायें। इसको गंभीरता से लें। इसमें तो भारत के जीवन-मरण का प्रश्न है और अगर पानी पर निर्भर करता है। इसके बिना सरकार की क्या सोच है, हमें समझ नहीं आ रहा है। इन जैसे प्रश्नों पर गंभीरता से न तो सोचा जा रहा है और न ही अमल किया जा रहा है।

सभापति महोदय, यहां पर कैबिनेट मंत्री नहीं बैठे हैं शायद राज्य सभा में डिफेक्शन कराने के लिये गये हैं ताकि वहां पर भी उनकी मैजरिटी हो जाये। तो मैं चाहता हूं कि इस मंत्रालय के लिये भी एक फुल टाईम मिनिस्टर होना चाहिए ताकि इन सारी चीजों को गंभीरता से ले।

सभापति महोदय, मैं आखिर में एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा कि जिस समय मंत्री जी जवाब दें। उस समय मैंने जो मुद्दे उठाए उन मुद्दों पर आपकी क्या सोच है, आप क्या करना चाहते हैं ? क्या इस देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो पानी की आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए आप प्रयत्नशील हैं ? आप दक्षिण भारत और उत्तर भारत की नदियों को जोड़ने की योजना चलाने के लिए वास्तव में गंभीर हैं या केवल जवाब देने में ही गंभीर हैं ? वास्तविकता क्या है ? मैं मानता हूं कि वह बड़ी महत्वांकाक्षी योजना है, बड़ी महंगी योजना है मगर हर वर्ष जितनी हानि आप उठाते हैं, अगर दस वर्षों की हानि को आप जोड़ लें तो उतने में वह काम बन जाएगा और हमेशा के लिए भारत सिंचाई के मामले में, पानी के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा फिर सूखा नहीं पड़ेगा, अकाल नहीं पड़ेगा और फिर बाढ़ भी नहीं आएगी। आप इसको गंभीरता से लें। जो पानी का ग्राउंड लेवल नीचे गिर रहा है इस पर भी आप गंभीरता से विचार करें।

एक निवेदन करके मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। प्रदेशों में आपस में जल विवाद है। जब दोनों प्रदेश आपस में बैठते हैं तो वह तय नहीं कर पाते हैं चाहे कावेरी या यमुना का विवाद हो या कोई और विवाद हो। उसको निपटाने के लिए केन्द्र सरकार की क्या भूमिका है ? आप उन्हें बैठाकर बात करें। केवल विवाद लंबे खिचते जा रहे हैं और उसके कारण योजनाएं ठप्प हो गई हैं और काम नहीं हो रहा है और महंगाई बढ़ती जा रही है और उन योजनाओं की कीमत बढ़ती जा रही है। मंत्री जी जरा मेरी बात भी सुन लें क्योंकि मैं मानता हूं कि आप इसके ऊपर बिल्कुल गंभीर नहीं हैं। इसलिए आप सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। ···**(व्यवधान)**···

**श्री सूर्य नारायण यादव** (सहरसा) : मुझे तो यह लगता है कि इनकी नज़र सिर्फ मंत्री जी पर है देश पर नहीं है।

**श्री राजवीर सिंह** : मेरी नज़र उन्हीं पर है क्योंकि इन्हीं से देश की बात बनेगी। यादव जी, आप तो धारा के विपरीत चलते हैं इसलिए बोल सकते हैं। धारा के विपरीत बड़े बहादुर लोग चलते हैं इसलिए आपने दलबदल किया।

**श्री सूर्य नारायण यादव** : आपने अभी कहा था कि जो दलबदल में लगे हुए होंगे तो मैं कहना चाहता हूं कि युधिष्ठिर महाराज ने युद्ध के मैदान में कहा था ···**(व्यवधान)**···

**[अनुवाद]**

**सभापति महोदय** : सत्यनारायण जी, वह नहीं मान रहे हैं, आप बैठ जाइए।

**[हिन्दी]**

**श्री सूर्य नारायण यादव** : युधिष्ठर महाराज ने कहा था कि "यह धर्म-अधर्म का युद्ध है। ऐ धर्मनिष्ठ ! अगर धर्म का पक्ष देखते हो तो इधर आ जाओ और अधर्म की ओर जाना चाहते हो तो उधर जाओ। अभी भी होश करो ! होश करो। "···**(व्यवधान)**···

**[अनुवाद]**

**सभापति महोदय** : यदि आप मान रहे हैं तो, आपको बैठ जाना चाहिए, यदि आप खड़े हो रहे हैं और दूसरों को बोलने की अनुमति दे रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने आपकी बात समाप्त कर ली है। कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

**श्री राजवीर सिंह** : सभापति महोदय, अब इन्होंने बहुत बड़ा हमला कर दिया। ये कहते हैं कि ये धारा के उल्टे चलते हैं और बहादुर हैं। हो सकता है ! और यह बात सच है कि आपने इधर-से-उधर जाकर धारा के विपरीत चलकर दिखा दिया, आप बहादुर अवश्य हैं। आप दलबदल के शिरोमणि बन गए, आप बहादुर हैं। मैं आपकी बहादुरी की दाद देता हूं।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता था कि जिन प्रश्नों को मैंने उठाया है कि प्रदेशों के आपस के जल विवाद हैं, उस पर केन्द्र के मंत्रियों को, केन्द्र की सरकार को मुख्य मंत्रियों को बैठाकर समझौता कराना चाहिए और इन विवादों को यथाशीघ्र समाप्त करना चाहिए और यथाशीघ्र समाप्त करके योजनाओं को तुरंत लागू करना चाहिए और इस देश को बाढ़ की विनाश लीला से और राख की विनाश लीला से बचाने के लिए इस सरकार को ऐसी योजना बनानी चाहिए जो आपके वैज्ञानिकों की बतायी हुई है जो ऐक्सपर्ट्स की तय की हुई है। वह केवल फाइलों तक ही सीमित न रह जाए, वह केवल किताबों में डायग्राम तक सीमित न रह जाए। वह प्रैक्टिकली ज़मीन पर जानी चाहिए, खेतों में जानी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

**सभापति महोदय** : अब श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति बोलेंगे।

**श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद)** : महोदय, सभा में कोरम नहीं है।

**सभापति महोदय** : कृपया बाधा न डालें।

**श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति** (विशाखापटनम्) : सभापति महोदय, जल प्रबंधन पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। **(व्यवधान)**

**श्री सैयद मसूदल हुसैन** : महोदय, कोरम नहीं है।

**सभापति महोदय** : क्या आप गंभीरता से कट रहे हैं ?

**श्री सैयद मसूदल हुसैन** : जी हां, महोदय।

**सभापति महोदय** : तब आप ऐसा कीजिए। मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या हो रहा है। श्री मूर्ति, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। श्री हुसैन, समस्या क्या है ?

**श्री सैयद मसूदाम हुसैन** : सभा में कोरम नहीं है।

**सभापति महोदय** : घंटी बज रही है– अब कोरम हो गया है। माननीय सदस्य, श्री मूर्ति अब अपना भाषण आरम्भ कर सकते हैं।

**श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति** : सभापति महोदय, हमारा देश एक कृषि-प्रधान देश है। मूलतः हमारे देश की 72 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। देश के हित में, कृषि-प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण है। इन जल-संसाधनों से सिंचाई के साथ-साथ पीने के पानी की व्यवस्था भी करनी है। कुछ हद तक, यह सामान के परिवहन में जहाजरानी की भी मदद कर रहा है। लेकिन दुर्भाग्यवश, जल संसाधनों के प्रबंधन पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दुर्भाग्य की बात है कि जल संसाधनों के लिए कोई पूर्णकालिक केबिनेट मंत्री भी नहीं है। वर्तमान मंत्रीजी को इसका अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है और उन पर मुख्य कार्यभार तो संसदीय कार्य विभाग का है।

आज, हम बहुत पानी बेकार कर रहे हैं। यहां एक ओर बाढ़ आ रही है तो दूसरी ओर सूखा पड़ रहा है। कई शहरों में पीने के पानी की भारी कमी है। देश में यही स्थिति व्याप्त है।

हमारे राज्य आन्ध्र प्रदेश में अनेक बारहमासी नदियां हैं। तेलुगु गंगा परियोजना के द्वारा हम मद्रास को पानी सप्लाई करेंगे ताकि वे अपनी पीने के पानी की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। आज तक उस परियोजना को सरकार द्वारा मंजूर नहीं किया गया है, लेकिन इसमें अच्छी प्रगति हो रही है।

जल संसाधन विभाग उनको भेजी गई सभी परियोजनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास केवल सरकाने में लगा है। वे गंभीरता से उन पर विचार नहीं कर रहे हैं। जो परियोजनाएं उनको दस वर्ष पहले भेजी गई थी, उन्होंने उन परियोजनाओं को भी, अत्यंत महत्वहीन कारण बताते हुए, मंजूर नहीं किया है। कुछ मामलों में, अन्तर-राज्यीय विवाद है। लेकिन, जल संसाधन विभाग ने इन राज्यों की बैठक कभी नहीं बुलाई। उन्होंने राज्यों को कहा है कि जहां परियोजना आरम्भ की जाए, वहां आप उस राज्य के साथ मामले पर बातचीत करें और कोई हल ढूढें। यदि यही स्थिति बनी रही, तो बहुत मुश्किल होगी। हम अनेक परियोजनाओं में प्रगति नहीं कर सकेंगे जिन पर विचार किया गया है जिसके परिणामस्वरूप भारी मात्रा में पानी बेकार बह रहा है।

[श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति]

आन्ध्र प्रदेश में एक विशाल गोदावरी नदी है। आज की तारीख तक, इसके केवल 30 प्रतिशत पानी का ही उपयोग किया जा रहा है और 70 प्रतिशत पानी बेकार जा रहा है जबकि पड़ौसी राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु में पर्याप्त जल नहीं है और इससे पहले हमने माननीय सदस्यों से यह सुना है कि दोनों राज्यों के बीच कावेरी जल के संबंध में निरन्तर विवाद चलता रहता है जिसके बारे में हमने इस सभा में भी कुछ दिनों से कठिनाई महसूस की है। जब ऐसी स्थिति है, तो मेरी समझ में नहीं आता कि गोदावरी-जल का उपयोग क्यों नहीं किया जाता और इस जल को क्यों बेकार बहने दिया जाता है। इस पर कोई विवाद भी नहीं है। सभी विवाद अन्य परियोजनाओं के संबंध में हैं।

राजामुंद्री के समीप गोदावरी नदी पर एक बहुउद्देशीय पोलावरम परियोजना पर विचार किया जा रहा है। यदि इस परियोजना को कार्यान्वित किया गया, तो इससे पड़ौसी जिलों में एक मिलियन एकड़ से अधिक भूमि की सिंचाई की जा सकेगी जिसके परिणामस्वरूप काफी मात्रा में खाद्यान्न की पैदावार होगी जो दक्षिण भारतीय लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा। लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आन्ध्र प्रदेश में बिजली की भी कमी है। बिजली पड़ौसी राज्यों से ली जा रही है। आज महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की दया से आन्ध्र प्रदेश में रात को बत्तियां जलती हैं। अन्यथा वहां बिजली नहीं है। यदि इस परियोजना को कार्यान्वित किया गया, तो हमें 970 मेगावाट बिजली भी मिलेगी। सिंचाई परियोजना की लागत के लिए हमें यह अतिरिक्त बिजली प्राप्त होगी। यदि 1000 मेगावाट की क्षमता वाली बिजली परियोजना को नियोजित करना है तो इसकी लागत लगभग 4000 करोड़ रु. होगी। लेकिन इन 4000 करोड़ रु. से पोलावरम परियोजना और पन बिजली परियोजना, दोनों पूरी हो सकती हैं। इस परियोजना पर भी कोई अन्तर-राज्यीय विवाद नहीं है। फिर भी यह परियोजना अब तक मंजूर नहीं की गई है। इस परियोजना की आधारशिला भी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, श्री टी. अंजैया द्वारा रखी जा चुकी है। उन्होंने इस परियोजना की महत्ता को पहले ही जान लिया था। लेकिन आज तक कुछ भी नहीं किया गया है एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो रही है।

विशाखापटनम के पड़ौसी जिलों में पीने का पानी नहीं है। विशाखापटनम न केवल आन्ध्र प्रदेश का, बल्कि पूरे राष्ट्र का औद्योगिक नगर है। अनेक औद्योगिक परियोजनाएं वहां स्थापित की गई हैं और निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण अनेक अन्य नई परियोजनाओं को वहां आरम्भ करने के लिए विचार किया जा रहा है। यह स्थान पोलावरम से केवल 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आज स्थिति यह है कि मेरे निर्वाचन-क्षेत्र विशाखापटनम को एक दिन छोड़कर पीने के पानी की सप्लाई की जाती है। वहां पीने के पानी की कमी है, तो हम उद्योगों को पानी कैसे दे सकते हैं ? इससे पहले भी, तीन-चार प्रमुख परियोजनाओं पर विचार किया जा चुका है। वहां एक सुपर ताप विद्युत केन्द्र है, वे विशाखापटनम में लौह अयस्क परियोजना, एल्यूमीनियम परियोजना और अनेक अन्य परियोजनाएं आरम्भ करने के बारे में बातचीत कर रहे हैं।

वे जापानी उद्योग द्वारा एक निर्यातोन्मुख पार्क स्थापित करने के लिए भी बात-चीत कर रहे हैं। जब तक माननीय मंत्रीजी विशाखापटनम में पानी की सप्लाई नहीं करवायेंगे, तब तक वे वहां औद्योगिक क्रियाकलाप होते हुए कैसे देखेंगे ? कल एक समाचार था कि हिन्दुस्तान पैट्रोलियम को पानी की कमी की वजह से बन्द किया जा रहा है। यहां तक कि हिन्दुस्तान पैट्रोलियम के

लिए भी पानी नहीं है जो एक केन्द्रीय परियोजना है और हमारे क्रियाकलापों और ऊर्जा के लिए मुख्य वस्तु है। उन्हें उस उद्योग को चलाने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। यहां तक कि विद्यमान उद्योग भी नहीं चल रहे हैं और हम नए उद्योगों को भी पानी नहीं दे पा रहे हैं। यह गोदावरी नदी से केवल 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह स्थिति है। यह सब गलत आयोजना के कारण हो रहा है दुर्भाग्यवश, हम प्राथमिकताएं निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए, ये सब बातें हो रही हैं। अनेक परियोजनाएं लंबित पड़ी हैं। उदाहरण के लिए, झंझावती योजना एक लघु परियोजना है। यह विजियनाग्राम को भी पानी सप्लाई करता है। हालांकि यह एक लघु परियोजना है, फिर भी इसे आज तक मंजूर नहीं किया गया है। श्रीकाकुलम जिले में एक अन्य परियोजना है— वंशधारा परियोजना चरण-II वंशधारा परियोजना चरण-II को भी अभी तक मंजूर नहीं किया गया है। गोदावरी, कृष्णा, वंशधारा और झंझावती नदियों पर अन्य अनेक लघु परियोजनाओं पर विचार किया गया है। ये सब परियोजनाएं आज तक लंबित पड़ी हैं।

केवल फाइल को निपटाया गया है। कोई यहां से लिखता है तो फाइल हैदराबाद जाती है, वहां जाकर फाइल कुछ समय के लिए रुकती है, उसके बाद फिर वापस आती है, फिर वापस जाती है यह स्थिति है। व्यक्तिगत रूप से भी मैं कई बार मिला हूं। माननीय मंत्रीजी ने भी वचन दिया है कि वे इस पर विचार करेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि वे पोलावरम परियोजना के मामले में कुछ गंभीर हैं। इसलिए कुछ किया जा सकता है। यह केवल हमारे क्षेत्र के लिए नहीं है। यह पूरे राष्ट्र के लिए है। यह राष्ट्र के हित में है कि हम इस बारे में बात कर रहे हैं। जब तक ये परियोजनाएं आरम्भ नहीं की जातीं, मुझे विश्वास है कि हम एक राष्ट्र के रूप में प्रगति नहीं कर सकते हैं; हम मुश्किल में पड़ जायेंगे। जब हम पीने का पानी उपलब्ध नहीं करा सकते, तब तक हम देश के विकास के बारे में नहीं सोच सकते हैं। यह स्थिति है, और कम-से-कम इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

मैं यह सब बताने में समा का अधिक समय नहीं लूंगा। यदि आप अब भी आरम्भ करें तब भी पोलावरम परियोजना चार-पांच वर्ष का समय ले लेगी। उससे पहले यदि आप औद्योगिक कार्यकलाप भी चहते हैं तो पानी उपलब्ध करवाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। वहां एक इस्पात संयंत्र है जिसे विशाखपटनम इस्पात संयंत्र कहते हैं। उसके लिए, हमने येलेरू जलाशय से पानी का प्रबंध करने की योजना बनाई है। चेलेरू जलाशय इस्पात संयंत्र के लिए पानी उपलब्ध कराता है। चेलेरू जल का प्रबंध करने की योजना बनाने के लिए धन्यवाद। लेकिन अब वह इस्पात संयंत्र भी अपने कार्यकलाप के द्वितीय चरण के लिए अधिक पानी की आवश्यकता की समस्या का सामना कर रहा है। अब, जल संसाधन मंत्रालय को एक परियोजना, भागीरथी योजना के लिए भेजी गई है। भागीरथी पंपिंग योजना एक लिफ्ट सिंचाई योजना है, जिसमें गोदावरी से पानी लेना, लिंक नहर को लिंक चेलेरू नहर से जोड़ना और वहां से उस पानी में और पानी को शामिल करना और बांध बनाया जाना शामिल है। इससे तीन-चार वर्ष तक औद्योगिक शहरों और पड़ोसी जगहों की पानी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा।

इस योजना की लागत अनुमानतः 120 करोड़ रु. से अधिक नहीं होगी। मुझे विश्वास है कि इस भागीरथी लिफ्ट सिंचाई योजना की ओर मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है जिसे तत्काल आरम्भ करना है ताकि कार्यकलाप रुक न जायें अन्यथा सभी केन्द्रीय परियोजनाओं में पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य रुक जाएगा। इसके साथ ही, जीने के लिए

[श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति]

पानी मुख्य स्रोत है। आजकल पानी इतना दूषित है कि जहां भी हम जाते हैं, हमें पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं मिल पाता है। इसलिए, देश के विकास में जल संसाधन मंत्रालय का बहुत महत्व है।

मैं एक बार फिर आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से अनुरोध करता हूं कि वे भागीरथी पंपिंग योजना और पोलावरम परियोजना के बारे में विचार करें ताकि इन्हें राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में अपनाया जा सके। इससे पूरा राष्ट्र समृद्ध होगा।

**श्री शरत् चन्द्र पटनायक** (बोलंगीर) : माननीय सभापति महोदय, हमारे देश का दो-तिहाई कृषि उत्पादन और ग्रामीण रोज़गार जल संसाधनों पर आधारित है। लेकिन कुशल प्रबंधन और रख-रखाव के न होने के कारण कृषि क्षेत्र में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। किसी भी जल-आयोजना तथा प्रबंधन के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए :

(i) जल-विद्युत संबंधी जानकारी को समुन्नत करना; (ii) बहुउद्देशीय आयोजना जैसे पेय जल, नगर, उद्योग, कृषि आदि; (iii) नदी बेसिन आयोजना; (iv) न्यायाधिकरण निर्णयों का कार्यान्वयन इत्यादि; (v) देश की विभिन्न नदियों में जल के बटांव संबंधी आंकड़ों को आधुनिक ढंग से इकठ्ठा करना और इस कार्य के लिए अलग प्राधिकरण बनाना तथा (vi) राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत नदी कार्य योजना का निर्माण करके देश के जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना चाहिए।

इस उदारीकरण के दौर में जल संसाधनों के प्रबंधन से निजी क्षेत्र का सहयोग लेने पर विचार करना चाहिए। जल-उपकर उगाहने के लिए तंत्र को मजबूत किया जाये ताकि अतिरिक्त आमदनी हो सके और सिंचाई परियोजनाओं संबंधी फैसले करने के लिए छोटे तथा मध्यम दर्जे के किसानों को भी भागीदार बनाया जाये क्योंकि छोटी तथा मध्यम दर्जे की परियोजनाओं से ही संकट दूर हो सकता है।

इस बात पर गौर किया गया है कि वर्ष 1994-95 के बजट आबंटन में जल संसाधन मंत्रालय के लिए सीमान्त वृद्धि की गई है। लेकिन वर्ष 1993-94 के संशोधित अनुमान के संदर्भ में कुछ कमी की गई है। इस संकट का सामना करने के लिए लघु और मध्यम परियोजनाओं के लिए प्रावधान अपर्याप्त है। जब हम एक मज़बूत और स्थायी जल प्रबंधन नीति पर जोर दे रहे हैं, तो लघु और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण और विकास संबंधी नीतिगत वक्तव्य में सरकार ने लघु सिंचाई और जल परियोजनाओं के विकेन्द्रीकृत नेटवर्क पर ज़ोर दिया है जिसमें कम-से-कम पर्यावरण संबंधी गड़बड़ी हो, जिससे जल उपयोग में वृद्धि हो, जल संरक्षण हो, परम्परागत जल प्रबंधन प्रणाली को पुनः चालू किया जाए और सिंचाई प्रणाली में विकल्पों को विकसित किया जाए, इत्यादि।

अब, मैं अपने क्षेत्र के संबंध में कुछ कहूंगा जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है और माननीय जल संसाधन मंत्री, श्री विद्याचरण शुक्ल के जिले से जुड़ा हुआ है। वे उड़ीसा के पिछड़े जिलों, बोलंगीर और कालाहांडी की समस्याओं को मुझसे अधिक जानते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी और श्री राजीव गांधी ने उस क्षेत्र का दौरा किया था। पूर्व प्रधानमंत्री श्री चन्द्रशेखर ने भी उड़ीसा के उस हिस्से का दौरा किया था। विपक्ष के माननीय नेता, श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी उस क्षेत्र का दौरा किया हुआ है। मैं अपने माननीय मंत्री, श्री शुक्ल जी का आभारी हूं। इस बार उन्होंने

बोलंगीर के लिए 22 करोड़ रु. का आबंटन किया है। उन्होंने आठवीं पंचवर्षीय योजना में लोअर सुक्टेल को भी शामिल किया है। मेरा मुद्दा यह है कि अपर लंगत, लोअर सुक्टेल, इन्द्रा, खरखरा आदि मध्यम दर्जे की परियोजनाओं की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना जरूरी है। सूखा ग्रस्त क्षेत्र होने के कारण इन परियोजनाओं से इस क्षेत्र के लोगों का भाग्य बदल सकता है।

लाखों लोग रोज़ी-रोटी के लिए मेरे जिले से पलायन कर रहे हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि परसों समाचार-पत्र में एक समाचार था। एक मज़दूर जो अब आन्ध्र प्रदेश में कार्य कर रहा है, 9 रु. प्रतिदिन की मज़दूरी ले रहा है। आप उस क्षेत्र के लोगों की दशा देखिए। केवल पानी की कमी के कारण लोग मेरे निर्वाचन क्षेत्र बोलंगीर से और कालाहांडी से पड़ोसी राज्य आन्ध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में पलायन कर रहे हैं।

एक लाख से अधिक लोग रायपुर शहर में ठहरे हुए हैं। हमारे माननीय मंत्री भी इस बारे में जानते हैं। इसलिए, मैं उनसे अंनुरोध करूंगा कि वे इस बारे में गौर करें ताकि इसे योजना में शामिल किया जा सके।

अन्त में, मैं अपने प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने इस क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने सिंचाई द्वारा मध्यकालिक सूखाप्रवण योजना को कार्यान्वित करने के बारे में मुझे पत्र लिखा है।

बोलंगीर (मुख्यालय और नगरपालिका) में तितलागढ़, कान्ताबन्जी, पटनागढ़ और खरिया रोड़ तथा अन्य एन.ए.सी. क्षेत्रों में पेय जल की सुविधा नहीं है। महिलाओं को पेय जल लाने के लिए 4-5 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। मेरे जिले की यह दयनीय स्थिति है। सन् 1985 में राज्य सरकार ने एक योजना तैयार की थी जिसके अन्तर्गत तीस किलोमीटर की दूरी से पानी को बोलंगीर तक पहुंचाना था, लेकिन केन्द्र ने उसके लिए धन की मंजूरी नहीं दी और केन्द्र सरकार का कहना है कि हमने पहले ही धनराशि का आबंटन कर दिया है, लेकिन राज्य सरकार उपयुक्त कार्यवाही नहीं कर रही है। मैं माननीय मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि वे इन सब मामलों पर गौर करें।

***बी.एन. रेड्डी** (मिरयालगुडा) : सभापति महोदय, हम जल संसाधन के विषय पर बातचीत कर रहे हैं जो राष्ट्र के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 48 वर्ष बाद भी हमारी कृषि का 70% भाग वर्षा पर ही निर्भर है। जल संसाधनों की कमी नहीं है। जल संसाधनों की बहुतायत होने के बावजूद अभी भी हम कृषि के लिए वर्षा पर ही निर्भर हैं। यह वास्तव में दयनीय स्थिति है। हमारे देश के महान् व्यक्ति स्वर्गीय कामरेड पी. सुन्दरैया ने एक बार कहा था कि यदि हम अपने जल संसाधनों का उपयोग करें तो देश में कभी सूखा नहीं पड़ेगा। उन्होंने यह तथ्यों और आंकड़ों से साबित कर दिया है। स्वर्गीय डा. के.एल. राव ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि एक बार यदि हम अपनी सभी नदियों को जोड़ दें, तो हम सूखे को अपने देश से बहुत आसानी से समाप्त कर सकते हैं।

जल संसाधन और सूखे के बीच संबंध के बारे में जल संसाधन मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की बैठकों में भी उल्लेख किया गया है। जहां जल हो, वहां कोई सूखा नहीं पड़ सकता। सूखे को समाप्त करने के लिए जल संसाधनों को उपयोग में लाना आवश्यक है। सूखे का सामना

*मूलतः तेलगु में किए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण।

[श्री बी.एन. रेड्डी]

करने के लिए जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग की महत्ता की परामर्शदात्री समिति द्वारा भी पुष्टि की गई है। सूखे का ऐतिहासिक रिकार्ड इस बात की पुष्टि करता है कि इससे हर क्षेत्र में काफी विकास होने के बावजूद किसी-न-किसी समय मानव गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। अनुमानतः देश के कुल 329 मिलियन हेक्टेयर भौगौलिक क्षेत्र में से लगभग 108 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र सूखे से प्रभावित है जो लगभग एक तिहाई के बराबर है। इस प्रकार हमारे देश का एक बड़ा भाग इस प्राकृतिक आपदा की गिरफ्त में है। यदि हम अपनी भूमि से सूखे को दूर करना चाहते हैं, तो यह आवश्यक है कि हम इस तथ्य को जान लें कि हमारे देश का बृहत भाग सूखे की पकड़ में है। इसलिए, सूखे को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए हमें इसके लिए आवश्यक साधन, जल संसाधन की महत्ता को समझना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले कहा है, आज तक हमारे देश का 70 प्रतिशत कृषि योग्य क्षेत्र वर्षा पर निर्भर है। यदि हम देश में उपलब्ध प्रचुर जल संसाधनों को उपयोग में ले आएं, तो हम स्थायी रूप से सूखे को समाप्त करने की कोशिश में सफल हो सकते हैं। इस संबंध में, मैं वर्तमान स्थिति पर बोलूंगा। यह पता चला है कि वर्ष 1991-92 के अन्त तक 82 मिलियन हेक्टेयर कुल सिंचाई क्षमता में से लगभग 50.08 मिलियन हेक्टेयर क्षमता लघु सिंचाई योजनाओं द्वारा सृजित की गई।

इसका अर्थ यह है कि हमारे पास 82 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई सुविधाओं को सृजित करने की क्षमता है लेकिन हम आधे लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सफल नहीं हुए हैं। सरकार द्वारा हमारी योजनाओं में सिंचाई क्षमता को सृजित करने को कोई प्राथमिकता नहीं दी गई है। सरकार तथा हमारे योजनाकर्ताओं के लिए सिंचाई का विषय प्राथमिकता की सूची में सबसे नीचे है। चालू आठवीं पंचवर्षीय योजना में सिंचाई के लिए आबंटित की गई राशि नगण्य है। आठवीं योज़ना के दौरान योजना परिव्यय की 434100 करोड़ रु. की कुल धनराशि में से सिंचाई तथा कमान क्षेत्र विकास और बाढ़ नियंत्रण के लिए 32525 करोड़ रु. की धनराशि आबंटित की गई है जो कुल योजना परिव्यय का 7.49 प्रतिशत है।

केन्द्रीय क्षेत्र के परिव्यय में से 8वीं योजना पर केवल 1500 करोड़ रु. खर्च किए जा रहे हैं। जो कुल केन्द्रीय क्षेत्र की योजना का 0.6 प्रतिशत ही बड़ी तथा मध्यम सिंचाई योजनाओं में केन्द्र सरकार की भागीदारी मात्र परोक्ष रूप से ही है।

मैंने इसे जल संसाधन मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन से उद्धरित किया है ऐसी स्थिति में, हम सूखे की स्थिति से पूर्णतः निपटने की बात कैसे सोच सकते हैं सूखे से लड़ना कैसे सम्भव हो सकता है जबकि योजना में इस प्राथमिकता की सूची में सबसे नीचे रखा गया है। आप गंभीर सूखे से लोंगों को बचाने के लिए कैसे सोच सकते हैं जबकि कुल केन्द्रीय योजना में सिंचाई के लिए आबंटित की जाने वाली धनराशि केवल 0.6 प्रतिशत है। आज हमारे देश का बड़ा हिस्सा सूखे की चपेट में है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 48 वर्षों के बाद भी न ही कोई राज्य और न ही देश सूखे के चंगुल से बाहर निकल सका है। सूखा एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा है जिससे समय-समय पर पूरा देश प्रभावित हुआ है। यद्यपि जल संसाधन मंत्रालय का यह निष्कर्ष है कि जल संसाधनों का विकास ही सूखे का हल है, फिर भी अभी तक उसे कोई प्राथमिकता नहीं दी गई है। सभापति महोदय, देश में लगभग 500 परियोजनाएं ऐसी हैं, जो अभी तक अधूरी पड़ी हैं। मेरे राज्य, आन्ध प्रदेश में 25 परियोजनाएं विशेषकर प्रमुख परियोजनाएं पिछले 40 वर्षों से लंबित पड़ी हैं। जैसा

कि हमारे स्वर्गीय नेता श्री राजीव गांधी ने एक बार इस बात पर गौर किया था कि पोलावरम एक महत्वपूर्ण परियोजना है जो गोदावरी और कृष्णा नदी को जोड़ती है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया था कि यह एक महत्वपूर्ण परियोजना है। लेकिन, इसकी महत्ता के बावजूद, इसे मंजूर नहीं किया गया है। इसे केन्द्रीय योजना अथवा राज्य की योजना, किसी में भी स्थान नहीं मिला है। इसके निर्माण के लिए केन्द्र अथवा राज्य किसी से भी कोई राशि आबंटित नहीं की गई है।

मेरे राज्य की 70% कृषि योग्य भूमि अभी भी केवल वर्षा पर निर्भर है। राज्य में लगभग 600 मंडल, विशेषकर तेलंगाना और रायलसीमा क्षेत्र में, गंभीर सूखे की चपेट में हैं। केवल 30% कृषि योग्य भूमि पर ही कृषि कार्य किया जा रहा है। इस क्षेत्र में भी, फसल का काफी नुकसान हुआ है। इन क्षेत्रों के निवासियों को रोज़ी-रोटी के लिए अन्य क्षेत्रों में पलायन करना पड़ रहा है। पशुओं को कसाई खाने ले जाया जा रहा है क्योंकि उनको खिलाने के लिए चारा उपलब्ध नहीं है।

बेराज़गारी व्याप्त है। महबूबनगर और नालगोडा जिलों में लोग भुखमरी के कारण मर रहे हैं। भुखमरी के कारण हुई मौतों के संबंध में समाचार देने वाला मैं पहला व्यक्ति हूं। महबूबनगर जिले में लोग भूख से मर गए। जिले में आत्महत्या के अनेक मामले सामने आए हैं। यह बहुत दयनीय बात है कि ये जिले ऐसी गंभीर सूखे की स्थिति से गुज़र रहे हैं, तब भी इस प्रमुख परियोजना को पूरा करने के लिए कदम नहीं उठाए गए हैं। मैंने परामर्शदात्री समिति की बैठकों में माननीय मंत्रीजी से अपील की है कि वे मेरे जिले में श्री राम सागर के द्वितीय चरण श्री सैलाम लैफ्ट बैंक कैनाल और रायलसीमा में तेलुगु गंगा तथा तुंगभद्रा उच्च स्तरीय नहर परियोजनाओं तथा राज्य के अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं के निर्माण-कार्य को आरंभ करें।

इस पंचवर्षीय योजना के भीतर राज्य की सबसे महत्वकांक्षी परियोजना पोलावरम को यथा शीघ्र पूरा किया जाये ताकि यहां की जनता को सूखे और भूखमरी से बचाया जा सके। श्रीराम सागर द्वितीय चरण परियोजना से वरंगल, खम्मन तथा नलगोण्डा, इन तीन जिलों को लाभ होगा। श्रीसैलम बायां किनारा नहर नलगोण्डा जिले में तीन लाख एकड़ भूमि के लिए सिंचाई सुविधाएं उपलबध करती है। जब श्री एन.टी. रामा राव राज्य के मुख्य मंत्री थे तो नहरों की खुदाई हुई थी। लेकिन अब ये नहरें तहस-नहस होती जा रही हैं। हाल ही में यह निर्णय किया गया था कि उनमें नहरों को फिर से खोद कर सुरंगें बनाई जायें। लेकिन यह कार्य भी अभी शुरू नहीं किया गया। माननीय मुख्य मंत्री का कहना है कि सरकार निर्माण कार्य शुरू करेगी। लेकिन केन्द्र सरकार का कहना है कि अभी तक जल समस्या का समाधान नहीं हुआ है। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं है। श्रीराम सागर प्रथम चरण कार्य को बहुत पहले ही पूरा किया जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी 55 कि.मी. नहर की खुदाई करनी है। हालांकि इसमें 10 वर्ष का समय लग गया लेकिन 65 कि.मी. नहर निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। मेरे जिले में जनता ने विशेषकर किसानों ने हाल ही में कंधों पर हल उठाकर तथा बैलगाड़ियों को लेकर परियोजनाओं, विशेषकर सूखाग्रस्त क्षेत्रों को पानी उपलब्ध कराने संबंधी परियोजना को शुरू करने के लिए रास्ता रोको आन्दोलन किया। उन्होंने अपने हल और बैलगाड़ियों के साथ प्रदर्शन किया और पूछा कि सरकार ने श्रीराम सागर द्वितीय चरण तथा श्रीसैलम बायां-किनारा नहर परियोजनाओं को शुरू क्यों नहीं किया है। वे इन परियोजनाओं संबंधी निर्माण कार्य को शीघ्र शुरू करने की मांग कर रहे थे। हाल ही में वरदा कालुवा निर्माण कार्य शुरू किया गया था। यह नहर गोदावरी की संपर्क नहर है। मैं समझ

[श्री बी.एन. रेड्डी]

नहीं पा रहा हूं कि संपर्क नहर के निर्माण कार्य के साथ-साथ मुख्य नहरों का निर्माण कार्य क्यों नहीं शुरु किया गया। अतः मैं श्रीराम सागर द्वितीय चरण तथा श्रीसैलम बायां किनारा नहर का निर्माण कार्य शुरू करने, तथा तेलुगू गंगा परियोजना यथा शीघ्र पूरा करने की पुनः मांग करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं। मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए सभापति महोदय को मेरा धन्यवाद।

[हिन्दी]

**श्री सुकदेव पासवान** (अररिया) : सभापति महोदय, मैं जल संसाधन मंत्रालय की मांगों पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। जो विभिन्न सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई थीं तो मैं उनका विवरण प्रस्तुत करता हूं। प्रथम योजना 1951 से 1956 में 24 योजनाएं शुरू की गईं और एक योजना पूरी हुई। 1956 से 1961 तक द्वितीय योजना में 23 योजनाएं शुरू की गई और चार पूरी हुई। उसी तरह तृतीय योजना 1961 से 1966 में 27 योजना शुरू की गई और नौ योजनाएं पूरी हुई और वार्षिक योजनाएं 1966 से 1969 में 11 योजनाएं शुरू की गईं और एक योजना पूरी हुई। जिस अनुपात से योजनाएं पूरी होनी चाहिए थीं उस अनुपात से पूरी नहीं हुई। 1951 से 1990 तक 264 परियोजनाएं ली गई जिसमें से मात्र 102 योजनाएं पूरी की गई। हम 1994 में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन 50% से कम योजनाएं पूरी हुई हैं। मंत्री जी जब जवाब देंगे तो बतायेंगे कि किस कारण से पूरी नहीं हुई और किस ढंग से विकास कार्य बढ़ायेंगे।

**5.00 म.प.**

हम लोग किस हद तक इस देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसी काम में हिन्दुस्तान में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, खासकर हमारे उत्तरी बिहार में, जो कि नेपाल से सटा हुआ इलाका है। वहां पर परमान नदी, कोसी नदी, कमला बलान और अन्य नदियां निकलती हैं उनमें इतनी भयंकर बाढ़ आती है कि हम स्वयं भी उससे प्रभावित होते हैं। हमारा गांव सुरसर नदी और कोसी नदी के किनारे पडता है, लेकिन वहां सरकार की ओर से बाढ़ से बचाव के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग केले के पेड़ को रस्सी से बांधकर उससे तैरकर अपनी जान बचाते हैं। उत्तरी बिहार का इलाका जो कि बोर्डर एरिया है वहां नरपतगंज होते हुए छातापुर, हनुमान नगर, भीमपुर, लालपुर, चुन्नी, छीवहा होते हुए जदिया तक बाढ़ के समय हमारी कृषि योग्य भूमि को काफी क्षति पहुंचाती है। नदी के दोनों किनारों पर गांव बसे हुए हैं, वे कट चुके हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई समाधान नहीं हो पाया है। हम उत्तरी बिहार के सांसदों ने वहां पर बैराज बनाने की बात भी कही थी, हमारे देवेन्द्र भाई ने भी अभी उसके बारे में बताया था। इस संबंध में हम लोग यहां पर नेपाल के राजदूत से भी मिले थे, जो कि कुछ दिनों तक हमारे साथ जेल भी रहे हैं। उन्होंने भी इच्छा जाहिर की थी कि वहां पर डैम बनाया जाये जिससे नेपाल को भी बिजली मिले और उत्तरी बिहार तथा भारत को भी बिजली मिले। इससे वहां बाढ़ का भी स्थाई समाधान हो जायेगा। मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि इस सम्बन्ध में कोई ठोस योजना बनायें जिससे उस इलाके का सर्वांगीण विकास हो। इससे पूरे बिहार का भी समुचित ढंग से विकास हो सकता है।

आप मध्य प्रदेश के हैं, हो सकता है कि वहां ऊंचा इलाका हो, लेकिन हम लोगों का इलाका ऐसा है कि हम लोग नदी के किनारे बसे हुए हैं। छठी पंचवर्षीय योजना में बाढ़ नियंत्रण

पर 1762.77 करोड़ रुपये खर्च किये गये। सातवीं योजना में 947.49 करोड़ रुपये खर्च किये गये। उसके बावजूद भी बाढ़ पर जो नियंत्रण होना चाहिए था, वह नहीं हो पाया।

हमें बाढ़ नियंत्रण के लिए विदेशी सहायता भी मिलती है। उसमें सिंचाई क्षेत्र के लिए विदेशी सहायता का प्रमुख स्रोत विश्व बैंक रहा है। 1992 तक 16 निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए कुल पच्चीस हजार छः सौ सैंतीस लाख डालर्स मिले हैं। इनमें एम.पी.जे. मेजर इरीगेशन प्रोजेक्शन और महाराष्ट्र का वाटर यूटिलाइजेशन प्रोजेक्ट जून और अगस्त, 1991 में बंद हो गया। डैम सेफ्टी एशोरेंस और रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट के बारे में विश्व बैंक की सहायता के लिए बातचीत की गई और 10 जून 1991 में इस संदर्भ में एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किये गये और यह परियोजना केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्र मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और तमिलनाडु, इन चार राज्यों में बांधों की सुरक्षा की व्यवस्था की जानी थी और यह कहा था इसको सात वर्षों में पूरा किया जायेगा। इसे 962 लाख अमरीकी डालर अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी तथा 230 लाख डालर ऋण आई.वी.आर.डी. से प्राप्त होगा। इस सूची में भी बिहार का कहीं स्थान नहीं है। भारत अमरीकी द्विपक्षीय सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के लिये 210 लाख अमरीकी डालर की सहायता प्राप्त होगी। इन में परियोजनाओं के नाम इस प्रकार से है :

मध्यप्रदेश लघु सिंचाई परियोजना

महाराष्ट्र लघु सिंचाई परियोजना

जल संसाधन प्रबंध और प्रशिक्षण परियोजना एवं

पर्वतीय क्षेत्र भूमि तथा जल विकास परियोजना।

इन सभी योजनाओं में भी बिहार जैसे पिछड़े प्रदेश को नहीं रखा गया है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। उसके बाद यूरोपीय आर्थिक समुदाय भी सिंचाई परियोजनाओं के लिये अनुदान सहायता देता है। इस समय जिन परियोजनाओं पर कार्य हो रहा है, उनके नाम इस प्रकार हैं :

ए.पी. लघु सिंचाई परियोजना

तमिलनाडु सिंचाई परियोजना (चरण दो)

फसलों की विविधता के लिये जल नियंत्रण का विकास

क्षारिय भूमि सुधार परियोजना

दिसमुक और नाहर परियोजना

उड़ीसा लघु सिंचाई परियोजना

केरल लघु सिंचाई परियोजना।

इन सभी में भी बिहार का कहीं नाम नहीं रखा गया है।

सभापति महोदय, आज जिस ढंग से बिहार की उपेक्षा हो रही है, समझ में नहीं आता है कि वहीं के लोगों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है ? बिहार के साथ ऐसा विद्वेष क्यों कर रहा है ? मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि जैसा 1986 में अप्रैल महीने में देशभर में जल संसाधन दिवस मनाया जाता रहा है और उसके अन्तर्गत कार्यक्रम चलाये जाते रहे हैं उसमें सफल तभी होंगे जब तक कि आम लोगों को इससे लाभ मिले। वह आज मिल नहीं रहा है। इस कार्यक्रम को टी.वी. रेडियो और समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचारित किया जाता

[श्री सुकदेव पासवान]

है लेकिन क्या वास्तविक रूप से यह मनाया भी जा रहा है ? मंत्री जी यहां बैठे हुये हैं इनको बिहार की स्थिति मालूम है और खासकर उत्तरी बिहार के लिये कोई ठोस योजना बनाये ताकि प्रति वर्ष बाढ़, सूखा से सैकड़ों लोग मरते हैं, हजारों पशु मर जाते हैं और अरबों रुपये की सम्पत्ति नष्ट हो जाती है, उसको बचाने के लिये किसी ठोस कार्यक्रम की आवश्यकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया।

**[अनुवाद]**

**श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ** (सिल्चर) : सभापति महोदय, मैं जल संसाधन मंत्रालय के अन्तर्गत अनुदानों की मांगों के बारे में बोलना चाहता हूं। चूंकि मैं पूर्वोत्तर राज्यों में से एक असम राज्य का रहने वाला हूं। इसलिए मुझे पूर्वोत्तर राज्यों की जनता की दुर्दशा के बारे में बताना चाहिए।

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बजट प्रावधान न केवल निराशाजनक है बल्कि भेदभावपूर्ण भी है। राष्ट्रपति महोदय के भाषण से लेकर सामन्य बजट के प्रस्तुतीकरण तक पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के बारे में कोई महत्वपूर्ण बात नहीं कही गई है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में बोडोलैण्ड समझौता और उसकी सफलता का उल्लेख किया गया। लेकिन मैं कहूंगा कि बोडोलैंड समझौता से कोई लाभ नहीं मिला है। अभी भी वहां सीमा सुरक्षा बल अपनी कार्यवाही में सक्रिय है।

रेल बजट में केवल राजधानी एक्सप्रेस, जो कि सप्ताह में एक बार चलती है, का उल्लेख किया गया। उसके बाद जोगीघोपा के सिल्चर तक एक और रेलवे लाइन की समीक्षा करने के बारे में उल्लेख किया गया है। सरकार जब 150 कि.मी. लम्बी, लौका से चन्द्रनाथपुर तक, रेलवे लाइन का निर्माण कार्य शुरू नहीं कर सकती है, तो 500 कि.मी. से अधिक लम्बी रेलवे लाइन के निर्माण हेतु समीक्षा करने का प्रस्ताव कैसे रख सकती है ?

ऐसी स्थिति है और सामान्य बजट में भी पूर्वोत्तर राज्यों की जनता के लाभ के लिए विकास योजनाओं और कार्यक्रमों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

जल संसाधन विभाग भी इस नियम का अपवाद नहीं है। वर्ष 1994-95 कार्य-निष्पादन बजट के अध्ययन से यह बात स्पष्ट हुई है कि सरकार पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कुछ भी करने की इच्छुक नहीं है। सिंचाई कार्यक्रम को नजर अंदाज, किया जा रहा है जबकि सिंचाई कृषि का मुख्य साधन है।

महोदय, मैंने अमजूर नदी पर अमजूघाट के पास एक 'लॉग गेट' बनाने की मांग की थी लेकिन माननीय जल संसाधन मंत्री जी ने मुझे बताया कि ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने अमजूर जल-निसरण विकास परियोजना को अपने हाथों में लिया है जिसको अन्तिम रूप दिया ही जाने वाला है जिसके लिए 4.91 करोड़ रुपयों की आवश्यकता होगी और इसलिए 'लॉग गेट' के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका।

दिसम्बर, 1981 में बाढ़ नियंत्रण, नदी का कटाव रोकने तथा अन्य संबंधित मामलों के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड का गठन किया गया था। ब्रह्मपुत्र बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने तीन मास्टर प्लान बनाये थे। एक ब्रह्मपुत्र नदी के लिए, दूसरा बरक बेसिन के लिए और तीसरा ब्रह्मपुत्र की

नौ सहायक नदियों तथा त्रिपुरा की नदियों के लिए इन मास्टर प्लानों को संबंधित प्राधिकारियों के पास विचारार्थ भेज दिया गया और इन तीन मास्टर प्लानों में से कार्य निष्पादन बजट में भी इसका उल्लेख किया गया है-तीसरा, अर्थात ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों और त्रिपुरा की नदियों से संबंधित मास्टर प्लान मार्च, 1994 तक पूरा हो जाएगा। लेकिन मार्च, 1994 गुजर गया है और इस मास्टर प्लान को पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है।

इतना ही नहीं, बरक बेसिन मास्टर प्लान के अनुसार तिपाईमुख के निकट बरक बांध का निर्माण किया जाना था। इसके लिए 1976 में प्रस्ताव किया गया था लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि अब तक कुछ भी नहीं किया गया है। जब से दसवीं लोक सभा गठित हुई है, मैं इस सभा में उपस्थित मंत्री महोदय से इसकी स्थिति के बारे में लगातार पूछता आ रहा हूं। वर्ष 1991 में मैंने उनको कहते सुना कि इसकी जांच पड़ताल चल रही है। इस वर्ष भी हम यही बात सुन रहे हैं। यह इतनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जबकि मंत्री महोदय ने अपनी उत्तर में कहा है कि बांध के निर्माण के लिए 1500 करोड़ रुपयों की आवश्यकता होगी, जबकि वर्ष 1994-95 में केवल 50 लाख रुपये ही आवंटित किए गये हैं। यह स्थिति है और जब तक बरक बांध का निर्माण नहीं किया जाता तब तक बरक घाटी को बाढ़ से बचाया नहीं जा सकता। यह मामला एक लम्बे समय से लम्बित पड़ा हुआ है और इस संबंध में कुछ भी नहीं किया गया।

ब्रह्मपुत्र बोर्ड जिस पर इसकी जिम्मेदारी है, की कार्रवाई बहुत निराशाजनक रही है। मेरी सूचना के अनुसार-मैंने यह सूचना मंत्री महोदय को भी भेजी है-ब्रह्मपुत्र बोर्ड भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है और बोर्ड ने कोई ठोस कार्य नहीं किया और वह स्थिति का सामना करने की स्थिति में नहीं है।

अतः मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह ब्रह्मपुत्र बोर्ड का पुनरीक्षण करें और यदि आवश्यकता हो, तो पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों की बेहतरी के लिए वर्तमान ढांचे को बदलें।

पूर्वोत्तर राज्यों में नदी कटाव की बड़ी गम्भीर समस्या है, विशेषकर ब्रह्मपुत्र और बरक नदियों द्वारा कटाव के कारण काफी विध्वंस हुआ है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले को ब्रह्मपुत्र बोर्ड के सामने उठायें और यह सुनिश्चित करें कि किसी तरह ब्रह्मपुत्र और बरक नदी के कटाव की समस्या का समाधान हो जाये। विशेषकर, मैं कहना चाहूंगा कि सिल्चर और डिबरूगढ़ पूरी तरह से लुप्त होने की स्थिति में है। अतः इसे गम्भीरता से लिया जाना चाहिये और इन दो शहरों तथा अन्य शहरों को बचाने के लिए प्रयास किये जाने चाहिये।

महोदय, बदरपुर नदी टर्मिनल भी ऐसी योजनाओं में एक है। बदरपुर नदी योजना 1989 में मंजूर की गई थी लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। मंत्री महोदय ने यह सूचना दी थी कि इस संबंध में कार्य शुरू किया जाएगा। क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि जब 1989 में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई थी, तो आज तक कोई कार्य शुरू क्यों नहीं किया गया ? मैंने मंत्री महोदय से यह भी सुना है कि मार्च, 1993 तक 265 करोड़ रुपये की राशि राज्य सरकार को ऋण के रूप में दी गई थी। उन्होंने यह सूचना भी दी कि राज्य सरकार के पास इस कार्य को पूरा करने के लिए कोई निश्चित योजना नहीं है। क्या मैं मंत्री महोदय जी से यह जान सकता हूं कि उन्होंने इस मामले को राज्य सरकार के समक्ष उठाया है अथवा नहीं। उस धन का क्या हुआ, और क्या धन का सदुपयोग हुआ है अथवा नहीं ? मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह यह सुनिश्चित करें कि धन का दुरुपयोग

[श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ]

न हो। इस धन से पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के भाग्य को बदलने के लिए कुछ किया जा सकता है।

मैं मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात भी लाना चाहता हूं कि पूर्वोत्तर राज्यों में जल संसाधन विभाग अथवा ब्रह्मपुत्र बोर्ड अथवा उनकी एजेंसियां काम नहीं कर रहीं हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में कृषि की स्थिति बहुत खराब है और वहां कोई सिंचाई योजना नहीं बनाई गई है। अतः, इन सभी बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मेरा, मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में कम-से-कम पूर्वोत्तर राज्यों की जनता इससे वंचित न रहें और यह महसूस न करने लगे कि उनको देश के अन्य भागों से अलग कर दिया गया है।

मैं मंत्री महोदय से पुनः अनुरोध करता हूं कि वह इन सभी मामलों पर ध्यान दें।

[हिन्दी]

**श्री तारा सिंह** (कुरुक्षेत्र) : सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, मुझे आखिर में बोलने का समय दिया। मैं जल संसाधन मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि हमारे अपोजीशन के बहुत से मैम्बर साहिबान ने वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री के संबंध में जिस तरह की बातें कही हैं, वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री को क्रीटिसाइज किया है लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि इस मिनिस्ट्री ने जिस ढंग से काम किया है, वह वास्तव में स्वागत योग्य है, प्रशंसनीय है। देश की माली हालत को बढ़ाने में इस मिनिस्ट्री का बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण पार्ट रहा है। जहां पहले हमारे देश को लोगों का पेट भरने के लिये बाहर से अनाज मंगाना पड़ता था, इस मिनिस्ट्री के अच्छे काम के कारण आज हमारा सिर गर्व से ऊंचा हो गया है, अनाज के भण्डार हमारे यहां भरे हुये हैं और उसका सारा श्रेय इस वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री को ही जाता है जिसने देश की उन्नति के लिये अनेक प्रोजैक्ट बनाये, कई स्कीमों को चलाया। यदि मैं उन सबके बारे में यहां बोलूं तो अपने स्टेट की जो बातें मैं यहां रखना चाहता हूं वे सब रह जायेंगी। इसलिये मैं अपने स्टेट की दो–चार बातों की ओर सदन और मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर से मेरी दो–तीन दफा भेंट हुई। इनका जो वाइडर आउटलुक है, सारे देश के रीजनल बैलैंस को पानी के द्वारा कम्पलीट करने के लिये, इनका जो देखने का नजरिया है, उसे देखकर मैं बहुत खुशी महसूस करता हूं।

सभापति महोदय, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हरियाणा एक छोटा-सा राज्य है। इसने छोटा होते हुए भी अपना नाम खेती की उपज में ऊंचा किया है। मैं यह जानता हूं कि सेंट्रल पूल में पंजाब सबसे ज्यादा अनाज देता है, लेकिन उसके बाद हमारे हरियाणे का नाम आता है। बावजूद छोटी स्टेट होने के, मैं समझता हूं कि हरियाणा का किसान, मजदूर, साइंटिस्ट और रिसर्च करने वालों का बहुत बड़ा योगदान इसको दूसरे नंबर पर लाने में है। लेकिन थोड़ी-सी कुछ तकलीफ की बातें हैं जिनको इगनोर नहीं किया जा सकता है।

मुझे यह कहने में बिलकुल झिझक नहीं है कि हमने हरियाणे के एक कोने से दूसरे कोने तक पानी पहुंचा कर सारे हरियाणे को सरसब्जा किया है। उसी के कारण हरियाणे में यह उपज बढ़ी है, लेकिन मुझे यह कहना पड़ा है कि हमारे यहां कई हिस्सों में ओवर यूटिलाइजेशन पानी

का हो चुका है और पानी का ग्राउंड वाटर लैवल इतना नीचे चला गया है कि आने वाले समय में ट्यूबवैल चल सकेंगे या नहीं समझ में नहीं आता क्योंकि हर साल 7–8 फीट नीचे वाटर का लैवल चला जाता है और इसको जो आदमी नीचे चालू करने जाते हैं उनमें से 10–20 केस हर बार ऐसे हो जाते हैं जिनमें आदमी अपनी जान खो बैठते हैं।

सभापति महोदय, मेरी एस.वाई.एल. कैनाल की एक दूसरी मांग है। हमने पिछले 14–15 सालों में इस नहर का 91 किलो मीटर हिस्सा बना लिया है जो हरियाणे के पोरशन में पड़ता है। जो हिस्सा पंजाब को बनाना था उस 121 किलोमीटर में से अधिकांश पंजाब ने भी बना लिया है, लेकिन हमारे पंजाब के कुछ भाई ऐसे हैं जो बाकी हिस्से को नहीं बनने देना चाहते हैं क्योंकि इससे हरियाणे का फायदा होना है। मैं समझता हूं कि हम इस विशाल देश में रहते हैं और उसके बाद यदि हम यह सोचें कि यह पंजाब का है और यह हरियाणे का है, तो ऐसा सोचना ठीक नहीं है। यह देश तो एक है। इसका पानी हरियाणे को जाएगा, इसलिए इसको नहीं बनने देना चाहिए, ऐसा सोचना बहुत गलत है।

सभापति महोदय, यह राबी का पानी पाकिस्तान से खरीदा गया था और उस समय पंजाब जाइंट था। तब अंबाला से ऊपर का जो इलाका था वह अच्छी तरह से सैराब था और उससे नीचे का इलाका जो होडल वगैरह का था वह खुश्क था। दरसल यह पानी इसी खुश्क इलाके को सैराब करने के लिए था। अब वहां के कई भाई कहते हैं कि हरियाणा राइपेरियन स्टेट नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि इसका मतलब क्या है। वह पानी इसी इलाके के लिए खरीदा गया था, तो राइपेरियन स्टेट का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसमें राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली का हिस्सा है। इसलिए इन क्षेत्रों को पानी दिया जाना चाहिए। इसमें रुकावट पैदा करना हरियाणे के साथ दगा करने के बराबर है। यह देशभक्ति के विरुद्ध काम करने के बराबर है। मैं समझता हूं कि यह देश के हित की नहीं, देश के नुकसान की बात है।

सभापति महोदय, आज अगर हरियाणा में ज्यादा अनाज पैदा होगा तो उसका फायदा सारे देश को होगा। आज दिल्ली में पानी आएगा, तो सब को सुविधा होगी। यहां दिल्ली में आज हम लोग हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र आदि सभी प्रदेशों के लोग बैठे हैं। उन सभी को पीने का पानी उपलब्ध होगा। इसलिए हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए और न इस प्रकार से सोचना चाहिए। मुझे इस एस.वाई.एल. की हिस्ट्री बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस कैनाल के लिए कई बार कमीशन बैठे हैं। उसका कई बार डिसीज़न हो चुका। हमारी नेता स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने दो बार उसका फैसला किया। जो लोग यह कहते हैं कि वे हमारी आदरणीय नेता थीं, वे भी उनके दिए हुए फरमान से पीछे हटने की बात करते हैं। यह कोई अच्छी बात नहीं है।

ताजेवाला हैड वर्क्स अंग्रेजों के समय बना था। उसकी मियाद आज से 20 साल पहले खत्म हो चुकी है। वह डैमेज भी हो गया है। उसके बाद मेरे ख्याल से 50 मिटिंग्स हो चुकी हैं लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मैं 1981–82 में जब इरीगेशन मिनिस्टर था, उस समय भी उसकी बात चली थी। जैसा मैंने पहले कहा, हमें यह नज़र नहीं आ रहा कि हम हिन्दुस्तानी हैं, आज हम हरियाणवी बन रहे हैं, पंजाबी बन रहे हैं। इससे देश का नुकसान हो रहा है। मैं कई बार सोचता हूं कि यदि वह बैराज बह गया जो हरियाणा की इरीगेशन कई साल तक चालू नहीं हो सकेगी और उस प्रान्त का कितना भारी नुकसान होगा, उसे मैं बयान नहीं कर सकता। उसी तरह से हथिनीकुंड का प्रोग्राम भी कई बार बन चुका। उसके लिए 15 साल से जो मशीनरी पड़ी

[श्री तारा सिंह]

हुई है, उसे भी जंग लग गया है। उसके बनने से मोटे तौर पर यह फायदा होने वाला है कि यदि इम्प्रूव्ड बैराज बनेगा तो उससे स्टोरेज फैसिलिटी भी होगी, बारिश का जो पानी होता है वह भी स्टोर हो सकेगा जिससे बैटर इरीगेशन हो सकेगी। उससे हरियाणा को भी पानी मिलेगा और दिल्ली को भी सप्लाई हो सकेगा। उसमें रुकावट डालने की एक ही वजह है कि हमारे यू.पी. के भाई मेजौरिटी में हैं, उनके पार्लियामैंट में ज्यादा मैम्बर हैं। मैं समझता हूं कि यह देशपरस्ती की बात नहीं है, देशद्रोही की बात है।

हमने हरियाणा में स्टोरेज डैम बना रखे हैं। कुछ बनाए हैं, कुछ अंडर प्रपोज़ल हैं। जैसे कोटला लेक, बी.बी. पुर लेक। इसी तरह से जसपुर बैराज और धनौरा बैराज का भी प्रपोज़ल है। ये दोनों बैराज मेरी कौन्सटीटूएंसी के साथ लगने वाले हैं। मेरी कौन्सटीटूएंसी जिसे कुरुक्षेत्र कौन्सटीटूएंसी कहते हैं, जिसका नाम आज सारे हिन्दुस्तान में मशहूर है, जितनी उपज कुरुक्षेत्र में हुई, जितना पर–एकड़ प्रोडक्शन, चाहे गेहूं हो या चावल, कुरुक्षेत्र का है उतना शायद लुधियाना का भी नहीं है। लेकिन कुछ भाई, जो किसानों के बहुत हमदर्द बनते हैं, जब उनकी हुकुमत आई तो कुरुक्षेत्र को लंगड़ा कर दिया, एक जिले के चार जिले बना दिए ताकि वे इकठ्ठे न रह सकें।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जसपुर, धनौरा और दादूपुर–नलवी नहर, इन तीनों जगहों की स्कीमों का जल्दी से जल्दी निर्माण करवाएं। और ज्यादा से ज्यादा पैसा दें ताकि उनका काम रुक न सके।

इसी तरह से कसाऊ और रेनूका डैम है। ये दोनों इस परपज के लिये हैं कि बारिश के पानी को रोका जा सके। इस डैम से ज्यादा पानी रुक सकेगा। लीन सीजन में इस पानी का हम इस्तेमाल कर सकेंगे। ये दोनों ही डैम बहुत जरूरी हैं।

अंग्रेजों के वक्त से ही इरिगेशन नैट वर्क था और इसकी बड़ी महत्ता थी। नहरों को ठीक चलाना, रजवाड़ों को ठीक चलाना और हल ठीक चलाना पहले नम्बर में गिने जाते थे लेकिन मेनटेनैन्स पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। इससे किसानों को पूरा पानी नहीं मिल रहा है। वह ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे सरकार उनकी मदद नहीं करना चाहती है। स्पैशल पैसे भेज कर इरिगेशन नैट वर्क को आप आगे बढ़ायें। मेनटेनैन्स पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिये क्यों कि किसान की जिन्दगी पानी से जुड़ी हुई है। पानी के संबंध में किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिये। अगर पानी के सम्बन्ध में भेदभाव होगा तो उनके मन में गुस्सा आयेगा। मैं खुद इस बात को महसूस करता हूं क्योंकि मैं खुद काश्तकार हूं।

स्प्रिंक्लर इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन पर उतने पैसे नहीं रखे गये हैं, जितने की रखने चाहिये थे। अगर हम थोड़े से पानी का ही ठीक से इस्तेमाल कर लें तो किसानों की खेती अच्छी हो सकती है।

**श्री तेज नारायण सिंह** (बक्सर) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का जो समय दिया, उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

कृषि के लिये सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 70 परसैंट लोग खेती पर निर्भर करते हैं और केवल 30 परसैंट लोग उद्योग चला कर जिन्दा रहते हैं। सरकार को सिंचाई का अधिक से अधिक प्रबन्ध करना चाहिये था। दुख के साथ कहना पड़ता है कि 46

वर्षों की आजादी के बाद भी अभी तक केवल दो राज्य सिंचाई के मामले में आत्मनिर्भर हैं – पहला पंजाब और दूसरा हरियाणा। दो राज्यों के अलावा कोई भी राज्य इस मामले में आत्मनिर्भर नहीं है। अगर सुखाड़ आता है तो केवल धन का बाल उठने के समय ही तबाही होती है। उस समय किसान को न तो डीजल मिलता है, न ही बिजली की लाइन मिलती है और न आकाश से पानी गिरता है। अगर सरकार पहले इंतजाम कर दे तो सुखाड़ से किसानों की फसल बर्बाद नहीं होगी, लेकिन सरकार ने ऐसा कोई इंतजाम नहीं किया है। बहुत लोग यह सोचते हैं कि सरकार अगर ट्यूबवैल लगा दे तो समस्या का समाधान हो जायेगा। इस देश में इतनी प्राकृतिक सम्पदा है कि सरकार को ट्यूबवैल उधर गढ़वाने की जरूरत नहीं है। मैं बिहार को ही लेता हूं। बिहार में जितनी नदियां हैं, अगर उनको बांध दिया जाये तो बिहार में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। अंग्रेजों के जमाने से बनी हुई सोन नहर है जिससे 22 लाख हैक्टेयर जमीन का पटवन होता है। सोन नहर 125 वर्ष पहले बनी थी।

आज उस नहर की हालत बहुत दयनीय है। दोनों तरफ के बैक टूट गये हैं। पुल टूट गए हैं। अगर उस नहर को फिर से पक्का बना दिया जाय तो लोगों का कहना है कि 32 लाख एकड़ जमीन का पटवन होगा लेकिन इसमें 25 अरब रुपया खर्च होना है। यह मामला 1960 से लोक सभा में उठाया जा रहा है लेकिन भारत सरकार के द्वारा उस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया गया है। जब हम लोग कहते हैं, रुपये की मांग करते हैं, तब विभाग के द्वारा कहा जाता है कि रुपया भेजा जा रहा है। 1990 में केंवल 22 करोड़ रुपया बिहार सरकार को दिया गया था। उसमें केवल एक नहर पायलट योजना के तहत ली गयी, बाकी नहरों पर अभी तक मिट्टी भी नहीं फेंकी गई है। अगर सोन नहर को पक्का बना दिया जाय तो कम से कम 6 जिलों के किसान सिंचाई के मामले में आत्मनिर्भर हो जायेंगे। इतना ही नहीं, बिहार में गंगा नदी है। गंगा नदी को अगर मिर्जापुर में बांध दिया जाय और बांधकर सोन नहर में पानी गिरा दिया जाय तो मैं समझता हूं कि बिहार में केवल 32 लाख एकड़ ही नहीं, और 32 लाख एकड़ जमीन का पटवन हो सकता है लेकिन सरकार इस काम को नहीं कर रही है।

अगर कोसी में ठीक से पानी का इन्तजाम कर दिया जाय, तब भी बिहार की हालत सुधर सकती है। मैं तो आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में अगर मलई योजना को चालू कर दिया जाय, जिसमें केवल 5 करोड़ रुपये का खर्च है तो 14 हजार एकड़ जमीन का पटवन होगा। मैंने इस बात को कई बार संसदीय परामर्शदात्री समिति में भी उठाया है। मंत्री महोदय ने भी आश्वासन दिया कि 5 करोड़ रुपया भारत सरकार बिहार सरकार को जरूर देगी, लेकिन अभी तक एक पैसा भी नहीं दिया गया। यह मलई योजना चालू हो जाय तो 14 हजार एकड़ जमीन का पटवन होगा और फिर सोन नदी के पानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब तक वह योजना चालू नहीं होती है, तब तक वह पानी गंगा नदी में गिरता रहेगा। इतना ही नहीं मलई योजना की ही बात नहीं, अगर जगदीशपुर में बनास नदी को बांध दिया जाय तो 20 हजार एकड़ जमीन का पटवन होगा।

**5.37 म.प.**

**(श्री तारा सिंह, सभापति पीठासीन हुए)**

जगदीशपुर से लेकर बनाहीं, शाहपुर तक जमीन का पटवन होगा और जो हम एक फसल भी नहीं काट पाते हैं, वहां मैं समझता हूं कि हम 3–3 फसंल काट सकेंगे, फिर भी वह पानी घटने वाला नहीं है।

[श्री तेज नारायण सिंह]

मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे देश में प्रकृति की दी हुई चीजें तो हैं लेकिन उनका भी यह सरकार उपयोग नहीं करती है। उसमें कोई खर्च भी नहीं है, केवल योजना को बनाने में ही जितना खर्च होगा, वह होगा, नहीं तो पानी जमा होता है, वह पानी खेत में चला जायेगा और फिर एक पैसा भी उसमें सरकार का नहीं लगना है लेकिन वह काम भी सरकार नहीं कर रही है। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि इतने दिनों तक आपने बिहार सरकार की हालत को ठीक नहीं किया इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि बिहार सरकार को 25 अरब रुपया सोन नहर को पक्का बनाने के लिए दीजिए। 5 करोड़ रुपया मलई योजना को चालू करने के लिए दीजिए। कम से कम 10 करोड़ रुपया जगदीशपुर में बनारस नदी को बांधने के लिए दीजिए ताकि लाखों एकड़ जमीन का पटवन हो सके।

अगर आप बिहार को अधिक से अधिक पैसा देंगे तो बिहार भी एक ऐसा स्टेट है जो आपको अधिक मात्रा में गेहूं और चावल दे सकता है। अभी हमारे यहां कृषि का कोई इन्तजाम नहीं है लेकिन आपने सरकार का आंकड़ा देखा होगा। बिहार ने इस बार अधिक से अधिक गेहूं आपको दिया है। जहां तक मुझे जानकारी है, दो राज्यों के बाद तीसरा नम्बर बिहार का है जबकि आपने कुछ भी हम लोगों को नहीं दिया है। बिहार की जमीन इतनी उपजाऊ है कि अगर उसमें सिंचाई का इन्तजाम हो जाय तो देश ही नहीं, विदेश को भी वह अन्न खिला सकता है इसलिए मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि बिहार को अधिक से अधिक रुपया दीजिए। बिहार की जो भी योजनाएं पैंडिग हैं और उन योजनाओं को आप चालू करवाइये।

सरकार की तरफ से कहा जाता है कि बिहार को हमने तो बहुत रुपया दिया लेकिन रुपया खर्च नहीं हो रहा है। मैं समझता हूं कि भारत सरकार को अधिकार है कि जो रुपया राज्य सरकारों को वह देती है, वह रुपया खर्च हुआ कि नहीं हुआ, उसको वह देखें। कोई कहता है कि राज्य सरकारों पर हमारा अंकुश नहीं रहेगा लेकिन मैं समझता हूं कि संविधान के मुताबिक और कानून के मुताबिक भारत सरकार का राज्य सरकार पर अंकुश है। आपने जो रुपया दिया, वह रुपया खर्च हुआ कि नहीं हुआ, यह देखने का अधिकार भारत सरकार को है। अगर भारत सरकार केवल बहाना बना लेती है कि कोई राज्य सरकार काम नहीं कर रही है तो मैं समझता हूं कि यह केवल बहाना है और कोई ठीक बात नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बिहार सरकार को रुपया दीजिए। अगर आप उत्तर प्रदेश में जायें ट्रेन के द्वारा, तो रेल लाइन के दोनों तरफ लाखों एकड़ जमीन परती पड़ी हुई है। मैं समझता हूं कि अगर उस जमीन में पानी का इन्तजाम कर दिया जाए, तो अच्छी पैदावार हो सकती है। अगल–बगल जमीन में पैदा होता है। मैं समझता हूं कि जिस तरह से बिहार को आपने रुपया न देकर कंगाल बनाया है, उस तरह से उत्तर प्रदेश को भी आप रुपया नहीं देते हैं। उत्तर प्रदेश को आपने जितना रुपया दिया है, उससे उन्होंने कई जगहों पर लिफ्ट इरिगेशन किया है। उत्तर प्रदेश मेरे क्षेत्र के बार्डर पर पड़ता है। मैं देखता हूं कि मुगलसराय से लेकर, बनारस से लेकर बलिया तक तमाम जगहों पर नहरें निकाल दी गई हैं। बनिहार लोग जो हमारे यहां कटिया करने के लिए आते थे, आज इस काम को करने के लिए उत्तर प्रदेश से एक भी आदमी नहीं आता है। इसलिए नहीं आता है कि गंगा का पानी उत्तर प्रदेश के लोग सिंचाई के काम में लिफ्ट इरिगेशन के द्वारा काम में ला रहे हैं। इसलिए मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि जहां–जहां भी देश में सिंचाई के साधन नहीं हैं, उन जगहों पर आप रुपया देकर सिंचाई का इन्तजाम कराइए। अभी देश में ऐसी भी जगहें हैं, जहां देश में पीने का पानी

भी नहीं मिलता है। जब पीने का पानी भी नहीं मिलता है, तो सिंचाई का काम कैसे हो सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जहां पीने के पानी की कमी है, वहां पीने के पानी का इन्तजाम कराया जाए। मुझे महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में भी जाने का मौका मिला है। इन राज्यों में भी सिंचाई की व्यवस्था उत्तम नहीं है। अगर इन राज्यों में भी सिंचाई की व्यवस्था करा दी जाए, तो मैं समझता हूं कि वहां पर किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। गंगा नदी के जल से सिंचाई का भी इन्तजाम हो सकता है और जब उस नदी में वर्षा के दिनों में पानी आता है, तो बाढ़ भी जबरदस्त आती है। बाढ़ से खास तौर से बिहार को काफी नुकसान होता है और बाढ़ के दिनों में लोग तबाह हो जाते हैं।

मैं यह भी कहना चाहता हूं, भारत सरकार ने बक्सर से कोइलवर तक तटबन्ध बनवाने का काम किया है, लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आज 12 वर्ष हो गए हैं उस काम में लगे हुए लेकिन वह काम आज तक समाप्त नहीं हुआ है। इंजीनियरों का कहना है कि उस बांध को बना देने से गंगा का कटाव कम हो जाएगा। अभी बांध बन कर तैयार नहीं हुआ है, गंगा का कटाव जारी है और हज़ारों गांव गंगा के कटाव में चले गए हैं। यह प्रश्न मैंने कई बार यहां पर उठाया है और बिहार सरकार को भी लिख कर दिया है। न भारत सरकार की तरफ से कटाव को रोकने का कोई इन्तजाम हो रहा है और न बिहार राज्य की तरफ से कोई इन्तजाम हो रहा है। बिहार जल संसाधन मंत्री कहते हैं कि हमारे पास रुपया नहीं आता है, इसलिए हम काम नहीं करा सकते हैं। मैं भारत सरकार के जल संसाधन मंत्री से कहना चाहता हूं कि वह तटबन्ध बना दिया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी गाजीपुर से लेकर बलिया तक तटबन्ध बना दिया है। हमारे यहां जब बाढ़ आती है, तो बक्सर का टिला भी खतरे में पड़ जाता है। जिस दिन यह टिला गंगा में गया उस दिन कोई ठोर–ठिकाना नहीं रहेगा। चौसा से लेकर अर्जुनपुर, मानिकपुर, मझरिया, तिलरायकहवा, इन तमाम गांवों में आधे से ज्यादा लोग गांवों को छोड़कर दूसरी जगहों पर चले गए हैं। इसलिए मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आपको अधिकार है, भारत सरकार के पास रुपये का भण्डार है, उस रुपये को आप बिहार को दें, जिससे बिहार में जो कटाव होता है, उस कटाव को रोका जाए। जिन लोगों की जिन्दगी खतरे में पड जाती है, उन लोगों की जिन्दगी खतरे में न पड़े। साथ-ही-साथ खेती करने लायक जमीन जो गंगा के पेट में चली जाती है, कम-से-कम वह जमीन बच जाए अगर वह जमीन बच जाएगी, तो मैं कहना चाहता हूं कि वह जमीन ऐसी है कि एक एकड़ में 40 क्विंटल से कम गेहूं नहीं देगी। इसलिए मैं भारत सरकार से मांग करना चाहता हूं कि उस कीमती जमीन को गंगा की चपेट में आने से रोका जाए।

अंत में, मैं कहना चाहता हूं कि आपने बिहार सरकार को बहुत ही कम रुपया दिया है। आपने बिहार के लिए कुछ नहीं दिया है। आप बिहार के लिए कुछ दीजिए, जिससे वहां सिंचाई का इन्तजाम हो सके और अधिक-से-अधिक लोग खेती में जाकर अपना गुजर–बसर कर सकें। नहीं तो मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं कि कोई भी राज्य बकाया नहीं, जहां पर कि बिहार राज्य के मजदूर जाकर काम नहीं करते हैं। और राज्यों के मजदूर दूसरे राज्यों में जाकर काम नहीं करते हैं। बिहार ही एक ऐसा राज्य है, जहां के मजदूर उत्तर प्रदेश में जायें, या दिल्ली में जायें, बल्कि मैं तो समझता हूं कि देश की ऐसी कोई भी राजधानी बकाया नहीं है, जहां पर कि बिहार के मजदूर काम नहीं करते हैं। अगर बिहार में सिंचाई का इंतजाम हो जाए तो एक भी आदमी अपना घर छोड़ कर दूसरी जगह नहीं जाएगा। इसलिए मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि आपकी

[श्री तेज नारायण सिंह]

बाजू बहुत लम्बी है। आपके पास रुपये का भंडार भी है ऐसा कहा जा सकता है कि आपके पास कुबेर का भंडार है। इसलिए कुबेर के भंडार को आप केवल मध्य प्रदेश में ही न ले जाएं, बिहार की तरफ भी कुबेर का भंडार देने का कष्ट करें जिससे बिहार का उद्धार हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

**[अनुवाद]**

**श्री पी.सी. थामस** (मुवत्तुपुजा) : सभापति महोदय, सबसे पहले, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। मैं जल संसाधन मंत्रालय संबंधी अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जिस मंत्रालय को पहले हमेशा चर्चा से बाहर रखा जाता था इस बार उसे सबसे पहले चर्चा करने का अवसर शायद न केवल जल संसाधनों की वजह से बल्कि जल संसाधन मंत्री के प्रभाव के कारण ही दिया गया है।

जहां तक विषय का संबंध है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जो धनराशि आवंटित की गई है वह आठवीं योजना के कुल परिव्यय का लगभग 7.49 प्रतिशत है। इस धनराशि का उपयोग समुचित ढंग से तथा बजट प्रावधानों में उल्लिखित अनुसार किया जा सकता है। मुझे धनराशि के आवंटन तथा सामान्य नीति संबंधी मामलों के बारे में केवल एक या दो बातें कहनी हैं।

जहां तक इस मंत्रालय का संबंध है, केन्द्रीय मंत्रालय का कार्य नीति निर्धारण करना तथा दिशा–निर्देशा देना है। केन्द्रीय क्षेत्र में इस मंत्रालय के पास जो धनराशि है, बहुत ही कम है और जिन राज्यों को धनराशि आवंटित की गई है वह उन–उन राज्यों द्वारा की गई मांगों के अनुसार आवंटित की गई है। लेकिन मुझे यह कहना है कि जब राज्यों की मांगों पर क्विार किया जाता है, तो उस समय राज्यों की भौगोलिक स्थिति तथा भौगोलिक आवश्कताओं पर पुनर्विचार किया जाना चाहिये तथा इसकी समीक्षा की जानी चाहिये। मैं मंत्री महोदय तथा संबंधित अधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि इस बात को ध्यान में रखें। मैं अपने राज्य केरल के संबंध में एक उदाहरण दे सकता हूं। वहां, ग्राम व्यवस्था बिल्कुल अलग है। केरल में उस प्रकार की वास्तविक ग्राम व्यवस्था नहीं है जो कि देश के अन्य भागों में प्रचलित है। केरल में आपको एक ही स्थान पर कई मकान बने हुए नहीं दिखेंगे जैसा कि अधिकांशतः अन्य शहरों में दिखाई देते हैं जहां पर 300, 400 यहां तक कि हजारों मकान एक गांव में एक ही स्थान पर दिखाई पड़ते हैं। तत्पश्चात् कई कि.मी. की लम्बाई तक फैला हुआ खेत/फार्म अथवा कृषि क्षेत्र दिखाई देता है और उसके बाद ही दूसरा गांव दिखाई देता है। लेकिन केरल में आपको हर कौने में एक मकान सड़क, खेत/फार्म, तथा एक दुकान दिखाई देगी। केरल में पूरे क्षेत्र में सब कुछ फैला हुआ है। आप जानते ही हैं कि केरल एक घनी आबादी वाला राज्य है। अतः जब धनराशि जाने वाली सामान्य प्रक्रिया अथवा सामान्य तरीका ऐसे राज्य के लिए उचित नहीं हो सकता। मैं यहां पर एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। यदि केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत प्रत्येक गांव में एक नलकूप लगाया जाता है, तो मुझे यकीन है कि उससे बहुत से गांवों को लाभ पहुंचेगा। जहां तक लागत का संबंध है, वह एक बहुत बड़ी योजना हो जाएगी। लेकिन केरल के मामले में यदि ऐसी योजना लागू की जाती है, तो यह योजना किसी भी स्थान तक नहीं पहुंच पायेगी। इस तरह से आबंटन किया जाता है। यह तो केवल एक उदाहरण है जिसे मैं उद्धृत कर रहा हूं। इसलिये, मैं यह सोचता हूं कि जब आंबटन किया जा रहा है, तो उस प्रकार के राज्यों पर पर्याप्त रूप से विचार नहीं किया जा रहा है। केरल सरकार

ने, जो इस क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रही है, बहुत-सी योजनाएं बनायी हैं। ऐसी एक योजना मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी बनायी गयी है। यह एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। एक मीनाचिल नदी घाटी परियोजना भी बनायी गयी है। मंत्री जी इसके बारे में जानते हैं। इस परियोजना के बारे में उन्होंने कई बार चर्चा की है।

मुझे यकीन है कि केन्द्र सरकार ने स्वीकृति देनी है। निःसंदेह, कुछेक कठिनाइयां भी हो सकती हैं जो पर्यावरण वादियों अथवा तथा कथित लोगों द्वारा पैदा की गई हैं जो इस पर कुछ आपत्ति उठा रहे हैं। जहां तक इस योजना का संबंध है, विशेषज्ञों ने यह बताया है कि इससे पर्यावरण की समस्या नहीं होगी। लेकिन इसके बावजूद अनेक व्यक्तियों, अनेक दलों अनेक राजनीतिक समूहों द्वारा ऐसे राजनैतिक कदम उठाए जा रहे हैं कि किसी-न-किसी तरह ऐसी समस्या बनी रहे और ऐसी योजना लागू न की जा सके। मैं सोचता हूं कि इसे एक गंभीर मामला समझा जाना चाहिए। केन्द्रीय सरकार को इस योजना को स्वीकृति प्रदान करनी चाहिए।

एक अन्य योजना भी है। जहां तक प्राथमिकताओं का प्रश्न है, जैसा कि परिचर्चा से भी पता चलता है कि इस आठवीं योजना में पहली प्राथमिकता चालू परियोजनाओं को दी जा रही है। यह चालू परियोजना जो केरल राज्य में बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रही है, मुवुन्तुपूजा नदी घाटी परियोजना है। यह एक ऐसी परियोजना है जिसके निर्माण में विगत कई वर्षों से कोई प्रगति नहीं हो रही थी। अब इस कार्य को शुरू किया गया है और अब इस कार्य में अच्छी प्रगति हो रही है। मैं सोचता हूं कि यदि केन्द्र सरकार इस परियोजना को लिये पर्याप्त संसाधन जुटाती है तो हम इसे, इसके लिये निर्धारित समय में ही पूरा कर लेंगे। यदि ऐसा होता है, तो लागत में काफी बचत हो सकती है।

मैं समयाभाव के कारण, इस समय अन्य बातों पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं एक अन्य परियोजना के बारे में कहना चाहता हूं जो विशेषकर मेरे राज्य में काफी लाभप्रद पायी गई है और वह है सामुदायिक सिंचाई परियोजना योजना, जो गांव में निचले स्तर तक कार्यान्वित की गई है। यह योजना निर्धन ग्रामीणों, निर्धन किसानों, निर्धन कृषक समुदाय और खेतिहरों को पर्याप्त लाभ प्रदान करती है। यह योजना समूचे भारत में लागू की जा सकती है और इसे बहुत ही अच्छे ढंग से लागू किया जा सकता है। मुझे यकीन है कि यह योजना बहुत अच्छे तरीके से लागू की जा रही है। यह योजना 1986 में शुरू की गई थी जिसके लिये विश्व बैंक तथा अन्य बाह्य अभिकरण योजना को सहायता प्रदान करने के लिये आगे आये थे। मैं सोचता हूं कि यदि केन्द्र इस योजना को पर्याप्त गति प्रदान करता है, धनराशि प्रदान करने वाले अभिकरण इस योजना के लिये पर्याप्त धनराशि प्रदान करते हैं, तो मेरा मत है कि आगे चल कर यह योजना काफी सफलता प्राप्त करेगी। मैं यह आग्रह करता हूं कि केन्द्र सरकार को इस परियोजना को पर्याप्त सहायता प्रदान करनी चाहिये। बोलने का अवसर प्रदान करने के लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

**[हिन्दी]**

**श्री भूपेन्द्र सिंह हूड्डा** (रोहतक) : सभापति महोदय, मैं वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री की डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरे से पहले जो साथी बोले उन्होंने और खासकर राजवीर सिंह जी ने भी यही बात की कि पानी एक ऐसा मसला है जो आने वाले

[श्री भूपेन्द्र सिंह हूड्डा]

समय का एक महत्वपूर्ण मसला है। चाहे बेरोजगारी दूर करने का सवाल हो या लोगों की आमदनी बढ़ाने का सवाल हो, पानी का महत्वपूर्ण स्थान है।

सभापति महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि 1994–95 के बजट में सिंचित क्षेत्र का टारगेट 2.4 मिलियन हैक्टर बढ़ाने का रखा गया है, एडीशनल एरिया में सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी और 44800 हैक्टर एरिया में ड्रिप इरीगेशन का प्रबंध किया जाएगा। इसका पूरा विश्लेषण करें तो इसमें हजारों करोड़ का खर्चा किया जाएगा।

मान्यवर, जब हमारा देश आजाद हुआ तो पंडित नेहरू ने, कांग्रेस सरकार ने बड़ी–बड़ी योजनाएं तैयार कीं बड़े–बड़े बांध बनाए, जिनके माध्यम से 83.4 मिलियन हैक्टर कृषि क्षेत्र सिंचाई के लिये तैयार किया गया और 75.1 मिलियन हैक्टर में सिंचाई का प्रबंध किया जा सका। इसका मतलब है कि 8 मिलियन हैक्टर ऐसी कृषि भूमि है जहां हम सिंचाई का प्रबंध नहीं कर सके।

पिछले साल के बजट में 280 करोड़ रुपये का प्रावधान था और इस साल 261 करोड़ रुपये का प्रावधान है। आजादी के बाद हमने सिंचाई के मीडिया या मेजर प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है उसका हम पूरा फायदा नहीं उठा सकेंगे। हर स्टेट जैसे– पंजाब, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक या तमिलनाडु में इंटर डिस्पयुट खड़े हो गए हैं। इन सब को देखते हुए देश को एक रखना है तो पानी का प्रबन्ध करना होगा यानी पानी राष्ट्रीय संपत्ति होनी चाहिए न कि इसका नियंत्रण स्टेट को दिया जाए। जब तक पानी को राष्ट्रीय संपत्ति मानकर पूरे देश में इक्वीटेबल डिस्ट्रीब्युशन नहीं होगा तो पूरा देश प्रगति नहीं कर सकता है। आज तक हमने कोई अपनी नेशनल पालिसी ओन इर्रीगेशन नहीं बनाई है। सभापति जी, आपने अभी कहा था कि आपके इलाके में वाटर लेबल नीचे जा रहा है। हमारी जो सिंचाई पद्धति है वह सरफेस इर्रीगेशन से है। जब पानी आएगा तो वाटर लेबल ऊपर होता चला जाएगा। जैसे– पंजाब का इलाका सोना उगल रहा है। वहां पर सरफेस इर्रीगेशन होती रही तो 10–15 साल बाद वाटर लेबल इतना ऊपर हो जाएगा कि वहां पर पैदावार नहीं हो सकेगी। सरफेस इर्रीगेशन के साथ सब–सायल ड्रेनेज का प्रबन्ध नहीं होगा तो वाटर लेबल को कंट्रोल नहीं कर सकते। जितनी भी हमारी रिवर वैलीज है तो उनकी सेंट्रल अथारिटी और नेशनल पालिसी होनी चाहिए। मैं अपने स्टेट की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। वहां पर हथिनि कुंड और ताजेवाला बराज है। हथिनि कुंड बराज अपनी उम्र पूरी कर चुका है। उसका आगमेंटेशन नहीं हुआ और वह टूट गया तो दिल्ली तक की कोई संपत्ति नहीं बचेगी क्योंकि इतना पानी यहां पर आ जाएगा। आज समय है इसलिए उसका आगमेंटेशन किया जाए और जितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वह होनी चाहिए। श्री राजबीर सिंह जी ने डा. के.एल. राव की चर्चा की। मैं समझता हूं कि अगर हिंदुस्तान की प्रगति करनी है और अपने बच्चों का भविष्य सोचना है तो डा. के.एल. राव जो स्कीम बनाकर गए हैं तो उसको गीता या बाईबल मानकर इम्पलीमेंट करेंगे तो हिंदुस्तान का भविष्य उज्जवल हो सकता है दिल्ली में पानी के बारे में श्री खुराना जी कभी हरियाणा या पंजाब के मुख्य मंत्री से बात करते हैं। डा. के. एल. राव ने 1962–63 में किसाऊ एक डैम की मंजूरी की थी, इसमें पंजाब, राजस्थान और यू.पी. स्टेट के दस्तखत थे और उसका अलग से प्रावधान किया था। आप हमारे जल संसाधन मंत्री हैं तो आपने एक साल पहले संसद में आश्वासन दिया था कि किसाऊ डैम यमुनी नदी पर बनेगा। यमुना नदी में 80 फीसदी पानी फ्लड से आता है लेकिन वह युटिलाईज नहीं होता है। बर्फ से जो पानी पिघलकर आता है उसकी मात्रा कम है।

**6.00 म.प.**

बारिश के दिनों में पानी की मात्रा ज्यादा है। मेरा आपसे निवेदन है कि यमुना नदी पर किसाऊ डैम बनाया जाये।

पंजाब और हरियाणा के बीच दूसरा मुख्य झगड़ा एस. वाई. एल. को लेकर है। भाई जगमीत यहां पर बैठे हुए हैं, कई बार वे कहते है कि मैं इसको नहीं खुदने दूंगा। लेकिन मैं इनका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं जब आज से साठ साल पहले भाखड़ा डैम बनाने का फैसला चौधरी छोटू राम ने लिया था, उस समय यह साठ बांध पांच जिलों के लिए बनना था। जिसमें से दो जिले अब पंजाब में हैं और बाकी के तीन जिले रोहतक, हिसार और गुड़गांव आज के हरियाणा में हैं। पंजाब और हरियाणा अलग-अलग हुए, एसेट्स लाइबिलिटीज अलग-अलग बढ़ी। भाखड़ा डैम पर कुल लागत का 60 प्रतिशत पैसा हरियाणा ने भुगता। इसलिए हरियाणा को अपना हिस्सा मिलना चाहिए। एस.वाई.एल. आज तक पूरी नहीं हुई। जबकि पूर्व प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी जी ने भी इसके लिए प्रयास किये थे। राजीव गांधी जी भी इसको जल्दी से जल्दी बनाना चाहते थे और उन्होंने इस सम्बन्ध में राजीव-लोंगोवाल समझौता भी किया था।

सभापति महोदय, चार-पांच सदस्य और बोलने को कह गये हैं, अगर सदन की अनुमति हो तो सदन का समय एक घंटे के लिए और बढ़ा देते हैं।

**[अनुवाद]**

**जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : यदि हम 7.00 बजे तक चर्चा जारी रखते हैं तो हम यथा संभव अधिक राज्यों के सदस्यों को समय दे सकेंगे। मैं अपना उत्तर कल दे दूंगा।

**[हिन्दी]**

**श्री भूपेन्द्र सिंह हूड्डा** : हमारे वर्तमान प्रधान मंत्री श्री नरसिंह राव भी चाहते हैं कि हरियाणा के किसानों को जल्दी से जल्दी पानी मिले। लेकिन 25 साल हो गये, एस.वाई.एल. पूरी नहीं खुदी। इसको भी मैं समझता हूं कि राजनैतिक कारण हैं। तीन मुद्दों का झगड़ा पंजाब-हरियाणा का है। पानी का, राजधानी का और कुछ इलाकों का जो भी सरकार इन राज्यों में होती है वह तीनों मुद्दों को इकठ्ठा जोड़ती है। मेरा निवेदन है कि पानी के बारे में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसका पानी के बंटवारे से कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिए। हरियाणा के लोगों की प्राथमिकता पानी है। वे चाहते हैं कि पानी का फैसला हो। हरियाणा के लोग अपनी राजधानी भी बनाना चाहते हैं। पहले पानी का फैसला किया जाये, फिर राजधानी और कुछ इलाकों का फैसला हो सकता है। इलाके चाहे पंजाब में रहें या हरियाणा में, रहेंगे तो हिन्दुस्तान में ही, क्योंकि ये दोनों राज्य हिन्दुस्तान में ही हैं। लेकिन इन मुद्दों का डिलिंक करके फैसला किया जाये जिससे हरियाणा के किसानों को जल्दी-से-जल्दी पानी मिल सके।

एस.वाई.एल. के लिए पिछली बार 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, लेकिन अबकी बार कुल 11 करोड़ रुपये का प्रावधान है। आज केन्द्र में, पंजाब में और हरियाणा में, तीनों जगह कांग्रेस की सरकार है। मैं समझता हूं जहां तक पानी के मसले का सवाल है उसमें ज्यादा

[श्री भूपेन्द्र सिंह हूड्डा]

विलम्ब नहीं होना चाहिए। जो पहले की नहरें चल रही हैं चाहे जवाहर लाल नेहरू कैनाल हो, चाहे इंदिरा गांधी कैनाल हो उनमें जहां–जहां सीपेज हुआ है, उसके साथ की जमीन खराब हो गई है। आप जो भी योजना बनायें उसमें जो कमी होती है, साथ–साथ उसका भी समाधान होना चाहिए। दोनों तरफ डिच ड्रेन बनाई जाये ताकि किसानों की जमीन खराब न हो और पानी की बर्बादी न हो। इसके लिए ज्यादा-से-ज्यादा पैसा मिलना चाहिए और पानी को एक राष्ट्रीय सम्पत्ति मानकर ही हम देश की प्रगति कर सकते हैं।

**श्री रतिलाल वर्मा** (धन्धुका) : सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

मेरे पूर्व वक्ताओं ने इस बारे में बहुत कहा। पं. दीन दयाल उपाध्याय ने भी कहा कि हर हाथ को काम और हर खेत को पानी। हर खेत को पानी तभी मिल सकता है जब इसका सदुपयोग किया जाये। जल एक प्रमुख संसाधन, मनुष्य की मूलभूल आवश्यकता और मूल्यवान राष्ट्रीय सम्पत्ति है। जल संसाधनों आयोजना तथा उनका विकास राष्ट्रीय परिपक्ष्य में संचालित किये जाने की आवश्यकता है।

अनुमान लगाया गया है कि देश में होने वाले कुल लगभग 40 हैक्टेयर मीटर वर्षापात में से सतही जल की उपलब्धता लगभग 17.8 करोड़ हैक्टेयर मीटर है। स्थलाकृतिक और अन्य अवरोधों के कारण इनमें से लगभग 50% जल का ही लाभकारी उद्देश्यों के लिये प्रयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त लगभग 4.2 करोड़ हैक्टेयर मीटर की भू–जल क्षमता उपलब्ध है। स्थान और समय के दृष्टिकोण से जल की उपलब्धता में असमानता है। वर्षा साल के 3 या 4 महीनों में ही होती है और इसमें इतनी भिन्नता है। जहां राजस्थान में प्रतिवर्ष 10 से.मी. और असम या चेरापूंजी में प्रतिवर्ष 1000 सें.मी., वर्षा होती है। जल प्रवाह राज्यों की भौगोलिक सीमाओं से प्रतिबंधित नहीं होता है। केवल नदियां ही नहीं बल्कि भू–जल भंडार भी प्रायः राज्यों की सीमाओं का पार कर जाते हैं। जल एक अनन्य और अविभीज्य संसाधन है। वर्षा जल, नदी जल, सतही जल और झीलें तथा भू-जल सभी एक प्रणाली के ही अंग हैं, जल वृहत पारिस्थितिक प्रणाली का भी एक अंग है।

बाढ़ और सूखा देश के सारे क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं और यह दोनों राज्यों की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रहते हैं। देश का एक तिहाई भाग सूखाग्रस्त है। बाढ़ से प्रतिवर्ष 90 लाख हैक्टेयर भूमि क्षेत्र प्रभावित होता है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के अनुसार देश का बाढ़ प्रवण क्षेत्र लगभग 4 करोड़ हैक्टेयर है। इसलिये सूखे और बाढ़ के प्रबंध के लिये राष्ट्रीय स्तर से समन्वय एवं मार्गदर्शन प्रदान करने की आवश्यकता है।

यद्यपि सिंचाई अथवा बहुप्रयोजनी परियोजनाओं का आयोजन एवं कार्यान्वयन राज्य स्तर पर किया जाता है परन्तु इसके कई अन्य पहलू और प्रश्न निहित हैं। जैसे कि पर्यावरणिक सुरक्षा, परियोजनाओं से प्रभावित जनता और पशुओं का पुनर्वास, जल को एकत्र करने से उत्पन्न जन स्वास्थ्य संबंधी समस्यायें, बांध सुरक्षा आदि। इस बात को ध्यान में रखते हुये गुजरात राज्य की नर्मदा योजना सामने आयी है। यह गुजरात के लोगों के लिये जीवन-मरण का प्रश्न बन गया है। इस योजना को किसी-न-किसी कारण से रोकने का प्रयत्न किया जा रहा है। श्री मनुभाई कोटड़िया, तत्कालीन सिंचाई मंत्री ने आश्वासन दिया था कि इस योजना को पूरा किया जायेगा लेकिन दिन

प्रति दिन इस योजना के पूरे किये जाने में रोड़ा अटकाया जा रहा है। इस योजना का शिलान्यास पं जवाहर लाल नेहरू के समय हुआ था। गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जब बी.जे.पी. की सरकारें थीं तो गुजरात में सिंचाई मंत्री श्री केसूभाई थे और तभी इस प्रश्न का हल हो सका। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इस योजना को जल्दी ही पूरा किये जाने की दिशा में कार्यवाही करें ताकि जनता की इस मांग को पूरा किया जा सके।

इसकी विकास प्रक्रिया एवं आर्थिक गतिविधियों के विस्तार के फलस्वरूप जल के विभिन्न उद्देश्यों जैसे घरेलू, औद्योगिकी, कृषि, जल–विद्युत, नौवहन, मनोरंजन इत्यादि के लिये मांग में वृद्धि होना स्वाभाविक है।

अब तक जल की सबसे अधिक खपत मुख्य रूप से सिंचाई में होती है यद्यपि स्वतंत्रता के समय जो सिंचाई क्षमता 1.95 करोड़ हैक्टेयर थी, छठी योजना के अंत कर उसे बढ़ाकर 6.8 करोड़ हैक्टेयर करने का अनुमान लगाया गया था तो भी बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्य और कपड़े संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए इसमें अत्यधिक वृद्धि करनी होगी। सरकार का टार्गेट कभी पूरा नहीं होता और उसका पूरा करने के लिए सरकार में जो जागरुकता होनी चाहिए वह नहीं है। देश की जनसंख्या जो कि इस समय 80 करोड़ से ऊपर है, इस शताब्दी के अंत तक बढ़कर 100 करोड़ तक हो जाने की आशा है।

अनाज का उत्पादन जो कि 1950 तथा 1960 के बीच में 5 करोड़ टन के लगभग था, अब बढ़कर 15 से 16 करोड़ टन हो गया है। परंतु इसे 2000 ईस्वी तक 24 करोड़ टन तक बढ़ाना होगा तो इस देश को बाहर हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। इसके साथ-साथ मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि विकास आयोजन की प्रक्रिया में जल एक सर्वाधिक निर्णायक तत्व है। जबकि देश 21वीं शताब्दी में पदार्पण करने के लिए अपने आपको तैयार कर रहा है। अंत में मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूं। मैं अहमदाबाद जिले से चुनकर आया हूं और वह सूखग्रस्त है। आज वहां लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है धन्चुका में दिन मे दो घंटे पानी आता है। बार–बार पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना पड़ता है। वहां पानी की कमी के कारण गांव के गांव खाली होने जा रहे हैं।

समुद्र भी दिन प्रतिदिन जमीन का कटाव कर रहा है जिससे उपजाऊ जमीन भी खराब होती जा रही है। इसको रोकने के लिए भी प्रयत्न करना चाहिए। जो पानी वहां टैंकरों द्वारा दिया जाता है, उस पर जो पैसा खर्च होता है उसका अगर आप योजना को पूरा करने में लगाते तो गुजरात आज अव्वल नम्बर पर आ सकता था। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि नर्मदा योजना का राष्ट्रीय योजना घोषित करें। हम लोगों ने पैसे जुटाए हैं और उसे पूरा करना चाहते हैं लेकिन किसी तरह की बाधा उसमें नहीं आए जिससे राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात तीनों का कल्याण हो।

मैं आशा करता हूं कि अपने जवाब में मंत्री जी हमें आश्वासन देंगे कि इस योजना को जल्दी-से-जल्दी वे पूरा करेंगे।

**[अनुवाद]**

**श्री सैयद शहाबुद्दीन** (किशनगंज) : आदरणीय सभापति महोदय-जल संसाधन के प्रबंधन की समस्या क्षेत्रीय, अन्तर्राज्यीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक की समस्या मैं किशनगंज निर्वाचन

[श्री सैयद शहाबुद्दीन]

क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं जो महानंदा बेसिन में पड़ता है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जो लोग उत्तरी भारत के लिये बाढ़ नियंत्रण उपायों की योजना बनाते रहे हैं, वे इस बात को भूल गये हैं कि कोसी बेसिन और तीस्ता बेसिन के बीच एक भिन्न भौगोलिक क्षेत्र है जो महानंदा बेसिन कहलाता है बहुत वर्ष पहले एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी एक सर्वेक्षण किया गया था और लागत का अनुमान लगाया गया था लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि बाढ समस्या के साथ फुहड़ ढंग से निपटने के अलावा जो इस क्षेत्र में हर वर्ष आती है महानंदा बेसिन बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम को लागू करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि जिस समय भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने मेरे निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया था, तो उन्होंने लोगों के साथ यह वायदा किया था कि महानंदा बेसिन बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम को लागू करने के लिये कदम उठाये जायेंगे। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इसके बारे में कुछ करेंगे।

जैसा कि मैंने कहा है, यह एक अन्तर्राज्यीय मामला है। मुझे यह देखकर दुःख होता है कि यद्यपि हम विगत 40 वर्षों से नदी जल बंटवारे की समस्या के साथ संघर्ष करते आ रहे हैं, हमने इस बारे में कानून भी पास किये हैं, हमने समझौते भी किये हैं हमने राजनैतिक विचार–विमर्श भी किया है और फिर भी हम एक राजनैतिक सहमति राष्ट्रीय सहमति कायम करने की स्थिति में नही पहुंच पाये कि इस समस्या का किस तरह से हल ढूंढा जाये। इसी कारण हमारे समूचे देश में अन्तर–राज्यीय समस्याएं पैदा हो रही हैं।

सभापति महोदय, मैं आपको कावेरी विवाद के बारे में याद नहीं दिलाना चाहता जिसके बारे में मेरे साथी श्री अय्यर जी इतने विस्तार से बोले हैं। लेकिन हमारी अन्य समस्याएं हैं; हमारे यहां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच समस्या है, नर्मदा के पानी की समस्या है लेकिन मैं यह महसूस करता हूं कि हम जल संसाधनों से इस तरह से पेश आ रहे हैं मानो तटवर्ती राज्यों को ही प्रभुसता मिली है तटवर्ती राज्य भी इसी देश के अंग हैं। मैं ऐसी समस्या को तो समझ सकता हूं जहां नदियों के पानी को लेकर उसके अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बंटवारे के संबंध में समस्या उत्पन्न हो जो एक से अधिक देशों के राष्ट्रीय भू–मार्ग में से निकलने वाले नदी के बारे में हो। लेकिन एक भारतीय होने के नाते, मैं उस समस्या को समझने में असमर्थ हूं, हमारे ही देश के भीतर यह एक से अधिक राज्यों से संबंधित है। मेरे विचार से माननीय मंत्री महोदय को स्वयं पहल करनी चाहिए तथा मुख्य मंत्रियों और राष्ट्रीय दलों के नेताओं से परामर्श करते हुए और आज तक हमें जो अनुभव प्राप्त हुआ है, उसके आधार पर इस आशय को एक राष्ट्रीय सहमति कायम करने की कोशिश करनी चाहिये कि यदि एक से अधिक राज्यों में नदी–जल के बंटवारे में विवाद उत्पन्न होते हैं, तो उस समय एक सरल राष्ट्रीय दृष्टिकोण ही अपनाया जाना चाहिये। और राष्ट्रीय एकता के वातावरण को दूषित करने के लिये इस बात को झगड़े की जड़ नहीं बनने दिया जाना चाहिये। महोदय, राष्ट्रीय दृष्टिकोण से, मैं यह महसूस करता हूं कि बिना किसी उपयोग के समुद्र में पड़ने वाली पानी की एक–एक बूंद व्यर्थ में चली जाती है और भूमिगत जल की छोटी-से-छोटी मात्र जिसका हम इस्तेमाल नहीं कर पाते, वह भी हमारे लिये असफलता की बात है। अतः, मैं यह सुझाव दूंगा कि हमें हर वर्ष यह आंकड़े बताये जाने चाहिये कि हमारे राष्ट्रीय प्रयास के फलस्वरूप राष्ट्रीय भू–भाग पर बहने और गिरने वाले कितने जल का मानव कल्याण तथा कृषि प्रयोजनों के लिये

इस्तेमाल किया जा रहा है और कितना जल समुद्र में बह जाता है। मुझे उम्मीद है कि ऐसा समय आएगा जब हम प्रकृति से हमें मिले जल का 90 प्रतिशत इस्तेमाल कर सकेंगे। भूमिगत जल संसाधनों की भी यही बात है। मुझे अत्यन्त खेद है कि भूमिगत जल का भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। मैंने सऊदी अरब और अल्जेरिया में भारत का प्रतिनिधित्व किया है जहां पर मरुस्थल ही मरुस्थल हैं और उन मरुस्थलों में 10,000 फीट से 15,000 फीट की गहराई पर उन्होंने पर्याप्त जल संसाधनों को खोज निकाला है। मैंने सहारा और नीजा मरुस्थलों में हरे-भरे गैदानों को अपनी आंखों से देखा है और यह सब हरियाली भूमिगत जल के इस्तेमाल किये जाने पर निर्भर है कई वर्ष पहले मैंने अमरीका की एक प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिका फारन अफेयर्स में एक लेख पढ़ा था। उसमें कहा गया है कि यदि हम भूमिगत जल को सतह पर लाने के लिये परमाणु शक्ति और परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके परिणामस्वरूप जो फसल पैदा होगी उससे कुछ ही वर्षों मे या यों कहिये कि पांच वर्षों में ही हमारी निवेश की गई राशि की पूंजीगत लागत हमें वसूल हो जाएगी। लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि हम ऐसा नहीं कर पाये हैं। हमारे पास अभी तक भूमिगत जल के सर्वेक्षण और दोहन के लिये कोई राष्ट्रीय संस्थान ही नहीं है। संयोगवश एक बिहारी होने के नाते, मैं इस बात में दिलचस्पी रखता हूं कि शीघ्र ही एक संस्थान की स्थापना की जानी चाहिये और मुझे विश्वास है कि ऐसी कुछ सिफारिशें भी प्रस्तुत की गई हैं कि ऐसा संस्थान पटना में स्थापित किया जाये। मुझे उम्मीद है कि भूमिगत जल संसाधनों के सर्वेक्षण, दोहन और उपयोग के लिये इस संस्थान को कारगर बनाने हेतु बिहार राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार को सभी संभव सहायता प्रदान करेगी।

मैं एक छोटी-सी बात कहना चहूंगा। अपने निर्वाचन क्षेत्र में सर्वेक्षण के बारे में मैंने देखा है कि सिंचाई प्रयोजनों के लिये लागत-वार हम जो भी रुपया निवेश करते हैं उसमें मैं क्रो योजना की तुलना में माइक्रो सिंचाई योजना अधिक प्रभावी सिद्ध होती है। उदाहरण के लिये, सरकारी बोरिंग अथवा सरकारी नलकूप लगाये जाने की अपेक्षा बांस बोरिंग अधिक लाभकारी होता है। ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनके बारे में चर्चा होती है। अतः, सिंचाई प्रयोजनों के लिये विभिन्न प्रौद्योगिकियों के चयनित प्रयोग के बारे में कोई सुझाव दिया जाना चाहिये ताकि लागत-उत्पादन आधार पर, हम दिये गये क्षेत्रों में सिंचाई प्रयोजनों के लिये जल संसाधनों के इस्तेमाल हेतु प्रौद्योगिकियों के सर्वोत्तम संयोजन के बारे में निर्णय कर सकें।

अन्तर्राष्ट्रीय संदर्भ में, मैं बंगलादेश के साथ अपनी समस्या के बारे में कहना चाहूंगा। गंगा-जल के बंटवारे के बारे में हमारी समस्या है। मैं आपको सूचित करना चाहूंगा कि इसने बंगलादेश जैसे हमारे निकटतम पड़ोसी देश के साथ हमारे संबंधों के तार को कमजोर करके रख दिया है।

चूंकि हम नदी-जल बंटवारे के प्रश्न पर कोई समझौता करने की दिशा में आगे नहीं बढ़ पाए हैं, इससे दोनों देशों के बीच कोई भी अन्य समझौता हो पा रहा है। एक बार एक अन्तरिम समझौता हुआ था। वह समझौता भी समाप्त हो गया। इसके बाद हर वर्ष समझौता-ज्ञापन प्राप्त होता रहा और ये समझौता ज्ञापन भी इस समय समाप्त हो चुके हैं और अब केवल तदर्थ व्यवस्था के अतिरिक्त कुछ नहीं रह गया है।

मेरा सदैव यह विचार रहा है कि इस उपमहाद्वीप की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर एक व्यापक योजना तैयार करने के लिए राष्ट्रीय सीमाओं से परे जाकर विचार किया जाना चाहिये। हिमालय और हिन्द महासागर के बीच के समूचे भूखंड का एक ही भौगोलिक क्षेत्र है। प्रकृति ने

[श्री सैयद शहाबुद्दीन]

इसे ऐसा ही बनाया है। अतः, इनमें से कोई भी देश, चाहे वह नेपाल हो, बंगलादेश हो, चाहे हम हों या पाकिस्तान अपने क्षेत्र के लिए अधिकतम योजनाएं बना सकते हैं और संपूर्ण संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं लेकिन एक-दूसरे से सहयोग नहीं कर सकते हैं। मेरा कहना है कि इस क्षेत्र में हमारा देश सबसे बड़ा है इसलिये उसे इस मामले में पहल करनी चाहिए। अतः मेरा माननीय मंत्री, महोदय से जो यहां उपस्थित हैं, अनुरोध है कि गंगा के पानी के बंटवारे के बारे में वह दोनों देशों के बीच कोई ऐसा समझौता करें जो दोनों ही पक्षों को स्वीकार्य हो।

**श्री मणि शंकर अय्यर** (मईलादुतुराई) : क्या श्री शहाबुद्दीन अपने प्रस्ताव में चीन को भी शामिल करना चाहते हैं क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में आने से पहले तिब्बत से त्सेंग–पो के नाम से निकलती है।

**श्री सैयद शहाबुद्दीन** : मेरे विचार से यह एक उचित कार्यवाही है लेकिन यह मेरे विचार क्षेत्र की परिधि से बाहर है। मैं हिमालय के दक्षिणी भाग की बात कर रहा हूं। मेरा कहना है कि हिमालय के दक्षिणी भाग के सभी जल संसाधनों का नेपाल के साथ मिलकर उपयोग किया जाए और जो नदियां नेपाल से भारत में आ रही हैं उनके संबंध में नेपाल के साथ एक विस्तृत समझौता किया जाए। मुझे विश्वास है कि इससे उत्तर भारत की सिंचाई और विद्युत आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी।

यदि आप मुझे आधे सेकड की भी अनुमति दें तो मैं सभा को अपने विचार बताना चाहता हूं। जब दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद अपनी चरम सीमा पर था उस समय मोजाम्बिक स्वतंत्र हुआ था। लेकिन मोजाम्बिक की आय का मुख्य साधन था उसके अपने यहां उत्पादित बिजली का विक्रय और उसका मुख्य ग्राहक था दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के साथ वैचारिक मतभेद होने के बावजूद उन्होंने उसके साथ एक समझौता किया हालांकि यह विवाद एक अन्तर्राष्ट्रीय समस्या था। इसी प्रकार मैं नहीं समझता कि नेपाल से हमारे देश में आने वाली नदियों के बारे में विस्तृत समझौता क्यों नहीं किया जा सकता ताकि सिंचाई या विद्युत उत्पादन के लिए उसका उपयोग किया जा सके। हम नेपाल में निवेश कर सकते हैं। हम उनके प्रदेश में बनाई गई बिजली उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं और इससे उन्हें अतिरिक्त आय भी होगी। मुझे विश्वास है कि आपस में एक लाभदायक व्यवस्था की जा सकती है। जल संसाधनों के प्रबंधन की यह समस्या अंतर्राष्ट्रीय समस्या है।

मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा। मैं अंत में यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश में जल संसाधनों की इस समस्या को राष्ट्रीय समस्या माना जाना चाहिए। यह सही कहा गया है कि एक राष्ट्रीय जल नीति होनी चाहिए। वास्तव में आज का विश्व छोटा होता जा रहा है और ऐसे संसार में संपूर्ण संसाधनों को मानवता की विरासत माना जाना चाहिए। हम कम से कम अपने ही देश में जल संसाधनों को सभी भारतीयों की विरासत क्यों नहीं मान सकते ? इसलिए जब कोई विपदा आती है तो उसके लिए राष्ट्रीय विपदा निधि होनी चाहिए और जल संसाधनों के विकास के लिए यह राष्ट्रीय जल संसाधन विकास निधि होनी चाहिए तथा मेरे विचार से हम अपनी आय और विदेशी सहायता से इसे स्थापित कर सकते हैं। यह किसी एक राज्य के लिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे अन्य राज्य यह महसूस करेंगे कि उन्हें इससे वंचित कर दिया गया है। सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। राष्ट्र के जो भी संसाधन हैं और जो भी बाहर से सहायता प्राप्त

होती है उसका इस प्रकार उपयोग किया जाना चाहिए कि जल संसाधनों का लाभ सभी राज्यों को मिले।

मैं कुछ रोष से यह बात कर रहा हूं कि बिहार जो देश का दूसरा बड़ा राज्य है उसे इन संसाधनों के लाभ से वंचित रखा गया है। हम महसूस करते है कि केन्द्र से हमें उचित सहायता नहीं मिल रही है। मैं इसके विस्तार में नही जाना चाहता क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। मेरे सहयोगियों ने इस तथ्य को उठाया है। लेकिन मैं महसूस करता हूं कि माननीय मंत्री जल संसाधन बाढ़–नियंत्रण और सिंचाई के लिए उपलब्ध निधि के वितरण के कार्य की ओर ध्यान देगें ताकि बिहार की जनता के हितों का ध्यान रखा जा सके क्योंकि वह भी उतने ही भारतीय है जितने अन्य व्यक्ति।

**[हिन्दी]**

**श्री सूर्य नारायण यादव** (सहरसा) : सभापति महोदय, मैं मंत्री जी का अभारी हूं। हम जल के माहौल में ही पैदा हुए हैं और आज उसी विभाग पर अनुदान मांग है। मैं मात्र अपनी व्यथा सुनाने के लिए ही खड़ा हुआ हूं। मुझे उम्मीद है मंत्री जी उस पर गंभरीता से विचार करेंगे। जिसकी चर्चा अभी भी शहाबुद्दीन कर रहे थे सच्चाई यह है कि उत्तर बिहार बार–बार रिलीफ खाने के लिए मजबूर हो जाता है और राज्य सरकार, भारत सरकार प्रति वर्ष रिलीफ खिलाने के लिए तत्पर हो जाती है। प्रति वर्ष सौ–सौ करोड़ रुपये का रिलीफ बांटा जाता है।

संत कबीर ने कहा था–"जल में मीन प्यासी, मुझे सुनी–सुनी लागत हासी।" हम जल में है और प्यासे हैं। हमारी तरफ से जल निकलकर चला जाता है। जब ज्यादा जल होता है तो फसल और जान–माल का नुकसान हो जाता है, अब जल निकल जाता है तो हम प्यासे मरते रहते हैं जैसे बिना पानी के मछली हमारी सरकार ने एक से एक कान्तिकारी कार्य किए हैं।

मान्यवर, जहां से आप आते हैं, उस हरियाणा का चावल खाने के लिए बिहार के लोग मजबूर हैं। बिहार में चंडीगढ़ और हरियाणा से चावल आता है और पूर्णिया, दरभंगा कमिश्नरी में लोग उसे खाते हैं जबकि हमारी जमीन ऐसा जमीन है जिसमें यदि सिंचाई की व्यवस्था हो जाए और पांनी को रोक लिया जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। श्री रामाश्रय जी ने ठीक कहा था कि यदि ऐसा हो जाए तो बिहार देश को ही नहीं, विदेश को भी अनाज भेजने में कामयाब हो सकता है।

मैंने मंत्री जी से 2–3 बार बात की है और इसलिए मैं उनको धन्यवाद दे रहा हूं कि उन्होंने इस संबंध में नेपाल से बातचीत की है। बात प्रगति पर है यदि थोड़ी और ताकत लगा दें तो मैं समझता हूं कि उत्तर भारत का कल्याण इनके रहते ही हो जाएगा। नेपाल सरकार की कोई ज्यादा शर्तें नहीं हैं। उन्होंने सिर्फ दो–तीन बातें कही हैं–एक तो यह कि आप जो बिजली पैदा करेंगे उससे जो पैसा आएगा, उसका आधा हम लेंगे। दूसरी शर्त यह है कि यदि कोसी में जलमार्ग से डैम बनाएंगे जो हमें आने–जाने का रास्ता देना होगा। मैं समझता हूं कि इसमें भारत सरकार को कोई हिचक नही होनी चाहिए। नेपाल और भारत के लिए वीसा, पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। जब हम थल मार्ग से उन्हें जाने देते हैं तो जल मार्ग से जाने देने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। यदि हम इतनी शर्त पर मान लेते हैं तो जो 100 करोड़ का रिलीफ दिया जाता है, उसकी बचत हो जाएगी। उस डैम का निर्माण होने से यदि आप मछली का व्यापार करेंगे तो

[श्री सूर्य नारायण यादव]

उससे इतनी आमदनी हो जाएगा जितनी आप डैम बनाने में खर्च करेंगे। मैं नही कह रहा हूं। विशेषज्ञों ने सर्वेक्षण करके यह कहा है कि अगर यह डैम बन जता है तो इससे इतनी बिजली पैदा हो सकेगी कि 2–3 राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा बिजली के मामले में आत्मनिर्भर हो जायेंगे। ऐसी स्कीमों को अगर आप इग्नोर कर देंगे तो आगे कोई लाभ नहीं होगा। वहां किसान दाने–दाने के लिये मोहताज हैं वहां बेराजगारी की भारी समस्या है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बम्बई, और मद्रास में उत्तर बिहार के मजदूर रोजी की तलाश में जाते हैं। वहां के रिक्शा, ठेला चलाने, पान बेचने और होटल चलाने का काम करते हैं। टैक्सी चलाने वाला बिहार का कोई आदमी आपको वहां नहीं मिलेगा। इस बारे में नेपाल से अवश्य बात होनी चाहिये।

सभापति महोदय, आप जानते हैं कि नेपाल के प्रधान मंत्री श्री कोइराला कोसी के ही रहने वाले हैं। सहरसा जिला जो कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, वहां उनका पैतृक घर है। नेपाल के प्रधान मंत्री की यह चाहत है कि इस डैम का निर्माण हो ताकि वहां के लोगों की समस्यायें दूर हो सकें।

हमारे बहुत से मित्रों ने यहां कहा कि बिहार सरकार को इन कामों के लिये पैसा दिया जाये। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि पैसा देने से कोई लाभ नहीं होगा। वे उस बिहार सरकार को पैसा देने की बात करते हैं जिनके मंत्री अपने निर्वाचन क्षेत्रों में सिंचाई विभाग का सारा पैसा लगाने का काम करते हैं। कोसी डैम पर पिछले पांच वर्षों में कोई काम नहीं हुआ है। मैं देवेन्द्र जी से जानना चाहता हूं कि क्या उनके निर्वाचन क्षेत्र में नहरों का सफाईकरण हो सका है?

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** : शुक्ल जी ने तो सारा पैसा मध्य प्रदेश में लगाने का काम किया।

**श्री सूर्य नारायण यादव** : ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आज तक बिहार सरकार ने कोई प्रोजैक्ट भारत सरकार के पास नहीं भेजा है। मैंने इसी लोक सभा में क्वश्चन किया था कि बिहार जहां कि जल स्रोत अत्यधिक है, वहां पन बिजली लगाने के लिये भारत सरकार कौन से उपाय कर रही है? भारत सरकार के विद्युत मंत्री जी ने जवाब दिया था कि बिहार सरकार ने कोई प्रोजैक्ट पास नहीं भेजा है। यह बड़े शर्म की बात है। वहां आपकी पार्टी की सरकार है। आप उनको समझाओ। क्या आज तक कोई प्रोजैक्ट कोसी, बूढ़ी गंडक और सोन नहर के लिये आया? ऐसी कोई मांग क्या बिहार सरकार ने की? उनकी इच्छा बिहार सरकार को आगे ले जाने की नहीं है? इसलिए व्यक्तिगत रूप से मेरा निवेदन है कि आप इस पर विशेष रूप से ध्यान दें।

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** : सोन और कोसी नहर सम्बन्धी प्रोजैक्ट बिहार सरकार ने भारत सरकार को भेजे हैं और वे भारत सरकार के पास विचाराधीन हैं। माननीय सदस्य को कोई गलत बयानी नही करनी चाहिये। सदन में पूरी जानकारी लेकर आना चाहिये। जानकारी और तथ्यों को आधार पर अपनी बात को कहना चाहिये।

**श्री सूर्य नारायण यादव** : इनको खुद पूरी जानकारी नहीं है।**

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** : सभापति महोदय, इस शब्द को एक्सप्टज किया जाये।

**सभापति महोदय** : हां, इस शब्द को कार्यवाही में से निकाल दिया जाये।

**श्री सूर्य नारायण यादव** : इनका रोना भी वही है, शहाबुद्दीन साहब का भी वही है और मेरा रोना भी वही है। आप सब बुद्धिजीवी हैं, विद्धान हैं, आप राज्य सरकार को कहें कि प्रोजैक्ट बना कर भेजें। जल संसाधन विभाग से 22 करोड़ रुपये गये और इसलिये गये कि वहां पर खुदाई की जाये और पानी निकासी की व्यवस्था की जाये लेकिन बिहार सरकार ने उस पैसे को सरकारी कर्मचारियों की पे पर लगा दिया। मुझे ओथेण्टिक जानकारी है और आप यह कहते हो कि गलत है **(व्यवधान)** एक भी पैसा वहां खर्च नही हुआ, सारे पैसे को इन्होंने तनख्वाह में बांटने का काम किया है, इसलिए मैं भारत सरकार से कहूंगा कि बिहार सरकार को एक भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। जब तक उनकी मनोइच्छा अच्छी नहीं हो, जनहित में काम करने की बात वह नहीं करें, जब तक उसे सरकारी कर्मचारियों को खिलाने के लिए पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। यह तो वहां की स्थिति है, ऐसा वहां वित्तीय संकट है। उस सरकार को तो एक मिनट भी रहने का राइट नही है, जहां सरकारी कर्मचारी को भुगतान नहीं मिलता हो, एक भी किसान को कोई राहत नहीं मिलती हो, सिंचाई में कोई कार्य नही होता हो, देवेन्द्र भाई, उस सरकार की बात आप करते हो तो मुझे शर्म आती है। कम से कम काम तो करते रहो लेकिन वहां लूट चल रही है। **(व्यवधान)**

**श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी** (दरभंगा) : मेरा पाइलट आफ आर्डर है। एक चीज तो मुझे कहने दीजिए। यह जो सवाल उन्होंने बिहार सरकार के खिलाफ उठाया है, जो बात इन्होंने कही है, उसका क्लैरीफिकेशन तो हमारी पार्टी की ओर से आप लीजिएगा।

**श्री सूर्य नारायण यादव** : इन्हे पता भी नहीं है कि किस वर्ष में कितना पैसा यहां से गया है।

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** (झंझारपुर) : सभापति महोदय जी, यहां गलत बयानी हो रही है।

**श्री सूर्य नारायण यादव** : अगर इन्हें पता है तो यह बता दें कि 22 करोड़ रुपया पिछले वर्ष गया है। मैं इनका पाइण्ट आफ आर्डर मान लूंगा।

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** : सभापति जी, मेरा पाइण्ड आफ आर्डर है।

**(व्यवधान)**

**[अनुवाद]**

**सभापति महोदय** : उन्हें सरकार की आलोचना करने का अधिकार है। ऐसा करने का यह कोई तरीका नहीं है। कृपया बैठ जाइए। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

**(व्यवधान)****

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

[हिन्दी]

**श्री सूर्य नारायण यादव** : यह नोटिस लाये। मैं फिर दोहराता हूं। चूंकि यह नोटिस लायेंगे।

सभापति महोदय, 22 करोड़ रुपया इर्रीगेशन के लिए गया था। कृषि विभाग से 22 करोड़ रुपया गया, जमीन के समतलीकरण के लिए। 22 करोड़ रुपया गया, स्वास्थ्य विभाग से हैल्थ सैण्टर बनाने के लिए और सारे पैसे को इन्होंने तनख्वाह में लगाने का काम किया। अगर हिम्मत है तो प्रिवलेज लाना, मुकाबला होगा कि झूठे तुम हो कि मैं, संसद फैसला कर लेगी। अगर पता नहीं हो तो फालतू की बात नहीं करनी चाहिए। मुझे पता है कि किस वर्ष में पैसा गया, कहां से गया। मैं दिलाने वाला हूं और तुम उस पैसे का दुरुपयोग करते हो और प्रिवलेज लाने की बात करते हो। प्रिवलेज तो तुम्हारी सरकार पर आना चाहिए और उस सरकार को एक मिनट में समाप्त करना चाहिए चूंकि वह सरकार रहने लायक नहीं है। खाली सोन नहर, यह नहर, यह सारी बात करते हो लेकिन जब हम बोलने के लिए खड़े होते हैं तो इनको सुनने का धैर्य भी नहीं है। यह सुनने को भी तैयार नहीं हो सकते हैं। आप बात को सुने तो सही।

मैं नेपाल की बात कह रहा था लेकिन यह मुझे दूसरी तरफ लेकर चले गये। बिहार सरकार को पैसा दो, बिहार सरकार को पैसा दो, लेकिन हम कहते हैं कि लूट के लिए मत दो, लूट के लिए मत दो, बन्द करो। आवश्यकता होगी तो पैसा जायेगा। सिंचाई विभाग को पैसा नहीं दिया जाना चाहिए। माननीय मंत्री महोदय, मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि वहां पैसा देना उसको मिट्टी में फेंकना है, वहां उससे कोई काम नहीं हो सकता है। अगर काम होगा तो जगतानन्द, जो बिहार के सिंचाई मंत्री हैं, मात्र उनके निर्वाचन क्षेत्र का होगा। यही अभियोग बिहार विधान सभा में भी लगा है तो आप किसकी बात करते हो।

दूसरी बात, अभी हमारे मित्र बोल रहे थे कि संसाधन को राष्ट्रीय सम्पत्ति मानना चाहिए। कोयले को आप मानते हैं, तांबे को आप मानते हैं और अभ्रक को आप राष्ट्रीय सम्पत्ति मानते हैं लेकिन जल जो जीवन है, उसको आप नहीं मानते। मेरा अनुरोध है कि उसे भी आप राष्ट्रीय सम्पत्ति के रूप में लें और देश में हर किसान को इसका लाभ पहुंचाये। अगर आप इसको व्यवस्थित करेंगे, पहाड़ से जो पानी गिरता है और कोसी और नेपाल से जो पानी आता है या भाखड़ा डैम वगैरह में जो पानी इकट्ठा होता है, जो भी हो, उसको देश के कोने–कोने में आप सिंचाई के उपयोग में लाये, जिस तरह से आप रक्षा पर खर्च करते हैं, गृह मंत्रालय पर जिस तरह से पैसा खर्च करते हैं, उसी तरह से मैं मांग करता हूं कि शिक्षा, सिंचाई और कृषि पर भी भारत सरकार को उतना फण्ड उपलब्ध कराकर किसानों को राहत देनी चाहिए। चूंकि इस देश में कृषि और सिंचाई से सम्बन्धित 80 प्रतिशत लोग हैं, उनको इससे राहत मिलेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

**श्री सैयद मसूदल हुसैन** (मुर्शिदाबाद) : सभापति महोदय, मैं एक बहुत ही छोटा सा मुद्दा उठाना चाहता हूं। सैयद शहाबुद्दीन जी ने पानी के बंटवारे के इतिहास के बारे में कही और कहा कि बंगलादेश को पानी मिलना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि इतना पानी नहीं मिलना चाहिए, जिससे पानी देने से कलकत्ता का पोर्ट खत्म हो जाएगा। इस पानी को इस तरफ न भेजा जाए, जिससे कि मुर्शिदाबाद के लोग खत्म हो जायें। आपकी रिपोर्ट में इन्डो–बंगला देश रिवर इन्टरनेशनल रिवर है और इसकी जिम्मेदारी आप पर है, राज्य सरकार पर नहीं है। हम 14 सालों से एक ही

सवाल उठा रहे हैं, बंगलादेश को पानी देने के लिए जो उस तरफ से पानी छोड़ रहे हैं, उसका नतीजा यह हो रहा है कि उस नदी के राइट बैंक में काफी कटाव है और मुर्शिदाबाद जिले का एक भारी हिस्सा मेरे चुनाव क्षेत्र लालगोला से शुरू होकर जालांगी में पड़ता है और उसका 22–23 गांव कट गया है। इसके साथ–साथ वह जमीन बंगलादेश के साथ जुड़ गई है। इस इन्डो–बंगलादेश रिवर के इरोजन की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है। मेरे क्षेत्र के किसान उस पार जाकर फसल बोते हैं और फसल को काटते हैं, बंगलादेश के लोग और इनकी मदद करने वाली वी.डी.आर. और बी.एस.एफ. के लोग भी होते हैं। इस प्रकार इन्टरनेशनल आर्डर डिस्पयूट खड़ा हो गया है। कुछ दल ऐसे हैं, जो कहते हैं कि बंगलादेश के घूसपैठ हो रही है। मैं भी कहना चाहता हूं, इसमें कोई शक नहीं है कि घूसपैठ नहीं हो रहा है और घुसंपैठ का रास्ता भी तो वही है। बंगलादेश से वह जुड़ा हुआ इलाका है, लेकन आप इस घुसपैठ को किस प्रकार रोकेंगे ?

जहां तक इरोजन का सवाल है, इस बारे में मेरे राज्य से इर्रिगेशन मंत्री और हम 5–6 संसद सदस्य आपके दफ्तर में मिले हैं। आपने कहा था कि आप ईस्ट बंगाल के बारे में स्कीम दीजिए। हमने आपको पूरे राज्य की 374 करोड़ रुपए की स्कीम दी है, लेकिन आपकी रिपोरेट में सिर्फ इस काम के लिए चार करोड़ रुपया दिया गया है, जो कि ऊंट के मुंह में जीरे के सामान है। फरक्का बैराज के डाउन में इरोजन है। आप इरोजन को देखने के लिए भी गए हैं, लेकिन जिस जगह पर इरोजन हुआ है, सही मायने आप उस जगह पर नहीं गए हैं। मायापुर मंदिर को किस तरह से बचाया जाए, उसको देखने के लिए गए हैं। इसके अलावा आप एक एक्स–एम.पी. को देखने के लिए भी गए हैं, मैं उनका नाम नही लूंगा। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, क्या आप चाहते हैं कि मुर्शिदाबाद का एक हिस्सा बंगलादेश के साथ जुड़ जाए और वहां के किसान दाने बगैर मरें? ऐसी स्थिति से वहां ला–एंड–आर्डर की समस्या भी खड़ी हो गई है। जिनका जमीन खत्म हो रहा है, जो बेरोजगार हो रहे हैं। वह बार्डर ऐरिया है। अगर रोजगार खत्म हो जाए, जमीन खत्म हो जाए, फसल खत्म हो जाये घरबार खत्म हो जाये तो वे बेघर हो जाते हैं। वाहं लॉ एंड आर्डर का भी प्राबलम खड़ी हो रही है चूंकि यह बार्डर ऐरिया है वहां आपके बी.एस.एफ. की मदद से स्मगलिंग हो रही है। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि क्या आप इसे इंटरनेशनल रिवर मानते हैं या नहीं? इंडो–बंगलादेश रीवर आपने अपनी एनवल रिपोर्ट में जब कहा है तो यह जरूर इंटरनेशनल रिवर है, इसकी जिम्मेदारी आप लेते हैं या नहीं? इसके इरोजन को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाना चाहते हैं और कब तक इस काम को करेंगे। बाकी कुछ और बातें जो मैंने कहनी थी उन्हें मैं नही कहूंगा हमारे मित्र अनिल जी ने अभी उन बातों को कहा है।

महोदय, अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि इसी इंटरनेशनल बार्डर डिसप्युट खड़ा हो रहा है इससे देश को बचाना है। देश की जमीन को बचाना है, उस इलाके के किसान को बचाना है। इस बारे में आप जवाब देते समय इनका साफ–साफ जवाब देंगे, इतना ही मेरा आपसे आग्रह है।

**[अनुवाद]**

**श्री राजागोपाल नायडू रामासामी** (पेरियाकुलम) : सभापति महोदय, इस मंत्रालय की अनुदान मांगों पर स्थायी समिति पहले ही विस्तार से विचार कर चुकी है। मैं केवल संक्षेप में इस मंत्रालय से संबंधित मुद्दों के बारे में बोलूंगा जो राष्ट्र को प्रभावित करते हैं।

[श्री राजागोपाल नायडू रामासामी]

महोदय, आपको याद होगा कि गत वर्ष जून के दौरान चौथा राष्ट्रीय जल सम्मेलन हुआ था जो मुख्यतः जल और पर्यावरण के संबंध में था। यह मंत्री स्तर का सम्मेलन था और इसमें नदी जल बंटवारे के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई थी। सरकार ने संसद को यह नहीं बताया कि चर्चा के बाद क्या कार्यवाही की गई।

सरकार ने राष्ट्रीय सिंचाई प्रबंधन नीति का मूल्यांकन भी नहीं किया है। उक्त प्रस्तावों को लागू करने से कृषि पर बुरा असर पड़ेगा। देश का खाद्य उत्पादन भी प्रभावित होगा। हमारी कृषि नीति विदेशी शक्तियों के इशारों पर बनाई जायेगी।

सभापति महोदय, कावेरी जल विवाद अंतर–जल विवाद है। अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायधिकरण ने कर्नाटक सरकार को 105 टी.एम.सी. जल देने का निदेश दिया है। यह निदेश भारत के राष्ट्रपति को भेज दिया गया है। बाद में इसे उच्चतम न्यायलय की राय जानने के लिए भी भेजा गया। कर्नाटक सरकार ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक स्थगन याचिका दायर की थी। वह याचिका खो गई थी। उसके बाद कर्नाटक सरकार ने न्यायधिकरण के अंतरिम निर्णय के विरूद्ध विधान सभा में एक संकल्प पारित कर दिया था। तमिलनाडु की जनता के मन में यह भावना है कि कर्नाटक सरकार की गतिविधियां संविधान और कानून के विरुद्ध हैं। केन्द्र सरकार कर्नाटक सरकार की समाज विरोधी गतिविधियों का सामना करने से क्यों घबरा रही है? केन्द्र सरकार कर्नाटक सरकार के साथ साठ-गांठ क्यों किये हुए है। क्या कर्नाटक सरकार भारत से अलग है ? कर्नाटक सरकार को हटाया क्यों नही जा रहा है? यदि केन्द्र सरकार में हिम्मत नहीं है तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए अथवा कर्नाटक सरकार को हटा देना चाहिए।

हमारी गतिशील नेता पुरेची थेलेवई, तमिलनाडु की माननीया मुख्य मंत्री ने पहली बार राज्य स्तरीय जल संसाधन नियंत्रण और समीक्षा परिषद गठित की थी ताकि राज्य की जल नीति बनाई जा सके और उसकी समीक्षा की जा सके। हमारी पुरेली थेलेवई के मन में गरीबों के विशेषरूप से किसानों के हित सर्वोपरि हैं। उन्होंने ही सबसे पहले कावेरी जल विवाद के अंतरिम निर्णय को लागू करने का आवाहन किया था। यहां तक कि उन्होंने इस मुद्दे पर आमरण अनशन भी किया था। किसानों के हितों के लिए उन्होंने अपना जीवन देने की भी बात कही थी। माननीय जल संसाधन मंत्री श्री विद्याचरण शुक्ल ने उन्हें आश्वासन दिया था कि दो समितियां बनाई जाएगी ताकि अंतर–राज्यीय जल विवाद न्यायधिकरण के निर्णय को लागू किया जा सके। लेकिन अभी तक इस संबंध में कुछ नहीं किया गया है।

सम्पूर्ण राष्ट्र के हितों का ध्यान रखने के बजाय केन्द्र सरकार कर्नाटक सरकार से साठगांठ करके कावेरी नदी जल न्यायाधिकरण के अंतरिम निर्णय को क्रियान्वित नहीं कर रही है।

महोदय आपको याद होगा कि कावेरी न्यायाधिकरण अंतरिम निर्णय के क्रियान्वयन के लिए कर्नाटक में कितनी जबरदस्त घटनाएं हुईं। ठीक केन्द्र सरकार की नाक के नीचे, प्रधान मंत्री महोदय की नाक के नीचे, कर्नाटक सरकार ने राज्य में दंगे कराये और कर्नाटक निर्दोष तमिल व्यक्तियों का जन संहार किया गया। ऐसी इसलिए हुआ क्योंकि केन्द्र सरकार ने कर्नाटक सरकार को न्यायिक निर्णय का क्रियान्वयन करने के लिए कोई उचित निदेश नहीं दिए। इस माननीय सभा में मैं कसम खाता हूं कि तमिलनाडु की जनता कांग्रेस से कर्नाटक में तमिलों को बहाए गए खून की एक–एक बूंद का हिसाब मांगेगी।

जल का पश्चिमी प्रवाह तमिलनाडु की ओर किया जाना चाहिये। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भी इस पश्चिमी प्रवाह को मोड़ने के लिए सर्वेक्षण किया गया था। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार किया जाना चाहिये।

**[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]**

**श्री बालिन कुली** (लखीमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जल संसाधन मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं। हमारे माननीय मंत्री श्री शुक्ल जी के सक्षम नेतृत्व में इस विभाग ने देश के जल संसाधनों का उपयोग करने संबंधी बड़ी और अच्छी विकासात्मक परियोजनाओं को प्रारंभ किया।

महोदय, समय की कमी के कारण मैं मंत्रालय की विकासात्मक परियोजनाओं के विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैं केवल अपने राज्य और अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में ही बोलूंगा।

महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि असम में आवश्यकता से भी कहीं अधिक जल संसाधन हैं। अक्सर संसाधन समाज की परिसंपत्ति होते हैं लेकिन असम के जल संसाधन राज्य की जनता के लिए चिंता का विषय बन गए हैं क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी और बरक घाटी में बाढ़ आती रहती है और इससे असम की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। 1950 में जब पूर्वोत्तर क्षेत्र में भूकंप आया था तब से ब्रह्मपुत्र और बरक द्वारा बाढ़ से बहुत विनाश होता रहता है। तभी से ब्रह्मपुत्र में नदी–तल की गाद ऊपर आ गई है और इसके किनारे फैले गए हैं; इस कारण इस नदी में बाढ़ आने से असम की जनता का जान-माल का बहुत अधिक नुकसान होता है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। 1988 की बाढ़ में 28/49 करोड़ रुपये की खड़ी फसलें, 232.93 करोड़ रुपये की जन सुविधाएं और 106.74 करोड़ रुपये की अचल सम्पति नष्ट हो गई। इसके अतिरिक्त 33025 पशु और 209 व्यक्ति मारे गए। 1989 में बरक घाटी में सबसे अधिक बाढ़ आई। पिछले कुछ सालों के दौरान उतना ही नुकसान हुआ है। 1989 में 6.9 लाख हेक्टेयर भूमि, 361 लाख हेक्टयर फसल क्षेत्र, 24.03 लाख जनसंख्या प्रभावित हुई और 28 लोग तथा 2868 पशु बाढ़ में बह गए। 1990 के दौरान 4.34 लाख हेक्टेयर भूमि, 1.39 लाख हेक्टेयर फसल क्षेत्र और 14.96 लाख जनसंख्या प्रभावित हुई तथा 26 लोग और 640 पशु बाढ़ में बह गए। वर्ष 1991 में, 13.22 लाख हैक्टेयर भूमि, 3.05 लाख हैक्टेयर भूमि पर खड़ी फसल तथा 54.46 लाख लोग प्रभावित हुए तथा 98 लोगों और 2210 पशुओं की जान गई।

धुवरी क्षेत्र में भूमि कटाव के कारण मानकचार, सलमारा, जोलेसवर, गोपालपारा (पश्चिम) गोपालपारा (पूर्व) का एक तिहाई क्षेत्र का कटान हो गया तथा 45,000 लोग बेघर हो गये। भूमि कटाव के कारण धुवरी शहर के जिला मुख्यालय को भी खतरा उत्पन्न हो गया है। जोनाई, डिबरुगढ़, कमालबाड़ी, पालाशोरी सुआलकुची, मंगोलदोई तथा नौगांव जैसे अन्य स्थानों, नगरों और जिला मुख्यालयों को भी खतरा उत्पन्न हो गया है। परन्तु आश्चर्य की बात है कि इन स्थानों की सुरक्षा के लिए केन्द्र सरकार ने कोई उपाय नहीं किए हैं।

वर्ष 1983 में ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने सुबानसिरि तथा दिहंग परियोजनाओं के सम्बन्ध में एक विस्तृत जांच पड़ताल पूरी की है। जुलाई, 1983 में भारत सरकार को इस सम्बन्ध में रिपोर्टें स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गई थीं। परन्तु इन परियोजनाओं को चालू करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की

[श्री वालिन कुली]

गई है, जो कि ब्रह्मपुत्र के बाढ़ को रोकने तथा बड़े पैमाने पर जल–विद्युत ऊर्जा पैदा करने के लिए आवश्यक है।

ब्रह्मपुत्र बोर्ड का कार्यकरण भी आलोचना से परे नहीं है। मैं उस क्षेत्र के लोगों के प्रतिनिधि के रूप में अधिकारियों द्वारा अपनाये जा रहे भ्रष्ट तरीकों के बारे में अनेक पत्र प्राप्त करता रहता हूं जिनमें यह कहा जाता है कि वे काबिल नहीं हैं तथा कल्याणकारी कार्यों में शामिल होने की बजाय भ्रष्ट तरीके अपना रहे हैं।

**7.00 म.प.**

वे काबिल नहीं हैं तथा कल्याण मंत्री गतिविधियों में भाग नहीं ले रहे हैं। वे भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं।

**7.00 म.प.**

ब्रह्मपुत्र बोर्ड का कार्यालय बाढ़ की समस्या की निगरानी करने तथा उसके अध्ययन के लिए बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के नजदीक होना चाहिए। परनतु यह गुवाहाटी में है जो कि बाढ़ प्रवण क्षेत्र नहीं है। लोगों की यह मांग है कि ब्रह्मपुत्र बोर्ड का कार्यालय या तो डिबरुगढ़ अथवा धुवरी अथवा लखीमपुर में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

महोदय, मैं भूमि कटाव बचाव कार्य सहित असम में बाढ़ नियंत्रण के लिए स्थायी उपाय करने की मांग करने की अनुमति चाहता हूं। यदि यह कार्य तुरंत नहीं किया गया तो अधिकतर कृषि योग्य तथा महत्वपूर्ण भूमि बाढ़ के पानी द्वारा किए जा रहे भूमि कटाव से समाप्त हो जायेगी। पहले ही विश्व–प्रसिद्ध नदी–द्वीप, मजुली का आधा क्षेत्र बह गया है।

बाढ़ ऋण सहायता के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि उत्तर–पूर्व क्षेत्र के विशेषकर असम के संसद सदस्यों ने मंत्री महोदय मुक्ता जी से बार–बार बाढ़ सहायता ऋण की राशि 20 करोड़ रुपए से बढ़ा कर 100 करोड़ रुपए करने की मांग की है। श्री शुक्ला जी ने एक बार हमें आश्वासन दिया था परन्तु इसे पूरा नहीं किया गया और इसका कोई परिणाम सामने नहीं आया। महोदय, असम एक गरीब राज्य है। यह अकेले स्थिति का मुकाबला नहीं कर सकता।

हम केन्द्र सरकार से ब्रह्मपुत्र को एक राष्ट्रीय नदी तथा राष्ट्रीय जल स्रोत घोषित करने तथा बाढ़ नियंत्रण के लिए अन्य आवश्यक उपाय करने तथा असम की अन्य समस्याओं के समाधान की मांग करते रहे हैं। हो सकता है कि जल संसाधन मंत्री श्री शुक्ला जी को असम में बाढ़ की गंभीरता के सम्बन्ध में अनुभव न हो। परन्तु जल संसाधन राज्य मंत्री श्री थुंगन इस क्षेत्र से हैं तथा वे जानते है कि अरुणाचल प्रदेश तथा असम में भारी वर्षा ने इन राज्यों के लोगों के जीवन और सम्पत्ति की तबाही मचाई है।

इसलिए मैं विशेष रूप से उनसे निवेदन करता हूं कि अरुणाचल प्रदेश तथा असम राज्यों के हित में इस मामले पर गौर करें विशेषकर बिहंद सुबस्ती परियोजना को स्वीकृति देने के लिए जिसमें कि असम के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की समस्या का समाधान हो जायेगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं तथा पुनः जल संसाधन मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : सदन की कार्यवाही का समय 7.00 म.प. तक बढ़ाने पर सहमति हुई थी। चार सदस्यों को अभी बोलना बाकी है। अगर आप सब सहमत हों, तो हमे 2.25 मिनट तक और कार्यवाही चला सकते हैं। ताकि ये सदस्य अपना भाषण समाप्त कर सकें।

**अनेक माननीय सदस्य** : जी, हां।

**श्री प्रभु दयाल कठेरिया** (फिरोजाबाद) : भारतवर्ष कृषि प्रधान देश के नाम से जाना जाता है। मैं बड़े दुख ओर विडम्बना से अपनी बात प्रारम्भ कर रहा हूं। 1947 से भारत आजाद होने के बाद से अब तक इस देश में हम सिर्फ जल संकट ही हल नहीं कर पाये, बाकी की तो बात छोड़िये। मैं उत्तर प्रदेश से फिरोजाबाद से चुनकर आता हूं। मैं किसी अन्य प्रदेश की आलोचना नही करना चाहता, सिर्फ अपने राज्य की बात करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश वह प्रदेश है जो सारे देश के अंदर अपना एक अलग स्थान रखता है, चाहे राजनीति में हो, या सामाजिक क्षेत्र हो या जनसंख्या की दृष्टि से हो। इस राज्य ने देश को पांच प्रधान मंत्री दिये हैं। उत्तर प्रदेश के लिए जो जल संसाधन की व्यवस्था की गई है, उसमें बहुत कम अनुदान रखा गया है। हमारे विपक्ष के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जब विदेश मंत्री थे तो इन्होंने सारे विश्व को एकता का संदेश दिया था। मेरे संसदीय क्षेत्र फिरोजाबाद में तीन विधानसभा क्षेत्र आते हैं बाह, फिरोजाबाद, खैरागढ़ जहां पर जल संकट है। यदि किसानों के लिये जल की व्यवस्था बड़े पैमाने पर कर दी गयी होती तो दिल्ली, मद्रास, बम्बई की ओर पलायन नहीं करते। यदि मैं कहूं कि किसानों के लिये जल दूर, आम जनता के पीने के लिये पानी भी उपलब्ध नहीं है। तो अतिश्योक्ति न होगी। मैं देखता हूं कि मेरे ग्रामीण क्षेत्रों में मातायें कई किलोमीटर दूर जाकर अपने सिर पर पानी का घड़ा उठाकर लाती हैं और अपने बच्चों को पानी पिलाती हैं अभी हमारे साथी श्री सूर्य नारायण यादव कह रहे थे कि सरकार कर रही है लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि सरकार कुछ कर रही है। यदि किया होता तो यह संकट नहीं आता।

उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र में या राज्य में किसी भी दल की सरकार हो लेकिन पानी किसी एक दल का विषय नहीं है। फिर भी कंट्रोवर्सी की बात नहीं करनी चाहिये मेरा आग्रह है कि जल संकट के चलते किसान दूसरे राज्यों में पलायन न करें। मंत्री जी बैठे हुए हैं। मेरी कांस्टीट्यूंसी में चम्बल परियोजना को 1982 में स्व. प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने सर्वे के बाद लागू करवाया था लेकिन यह योजना कछुआ की चाल से चल रही है। यदि यह योजना इटावा से जोड़कर शुरू की गयी होती तो जल संकट टाला जा सकता था।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक उदाहरण अपने विधानसभा क्षेत्र बाह का देना चाहता हूं कि कैसे वह क्षेत्र डाकूग्रस्त बना ? वहां पर सिंचाई के लिये जल के अभाव में ऐसी स्थिति बन गयी कि लोगों का बन्दूक का सहारा लेना पड़ा। वहां पर माधो सिंह और मान सिंह जैसे दुर्दांत डाकू पैदा हुये और आतंकवाद छाया रहा इसके साथ ही आगरा में यमुना बैराज का मामला सालों से विचाराधीन है लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं हो रहा है। मेरा आपसे आग्रह है कि इन दोनों योजनाओं को शीघ्र पूरा कराया जाये।

[श्री प्रभु दयाल कठेरिया]

उपाध्यक्ष महोदय, सहारनपुर–पीलीभीत में प्राकृतिक पानी निकलता है जिसका केन्द्रीय सरकार ने सर्वे कराया है लेकिन उसकी योजना भी लम्बित है। मेरा सरकार से आग्रह है कि इसको भी पूरा कराया जाये। तभी जल संकट दूर हो सकता है।

उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया और मैंने तो छोटे–छोटे सुझाव दिये हैं, आशा है कि सरकार उस पर ध्यान देगी।

**[अनुवाद]**

**श्री जगमीत सिंह बरार** (फरीदकोट) : वास्तव में हरियाणा तथा राजस्थान के मेरे प्रबुद्ध सहयोगी अर्न्तराजीय जल विवाद तथा वार्षिक प्रतिवेदन में उल्लिखित महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर अपने राज्यों के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने में सफल रहे। मैं भी अनुभव करता हूं कि अगर मैं अपने राज्य के हितों की रक्षा करने में असफल रहता हूं, तो मैं कभी भी अपने देश के हितों की रक्षा नहीं कर सकता।

आरम्भ में, मैं उस वक्तव्य के विषय में एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण बात स्पष्ट करना चाहूंगा, कि पजांब के पास फालतू पानी है और यह फालतू पानी हरियाणा और राजस्थान के साथ बांटना नहीं चाहात है। पजांब आज अपने जल संसाधनों का 75 प्रतिशत राजस्थान, हरियाणा तथा दिल्ली को दे रहा है। मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा, कि 1966 में पंजाब के पुनर्गठन के समय केन्द्र सरकार ने पंजाब की तीनों प्रमुख नदियों के जल तथा जल विद्युत के बंटबारे को अपने हाथ में ले कर संविधान का सबसे बड़ा उल्लंघन किया। मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि राज्य सूची की मद संख्या 17 के अन्तर्गत सिंचाई तथा जलविद्युत विषय राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, तथा इसके अतिरिक्त अनुक्च्छेद 162 तथा 246 के अन्तर्गत, संविधान राज्य को विशिष्ट विधायी तथा कार्यकारी शक्तियां प्रदान करता है। परन्तु, दुर्भाग्यवश, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 में धारा 78 और 80 जोड़ कर केन्द्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया क्योंकि इससे पंजाब की तीन विशिष्ट नदियों के जल के वितरण का अधिकार ही केन्द्र को नहीं मिला बल्कि इसका नियन्त्रण भी केन्द्र सरकार के पास चला गया।

मैं माननीय मंत्री महोदय जी से यह निवेदन करूंगा कि पंजाब के इस हित को जो धारा 78 तथा 80 द्वारा आघात पहुंचाया गया है, उसे बहाल किया जाना चाहिए तथा इन नदियों पर पंजाब को अपना हक और विशेधिकार दिया जाना चाहिए।

मेरे अत्यंत माननीय तथा प्रबुद्ध मित्र श्री भूपिन्द्र सिंह हूडा तथा श्री तारा सिंह ने सतलुज–यमुना सम्पर्क नहर का उल्लेख किया। मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि आज पंजाब की तीनों नदियों पहले हमारी पांच नदियां थी, अब हमारी केवल तीन नदिंया है, रावी, व्यास तथा सतलुज में पानी की कुल उपलब्धता 15.2 मिलियन एकड़ फुट है। परन्तु केन्द्र सरकार के वर्ष 1976 के आदेश तथा बाद में राज्य न्यायाधिकरण में श्रीमती इन्दिरा गांधी अवार्ड में यह अधिसूचित किया गया कि हरियाणा को 3.50 मिलियन एकड़ फुट, राजस्थान को 8.60 मिलियन एकड़ फुट, दिल्ली को 0.20 मिलियन एकड़ फुट, पंजाब को 3.5 मिलियन एकड़ फुट तथा जम्मू–कश्मीर को 0.65 मिलियन एकड़ फुट पानी आबंटित किया गया।

इसलिए, माननीय सदस्यों, भारत सरकार तथा मंत्री महोदय से मेरा विनम्र निवेदन है कि हमारे पास बांटने के लिए फालतू पानी नहीं है।

आज पंजाब की समस्या यह है कि 60 प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई टयूबैलों द्वारा की जा रही है तथा 40 प्रतिशत सिंचाई नहरों द्वारा की जा रही है परन्तु पंजाब में भूमि जल स्तर सम्बन्धी रिपोर्ट में ऐसे उद्घाटक तथ्य दिए गये हैं कि पंजाब में जल के अत्यधिक उपायोग के कारण 117 ब्लाकों में से 10 ब्लाक जल–विहीन हो गये हैं तथा पंजाब के सम्बन्ध में एक ही वास्तविकता है कि पंजाब के पास फालतू जल नहीं है।

मैं अपने माननीय सहयोगी सरकार तारा सिंह को सतलुज–यमुना सम्पर्क नहर के सम्बन्ध में स्मरण कराना चाहूंगा।

**श्री तारा सिंह** : मेरे मित्र यह बात कहते हुए यह भूल रहे हैं कि मैं विद्यार्थी था। हम भूगोल में यह पढ़ा करते थे।

**[हिन्दी]**

उसमें एक शब्द आता है "इन्हारे सलासा"। इन्हारे शब्द नहर का द्योतक है, नहर को ही हमारे यहां इन्हारे बोलते है यानी तीन दरियाओं की नहर बनाकर, पाकिस्तान में चले गये पंजाब से लेकर पलवल तक पानी को पहुंचाना था, उसी स्कीम को "इन्हारे सलासा" बोला गया। मेरे साथी शायद इस बात को समझ रहे हैं कि सिर्फ अमृतसर से लेकर लुधियाना तक का पानी है इसमें है जबकि वैसी बात नहीं है। **(व्यवधान)**

**श्री जगमीत सिंह बरार** : नो सर, ऐसा नहीं है। ···**(व्यवधान)**···

**श्री उमराव सिंह** (जालंधर) : झेलम का पानी चेनाब में जाना था और चेनाब का पानी रावी में आना था···**(व्यवधान)**···

**[अनुवाद]**

**श्री जगमीत सिंह बरार** : नहीं महोदय उर्दू का एक बहुत प्रसिद्ध शेर है जिसे मैं कहना चाहूंगा। मैं उद्धृत करता हूं :

**[हिन्दी]**

"रकीबों ने रपट लिखवाई है जाकर थाने में,
अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में।"

मैं अपने राज्य के हितों की रक्षा करना चाहता हूं। यह मेरा अधिकार है। मुझे मेरे लोगों ने यहां भेजा है मैं एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण बात का उल्लेख करना चाहूंगा जो कि मैं बता रहा था कि जब वर्ष 1977 में सरदार प्रकार सिंह बादल पंजाब में अकाली मुख्यमंत्री थे तथा चौधरी देवी लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, वे विपक्षी दलों के मुख्य मंत्री थे, वे बहुत अच्छे मित्र थे। अब मैं एक बहुत ही उद्घाटक तथ्य बताना चाहूंगा···**(व्यवधान)**

मैं माननीय सदस्यों तथा मंत्री महोदय को जो कि उत्तरपूर्व के नेता हैं, को एक ऐतिहासिक तथ्य बताना चाहता हूं। मैं उन्हें यह तथ्य बताना चाहता हूं। मैं यह भी उद्धृत करना चाहता हूं।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

[श्री जगमीत सिंह बरार]

कि रैडक्लिफ रेखा एक ऐसी रेखा है जो कि पूर्वी पंजाब तथा पश्चिमी पंजाब को बांटती है। मूलतः पश्चिमी पाकिस्तान स्थित पंजाब में पूर्वी पंजाब की अपेक्षा सिंचाई योग्य भूमि अधिक है तथा पंजाब के किसान अपनी सारी उपजाऊ, भूमि पीछे छोड़ कर केवल अपनी मेहनत से कर पंजाब आये तथा उन्होंने एक ऐसी सिंचाई प्रणाली बनाने की कोशिश की जैसी कि ब्रिटिश सरकार ने निर्मित की थी। मैं अपने माननीय सहयोगी श्री जोशी जी को-- वे बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति हैं-- राजस्थान नहर के बारे में याद दिलाना चाहूंगा। यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा तथा मंत्री महोदय कृपया इसकी ओर ध्यान दें। यहां मैं एक प्रसिद्ध लेखक को उद्धृत करना चाहूंगा जो कि सिंचाई विशेषज्ञ रहे हैं। उन्होंने जो कहा है, मैं उद्धृत करता हूं :

"आयोग को एक इस प्रश्न का समाधान ढूंढने के लिए भी कहा गया था कि क्या पंजाब की नदियों के पानी को ऊपरी गंगा बेसिन क्षेत्र की सिंचाई के लिए जोड़ा जा सकता है, विशेषकर राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों की।"

आयोग का गठन काफी अर्सा पहले, मेरे विचार में वर्ष 1870 के करीब ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था उस समय उन्होंने एक स्पष्टीकरण दिया था। मैं उसे पुनः उद्धृत करता हूं :

"आयोग ने सुझाव के विपरीत अपना निर्णय दिया और यह सिफारिश की कि बेसिन में जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जाये ताकि अधिशेष खाद्यान्न का उत्पादन किया जा सके और जिसे बाहर के अकाल-पीड़ित क्षेत्रों के निर्यात किया जा सके। इन सिफारिशों के बावजूद सरकार ने 'सतजल घाटी परियोजना' को मंज़ूरी दे दी।"

मैं, यहां पर एक महत्त्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा। "दी इन्डस रिवर्स-- ए स्टडी ऑफ दी इफैक्ट्स ऑफ पार्टीशन" के लेखक अलॉयस प. माइकल ने इस परियोजना को स्वयं एक मूल्यांकन किया। यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण बात लिखी है जिसको मैं उद्धृत कर रहा हूं :

"यथार्थ रूप से देखने पर यह महसूस होता है। कि राजस्थान परियोजना अपने आप में ही भ्रामक है..... राजस्थान नहर को थार रेगिस्तान के उत्तरी भाग में भारत-पाकिस्तान सीमा से सुक्कूर बैरिज के ठीक सामने तक समान्तर रूप से विस्तार करने का विचार प्रलोभनकारी है....."

यह राजनीतिक नाटकबाजी अच्छी तो थी, लेकिन एक अच्छी अर्थव्यवस्था नहीं थी। इस बारे में उन्होंने बताया कि राजस्थान नहर पर यद्यपि लाइनिंग से मुख्य नहर में जल स्रवण कम से कम तो हो जायेगा, लेकिन वाष्पीकरण से ही 50% तक आपूर्ति कम हो जाएगी। और आज तक राजस्थान उसका उपयोग नहीं कर सका। **(व्यवधान)**

**[हिन्दी]**

**श्री दाऊ दयाल जोशी :** माननीय सदस्य महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि रावी और व्यास का जो पानी पाकिस्तान जाता था उसे राजस्थान की ओर डाइवर्ट किया जाए,

इस नाते से राजस्थान कैनाल सफलीभूत होती है, तो क्या माननीय सदस्य इसका उदाहरण लेकर कि किसी राज्य का कोई हिस्सा नहीं बनता है और यह अन्याय है, इसलिए जिस राज्य का पानी है उसी राज्य को मिलना चाहिए, ऐसा कहकर जो पानी राजस्थान के उपयोग के लिए आने वाला है, क्या आप उसको पाकिस्तान जाने देना चाहते हैं ?

**श्री जगमीत सिंह बरार :** जोशी जी, यह बात नहीं है। बात यह है कि किसान चाहे राजस्थान का हो, चाहे हरियाणा का हो, हमारा भाई है। किसान यहां भी बसता है, वह इस देश के लिए कुर्बानी करता है। मैंने उनको इसलिए कीट किया है कि जो हमारे देश में 12 अकाल पड़े उनको रोकने के लिए जो नहरें बनाई गई ब्रिटिश राज्य में उन 25 नहरों में से 23 नहरें पाकिस्तान में चली गई और इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में जो पानी का बंटवारा हुआ उसमें भारत सरकार को कुछ पैसा दिया गया और जो वितरण हुआ उसके अंतर्गत जब वितरण हुआ तो उसमें माधोपुर हैंड वर्क्स के नीचे 1 हजार करोड़ क्यूबिक फीट से ज्यादा पानी जो पाकिस्तान को जा रहा था, उसके लिए थीन हैम अनवीसेज किया गया था।

**[अनुवाद]**

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान को जो जल बेकार में जा रहा है उसका कारण थीन बांध का निर्माण न करना और उसके लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं करना है।

**[हिन्दी]**

इसलिए मेरा मानना है कि चाहे पानी हरियाणा को जाए, राजस्थान को जाए, दिल्ली को जाए या जे. एंड के., को जाए, मेरी सिर्फ एक ही गुजारिश है कि हमारे पंजाबी में एक अखान है :

"ब्रेरे बच्चे दूधों तरसन, तू गऊओं न पालियो"

**[अनुवाद]**

हमारे पास बांटने के लिए अधिशेष जल नहीं है। यदि पंजाब की नदियों में अधिक जल है तो हम राजस्थान अथवा हरियाणा को देने के लिए तैयार हैं। लेकिन में पंजाब में इन तीनों नदियों में उपलब्ध कुल जल का 25 प्रतिशत जल ही उपलब्ध है। माननीय जल संसाधन मंत्री ने देश के सभी दलों के साथ अच्छा व्यवहार किया हैं। हमारी जब भी भेट हुई उन्होंने हमारी बात सुनी है। हमें सचमुच उन पर बहुत गर्व है।

**[हिन्दी]**

**श्री दाऊ दयाल जोशी :** यह जो बात आप कह रहे हैं, यह देश को तोड़ने वाली बात है। आप पर हम निर्भर नही हैं। यह ट्रीटी हो चुकी है। उस समझौते के आधार पर हमें पानी मिला है। थीन डैम में जो राजस्थान का हिस्सा था वह आज तक हमें नहीं मिल पा रहा है। हम लगातार उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप यह कहें कि हमारा पानी हमारे पास ही रहे, यह कोई न्यायोचित बात नही है। आप तो ऐसा कहकर कंटावर्सी पैदा करने जा रहे हैं?

**[अनुवाद]**

**श्री जगमीत सिंह बरार** : तमाम बातें कहकर, मुझे सदन में यह कहते हुए गर्व है और मैं उनका आभारी हूं कि उनके विकल्प खुले हैं। पंजाब अथवा हरियाणा अथवा राजस्थान राज्य को उनका हिस्सा दे दिया जाएगा लेकिन मैं इस बात की ओर संकेत करना चाहता हूं कि नर्मदा जल न्यायाधिकरण के अधीन यह निर्णय लिया गया था कि राजस्थान को नर्मदा न्यायाधिकरण से अपने हिस्से का जल प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहिये। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि राजस्थान राज्य, के चारों ओर नदियां होने के कारण उसे नर्मदा न्यायाधिकरण से जल प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। इस संबंध में मेरा नम्र निवेदन है कि पंजाब की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद हम देश के किसी भी अन्य राज्य अन्य भाग को जल देने के लिए तैयार हैं। मैं यह बात कहना चाहता हूं।

देश की अग्रणी पत्रिका 'इंडिया टुडे' में एक लेख प्रकाशित हुआ था कि वर्ष 2020 में पंजाब कैसी स्थिति में होगा। वर्ष 2020 में पंजाब का क्या हाल होगा? जैसा कि आप जानते ही हैं, किसान नहर के जल की तुलना में 17 प्रतिशत अधिक धन डीजल पम्प पर व्यय करता है। यह अनुमान लगाया गया था कि 2020 में पंजाब रेगिस्तान में बदल जाएगा।

और पंजाब के लोग नाश्ते में खजूर खायेंगे। और सारा पंजाब डैजर्ट बन जाएगा, यह उनकी रिपोर्ट है।

इस सन्दर्भ में, मैं जल संसाधन मंत्री जो कि एक विद्वान व्यक्ति हैं और जो सभी राज्यों का ध्यान और उनके हितों का ख्याल रखते हैं, और वास्तव में उनका यह कर्तव्य भी है–के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि आज पंजाब के पास बांटने के लिए कुछ भी नहीं है, पंजाब के पास अधिशेष जल नहीं है और इसलिये पंजाबी संगठन अधिनियम में शामिल की गई धारा 78 और 80 को रद्द कर दिया जाना चाहिए। यह मेरा नम्र निवेदन है।

दो अन्तिम मुद्दे जो मैं इस सन्दर्भ में उठाना चाहता हूं वे ये हैं कि यह कटु–सत्य है कि वर्ष 1977 में पंजाब सरकार ने न्यायाधिकरण के निर्णय को चुनौती देते हुए श्रीमती इन्दिरा गांधी के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में एक मामला दायर किया था। श्री दरबारा सिंह वर्ष 1980 में, पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। उस समय वहां कांग्रेस की सरकार थी। मुझे यह कहते हुए खेद है कि इतिहास किसी को भी नहीं छोड़ता... *उच्चतम न्यायालय को रावि–व्यास पंचाट से अधिशेष जल बांटने के संबंध में अन्तिम निर्णय देने की अनुमति क्यों नहीं दी गई*...

आज मैंने रावि–व्यास न्यायाधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ी है। इस संबंध में अन्तिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। **(व्यवधान)**

**श्री तारा सिंह** : मैं उनके वक्तव्य को सुनकर शर्म महसूस कर रहा हूं। कि कांग्रेस दल के सदस्य होते हुए भी वह कह रहे हैं कि...** उनके वक्तव्य को सुन कर मैं शर्म महसूस कर रहा हूं।

**श्री जगमीत सिंह बरार** : जी, हां।**.....मैं इसका चश्मदीद गवाह हूं।

**श्री विद्याचरण शुक्ल** : इन विषयों को इस तरह हल्के तौर पर नहीं कहना चाहिये। किसी

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

भी मुख्य मंत्री पर ऐसा करने के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता। मैं नहीं समझता कि सदस्य, जो लोग इस दुनिया से चले गये हैं उनके बारे में ऐसी बातें कहकर कुछ ठीक कर रहे हैं। निस्सन्देह, मैं इस प्रकार के आक्षेप का खण्डन करता हूं। यह भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाना उचित नहीं है कि अमुक व्यक्ति पर फलां–फलां व्यक्ति ने दबाव डाला था। यह न तो ठीक है और न ही इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित रहने की अनुमति दी जानी चाहिए।

**उपाध्यक्ष महोदय** : उसे कार्यवाही वृत्तांत से हटा देना चाहिये।

**[हिन्दी]**

**श्री दाऊ दयाल जोशी** : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा कि नर्मदा का पानी जो राजस्थान को दिया जाने वाला है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि वह पानी राजस्थान को नहीं दिया जाए। यह एक आपत्तिजनक बात है। नर्मदा का पानी निश्चित रूप से राजस्थान को मिलना चाहिए...(व्यवधान)...जब मंत्री जी जवाब दे तो स्पष्ट करें। यदि राजस्थान को नर्मदा का पानी नहीं मिलेगा तो हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यवश स्थिति होगी।...**(व्यवधान)**...

**[अनुवाद]**

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्रीमान जोशी जी, आपको बोलने का अवसर मिला और आपने चर्चा शुरू की थी। आपको उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, सरकार को उत्तर देना है आपको नहीं।

**श्री जगमीत सिंह बरार** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी अन्तिम बात पर आ रहा हूं। समस्त पंजाबी यह महसूस करते है कि वर्ष 1966 के बाद किसी भी न्यायाधिकरण द्वारा किसी भी उच्च प्राधिकारी द्वारा जो भी निर्णय किये गये ये सारे निर्णय पंजाब के हित में नहीं रहे। इसलिए इस विषय पर नये सिरे से ध्यान दिया जाना चाहिये। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी इसके लिए आवश्यक सभी काम कर रहे हैं।

नदी जल विवाद पंजाब का मुख्य मुद्दा या समस्या रही है। मैं मंत्री महोदय और सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि हालांकि पंजाबियों का हृदय बहुत उदार है, हम पर्याप्त जल चाहते हैं और मैं चाहता हूं कि इस क्षेत्र में एक जगह पर जमा हो गये जल को वहां से निकाला जाए। आज मालवा क्षेत्र के 12 जिलों में से सात जिलों में नहर का जल नहीं है। ये अटकल बाजियां लगाई जा रही हैं और यह खबर है कि पंजाब के पास अन्य राज्यों के साथ बांट लेने के लिये अधिशेष जल है। यह एक मिथ्या धारणा है। पंजाब के पास बांट लेने के लिए कुछ भी नहीं है।

ये कुछेक मुद्दे आपके समक्ष रखने के पीछे मुझे जो प्रसन्नता है और मेरा जो आशय है वह यह है कि ऐसे रेगिस्तानी क्षेत्रों को जो कुछ भी पैदा नहीं कर सकते, जो उपजाऊ नहीं हो सकते और जो खाद्यान्न उत्पादन में कोई भी भूमिका नहीं निभा सकते–जल देने की अपेक्षा पंजाब को उसका समुचित भाग दिया जाना चाहिए ताकि पंजाब सम्पूर्ण राष्ट्र को यह दिखा सके कि वह जो कुछ योगदान दे सकता हैं उतना योगदान देगा और उसको योगदान देने की अनुमति भी दी जानी चाहिये। यदि कोई विधि विशेषज्ञ राज्य का दौरा करता है और यदि यह पता लगाने के लिए कोई मूल्यांकन किया जाता है कि क्या सतलज–यमुना संपर्क नहर का जल बाहर निकाला जा सकता है और यदि हमारे पास हरियाणा को देने के लिए एक भी बूंद जल होगा तो हम हरियाणा

[श्री जगमीत सिंह बरार]

को जल देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस संबंध में मेरा यह निवेदन है कि आज पंजाब में जल की कमी है। मैं कहना चाहूंगा कि आज पंजाब ही एक ऐसा राज्य है जहां जल संसाधनों की कमी है। भूमिगत जल के बारे में मैं कहूंगा कि 117 खण्डों (ब्लाक) में से 80 खण्डों (ब्लाक) में भूमिगत जल समाप्त हो गया है अब पंजाब की जनता के लिए केवल यही विकल्प बचा हुआ है कि वे लोग जितना जल उपयोग कर रहे है उसमें से एक भी बूंद जल पंजाब के बाहर नहीं भेजा जाना चाहिए। यही मेरा नम्र निवेदन है।

[हिन्दी]

**श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी शर्त रखने से पहले इस बात के लिये धन्यवाद दूंगा कि मुझे बोलने का मौका दिया। जल संसाधन की अनुदान मांगों पर जो बहस चल रही है, मेरा सदन से यह सुझाव है कि उनकी मांगों को अस्वीकार कर देना चाहिये। अस्वीकार इसलिये करना चाहिये कि इस विभाग की तीन जवाबदेहियां दी गई हैं। पहली जवाबदेही यह है कि मानव की सबसे आवश्यक पानी है। हरेक को पीने के लिये पानी मिलना चाहिये, हर खेत को पानी मिलना चाहिये और बाढ़ और सुखाड़ से मुक्ति दिलानी चाहिए। इन तीनों चीजों में ये असफल रहे हैं। सिवाय दो राज्यों को छोड़ कर बाकी सब राज्य इस सत्र में आत्मनिर्भर नहीं हैं। इस सरकार ने केवल 1–2 साल राज नहीं किया। यह 44 साल से राज कर रही है। लेकिन गांवों में अभी तक पानी पहुंचा नहीं पायी है।

मेरे क्षेत्र में अनुसूचित जाति के गरीब लोग रहते हैं। दो अत्यन्त ही पिछड़े हुए हैं। ऐसे 50 गांव हैं जहां के लोग अभी भी कूरा मिट्टी से भरा हुआ पानी पीते हैं। जो स्थिति है, वह मैं आपको बता रहा हूं।

आप विभिन्न योजनाओं के लिये जो पैसा देते हैं, वह किस हिसाब से देते हैं। यह राष्ट्र का पैसा है। यह इसलिये दिया जाता है कि राष्ट्र के हित में काम हो। आज तक राष्ट्रहित में कोई काम नही हुआ है। जमीन अभी भी सूखी पड़ी है। जितना उत्पादन जमीन से करना चाहिये, उतना कर नही पा रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है। मैं इस बात का अनुरोध करना चाहूंगा कि सरकार अपने जवाबदेही को निभाने का कोशिश करे।

मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की कुछ चीजे आपके सामने रखना चाहता हूं। विभिन्न राज्य जो योजनायें भेजते हैं, उनको स्वीकृति प्रदान करने में 12–14 साल भारत सरकार लगा देती है। 12 साल पहले उसका जो प्राकलन होता है, वह लम्बित हो जाने के कारण चौगुना बढ़ जाता है। हम यहां पैसों का रोना रोते हैं लेकिन उसका बहुत दुरुपयोग होता है। जो योजना 32 करोड़ रुपये में पूरी होने वाली थी, उस पर आज एक अरब 60 करोड़ लग जायेंगे। वह पुनपुन, दरधा, मूरहर परियोजना है। इससे चार जिलों को फायदा मिलता। औरंगाबाद के निकट हमीदनगर में वह बननी है। यह योजना औरंगाबाद, जहानाबाद, गया, पटना और नालन्दा को सिंचित करेगा। उससे पूरे जिले का नहीं, बल्कि एक हिस्से का पटवन होगा। वह योजना केन्द्रीय जल आयोग के पास मंजूरी के लिए 1880 में आई है लेकिन उसको अभी एक मंजूरी नहीं मिली है। अब भी वह योजना जल आयोग के पास पड़ी हुई है। वह योजना 1980 में 32 करोड़ रुपये की थी जो अब 160 करोड़ में बदल जायेगी तो कितने पैसे का सदुपयोग हुआ। क्या इस तरह के प्रबन्धन से इस देश को

फायदा हो रहा है? मैं निवेदन करूंगा कि उस योजना के बारे में आप उत्तर देते समय जरूर कहें कि इसकी अब क्या स्थिति है और उसका क्या होना है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां एक छोटी सी योजना है, जिससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन उस इलाके के लोगों का क्या कसूर है कि पीताम्बरपुर की उस योजना का कुछ नहीं हो रहा है। वह योजना 1976 में मंजूर हुई और 1977 में उस पर काम भी लग गया लेकिन 1979 में जनता सरकार चली गई और उसके साथ ही वह योजना भी बन्द हो गई। जब जनता दल की सरकार आई, जिसमें बी.जे.पी. भी शामिल थी, उस समय मैं चुनाव में पराजित हो गया और हमारी जगह पर जनता पार्टी के एम.एल.ए. जो आये हैं, राजनैतिक द्वेष के कारण उन्होंने उस योजना को ड्राप कर दिया। तो मैं पूछना चाहता हूं कि उस इलाके के लोगों का क्या कसूर था। वहां आज लोग भूख से मर रहे हैं। मैंने इस बारे में कई बार कहा कि यह स्वीकृत योजना है, जिस पर 15 लाख रुपया खर्च हो चुका है, उसको ड्राप करने का क्या औचित्य है लेकिन कुछ नहीं हुआ। वह इलाका बंजर पड़ा हुआ है। आप स्वयं देखें कि वहां के लोगों के हालात क्या हैं और उस स्वीकृत योजना की फाइल को आप मंगाये। वहां के सिंचाई मंत्री और मुख्य मंत्री से आप बात करें। वह इलाका राज्य सरकार का ही नहीं है बल्कि भारत सरकार का भी है इसलिए यह कहकर नहीं टाला जाय कि वह हमारे दायरे से बाहर है नियमतः हो सकता है लेकिन जमीन रहते हुए भी आदमी और पशु भूखे मर रहे हैं। वहां 20-25 एकड़ जमीन रहते हुए भी आदमी और पशु भूखे मर रहे हैं।

इन दोनों योजनाओं के बारे में मैं आपसे कहूंगा कि उपर्युक्त योजनाओं को प्रारंभ करने से सिचाई की समस्या का समाधान संभव है। हमारे भूतपूर्व मंत्री और विशेषज्ञ श्री के.एल. राव की मध्य बिहार में गंगा के पानी को ले जाने की योजना थी। अगर ऐसा हो जाता तो मैं समझता हूं कि उस इलाके में 4 चांद लग जाते। जिस तरह से गंगा का पानी बेकार चला जाता है उसका उपयोग नहीं होता लेकिन वह योजना आज तक खटाई में पड़ी हुई है और उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। उनके द्वारा जो बनाई हुई योजना थी, उनका आप मास्टर प्लान बनाये और गंगा के पानी को मध्य बिहार में ले जायें, जिससे वहां पर सिंचाई हो सके और उस पानी का सदुपयोग लोग कर सकें।

कुछ नदियां हैं, जिनको आप बांध सकते हैं क्योंकि नदी का पानी बेकार चला जाता है। एक फाल्गुनी नदी है, उस पर आप डैम बना दें तो बहुत अच्छा होगा। वह बरसाती नदी है इसलिए उस पर रिजर्वायर बनाकर आप खेतों को सिंचित बना सकते हैं और इससे असंख्य लोगों की जान बचा सकती है हम चाहेंगे कि आप इस पर गौर करें। जिन दोनों योजनाओं के बारे में मैंने बात रखी है, उनके बारे में अपने जवाब में बतायें कि 1980 की योजना अभी तक क्यों नहीं ली गई, उसका क्या कारण है?

यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

**श्री राम टहल चौधरी** (रांची) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी जल संसाधन की अनुदान की मांग पर हम लोग विचार कर रहे हैं।

देश के हर राज्य में सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। कई राज्यों की बात कही गई है कि पंजाब और हरियाणा में सिंचाई की व्यवस्था है, जिसके कारण वह छोटे राज्य होते हुए भी पूरे देश में और विदेश में भी राशन भेजने का काम कर रहे है। इसी तरह कई राज्यों में हमने

[श्री राम टहल चौधरी]

देखा कि सिंचाई की सुविधा जहां है। वहां पर लोग खुशहाल हैं। मगर जितनी सुविधा होनी चाहिए, इतनी सुविधा नहीं हैं हम सभी लोग चर्चा करते हैं कि 80 प्रतिशत किसान इस देश में वास करते हैं और किसान जब आगे बढ़ेगा, तभी देश आगे बढ़ सकता है। ये चर्चायें हम बराबर करते हैं, लेकिन जितनी सुविधायें सिंचाई के लिए किसानों को मिलनी चाहिए, उतनी सुविधाएं आज तक भी नहीं मिल पाई है।

मैं बिहार राज्य के रांची क्षेत्र से आता हूं। रांची जिसकी आज चर्चा होती है। वनांचल, झारखन्ड और उत्तरी बिहार में की वजह से काफी चर्चा होती है। वहां बड़ी नदियां हैं, समतल जमीन है। मध्य उत्तर बिहार और छोटा–नागपुर व संथाल–परगना का इलाका बिल्कुल पहाड़ी क्षेत्र है इस क्षेत्र मे छोटी-बड़ी बहुत सी नदियां हैं। छोटा–नागपुर और संथाल–परगना में, सब लोग जानते हैं, खदाने और बड़े–बड़े कल–कारखाने हैं और इससे केन्द्रीय सरकार को काफी आमदनी हो रही है। इसके बावजूदे भी उस क्षेत्र की उपेक्षा की गई है, जिसकी वजह से हर आदमी के मन में यह भावना बनती जा रही है और बन गई है कि वह आन्दोलन की ओर बढ़ रहा है। उस क्षेत्र की दुर्दशा होती जा रही है और उस क्षेत्र की हर दृष्टि से उपेक्षा की गई है। उदाहरणस्वरूप, मेरे पास कुछ आंकड़े नहीं हैं और मुझे आंकड़ों पर विश्वास भी नहीं है, छोटा–नागपुर और संथाल–परगना में 30–40 प्रतिशत सिंचाई की सुविधा कागजों पर हैं। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि वे किसी भी एजेंसी से सर्वे करा लें, छोटे और बड़े डैम तो बने हैं और साल–दो साल के बाद छोटी–छोटी गलतियों के चलते आज 5 परसंट भी सिंचाई नही हो रही है। आप इसका सर्वे कराकर देख सकते हैं कहीं पर ट्रांसफोरमर जल गया है और कहीं पर कुछ हो गया है, इस वजह से काम बन्द है। मैं तीन–चार वर्षों से देख रहा हूं, हम किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं, तो कहा जाता है कि रिपेयर करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, कैनाल को कैसे बढ़ायें। यह विचित्र स्थिति वहां पर पैदा हो गई है। श्री सूर्य नारायण यादव जी सही बात बोले हैं कि बिहार की स्थिति आज अजीब सी हो गई है और लगता है कि उसको कोई देखने वाला नहीं हैं वहां पर कोई काम नहीं हो रहा है। इस बारे में पश्न किया जाता है, तो सरकार की तरफ से जवाब मिलता है, जो पैसा दिया गया है, वह खर्च नहीं हुआ है, चाहे बिजली विभाग हो, सिंचाई विभाग हो या कोई भी विभाग हो। वे कहते हैं कि हम को पैसा नहीं मिलता है। सही बात यह है कि उस पैसे को दूसरी तरफ खर्च कर दिया जाता है। मैं एक छोटी सी बात उदाहरण के लिए आपको बताता हूं, छात्रवृत्ति के लिए जो पैसा आप देते हैं हरिजन–आदिवासियों के लिए, वह पैसा उनको बिल्कुल भी नहीं मिलता है। मठेरी योजना के बारे में विश्व बैंक से उस क्षेत्र के विकास के लिए पैसा बराबर देते आए है, अखबारों में देखते हैं कि उस पैसे का सही सदुपयोग नहीं हो रहा है, बल्कि उसका दुरुपयोग हो रहा है। उस पैसे को दूसरे तरफ डाइवर्ट करके खर्च कर दिया जाता है या फिर पैसा वापिस हो जाता है। सही मायने में विकास का काम नहीं हो रहा है। आपने पिछली योजनाओं में हर प्रखन्ड को पैसा दिया है, जिससे कुछ काम करने का प्रयास जिला प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, छोटी–बड़ी योजनाओं का निर्माण करें और छोटी–बड़ी नदियों को बांध करके सिंचाई की सुविधायें दें। यदि आप ऐसा करेंगे, तो बेकारी की समस्या भी हल हो सकती है और गांवों का विकास भी हो सकता है। बिहार की स्वर्ण रेखा परियोजना पिछले लगभग 6 वर्षों से जल रही है, जिसको कई वर्ष पहले पूरा हो जाना चाहिए था और जिस योजना

पर पहले 5-7 करोड़ रुपया खर्च होना था, आज उस योजना पर सौ करोड़ रुपये खर्च हो रहा है और वह योजना अभी भी पूरी नहीं हुई है एक समयबद्ध कार्यक्रम होना चाहिए। एक–दो साल ज्यादा लग जायें तो उसमें, कोई बाधा नहीं होती है। वहां की जनता ने कभी कोई आन्दोलन नहीं किया, कभी किसी तरह की कोई बात नहीं की उसके बावजूद भी वहां इतना पैसा खर्च होता जा रहा है और हर साल उसकी कीमत बढ़ती जा रही है। इसके बावजूद भी वह योजना पूरी नहीं हुई है। वहां एक प्रशासक है छोटे राय उनके बारे में राज्य सरकार और पार्लियामेंट ने भी आवाज उठाई। इस प्रकार के भ्रष्ट आमदी रखने से समय पर काम पूरा नहीं हो रहा है।

बिहार और केन्द्र सरकार को उसके विरुद्ध लिखा था तब कुछ दिन के लिये हटा दिया गया और फिर उसको वहां बैठा दिया गया। आपने लोगों को विस्थापित कर दिया। उनके लिए रहने की व्यवस्था नहीं है और उनको नौकरी तक भी नहीं दी। इस तरीके से जो गलत पदाधिकारी हैं, जो पैसे का दुरुपयोग कर रहा है उस पर भी आपको नजर रखनी चाहिये। ये जो पैसा आप राज्य सरकार को देते हैं उस पर भी केन्द्र सरकार की निगरानी रहनी चाहिये कि हमने जो पैसा दिया है उसका सही उपयोग हुआ है या नहीं हुआ है और अगर राज्य सरकार उसका दुरुपयोग करती है तो उस पर आपको कार्यवाही करनी चाहिये थी उसको आगे नहीं देने की बात करनी चाहिये।

महोदय, अब मैं आपको अपने क्षेत्र की बात बताना चाहता हूं। अभी मैंने चांडेल डैम के बारे में कहा है। वहां जो स्थिति है उसके लिये मैं आग्रह करूंगा कि बिहार, उड़ीसा और बंगाल इन तीनों जगह बिजली, सिंचाई और पीने का पानी की व्यवस्था हो सकती है। इसलिए आप कृपा करके शीघ्र इस काम को पूरा करवाएं तो इससे बिजली की समस्या का समाधान हो सकता है। अभी रांची और छोटा नागपुर में हमने कहा कि जो सबसे ज्यादा राजस्व देता है और उस क्षेत्र में बिजली की यह हालत है कि वहां लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है। हमारे क्षेत्र रांची में 24 घंटे में चार घंटे बिजली नहीं मिल पा रही है और बिजली नहीं मिल पा रही है तो पानी नहीं मिल रहा है और वहां लाठी से लोगों को मारा जा रहा है, जो आन्दोलन करने के लिये रोड पर आते है तो यह स्थिति वहां पैदा हो गई है। मैं चाहूंगा कि इसका समाधान जल्दी हो और अगर हम लोगों को पीने का पानी न दे पाएं तो क्या दे सकते हैं।

हमारे यहां दो प्रखंडों में आपने योजना स्वीकृत की, उसका सर्वे हुआ और उसके बाद वहां कर्मचारी भी बहाल हैं लेकिन फिर भी 10 वर्षों से वहां कोई काम नहीं हो रहा है। मैं आपको बताता हूं कि बुढ़यू प्रखंड के सफी नदी एवं बदांयू नदी पर सर्वे हो चुका है मगर उस पर अभी तक कुछ नहीं हो रहा है इससे 8 हजार एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकती है। अनगड़ा प्रखंड के रादू नदी पर भी यह सर्वे हो चुका है। अनगड़ा एवं खिजरी प्रखंड के टाटी एवं मासु ग्राम सिंचाई योजना, जो बिजली के अभाव में मृत पड़ी है इससे हजारों एकड़ जमीन की जो सिंचाई होती थी वह बिजली के अभाव के कारण बंद पड़ी है। टुन्डाहुली सिंचाई योजना पर भी कुछ नही हुआ है। अभी ऐसा है कि कहीं मामूली तार कट गया, कहीं ट्रांसफार्मर खराब हो गया इसके चलते इन परियोजनाओं में हजारों एकड़ जमीन परती पड़ी हुई है हम वहां के बिजली विभाग, जिला प्रशासन और बिहार सरकार को लिखते–लिखते परेशान हो गये परंतु ऐसा लगता है कि इनको गांव के विकास के लिये कोई मतलब नही है, इनको किसानों की कोई चिन्ता नहीं है। इसलिये मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि जो स्थिति छोटा नागपुर और संथाल–परगना में है उसको संभालें

[श्री राम टहल चौधरी]

तथा लोगों को आवागमन की सुविधा में बिजली दें और सिंचाई की सुविधा दें तब तो ठीक है, नहीं तो उसकी जो स्थिति बिगड़ती जा रही है उसका परिणाम भयानक होगा।

मैं आग्रह करूंगा कि इस पर आप विशेष ध्यान दे करके संपूर्ण छोटा नागपुर और संथाल–परगना में सिंचाई योजना पूरी करने के लिये निर्देश देंगे, इतना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

**श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी** (दरभंगा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज यहां पर जितनी चर्चा पानी के बारे में हुई है उन सब को अगर जमा कर लिया जाये तो मैं समझता हूं कि दिल्ली के अंदर सैलाब आ जाएगा। महोदय, कुछ ऐसी स्थिति हम लोगों के इलाके में भी है। आज बिहार के हमारे जो साथी यहां बोल रहे थे, जो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं उस समय आप यहां मौजूद नहीं थे। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि बिहार सरकार इरीगेशन के पैसे को दूसरी मदों में खर्च करने का काम कर रही है, जब कि मेरे पास रिकार्ड मौजूद है कि न जाने कितने प्रोजैक्ट बिहार से भारत सरकार के पास लम्बित हैं जिसमें उसको पैसा दरकार है और पैसा न मिलने के कारण न जाने कितने प्रोजैक्ट बिहार के अंदर चल पा रहे हैं। आज वे कांग्रेस में हैं लेकिन पहले जनता दल के अंदर थे उन्होंने यहां पर यह मांग की कि बिहार को कोई पैसा नहीं दिया जाये। मुझे बड़ा अफसोस है कि जिस स्टेट को बीलांग करते हैं, जहां के मतदाताओं के मत से जीत कर आए हैं, उसी राज्य के डेवलपमेंट के लिए जब सेंटर से पैसा जाने की बात होती है तो उसको रोकने की मांग करते है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं और आपसे मांग करता हूं कि यहां पर जब जल संसाधन मंत्रालय की मांगों पर चर्चा हो रही है तो उसी विषय पर बोले, विषय को बदलने का काम न करें। जैसा कि अभी बी.जे.पी. के साथी बिहार के बारे में बोल रहे थे और बता रहे थे कि एक विभाग का पैसा दूसरे विभाग में खर्च कर दिया जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि विद्या चरण शुक्ल, जिनके पास वाटर रेसोसेंस मिनिस्ट्री है, तो क्या वे डिफेंस मिनिस्ट्री का या सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का पैसा खर्च कर सकते हैं। जिस हैड का पैसा होता है, नौर्मली उसी कार्य में खर्च किया जाता है, यह एक तथ्य है।

**श्री रामटहल चौधरी** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि इस बात की जांच करवा ली जाए, जिससे सच्चाई सामने आ जाएगी।

**श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी** : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं हो सकता। आजादी के बाद जितनी उपेक्षा हर क्षेत्र में, चाहे विद्युत हो, सिंचाई हो, सरफेस ट्रांसपोर्ट हो, बिहार की की गई है, उतनी और किसी प्रदेश की नहीं हुई है। सबसे ज्यादा आमदनी बिहार से होती है, चाहे खनिजों से क्यों न होती हो, लेकिन विकास के काम दूसरे राज्यों में किए जाते हैं। अभी मेरे साथी बरार साहब बोल रहे थे, उन्होंने बताया कि पंजाब सबसे ज्यादा उपज दे रहा है, लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि वहां पर काम करने वाले मजदूर भी बिहार से ही आते हैं। कृषि में हाइली टेक्नीकल फील्ड यदि कोई है तो वो नार्थ बिहार और वैस्टर्न यू.पी. है। जहां भी ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है, यहां से जा सकते हैं। लेकिन क्या वजह है कि इस इलाके में कृषि को प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। यदि डीटेल में जाएं तो आपको पता लगेगा कि पानी हमारे पास सरप्लस में है, पानी की हमारे पास कोई कमी नहीं है, सिर्फ वाटर मैनेजमेंट की कमी है। आजादी के बाद

से नार्थ बिहार के इलाके में एक भी डैम नहीं बनाया गया। पिछले दिनों इसी सदन में प्रधान मंत्री जी ने घोषणा की थी, जिस समय यहां पर 500 से ऊपर सदस्य बैठे हुए थे, कि नार्थ बिहार और ईस्टर्न यू.पी. ऐसा क्षेत्र है कि जहां पर यदि सही तरीके से इरीगेशन के लिए पानी उपलब्ध करवा दिया जाए तो हिंदुस्तान तो क्या, हिन्दुस्तान से बाहर भी अनाज भेजा जा सकता है। आज बिहार सरकार ने इसका उदाहरण भी पेश कर दिया है, इरीगेशन सिस्टम न होने के बावजूद, इरीगेशन सिस्टम में कमी होने के बावजूद आपको जानकर खुशी होगी कि इस साल वहां पर गेहूं और मक्का का हिन्दुस्तान के अंदर रिकार्ड उत्पादन किया है। सारी कमियों के बावजूद बिहार ने यह साबित कर दिया है कि उसके अंदर क्षमता है, लेकिन उसको दिल्ली से समर्थन नहीं मिल रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी सूर्य नारायण यादव ठीक कह रहे थे और मैं भी इस बात को 2–3 बार इस सदन मे उठा चुका हूं कि ढाई–तीन साल पहले इंडो–नेपाल एक चर्चा हुई थी, दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने एक समझौते पर दस्तखत किए थे, जिसके तहत इस साल 1994–95 में डैम, बैराज के कांस्ट्रक्शन का काम शुरू होना था, लेकिन क्या वजह है कि इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे जिले दरभंगा में 7–8 नदियां बहती हैं, पानी की कमी नहीं हैं, लेकिन उस पानी को मैनेज करके एक शक्ति में बदलने की आवश्यकता है आपने भाषणों में सुना होगा कि आज हर राज्य के लोग आपस में पानी के लिए लड़ रहे हैं, पंजाब वाले कहते है हमको ज्यादा पानी मिलना चाहिए, राजस्थान वाले कहते हैं कि हमको ज्यादा पानी मिलना चाहिए, मैं कहना चाहता हूं कि पानी को राष्ट्रीय संपत्ति समझा जाना चाहिए और यही सोच कर ईमानदारी से इसका बंटवारा किया जाना चाहिए। मैं नहीं समझता कि देश में पानी की कोई कमी है। जहां पर पानी की कमी है, वहां पर दूसरी जगह से पानी भेजा जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर बिहार के अंदर जो इंडो–नेपाल बार्डर पर जो नदियां है उन पर डैम या बैराज बनाया गया तो मैं समझता हूं कि इरीगेशन के लिए पानी और बिजली का इंतजाम हो जाएगा। बिहार में सूखा और बाढ़ साईमलटेनियसली आते है। नार्थ बिहार में मई–जून में ड्राट होने से कोई भी खेती नहीं कर सकता है। जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्तूबर तक वहां पर वाटर लागिंग इस लेवल पर हो जाती है कि 60–70 प्रतिशत जमीन पानी के अंदर होती है। किसी इंजीनियर का प्लान था कि इतनी नदियों के किनारे बांध बना दिए गए हैं नार्थ बिहार में। नार्थ बिहार में बारिश का पानी नदी में नहीं गिर पाता है बल्कि वाटर लागिंग की शक्ल अख्तियार कर लेता है और नेपाल से जो पानी आता है वह बाढ़ की शक्ल अख्तियार कर लेता है। जब यह मौसम आता है तो पानी नहीं मिलता है। इसको हम लोग सही तरीके से चेनेलाईज या युटिलाईज करेंगे तो अकेले नार्थ बिहार हिंदुस्तान को पंजाब से ज्यादा गेहूं दे सकता है। आजादी के बाद से आज तक नार्थ बिहार या बिहार और इस्टर्न यू.पी. को नेगलेक्ट किया गया है। आप चाहे कलकत्ता, दिल्ली या बंबई में चले जाएं तो आपको ठेला चलाता हुआ मजदूर बिहार का ही मिलेगा। जो शर्त नेपाल ने हमसे रखी है तो उसमें ननेवीगेशन की बात कही गई है कि जो डैम बनेगा वह बनाइए। उनका कहना है कि हमको दरिया से रास्ता दीजिए वे आफ बंगाल तक ताकि हमारा जो माल आता है वह गंगा और कोसी होते हुए नेपाल बार्डर तक डायरेक्ट ले जाएं। वह हमारा पड़ौसी मुल्क हैं और हमारा सिस्टर कंट्री है। अगर उनके लिए नेवीगेशन का इंतजाम होता है तो उससे फायदा है जिससे पूरे बंगाल और बिहार के अंदर सस्ते दरों पर माल का ट्रान्सपोर्टेशन हो सकेगा। बहुत से इंजीनियर्स का कहना है सिल्टींग हो जाने पर नेवीगेशन की प्राबलम होती है। यह पहला मुल्क

[श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी]

नहीं है कि जहां पर इस तरह की कठिनाई होगी। बहुत से देशों के अंदर शिप्स चल रहे है। एक ही मुल्क नहीं बल्कि कई मुल्कों से नदियां पास करती हैं। 1200 ईसवी से यूरोप के अंदर राईन नदी है जो कई मुल्कों से पास करती हैं, उसके अंदर नेवीगेशन का काम हो रहा है। अगर नेपाल को नेवीगेशन के लिए रास्ता चाहिए तो उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। मैं समझता हूं कि मंत्री जी को बिहार और बंगाल सरकार के साथ बैठकर बात करनी चाहिए क्योंकि वे सरकारें सहयोग देगी। नेपाल से जो नदियां निकलती हैं तो बाढ़ सूखे की समस्या को सरकार निश्चित रूप से हल करने की कोशिश करे, उसके लिए इंडो–नेपाल ट्रीटी को लागू करवाया जाए। मैं अपने जिले के दो ब्लाक की बात करना चाहता हूं। वहां पर चालीस परसेंट से ऊपर लैंड ने वेस्ट लैंड की शक्ल अख्तियार कर ली है और सिल्ट तथा सैंड दरिया के अंदर से उपजाऊ जमीन उसके ऊपर आ जाती है। जो उपज वाली जमीन है उसके ऊपर वह आ जाती है। इसका नतीजा यह हो रहा है कि नार्थ बिहार का एक बड़ा हिस्सा धीरे–धीरे वेस्टलैंड में बदल रहा है। अगर इसको जल्दी नहीं रोका गया और उस पानी का इस्तेमाल नहीं किया गया तो पानी की शक्ल में जो हिन्दुस्तान की दौलत है वह बेकार चली जायेगी और पूरे नार्थ बिहार का पचास फीसदी हिस्सा वेस्टलैंड में बदल जायेगा। आज हम वेस्टलैंड को उपजाऊ बनाने के लिए मुहिम चला रहे हैं और भारत सरकार ने इसके लिए दो–तीन सौ करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया है। इसलिए इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। हमारी मांग है कि इंडो–नेपाल ट्रीटी को लागू करवाया जाये और जो आसान शर्तें हैं, रीजनेबल हैं उनको मान लेना चाहिए। जो सूट नहीं करते उन पर बातचीत करनी चाहिए।

अंत मे मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि नार्थ बिहार की उपजाऊ जमीन को बाढ़ से और वेस्टलैंड से रोका जाये। मंत्रीजी अपने जवाब में इस इंडो–नेपाल ट्रीटी के बारे में जरूर जवाब देंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, और हम लोगों को असुविधाओं से मुक्त कराने का प्रयास करेंगे।

[अनुवाद]

**श्री चित्त बसु** (बारसाट) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान कतिपय महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर दिलाना चाहता हूं।

महोदय, फरक्का स्थल से गंगा में कम पानी देने से कलकत्ता पत्तन बड़े संकट का सामना कर रहा है। जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में कम पानी रहता है कलकत्ता पत्तन के कार्य करने के लिए फरक्का से कम से कम 40,000 क्यूसेक पानी प्रति दिन छोड़ा जाना चाहिए लेकिन पिछले मार्च के दौरान केवल 12,000 क्यूसेक से 15,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया इससे कलकत्ता पत्तन में संकट और गहरा गया।

जहां तक बंगलादेश का संबंध है, गत मार्च के दौरान उसे 58,000 से 68,000 क्यूसेक पानी मिल रहा था जबकि वे और अधिक चाहते थे। मैं इस बात पर चर्चा नहीं करना चाहता। मेरा यह नहीं कहना है कि बंगलादेश को कम पानी मिलना चाहिए या अधिक पानी मिलना चाहिए बल्कि मेरा यह कहना है कि कलकत्ता पत्तन को विभिन्न मौसमों के दौरान 40,000 क्यूसेक पानी की आवश्यकता होती है। कलकत्ता पत्तन का न केवल कलकत्ता और पश्चिम बंगाल उपयोग करते हैं बल्कि पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के उपयोग में आता है। यह न केवल पूर्वोत्तर क्षेत्र की सेवा करता है। बल्कि नेपाल, भूटान और यहां तक कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार की भी सेवा करता है।

इस प्रकार यह पूरे देश के लिए कार्य करता है। इसलिए भारत सरकार के लिए यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि वह ऐसे कदम उठाए ताकि कलकत्ता पत्तन समाप्त न हो जाए।

बंगलादेश सरकार के साथ कतिपय बातचीत चल रही है। मैं चाहता हूं कि गंगा जल के समान बंटवारे के लिए बंगलादेश के साथ वार्ता द्वारा समझौता किया जाए। ब्रह्मपुत्र और गंगा को जोड़ने के लिए एक नहर बनाने का प्रस्ताव था। यदि वह नहर इस समय तक बन गई होती, तो न केवल कलकत्ता पत्तन इस स्थिति में पहुंचता बल्कि बंगलादेश भी बाढ़ से बच जाता तथा असम और पूर्वोत्तर राज्यों में भी ब्रह्मपुत्र से बाढ़ नहीं आती। इसलिए गंगा और ब्रह्मपुत्र के बीच संपर्क न केवल कलकत्ता पत्तन के लिए आवश्यक है बल्कि भारत में पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में और कुछ अन्य क्षेत्रों में विकासात्मक कार्यों के लिए भी आवश्यक है। यह बंगलादेश सरकार की अपनी मरजी थी जो उन्होंने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अन्यथा यह प्रस्ताव रखा था कि नेपाल सरकार के साथ किसी-न-किसी तरह बातचीत की जाए और उन्होंने ऊपरी क्षेत्रों के जल का प्रबंधन करने का भी सुझाव दिया था।

इस संबंध में मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर भी दिलाना चाहता हूं कि हाल ही में ऊपरी क्षेत्र में भी गंगा के पानी का बहाव बदला जा रहा है। हाल ही में कानपुर में एक नहर बनाई गई है जिससे गंगा के जल के बड़े भाग को मोड़ दिया गया है और इससे बिहार और पश्चिम बंगाल में पानी का बहाव कम हो गया है। संकीर्ण दृष्टिकोण से यह बात मैं नहीं उठा रहा हूं। गंगा का जल बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों के लोगों को चाहिए और यह उन्हें देना चाहिए लेकिन गंगा के जल के अधिकतम और उचित उपयोग के लिए एक व्यापक योजना होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल पश्चिम बंगाल को ही गंगा का जल मिलना चाहिए और उत्तरी बिहार और उत्तरी उत्तर प्रदेश को नहीं मिलना चाहिए।

मैं इस बात की चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि शीघ्रातिशीघ्र गंगा के जल का उचित बंटवारा नहीं किया जाता है, तो अंतर्राज्जीय विवाद पैदा हो जाएगा। इसलिए कावेरी और नर्मदा जैसे अन्य विवाद न उठने के लिए गंगा के जल का कुप्रबंधन नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि भारत सरकार को तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए ताकि बंगलादेश सरकार के साथ गंगा के जल के बंटवारे की समस्या का समाधान करने के लिए शांतिपूर्वक वार्त्ता की जा सके और गंगा के जल के उचित और अधिकतम उपयोग के लिए अंतर्राष्ज्जीय चर्चा शुरू की जा सके। उसके लिए मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय बंगलादेश सरकार के साथ चर्चा शुरू करें। बंगलादेश की प्रधानमंत्री महोदया ने सार्वजनिक घोषणा की है कि बंगलादेश की सरकार ने इस मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया है। मेरे विचार से उन्होंने यह ठीक कार्य नहीं किया है।

हमें बंगलादेश और भारत की जनता को यह आश्वासन देना चाहिए कि इस समस्या का आपस में सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान किया जाना चाहिए न कि अंतर्राष्ट्रीयकरण करके।

इसका समाधान तृतीय पक्ष के हस्तक्षेप से नहीं किया जाना चाहिए और तृतीय पक्ष हमेशा उपलब्ध रहता है। वे इस उप–महाद्वीप के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए प्रतीक्षारत रहते हैं इसलिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जटिलताओं और संभावित खतरों को देखते हुए मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस प्रस्ताव की ओर ध्यान दें कि गंगा जल बंटवारे बातचीत करके किया जाए और इस बात के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाएं कि जिन राज्यों से गंगा बहती है वहां इसका उपयुक्त उपयोग किया जाए।

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री पी.सी. चाक्को जी, उन्होंने आपके वक्तव्य को अस्वीकार कर दिया है।

अब चर्चा पूरी हो गई है। कल मंत्री महोदय उत्तर देंगे अथवा वे अभी उत्तर देना शुरू करके कल भी जारी रख सकते हैं।

**जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया और जल संसाधन मंत्रालय के विचार के लिए उपयोगी सुझाव दिए। मैं अपने उत्तर में सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को लूंगा लेकिन कुछ मुद्दों का विस्तार से उत्तर देना होगा। मैं नहीं समझता कि सभा के पास इतना समय है कि मैं सभी मुद्दों का विस्तार से उत्तर दे सकूं।

मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि उनके द्वारा उठाए गए प्रत्येक मुद्दे पर उचित तरीके से ध्यान दिया जाएगा और उन्हें उत्तर भेज दिए जाएंगे ताकि उन्हें पता चल सके कि उनके बारे में हम क्या कर रहे हैं। हम उन पर उनके विचार आमंत्रित करेंगे ताकि उनके सहयोग से हम उन मुद्दों पर कार्यवाही कर सकें।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय, कल अपना उत्तर जारी रखेंगे।

**8.12 म.प.**

**तत्पश्चात लोक सभा शुक्रवार 29 अप्रैल, 1994 वैशाख 9, 1916 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।**